राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्ठम् विधान सभा के पंचम सत्र का 20 वां दिवस [संख्या 14

1] [2

शनिवार दिनांक 17 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल :

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 322

माननीय श्री रतनाराम।

रानीवाड़ा एवं जसवन्तपुरा पंचायत समिति केन्द्रों को सब तहसील बनाने का मामला

323. श्री रतनाराम (रानीवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा एवं जसवन्तपुरा में पंचायत समिति केन्द्रों को सब तहसील नहीं बनाया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि दोनों क्षेत्रों में सब तहसील बनाने के सब आधार मौजूद हैं ? अगर हां, तो कब तक सब तहसील बना दी जायगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि जसवन्तपुरा में बहुत पहले तहसील कार्यालय था जिसे बाद में भीनमाल ले जाया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : (1) जी हां। रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा भीनमाल तहसील में स्थित है एवं भीनमाल तहसील का मुख्यालय उपखण्ड भीनमाल के मुख्यालय पर स्थित है। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों में उप तहसीलें स्थापित करने का मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(3) जी हां, यह सही है कि जसवन्तपुरा में बहुत पहले तहसील कार्यालय था जिसे बाद में भीनमाल उपखण्ड कार्यालय स्थापित होने पर तहसील भीनमाल में स्थानान्तरित कर दिया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री रतनाराम : भीनमाल और जसवन्तपुरा में 50-60 मील की दूरी है। वहां पर पक्का मकान है लोगों को वहां आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, जहां पर दो नायब तहसीलदार हैं वहां से एक तहसीलदार को दूसरी जगह और सब डिविजनल हैडक्वार्टर पर जहां एक तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार है, वहां से नायब तहसीलदार को दूसरी तहसील में भेजा जा रहा है। पहली सूची प्रकाशित कर दी गई है और दूसरी सूची शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जायगी और माननीय सदस्य का जो सुझाव है उस पर भी उस समय विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, जालोर जिला की भीनमाल तहसील सिरोही जिले से आबादी में बड़ी है और लैण्ड रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा है। क्या माननीय मन्त्री महोदय भीनमाल तहसील को तीन टुकड़ों में विभाजित करके रानीवाड़ा, जसवन्तपुरा और भीनमाल तीन तहसीलें बनाने के बारे में विचार करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, महुआ तहसील बहुत बड़ी है।

श्री अध्यक्ष : पहले रानीवाड़ा का उत्तर आने दीजिए।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं, भीनमाल तहसील बड़ी है और इसको तीन तहसीलों में विभाजित किया जाय। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जहां पर दो नायब तहसीलदार हैं या एस०डी०ओ० हैडक्वार्टर पर एक तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार है वहां से एक-एक नायब तहसीलदार को दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। यह सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से किया जा रहा है। नई तहसीलों को खोलने या नायब तहसीलदारों को वहां पर लगाने के लिए नियुक्ति का मामला है, ऐसा कोई प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने सन्तोषजनक उत्तर दे दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सैद्धान्तिक प्रश्न है। मैं पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष में माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आबादी की सघनता को और क्षेत्र की दूरी को देखते हुए क्या जिला और तहसीलों को रिआर्गेनाइज करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 324

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री करतारसिंह

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : प्रश्न संख्या 324

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अधिकृत हैं ?

श्री नवरंगसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सचिव महोदय को सूचना दे दी है।

श्री अध्यक्ष : सचिव महोदय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई। मैं इसको एडमिट नहीं कर सकता। माननीय श्री वृद्धिचंद जैन।

पंचायत समिति डूंगला में आई० ई० सी० योजना

325. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

पंचायत समिति डूंगला (चित्तौड़गढ़) में आर०ई०सी० स्कीम कब से प्रारम्भ हो जायेगी तथा स्कीम के अन्तर्गत कितने गांवों का विद्युतीकरण संभव हो सकेगा ? अब तक इस स्कीम को इस पंचायत समिति डूंगला में प्रारम्भ नहीं किए जाने का क्या कारण रहा है ?

विद्युत मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : पंचायत समिति डूंगला (चित्तौड़गढ़) से 32 ग्रामों के विद्युतीकरण की एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। स्वीकृति से पूर्व क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना अभी सम्भव नहीं है। योजना की स्वीकृति उक्त निगम से प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

प्रश्न संख्या 326

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामेश्वर दयाल यादव।

(अनुपस्थित)

दरगाह शरीफ अजमेर के पास झालरे के कार्य का ठेका

327 **श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर) पूर्व** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में दरगाह शरीफ के पास झालरे के कार्य का ठेका ठेकेदार को शिड्यूल दर से 119% ऊंचा दिया गया ? यदि हां, तो क्या ठेकेदार प्रथम लोएस्ट था ?

(2) उपरोक्त कार्य की निविदा में उक्त कार्य का शिड्यूल एस्टीमेट कितनी रकम का था तथा अब तक इस कार्य पर कितना पैसा खर्च हो गया ?

(3) इस प्रकार के कार्य करने में लोहे के सरिये विभाग द्वारा सप्लाई करने की परम्परा है कि नहीं ? यदि हां, तो इस कार्य में विभाग के स्टोर से लोहे के सरिये न देकर सीधे बाजार से खरीदने के आदेश किन परिस्थितियों में दिये गये, और किस अधिकारी द्वारा दिये गये ? जो लोहे के सरिये ठेकेदार ने झालरे के कार्य में लगाये हैं, क्या वे स्टेण्डर्ड स्टील के हैं ?

(4) झालरे को पहले से कितना छोटा किया और छोटा करने का क्या आधार है ?

(5) उक्त झालरे के कार्य में जो अनियमितताएं हुई हैं, क्या राज्य सरकार किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच कराएगी, और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

(4)

. सिंचाई मन्त्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां। अजमेर में दरगाह शरीफ के पास भालरे का कार्य जो शिड्यूल की दर से 119.65 प्रतिशत एबव पर दिया गया उसमें यही ठेकेदार लोएस्ट था।

(2) उक्त कार्य निविदा के शिड्यूल अनुसार रुपये 637224/– का था। ठेकेदार की प्रतिशत अधिक होने से एवं डिपार्टमेन्ट द्वारा अन्य जरूरी कार्य करने पर कुल व्यय 1735255.70 हो चुका है।

(3) विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु आवश्यक लोहा विभागीय भण्डार में उपलब्ध होने की स्थिति में विभाग द्वारा ही ठेकेदार को दिया जाता है। भालरा का कार्य हाथ में लेते समय आवश्यक लोहा भण्डार में उपलब्ध नहीं था एवं नियमानुसार प्राप्त करने में समय लगता। अतः कार्य की अतिपात को देखते हुए निविदा शिड्यूल में लोहे के सरिया सम्बन्धित सम्पूर्ण आइटम लिया गया जिसमें लोहा लाना, आवश्यक मोड़ना, फिट करना आदि सम्मिलित था व सम्पूर्ण कार्य की दर 2.50 प्रति किलो दी गयी थी। निविदा पर नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हैं। ठेकेदार द्वारा लोहा स्टेण्डर्ड अनुसार ही प्रयोग किया गया।

(4) भालरा को छोटा नहीं किया गया।

(5) इस कार्य में कोई अनियमिततायें नहीं हैं।

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो सूचना दी है वह बिल्कुल गलत दी है। उनकी पहली सूचना यह है कि निविदा लोएस्ट थी, मैं उनको चुनौती देता हूं कि सारी निविदा मंगाकर देख ली जायें, वह लोएस्ट नहीं थी। दूसरा यह कि ठेकेदार द्वारा क्या यह कार्य समय पर कर दिया गया? यदि नहीं, किया गया तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? तीसरा यह कि 6 लाख रुपये का कार्य था, विभाग के जानकार लोगों ने ही इसका एस्टीमेट तैयार किया, फिर यह 17 लाख का कार्य कैसे हुआ? इसको मन्त्री महोदय स्पष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय का उत्तर आने दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि यह लोएस्ट टेंडर नहीं था, यह बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार की पद्धति है, उसकी शायद माननीय सदस्य को जानकारी नहीं हैं। मैं आपके सामने सही वस्तु स्थिति रख रहा हूं। इसके लिए चार ठेकेदार थे, जिसमें टीकमचन्द गोयल का 13,99,662.31 का टेन्डर 119.65 प्रतिशत ऊंचा था। दूसरा टेन्डर, जिसके लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं, था मेसर्स गुप्ता ब्रादर्स का, जो कि 11,97,981.12 रुपये का था और 88 प्रतिशत ऊंचा था, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि इस काम में जो सीमेंट लगेगा वह ठेकेदार नहीं देगा और उसका खर्चा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। सीमेंट की कीमत, जो कि 2,21,549.04 रुपये होती है, अगर इस टेन्डर की रकम में मिलायी जाये, तो उनका टेन्डर 11,97,981.12 रुपये के बजाय 14,19,530.04 रुपये का हो

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जाता है, जो कि टीकमचन्द गोयल से ज्यादा होता है। इसलिए टीकमचन्द गोयल द्वारा दिया गया टेन्डर ही लोएस्ट है। माननीय सदस्य ने सीमेंट वाली बात विचार में नहीं ली है।

इसके अलावा अगर और कोई माननीय सदस्य की शिकायत हो, तो उसकी जानकारी कर लेंगे। समय पर काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी जो पेनल्टी की व्यवस्था है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

छः लाख की जो बात माननीय सदस्य ने कही, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने यह तय किया कि जब पूरा एस्टीमेट सामने आ जाये तब ही टेन्डर्स मंगाये जायें। मुझे पता नहीं, पुरानी सरकार की क्या व्यवस्था थी, अध्यक्ष महोदय, साथ ही टेन्डर मांग लिया करते थे और फिर मालूम पड़ता था कि और एडीशनल करना है। सारा एस्टीमेट मेरे सामने है मैं बता सकता हूं कि खर्च का कारण क्या है? सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत तखमीने में 79,990.00 रुपये का प्रावधान था परन्तु झालरा का पानी निकालने पर ज्ञात हुआ कि पुरानी रिटेनिंग वाल कमजोर है, जिसकी मरम्मत व मजबूती पर 65,000.00 रुपये अधिक लागत हुई। बड़ा पीर से झालरे में आने वाले पानी को डाइवट करने हेतु गाइड वाल का निर्माण करना पड़ा जिसकी लागत 25,000.00 रुपये और आई। चारयार की तरफ की दीवार की नींव खोदने पर ज्ञात हुआ कि चट्टान रिटेनिंग वाल का आधार देने योग्य नहीं है, अतः नींव में आर.सी.सी. की साफ्ट फाउन्डेशन देनी पड़ी, जिसकी लागत 50 हजार अधिक आई। स्टील शिड्यूल जो पूर्व में बनाया गया, उसको डिजाइन के अनुसार संशोधित करना पड़ा, जिसके कारण 60,000.00 रुपये की अधिक लागत हुई। इस प्रकार जो पहले का एस्टीमेट बना हुआ था उसको रिव्यू किया गया, और उसके कारण यह खर्चा आया।

फिर भी अगर माननीय सदस्य कोई अन्य जानकारी देंगे तो जांच की जायेगी।

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कोई तारीख तय कर दें और खुद जाकर वहां देखें। जब इसका पूरा तखमीना बनाया गया था, तो यह अलग अलग नये खर्चे कहां से पैदा हो गये? आप इस सारे काण्ड की जांच करवायें।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : यह जो आपके 119 प्रतिशत अबव वाली बात कही, तो क्या मन्त्री महोदय बता सकते हैं कि इसका आधार क्या था? यह कौन से साल के शिड्यूल के आधार पर था? बी.एस. आर. पर टेन्डर मांगे जाते हैं, तो यह कौन से वर्ष के बी. एस. आर. के आधार पर थे?

दूसरी बात माननीय मंत्री ने कही कि पहले की सरकार बगैर एस्टीमेट ही काम शुरू करा देती थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने ऐसे कोई कार्य इन एन्टीसिपेशन आफ सैंक्शन आफ एस्टीमेट्स नहीं किये हैं? कृपया इसकी भी जानकारी दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : राज्य सरकार ने तय किया है कि जिस कार्य को चीफ इन्जीनियर टैक्निकली एग्जामिन करके गवर्नमेंट को भेज दें और वह कन्विन्स्ड हो जाये कि समय कम है, तो काम शुरू हो सकता है।

यह सच है कि दरगाह शहर के बीच स्थित है, और सारा सीमेंट ढाई दिन का झोंपड़ा के पास उतारना पड़ता है और फिर रात के समय वहां से ले जाना पड़ता है। बहुत कम स्पेस है, और भी परेशानियां हैं।

श्री कल्याणसिंह सांखला : दिन में भी ट्रकें आराम से जा सकते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य, अजमेर के निवासी आप भी हैं, मैं भी हूं। दरगाह के पास जाने के रास्ते की जानकारी आपको भी है, वहां पर पार्किंग स्पेस बहुत कम है। फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक बात आप बता देंगे तो मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और अपराधी को सजा दी जायेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको कोई गलती महसूस हुई कि नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अयूब खां (तिजारा) : यह मामला बहुत गम्भीर है। साबी नदी से पिछले साल पचास.........

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। यह शिड्यूल कौन से वर्ष का है ? जब तक यह नहीं बताते हैं, तब तक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 1975 का है।

श्री शंकरलाल : ठेकेदार का नाम तो बतायें।

श्री उमराव सिंह : आपने दुबारा टेन्डर क्यों नहीं बुलाये ? नेगोशिएशन हुआ या नहीं ?

श्री अयूब खां : फ्लड कन्ट्रोल पर आधे घण्टे की चर्चा के लिए रखा जाये।

प्रश्न संख्या 328

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री एच. एन. शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 329

श्री बहादुर सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 330

श्री राम रघुनाथ चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 331

श्री हरचन्द सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री वृद्धिचन्द जैन।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जून 1977 से किये गये नसबंदी आपरेशन

332. **श्री वृद्धीचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जून 1977 से आज तक विभिन्न जिलों में कितने नसबन्दी आपरेशन हुए ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने इस वर्ष, यानि सन् 1978-79 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितने नसबन्दी आपरेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसमें कितनी सफलता मिली ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जून, 1977 से फरवरी 1979 तक कुल 28,823 नसबन्दी आपरेशन हुए है। जिलेवार आंकड़े संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

(2) नसबन्दी एक स्वेच्छिक कार्यक्रम है, इसलिए 1978-79 में जिलेवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में इस वर्ष यानि अप्रेल, 1978 से फरवरी, 1979 तक कुल 17,845 नसबन्दी आपरेशन हुए हैं। जिलेवार सूचना संलग्न तालिका में दर्शाई गई है।

(तालिका के लिए परिशिष्ट संख्या 1 देखें)

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह जो आपने प्रश्न का जवाब दिया कि 1978-79 में कोई नसबन्दी के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए और 1979 में भी विचार नहीं रखते हैं, तो इस प्रकार तो आपरेशन्स की संख्या बहुत कम होगी। इस प्रकार 1982 तक जन्म-दर कितनी कम कर सकेंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नसबन्दी के कारण आज स्थिति पैदा हुई है उससे आप परिचित हैं लेकिन 1977-78 में जो स्थिति रही उसके अन्तर्गत जो कार्यक्रम हमने उठाया, जो वातावरण बनाया और जिस तरह से ग्राम-पंचायतों में और परिवार कल्याण समितियां बनाईं उनसे वातावरण बनाने का काम किया, उससे इस वर्ष 58 पर्सेन्ट ज्यादा हुए। इस प्रकार से अभियान चलाने से, कैम्प लगाने से और दूसरे काम करने से यह हुआ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या यह सही है कि नसबन्दी के बारे में जो अभियान चलाया जाता है उसमें जनता पार्टी के एम. एल. ए. सहयोग इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उन्होंने इस नसबन्दी के विरोध में चुनाव के समय प्रचार किया था ?

श्री टीकमचन्द कांत : जनता पार्टी ने बराबर नसबन्दी चालू की है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : हमारे जिले के किसी भी एम एल. ए. ने अभियान में भाग नहीं लिया और सहयोग नहीं दिया है इस कारण से आपका जो कार्यक्रम है वह असफल हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : हम बराबर सहयोग देते हैं···

(व्यवधान)

श्री शिवशरण सिंह : आपने खुद ने भी आपरेशन नहीं करवाया है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या इन्होंने भी आपरेशन कराया है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, सन् 1982 तक यह गवर्नमेन्ट चलेगी तब तक आप जन्म-दर में कितनी कमी कर सकेंगे ? इसके लिए आपका क्या लक्ष्य है ?

श्री मूलचंद डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने आपका इस बार भी नसबन्दी का टार्गेट फिक्स किया है और भारत सरकार ने आपसे अपील की है कि आप इतना टार्गेट पूरा कीजिए, वह आपको क्या टार्गेट बताया है उन्होंने ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार स्वयं इच्छा से आपरेशन करवाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जबरन पकड़ कर जानवरों की तरह आपरेशन कांग्रेस ने करवाये हम उसमें विश्वास नहीं रखते।

(व्यवधान)

आपने उनको बिलकुल जानवर समझा है। मैं कह रहा हूं कि सत्यानाश किया है तो कांग्रेस वालों ने किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान का जन प्रतिनिधि अगर इस प्रकार की बात करता है तो यह शर्मनाक बात है। हिन्दुस्तान की बड़ी भारी समस्या है पापुलेशन का एक्सप्लोजन होगा।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कांग्रेस के जमाने में जिस तरह से जानवरों को खस्सी करते हैं उस तरह से आदमियों के साथ व्यवहार किया गया। बीस-बीस साल के नवयुवक और कंवारों के आपरेशन करवाये। मैं साबित करने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री मावजी भाई : ·········डूब मरो, डूब मरो ·······

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी के बूढ़े लोग हैं वह भी खड़े होते हैं। हालत खराब हो गई है। जिन्होंने पांव कब्र में लटका दिये वह भी खड़े हो गये। अध्यक्ष

(श्री मूलचन्द डागा)

महोदय, आप जरा जनता पार्टी के विधायकों की हालत देखिए। परिवार नियोजन के नाम पर विरोध करते हैं। शर्म की बात है। डूब मरना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सबसे पहले प्रश्नकर्ता एक प्रश्न पूछें। फिर माननीय श्री विश्नोई जी पूछें।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि सन् 1982 तक आप जन्म-दर में कितनी कमी करेंगे ? दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि जो नसबन्दी के लिए आपरेशन हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हुए हैं और शहरी क्षेत्रों में कितने हुए हैं ? यह भी जानकारी मन्त्री महोदय दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह टार्गेट बिना संजय गांधी के पूरे नहीं होंगे। इधर संजय गांधी पैदा हो जायेगा तो टार्गेट पूरे हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : नियम 269 की अवहेलना है, क्वेश्चन आवर में जिसका क्वेश्चन है वह क्वेश्चन कर नहीं सकता और जिसको सप्लीमेन्ट्री पूछना होता है वह पूछ नहीं पाते हैं और भाषण शुरू कर देते हैं।

(व्यवधान)

श्री पदमसिंह राठौड़ : कांग्रेस ने ब्रह्मचर्य की सब मर्यादाएं तोड़ दी थीं।

(व्यवधान)

श्री रघुनंदन व्यास : अध्यक्ष महोदय, वृद्धिचन्द जी से पूछिये उन्होंने कितने आपरेशन करवा कर पुरस्कार प्राप्त किये ?

श्री मूलचंद डागा : खड़े होकर बोल जाते हैं। जो सदस्य क्वेश्चन रखते हैं, उनका जवाब नहीं आता।

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : यह रतनलाल जी को क्या अधिकार है ?

(व्यवधान)

श्री रघुनंदन व्यास : मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि माननीय डागा जी ने पाली जिले में कितने आपरेशन कराये और राज्य सरकार से क्या-क्या पुरस्कार मिले ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सबसे मेरा यह अनुरोध है कि प्रश्न कोई पूछे उसका उत्तर आने दीजिये। अगर सदन की यह इच्छा हो कि प्रश्न को पूछने ही न दिया जाये, उत्तर ही न सुना जाये तो यह परम्परा उचित तो नहीं है लेकिन आपको अधिकार है, आप सर्वोपरि हैं। अगर आप सुनना न

(10)

(श्री अध्यक्ष)

चाहे तो मैं आराम से बैठा हूँ, मेरा क्या बिगड़ता है।

(व्यवधान)

आसन को बैठ जाने दीजिये। अन्यथा अगर आपको खड़ा होना है, तो लो मैं तो बैठ गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह राष्ट्रीय विषय है। आपको भावना में नहीं बहना है और अगर इसके अन्दर आपको संजय गांधी को लाना है, तो आप ला सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो इसके उत्तर को सुनिये, सरकार की क्या नीति है नसब दी के सम्बन्ध में, यह जानकारी सदन को मिले तो हर्ज क्या है? माननीय मावजी, नसबन्दी की बारी आपकी और मेरी तो नहीं आयेगी। जो वास्तविक विषय है, उसके ऊपर 5 मिनट चर्चा हो लेवे।

श्री रघुनंदन व्यास : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि बाड़मेर जिले में वृद्धिचन्दजी और पाली जिले में माननीय डागा जी द्वारा कितने आपरेशन कराये गये और इनको क्या-क्या पुरस्कार मिले ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर मन्त्री महोदय बोलते हों तो आप स्थान ग्रहण करें। उनको सुन लें, आपको और सप्लीमेंटरी पूछना हो तो बाद में पूछ सकते हैं।

श्री त्रिलोकचंद जैन : जनसंख्या की वृद्धि की जो समस्या है, वह हम सबके लिये चिन्ताजनक है और परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा हम प्रयत्न कर रहे हैं। इमर्जेन्सी के दौरान यह परिवार कल्याण नियोजन का कार्यक्रम काफी बदनाम हुआ और सारे राजस्थान में और उत्तर भारत में फैला और आज भी है। इसलिए राज्य सरकार के सामने पहला प्रश्न यह है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक अच्छे राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये जन मानस पैदा करें, लोकप्रियता बढ़ायें इसलिए जो समय गया इसकी लोकप्रियता वापस प्रतिष्ठित करने में गया। गत वर्ष इसीलिये 11 हजार आपरेशन हुए। अब इसके लिए कार्यक्रम बनाया है। जन मानस पैदा करने के लिए जन स्वास्थ्य समितियां ग्राम पंचायत में बनाने का कार्यक्रम उठाया है। संकल्प के कार्यक्रम लिये। शिवरों में कार्यक्रम आयोजित किए और इसका परिणाम यह हुआ कि गत वर्ष 58 प्रतिशत तक आगे कार्यक्रम किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का सहयोग आना चाहिए। जब राज्य सरकार यह कह रही है, 58 प्रतिशत विकास हुआ है, आगे बढ़े हैं तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, वापस प्रतिष्ठा लानी चाहिये। आप सहयोग दीजिए जन मानस में प्रतिष्ठित करने के लिए और अधिक से अधिक फिर लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से। राज्य सरकार इस समय इसमें लगी हुई है।

श्री मूलचंद डागा : आपने जानकारी गलत दी है। पिछले वर्ष आपरेशन हुए हैं उनकी संख्या है 5,370 और जो इस वर्ष हुए हैं वह हुए हैं 3615। आपके आंकड़े बताते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : 100 के मुकाबले 58 रह गया, कम तो हो गया।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप अपने टार्गेट कांग्रेस के मुकाबले कब लायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय का उत्तर पर्याप्त है। श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत नीति विषयक प्रश्न पूछना चाहता हूं। खाद्यान्न की पूर्ति और वस्तुओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए जनसख्या को घटाने की बात की जा रही है, उचित है। एक तरफ आप विकास का आधार जनसंख्या मान रहे हैं, केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार आप वहां विकास कार्यों पर ज्यादा खर्च करेंगे जहां जनसंख्या ज्यादा होगी। अगर क्षेत्र के हिसाब से विकास कार्यों पर खर्च करें तो मेरा इसमें सहयोग देना सम्भव नहीं है। क्योंकि जनसख्या को विकास का आधार मानने से हमारा क्षेत्रीय विकास नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री शंकरलाल।

मरुस्थलीय विकास हेतु योजनाएं

333. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) राजस्थान सरकार द्वारा मरुस्थलीय विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं और उन पर कितने समय में किन-किन योजनाओं पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय होगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन योजनाओं की सही और समय पर क्रियान्विति हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इन योजनाओं का परिणाम कब तक सामने आने की आशा है ?

कृषि मन्त्री (श्री कल्याणसिंह कालवी) : (1) राजस्थान सरकार द्वारा मरुस्थलीय विकास के लिए सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम बनाये गये हैं। ये योजना भारत सरकार को छठी पंचवर्षीय योजना, जो भारत सरकार के विचाराधीन है, में सम्मिलित कर ली गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास हेतु लगभग 29.78 करोड़ की धनराशि तथा मरु विकास कार्यक्रम पर लगभग 74.32 करोड़ की धनराशि व्यय करने के प्रावधान रखा गया है। इस क्षेत्र के लिए वर्ष 1979-80 में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम पर 9.122 करोड़ तथा मरु विकास कार्यक्रम पर 13.14 करोड़ रु. की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है।

(2) इन योजनाओं की सही यथा समय पर क्रियान्विति हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला विकास अभिकरण का गठन किया गया है जो एक ओटोनोमस संस्था है, जो प्रत्येक जिले में कार्यक्रम की क्रियान्विति देखती है। इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु जिले में एक समिति का गठन भी किया गया जिसमें उस क्षेत्र के दो विधायक जन प्रतिनिधि के रूप में भी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। योजना के समय समय पर क्रियान्वयन हेतु जिला विकास अभिकरण समिति की समय-समय पर बैठक होती है जिनमें वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विचार विमर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मरु विकास आयुक्त जोधपुर से भी इन अभिकरणों को दिशा निर्देश दिये जाते हैं।

इन योजनाओं का परिणाम प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगा है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे सूची तो मुझे नहीं मिली है, जो मिलनी चाहिए थी लेकिन मैं यह प्रश्न करना चाहूंगा, क्या यह सही है कि सूखा सम्भावित योजना पर और दूसरी योजनाओं पर जो भारत सरकार से पैसा मिला था, गई साल वह खर्च नहीं कर पाये। जो धनराशि भारत सरकार से मिली वह कितनी मिली और खर्च नहीं कर पाये ?

श्री कल्याणसिंह कालवी : इस प्रश्न की जानकारी के लिए आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा चार्ज है कि भारत सरकार से जो धनराशि मिली है वह खर्च नहीं कर पाये मरुस्थलीय विकास योजना पर और डेजर्ट डवलपमेंट के जो क्षेत्र हैं उनकी बराबर अवहेलना कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट पूछा है क्या प्रतिक्रिया अपनाई गई राज्य सरकार द्वारा ? अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : इन्होंने सूची भी सदन की मेज पर नहीं रखी है।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का दो तिहाई हिस्सा मरु प्रदेश है। क्या उसको देखते हुए मंत्री महोदय यह उपयुक्त समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो दे दिया माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय शंकरलाल जी आपको क्या कहना है ?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है गत वर्ष भारत सरकार द्वारा जो इन योजनाओं के लिए पैसा आया, वह कितना आया और कितना खर्च किया और जितना पैसा भारत सरकार से आया वह खर्च नहीं कर पाये ? आपने कहा जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं कहता हूं यह प्रश्न से सम्बन्धित है और जानकारी होनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जब मरु प्रदेश की अलग मांग उठाते है तो कहते हैं, रहने दीजिये और इस प्रकार मरु प्रदेश की अवहेलना की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामकरण सिंह।

जिला जयपुर की गोचर भूमि व जोहड़ों की भूमि पर नाजायज कब्जे

334. **श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में गोचर भूमि व गैर मुमकिन जोहड़ों की भूमि पर नाजायत कब्जों को रोकने में प्रशासन फेल रहा है ?

(श्री रामकरणसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि अलाटमेंट कमेटी ने जो प्रस्ताव भेजे उनकी जिला प्रशासन लापरवाही या अन्य वजह से स्वीकृति व अस्वीकृति की सूचना भेजने में असफल रहा है ?

(3) यदि नहीं तो तहसील कोटपूतली के 1961 से आज तक के भेजे गये प्रस्तावों की पहुंच और वापसी सूचना की तिथि बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी पूरी प्राप्त नहीं की जा सकी है, इसलिए मैं स्थगित करने के लिए निवेदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया । स्थगित प्रश्न ।

श्री ओमप्रकाश (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 1-3-79

तहसील सांचौर को गोचर भूमि के आवंटन का मामला ।

52. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भूतेल तहसील सांचौर की गोचर भूमि मवेशियों की संख्या के अनुपात में कम होते हुए भी पाक शरणार्थियों के तीन कुटुम्बों को प्रति परिवार 50 बीघा आवंटन कर दी गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवंटन मालगुमारी के गलत आंकड़े के आधार पर कर दिया गया था ? अगर हां, तो मालगुमारी के गलत आंकड़े भेजने वाले राजस्व अधिकारी के विरुद्ध अब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम भूतेल की राही मालगुमारी 875 है और गांवाई गोचर सिर्फ 39011)1 बीघा ही गांव के पास है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण लोगों को मालूम होते ही, स्थानीय ग्राम पचायत एव ग्राम लोगों ने उक्त गोचर के आवंटन के विरोध स्वरूप आन्दोलन एवं सत्याग्रह शुरू किया था, जो अभी तक चालू है ?

(5) क्या यह भी सही है कि स्थानीय ग्राम पंचायत की ओर से उक्त आवंटन के विरुद्ध लिखित ऐतराजात एवं दरख्वास्तें परगना अधिकारी भीनमाल, कलेक्टर, जालौर एवं सरकार को पेश की हैं ? अगर हां, तो उन पर अब तक सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की है ? अब सरकार जायज माग को मंजूर कर कब तक उक्त गोचर का आवंटन रद्द करके उक्त ग्राम एवं अन्य आसपास के गांवों में शान्ति स्थापित करवा सकेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : (1) ग्राम भूतेल की पशु गणना के आंकड़े निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1966	569 पशु
वर्ष 1972	382 पशु
वर्ष 1977	872 पशु

इस प्रकार पशु की संख्या में पशु गणना के अनुसार भारी अन्तर होता रहा है। इस ग्राम में कुल गोचर 390 बीघा 9 बिस्वा थी जिसमें से 150 बीघा का आवंटन किया गया है, शेष गोचर 240 बीघा 9 बिस्वा रहती है। यह 1977 की पशु गणना के आंकड़ों के आधार पर पशुओं के अनुपात में कम पड़ती है परन्तु जैसा उल्लेख किया जा चुका है, ग्राम की पशु संख्या समय के साथ कम बेसी हुई है। भूमि का आवंटन पश्चिमी जिलों में पाक-शरणार्थियों को बसाने के लिए केन्द्रीय सरकार की योजना के तहत किया गया है।

(2) यह बात आंशिक रूप से सही है। जब वर्ष 1975 में भूमि के आवंटन के प्रस्ताव शुरू-शुरू में बने उस समय पशु संख्या 254 बताई गई थी एवं उस समय लगभग इतनी ही पशु संख्या रही होगी। किसी राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई न ही वर्तमान में कोई कार्यवाही करना विचाराधीन है।

(3) वर्ष 1977 की पशु गणना के अनुसार पशु संख्या 872 है एवं गोचर क्षेत्र 389 बीघा 9 बिस्वा था जिसमें से 150 बीघा निकल जाने पर 240 बीघा 9 बिस्वा शेष रहता है।

(4) यह सही नहीं है कि ग्रामीण लोगों द्वारा इस आवंटन के विरुद्ध कोई आन्दोलन या सत्याग्रह किया जा रहा है। आवंटन का विरोध अवश्य कुछ ग्रामीण लोगों ने किया था। मौजूदा हालत में ग्राम पंचायत भूतेल द्वारा आवंटन के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक रिट याचिका दायर की गई है जो वहां पर विचाराधीन है।

(5) आवंटन का ग्रामवासियों में से कुछ ने विरोध किया था परन्तु राज्य सरकार ने आवंटन को इस कारण उचित माना कि यह पाक-शरणार्थियों को बसाने की योजना का एक अंग था। वर्तमान में इस मामले में एक रिट याचिका विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय जब आपने भूमि का आवंटन किया उस समय मालशुमारी क्या थी ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : यह तो मैंने निवेदन किया है 575 थी जब अलाट किया। मैंने निवेदन किया अभी कि जो भूमि के आवंटन का प्रश्न 1975 में शुरू-शुरू में बना उस समय पशु संख्या 254 बताई थी एवं उतनी ही पशु संख्या रही होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं आपको चैलेन्ज करता हूं इतने फैक्ट्स आने के बाद आप तथ्यों को छिपाते हो। 77 के बाद 78 में आवंटन किया है गोचर भूमि मौजूदा है। मवेशी संख्या 872 बताई है तो जमीन ज्यादा कैसे है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : 1977 में पशु संख्या 872 थी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब आवंटन किया तो 872 तो आपके अनुसार है। वहां मौजूदा आधा बीघा भूमि प्रति मवेशी देना नियमों में है जिसमें भेड़ बकरी अलावा है। जब, अध्यक्ष महोदय, नियमों में प्राव-रखा है तो उसकी अवहेलना की है। कोई रेवेन्यू अधिकारी पर एक्शन मत लीजिए लेकिन वे ऐसा कहते हैं तो, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं अगर, माननीय मन्त्री महोदय, यह सच है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं या आप गलत हों तो आप इस्तीफा दें।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : इन्होंने 75 में सारी चरागाह भूमि अलाट कर दी और आज बात कहते हैं.......

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जवाब गलत दिया गया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, शरणार्थियों को बसाने और तीन परिवारों की 150 बीघा जमीन देना रघुनाथ जी विश्नोई की दृष्टि में अन्यायपूर्ण है ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप विज्ञान मोदी जी से पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय नियमों की अवहेलना हुई है ? क्या यह सही है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पशु संख्या बताने में कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है। मैं इसकी जांच करवा लूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप यह बात मानते हैं या नहीं कि '72 में पशुओं की संख्या 872 थी।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी मैं जांच कराऊंगा कि कहां असावधानी हुई है ? नियमों के अनुसार कार्यवाही हुई है या नहीं, इसके बारे में भी जांच करवा लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह पाक शरणार्थियों के बारे में जो मंत्री जी बयान दे रहे हैं यह झूंठ है कि आन्दोलन नहीं हुआ। यह तो गांव वालों की भलमनसाहत थी कि उनको वहां पर दे दी। और आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई आन्दोलन नहीं हो रहा है, आप यह झूंठ कैसे बोल रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं झूंठ नहीं बोल रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप यह बताइये कि शरणार्थियों का वहां पर कोई कैम्प था क्या भूतेल में, या वे राशन जेरण कैम्प से मंगाते थे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें "

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, मंत्री महोदय अन्याय नहीं होने देंगे। मंत्री महोदय को आपने जानकारी दे दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सरकार की हठधर्मी के कारण गांव वाले बर्बाद हो रहे हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वे उचित व्यवस्था करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने संविधान की शपथ खाई है और झूंठ बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सवाल से सम्बन्धित दो प्रश्न माननीय राजस्व मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में माननीय सदस्या ?

श्रीमती मदन कौर : इसी सांचौर भूतेल पंचायत की गोचर भूमि के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिए।

श्रीमती मदन कौर : इस बारे में पहला प्रश्न तो यह उठता है कि किसी भी गांव की चरागाह की भूमि को कृषि भूमि के लिए आवंटन करने के पूर्व क्या ग्राम पंचायत की सहमति ली गई थी ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है और पहले से भी अपर्याप्त चरागाह होने के बावजूद भी और अधिक कृषि भूमि के लिए आवंटित करना क्या न्यायसंगत है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्राम पंचायत की अनुमति का प्रश्न है, इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा। अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो नीति सम्बन्धी बात बताई, मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अनुसार ही आवंटन होता है। इन नियमों के विरुद्ध आवंटन नहीं होगा।

श्रीमती मदन कौर : माननीय अध्यक्ष मोहदय, मैं यह जानना चाहती हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर नियमों की अवहेलना हुई है तो सरकार के द्वारा नियमों के अनुसार व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : धन्यवाद।

श्री जगदीश चंद शर्मा (रतनगढ़) : क्या कांग्रेस (ई) और भुट्टो से पीड़ित पाक शरणार्थियों को कहीं संरक्षण मिलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गुरुशरण छाबड़ा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 6-3-79)

जागीर कमिश्नर की अदालत में विचाराधीन मामले

153. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश भर में कुछ लोगों ने फर्जी जागीरदार बन कर लाखों रुपयों की सिंचित भूमि का अलाटमेंट करवा लिया था और उनके विरुद्ध जागीर कमिश्नर की अदालत में मुकदमें वर्षों से विचाराधीन हैं और इन्हें जान-बूझ कर इसलिए विलम्बित रखा जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में राजपत्रित अधिकारी, आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारी तथा बहुत से अन्य महत्वपूर्ण लोगों के मामले हैं ?

(2) विचाराधीन मामलों में किस-किस वर्तमान तथा भू.पू. सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें चल रहे हैं और राज्य सरकार इनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : (1) परिशिष्ट "क" में वर्णित 20 भूतपूर्व जागीरदारों के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर नहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन करवा लेने की शिकायतें प्राप्त होने पर खुद काश्त आयुक्त द्वारा नोटिस दिये गये थे उनमें से 15 जागीरदारों ने नोटिस के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिये हैं। अतः अग्रिम कार्यवाही रुकी हुई है। यह सत्य नहीं है कि इन मामलों में राजपत्रित अधिकारी अथवा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत होने से विलम्ब किया जा रहा है।

(2) खुद काश्त आयुक्त के समक्ष भूतपूर्व जागीरदारों के नाते कार्यवाही चल रही है न कि राज्य कर्मचारी होने के नाते। विचाराधीन मामलों में से निम्न मामले वर्तमान तथा भूतपूर्व राजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित होना पाया जाता है :—

1. श्री रूपचन्द माथुर
2. श्री दाऊदयाल गोस्वामी
3. श्री सज्जनचन्द माथुर
4. श्री गुमानसिंह।

राजस्थान उच्च न्यायालय एवं खुद काश्त आयुक्त से निर्णय होने पर इन मामलों पर निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि अभी तक जागीर कमिश्नर की अदालत से किस-किस सरकारी अधिकारी, जिसने फर्जी जागीरदार बन कर भूमि आवंटित कराई, के विरुद्ध क्या

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

क्या कार्यवाही हुई और यदि नहीं हुई तो इसका कारण जो बताया गया है कि मामले उच्च न्यायालय में चल रहे हैं, यह सही नहीं है ?

श्री नवरंगसिंह : मंत्री महोदय, जो गुमानसिंह का नाम आया है तो क्या ये वही गंगानगर के कलेक्टर तो नहीं हैं।

श्री मूलचंद डागा : यह वही हैं ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यह मुझे पता नहीं है। कौन गुमानसिंह है, यह मुझे पता नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : यह गुमानसिंह किसका लड़का है, कहां का रहने वाला है, यह बताइये ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए कि गुमानसिंह कौन था तब उत्तर आएगा।

श्री मूलचंद डागा : यही पूछा है साहब।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बात बता देता हूं। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूतपूर्व जागीरदारों को जो भूमि आवंटित की गई थी उनमें से अब तक 38 भूतपूर्व जागीरदारों के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर भूमि आवंटन करवा देने का आरोप था। इनमें से चार भूतपूर्व जागीरदार ग्राम थेलासर एवं भानूदा जिला चूरू के आवंटन आदेश अवैध पाये जाने पर निरस्त कर दिये गये, इनके विरुद्ध जागीरदारों द्वारा उच्च न्यायालय में रिटें करने पर भानूदा के दावों के मामलों में खुद काश्त आयुक्त का निर्णय उचित ठहराया गया। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ग्राम शिमला तहसील सरदारशहर के 10 जागीरदारों के आवंटन आदेश निरस्त करने के आदेश खुद काश्त आयुक्त द्वारा 15-11-71 को दिये गये थे।

इन भूतपूर्व जागीरदारों ने इस आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट दायर की तथा माननीय उच्च न्यायालय ने खुद काश्त आयुक्त के उपरोक्त निर्णय को निरस्त करते हुए भूतपूर्व जागीरदारों का भूमि आवंटन अपने निर्णय दिनांक 29-8-78 द्वारा वैध घोषित कर दिया।

ग्राम लचाऊ एवं सुमेल के चार भूतपूर्व जागीरदारों के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायत गलत पाई गई। अतः खुदकाश्त आयुक्त द्वारा नोटिस वापिस ले लिये गये। शेष 20 मामलों की स्थिति प्रश्न के अनुच्छेद संख्या एक के परिशिष्ट क में अंकित की गई है।

खुद काश्त आयुक्त के समक्ष जो कार्यवाही चल रही है उनमें से प्रश्न के अनुच्छेद एक के

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

परिशिष्ट क में वर्णित नामों में से क्रम संख्या 1 से 9 तक के व्यक्ति श्री रूपचन्द माथुर स्वयं जो सेवा निवृत्त आई. जे. एस. अधिकारी हैं तथा उनके भाइयों के हैं। क्रम संख्या 10 से 15 तक के व्यक्ति श्री दाऊदयाल गोस्वामी सेवा निवृत आर. ए. एस. अधिकारी एवं उनके भाइयों से सम्बन्धित हैं। क्रम संख्या 16 का मामला श्री गुमानसिंह आई. ए. एस. अधिकारी से सम्बन्धित है। चूंकि....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह वही गुमानसिंह कलेक्टर गंगानगर हैं....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : आप मेरी पूरी बात तो सुनिए।.

श्री मूलचंद डागा : कल बहुत ईमानदार बन रहा था....

श्री श्योपतसिंह मकासर : कल बड़ा ईमानदार था जो गरीबों की जमीनें बांटता था....

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि गुमानसिंह, जिलाधीश गंगानगर के खिलाफ कब से यह इनक्वायरी पेंडिंग पड़ी है और इसका फैसला कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जब से राजस्व मंत्री जी ने चार्ज सम्भाला है तब से....

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : इसके पहले से चल रहा है।

श्री निर्मलकुमार सचेचा (झालरापाटन) : क्या गुमानसिंह के विरुद्ध यह स्पष्ट करप्शन का मामला नहीं है ? यदि है तो उसको क्यों नहीं हटाया जाता ...

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : कोई करप्शन का मामला उनके खिलाफ विचाराधीन नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह बेईमानी करके जमीन ली है....

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार : क्या बेईमानी से जमीन लेना करप्शन का मामला नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक जिलाधीश ने बेईमानी करके फर्जी नाम से, जाली नाम से जमीन हड़पी है जिसका मुकदमा चल रहा है फिर भी यह करप्शन नहीं है....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या समाजवादी मंत्री का खून सूख गया है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मुझे जवाब तो देने दें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य को

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
यह निवेदन करना चाहता हूं कि करप्शन की जो परिभाषा एन्टी करप्शन में दे रखी है····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : चीटिंग की है। He got allotted land by giving wrong facts knowingly so it is cheating, forgery and hence it is a corruption.

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मेरी बात तो सुनिए····

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : Why don't you remove him.

श्री शंकरलाल : इस ग्राफिसर को हटाइये।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन सारे ग्रार. ए. एस., ग्राई. ए. एस. अधिकारियों ने मिल कर जमीन का घोटाला किया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुग्रा।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं ग्राया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रंकित न हो।

××××

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा जिले के पशु चिकित्सालय

322. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा जिले में ऐसा कोई पंचायत समिति मुख्यालय है, जहां पशु चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो कौन कौन से हैं ?

(2) इस वर्ष कोटा जिले के किस-किस स्थान पर पशु चिकित्सालय खोले गये ? जिन स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोले गये हैं उनकी जनसंख्या क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां।

पंचायत समिति मुख्यालय सुलतानपुर पर पशु चिकित्सालय नहीं है।

(2) इस वर्ष कोटा जिले में कुन्दनपुर तहसील सामोद, सारथल तहसील छीपा-

---

×××

अध्यक्ष महोदय के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

(श्री पशुपालन मंत्री)

वडोद एवं दीगोद तहसील मुख्यालय पर नये औषधालय खोले गये हैं। इनकी जनसंख्या क्रमशः 550, 2579, 2446 है।

किशनगढ़ नगर में प्रोसेसिंग प्लान्ट

324. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले का किशनगढ़ नगर पावरलूम उद्योग की दृष्टि से राज्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है?

(2) क्या यह सही है कि इस नगर में बहुतायत में पावरलूम होते हुए भी यहां प्रोसेसिंग प्लान्ट नहीं है जिससे स्थानीय पावरलूम व्यवसायियों को प्रोसेसिंग के वास्ते अपना कपड़ा सुदूर स्थानों में भेजना पड़ता है जिससे न केवल स्थानीय व्यवसाइयों को परेशानी उठानी पड़ती है बल्कि कपड़े के मूल्य में भी बढ़ोतरी करनी पड़ती है जिससे एक ओर आम नागरिक को महंगा कपड़ा मिल पाता है वहीं स्थानीय मजदूरों को भी मजदूरी नहीं मिल पाती है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार स्थानीय व्यावसायियों, मजदूरों एवं आम नागरिकों को राहत देने के वास्ते शीघ्र किशनगढ़ नगर में प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाना उचित समझती है? यदि हां, तो कब तक संभव है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कुल 4495 पावरलूम केवल किशनगढ़ में हैं।

(2) भारत सरकार स्वयं इस बाबत विचार कर रही है। इसमें 4-5 करोड़ रुपये की लागत लगती है। वहां पानी के वांछित मात्रा मे उपलब्ध नहीं होने के कारण भी प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाये जाने में एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसका निराकरण होने पर राज्य सरकार भारत सरकार को अतिशीघ्र यह प्रोसेसिंग प्लान्ट (Processing Plant) लगाने का अनुरोध करेगी। इसमे कम से कम 5,00,000 (पांच लाख) गेलन प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है।

राणा प्रताप सागर बांध के कैचमेन्ट एरिया के साथ-साथ पेरी-फेरी रोड

328. श्री एच. एन शर्मा (बेंगू) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार राणा प्रताप सागर बांध के कैचमेन्ट एरिया के साथ-साथ बनी पेरी-फेरी रोड जिसका प्राथमिक सर्वेक्षण 1969 में किया गया था उसका विस्तृत सर्वेक्षण करा सर्वे रिपोर्ट बनाने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार भविष्य में इस पेरी-फेरी रोड को पूरा करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

सड़कों का निर्माण आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुकदम, फील्डमैन के पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला

329. श्री बहादुर सिंह (नोहर) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बांसवाड़ा जिले में मुकदम व फील्डमैन के पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत करने के नियम हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक कितने व्यक्तियों को नियुक्ती दी गई तथा उनमें से कितने आदीवासी व्यक्ति हैं ?

उत्तर

जी नहीं

डेगाना क्षेत्र की डामर की सड़कें

330. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डेगाना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र, तहसील कार्यालय, पचायत समिति कार्यालय, भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खानों का स्थान होते हुए भी पास के किसी बड़े शहर, जिला कार्यालय, उप जिला कार्यालय से डामर सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस वर्ष बहुत सड़कों का निर्माण करने जा रही है ? अगर हां, तो 1) डेगाना से भेरंदा वाया नीम्बड़ी 2) लाम्बोलाई से तरना वाया इडवा, डेगाना साजू 3) डेगाना से बांटडी (डीडवाना) वाया खाटू 4) डेगाना से हरसोर सड़कें डामर की कब तक बन कर पूरी हो जावेंगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डेगाना, जिला मुख्यालय व उप जिला मुख्यालय से वाया मेड़ता डामर व मेटल रोड से जुड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ 1.5 कि. मी. मिसिंग लिंक है।

(2) उत्तर निम्न प्रकार हैं :—

1) डेगाना भेरूंदा पर करीब डेढ़ कि. मी. मिसिंग लिंक बाकी बचा हुआ है जो तालाब के अन्दर से गुजरने व अलाइनमेंट के फाइनेलाइजेशन के कारण विचाराधीन है।

2) लाम्बोलाई से तरना वाया इड़वा डेगाना सांजू सड़क वर्तमान पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

3) डेगाना से वाटंडी (डीडवाना) वाया खाटू 45 कि. मी. लम्बी है। वाटंडी से खाटू तक 17 कि. मी. सड़क व डेगाना की तरफ से 4 कि. मी. बनी हुई है बाकी 24 कि. मी. अभी बनाना विचाराधीन नहीं है।

4) डेगाना से हरसौर सड़क वर्तमान पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बन्दोबस्त विभाग द्वारा भूमि पर लगान का निर्धारण

311. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त विभाग वक्त बन्दोबस्त भूमि का वर्गीकरण करता है व उस पर लगान की दर कायम करता है?

(2) क्या यह भी सही है कि बन्दोबस्त लगान का काम भी फसल पर न कर भूमि के वर्गीकरण पर ही करता है?

(3) क्या यह भी सही है कि सोजत तहसील में प्रश्न भाग (1) के सिद्धान्त को न मान कर फसलों के आधार पर लगान कायम किया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) राजस्थान में सोजत तहसील के अलावा कहां-कहां फसलों के आधार पर लगान कायम किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या इस तरह फसलों के आधार पर कायम किये गये लगान इस भूमि में उक्त फसल के समाप्त होने पर वह लगान भी समाप्त होगा? यदि हां, तो नया लगान कौन कायम करेगा व कब करेगा और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 152 (सी) के अन्तर्गत फसल की किस्म भी लगान निर्धारण करने का एक आधार है।

(3) जी नहीं। सोजत तहसील में भी भूमि का वर्गीकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 150 व 152 के आधार पर ही किया गया है। केवल मात्र फसल के आधार पर लगान कायम नहीं किया गया है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

मन्दिर श्री गोपीनाथ जी निवाई

313. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजी राम बुरडक)

(1) क्या यह सही है कि कस्बा निवाई में मन्दिर श्री गोपीनाथ जी का है जिसका ट्रस्ट बनाने व मन्दिर देवस्थान विभाग को देने के लिए श्री प्रभु दयाल व श्री मधुसूदन ने प्रार्थना पत्र विभाग को दिया था? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग निरीक्षक ने भी इसका ट्रस्ट बनाने की रिपोर्ट दी है? यदि हां, तो कब और क्या?

(3) मन्दिर को सरकारी अधिकार में लेने व ट्रस्ट बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इस सम्बन्ध में बने हुए नियमों व आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रार्थना पत्र दिनांक 5-11-74 को प्राप्त हुआ। जिस पर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। निरीक्षक देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 25-8-77 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर मन्दिर को ट्रस्ट बनाने और पंजीकृत करने के लिए सिफारिश की है।

(3) निजी मन्दिरों को सरकारी अधिकार में लेने के लिए राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत में ट्रस्ट पंजीयन करने की प्रक्रिया मौजूद है। इसका प्रकाशन असाधारण राज पत्र सं. 4 में दिनांक 28-10-59 को हो चुका है।

झुन्झुनू जिले की राजस्व अदालतों में विचाराधीन मामले

314. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू जिले की राजस्व अदालतों में इस समय कितने कितने मामले कब कब से विचाराधीन हैं?

(2) अप्रैल, 78 से अब तक किन किन अदालतों में कितने कितने मामलों में निर्णय लिया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) विभिन्न राजस्व अदालतों का कब कब, किन किन अधिकारियों ने निरीक्षण किया और उन्होंने क्या सुझाव दिये? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश की अदालत में बहुत कम समय सुनवाई की जाती है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(5) अत्यधिक संख्या में विचाराधीन मामलों को अब शीघ्र निपटाये जाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

उत्तर

(1) इस जिले में इस समय विभिन्न राजस्व अदालतों में कुल 3564 राजस्व मुकदमात विचाराधीन हैं। विभिन्न न्यायालयों की स्थिति परिशिष्ट (क) पर उपलब्ध है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) इस जिले की राजस्व अदालतों में अप्रेल, 1978 से अब तक कुल 5822 मामलों का निर्णय किया गया है। सूची परिशिष्ट (ख) संलग्न है।

(3) विभिन्न राजस्व अदालतों के किये गए निरीक्षणों की सूची परिशिष्ट (ग) संलग्न है।

(4) जी हां, यह सही है। इस वर्ष जिलाधीश झुन्झुनूं की माह जुलाई, 78 से अप्रत्याशित अतिवृष्टि से प्रभावित क्षतिग्रस्त परिवारों को राहत पहुँचाने व जुलाई से माह अक्टूबर तक राहत कार्य में व्यस्त रहने एवं 16-11-78 से 31-12-78 तक राजस्व अभियान में व्यस्त रहने के कारण अदालत में बहुत कम समय सुनवाई की गई।

(5) विचाराधीन मामलों को निबटाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निबटाया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्व अभियान के तहत निपटाये गये मामले

315. श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व अभियान के तहत राज्य में कितने मामलों का निपटारा हुआ है ?

(2) गत वर्ष के पेन्डिंग मामलों में से कितनों का निपटारा हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि सीलिंग के बहुत से मामले पेन्डिंग में चलने के कारण भूमि के मामले नहीं निपटाये जा सके ?

(4) क्या यह भी सही है कि बहुत से मामले में सीलिंग के तहत अभी भूमि के मामलों में काश्तकारों को भारी दिक्कत हो रही है ? अगर हां, तो ऐसे मामलों का निपटारा कब तक हो जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्व अभियान वर्ष 1977 के दौरान 1228381 मामले, राजस्व अभियान वर्ष 1978 के दौरान 1070227 मामले, इस प्रकार 2398608 मामले निपटाने गये। सूची संलग्न है।

(2) इस वर्ष जिन मामलों का निपटारा हुआ उनमें गत वर्ष के बकाया मामले भी शामिल हैं परन्तु ऐसे मामलों की संख्या बता पाना कठिन है क्योंकि हमें बाबत अलग से सूचना संग्रहित नहीं कराई।

(3) यह सही नहीं है कि सीलिंग के जो मामले निर्णय हेतु विभिन्न न्यायालयों में दिसम्बर, 78 के अन्त में विचाराधीन थे उनकी संख्या निम्न है :—

(क) विचाराधीन मामले 1200

(श्री राजस्व मन्त्री)

(ख) रिमाण्ड से केस 65

(ग) वकीलों के मामले 305

(घ) राजस्व मण्डल में विचाराधीन 230

(माह फरवरी, 1979 तक)

उपरोक्त के अलवा कुछ मामले राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं के तहत विचाराधीन हैं।

सीलिंग कानून के तहत निर्णित मामलों में से कुछ को पुनः खोलने हेतु कार्यवाही की जा रही है। अब तक इस हेतु कुल प्राप्त मामलों की सख्या 3826 है इनमें से दिनांक 31 जनवरी, 79 तक 1197 मामलों को तय किया जा चुका है जिनमें से 1041 मामलों को पुनः खोलने के आदेश दिये गये तथा 156 मामलों को पुनः खोलने के योग्य नहीं समझा गया एवं शेष 2620 मामले अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। इन मामलों की संख्या देखने से प्रकट है कि गत दो अभियानों के तहत निपटाये गये मामलों की संख्या की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम है।

(4) सीलिंग विचाराधीन मामलों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। निर्णित मामलों को पुनः खोलने के लिए समुचित विचार करके ही कार्यवाही की जाती है। परन्तु इनके कारण उन लोगों को दिक्कत होना तो स्वाभाविक है जिनसे इन मामलों का सम्बन्ध है। सीलिंग के मामलों को शीघ्र तय करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र कार्यवाही कर रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

ग्राम मादड़ी (पाली) के पशुओं की चराई का मामला

316. श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य (मारवाड़) में यह रिवाज और सरकारी आदेश था कि खरीफ की फसल काटने के पश्चात् पशुओं को निःशुल्क चराई हेतु उस भूमि में न रोका जाय ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 3 (3) के अनुसार ऐसे रिवाजों को मान्य रखा गया जो एक्ट की किसी धारा के विपरीत न हो ?

(3) क्या यह सही है कि कृषक को खातेदारी अथवा गैर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हैं परन्तु जमीन का मालिकाना हक राज्य सरकार में ही निहित रखा गया है ?

(4) क्या यह सही है कि मरुस्थलीय प्रदेश के उस हिस्से में जहां पशुपालकों की संख्या अधिक है और चराई की समस्या रहती है वहां गांव के कृषकों द्वारा खेतों की कटाई के बाद भी भारी रकम चराई की वसूल करने के बाद ही पशुओं को चराई हेतु छोड़ा जाता है ?

(श्री शंकर लाल)

(5) क्या यह सही है कि पाली तहसील के गांव मादडी के पशुपालकों द्वारा ऐसी शिकायत राजस्व मन्त्री महोदय को दिनांक 16-11-78 को प्रेषित की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और क्या नतीजा रहा ?

(6) क्या सरकार ऐसे मामलों में निःशुल्क अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रेट तय कर पशुपालकों को राहत पहुंचायेगी ?

उत्तर

(1) ऐसे किसी रिवाज का रेकार्ड या जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(2) जी नहीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप धारा 3 में तो यह प्रावधान दिया गया है कि काश्तकारी के सम्बन्ध में यदि कोई रिवाज ऐसे हों जो इस कानून के प्रावधानों के विपरीत हों अथवा प्रावधानों से असंगत हों तो, वे लागू नहीं रहेंगे।

(3) जी हां।

(4) चराई की समस्या केवल मरुस्थलीय प्रदेशों की नहीं है, जहां तक इनकी चराई के लिए सुविधा देने का प्रश्न है गांवों में सार्वजनिक चरागाह भूमि उपलब्ध भूमि के अनुसार तय कर दी गई है। यह भूमि पशुओं की चराई के लिए उपलब्ध है। जहां तक कृषकों की खातेदारी एवं गैर खातेदारी का ताल्लुक है फसल काटने के बाद वे चराई हेतु उसे अन्य लोगों के पशुओं के लिए उपलब्ध करें या न करें उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अतः उनके द्वारा चराई की सुविधा देने पर चराई भी वसूल की जा सकती है।

(5) यह सही है। जांच रिपोर्ट से, जो जिलाधीश ने भेजी है, प्रतीत हुआ है कि आवेदकगण पिछले कई वर्षों से चराई शुल्क भूमिधारियों को देते आए हैं। जांच के दौरान ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि किसी खातेदार की भूमि में पशुपालकों का चराई का कोई हक बनता है। फलतः इन्हें राहत देने के लिए कोई आदेश खातेदारों के भूमि के बाबत नहीं दिये जा सकते।

(6) खातेदारी अथवा गैर खातेदारी की भूमि के बाबत इस प्रकार की कोई व्यवस्था राज्य सरकार करने का विचार नहीं रखती।

भीलवाड़ा नगर परिषद् के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र

317. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद् बनने पर कौन-कौन सा क्षेत्र कब नगर परिषद् के अन्तर्गत आया ?

(2) क्या यह सही है कि पांसल, हलेंड, भोली, आटुण आदि पंचायत क्षेत्रों

(28)

(श्री कौशल किशोर जैन)

में नगर परिषद् भीलवाड़ा की सीमा से 2 मील की परिधि के कारण सीलिंग में प्राप्त जमीन पुनः आवंटित नहीं हो पा रही है ?

(3) 2 मील की परिधि के कारण कितने काश्तकारों को आवंटित की हुई कितनी जमीन भीलवाड़ा तहसील में निरस्त कर दी गई ?

(4) 2 मील की परिधि के कारण भीलवाड़ा तहसील में नाजायज कब्जों की कितनी जमीन जो कि नियमित हो जानी चाहिये थी अधरझूल में पड़ी है ?

(5) कितने काश्तकारों को इस कारण गत 8 वर्ष से लगान की 50 गुना पेनल्टी देनी पड़ रही है ?

(6) इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी तथा कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका, भीलवाड़ा में ग्राम पुर तथा सांगानेर को दिनांक 7-1-70 के आदेश से सम्मिलित किया है, तदनुसार नगरपालिका भीलवाड़ा नगर परिषद, भीलवाड़ा में परिवर्तित हुई और उसमें पुर तथा सांगानेर का राजस्व क्षेत्र सम्मिलित हुआ।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 4 (ए)(3) काल। दिनांक 7-3-78 आदेश राजस्व (उपनिवेश विभाग का है) के अनुसार जो भूमि नगर पालिका क्षेत्र से दो मील की परिधि में स्थित है उसका आवंटन नहीं किया जाना है बल्कि ऐसी भूमि को नीलामी द्वारा निस्तारण किया जाना है। इसलिए उक्त परिपत्र के अनुसार भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र से दो मील की परिधि में जो भूमि स्थित है उसका आवंटन नहीं किया जा सकता यद्यपि पान्सल, लैण्ड भोली, आटुण आदि अलग-अलग पंचायतों का कुछ क्षेत्र नगर परिषद, भीलवाड़ा में जाता है, इसलिए उक्त परिपत्र के अनुसार आवंटन नहीं किया जा सकता है।

(3) उक्त परिपत्र के अनुसार आवंटन 2 मील की परिधि में निषेध है, इसलिए ऐसा कोई आवंटन निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) नगर परिषद, भीलवाड़ा की सीमा से 2 मील की परिधि में जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनके अतिक्रमण नियमन नहीं किये जा सकते हैं, क्योंकि 2 मील की परिधि में स्थित कमाण्ड क्षेत्र की भूमि का निस्तारण नीलामी द्वारा किये जाने के आदेश हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कराई गई है।

(5) जो लोग नियमों का उल्लंघन करें उन्हीं पर पेनल्टी कायम होती है, जो वाजिब ही है। 12 ग्रामों के कुल 170 व्यक्तियों ने 418 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है।

(राजस्व मन्त्री)

(6) इसमें कोई विसंगति नहीं है। भूमि का निस्तारण नियमानुसार ही किया जा सकता है।

ग्राम सिरोही (टाई) जिला सीकर के जागीरदारों को भूमि का मुआवजा

318. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सिरोही (टाई) जिला सीकर में कितने जागीरदारों की हिस्सेदारी थी तथा उनमें से कितने जागीरदारों को जागीर उन्मूलन कानून के तहत मुआवजा दिया जा चुका है ?

(2) उपरोक्त गांव के जागीरदारों को किस आधार पर मुआवजा तय हुआ ? क्या यह सही है कि इस गांव को अनसेटल्ड मानकर भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजा दिया गया था, जबकि एक जागीरदार को उसकी भूमि को सेटिल मानकर मुआवजा दिया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक मामले में आदेश क्रमांक एफ 218 (राज.)ग्रुप 7/78 दिनांक 3-11-78 प्रसारित किये थे ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 3-11-78 की अनुपालना जिलाधीश सीकर ने नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम सिरोही (टाई) जिला सीकर में 6 जागीरदारों की हिस्सेदारी थी उनमें से सभी जागीरदारों को जागीर कानून के तहत मुआवजा दिया गया है।

(2) उपरोक्त जागीरदारों को जागीर कानून उन्मूलन के तहत मुआवजा तय हुआ है। यह सही है कि इस गांव को अनसेटल्ड मान कर भू. पू. जागीरदारों को मुआवजा दिया गया था एवं एक जागीरदार को उसकी भूमि की अनसेटल्ड आय को तस्दीक न करवाई जाने पर सेटल्ड आय पर मुआवजा दिया गया है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। इस मामले में उक्त आदेश दिनांक 3-11-78 के जारी होने पर जिलाधीश सीकर से प्राप्त तथ्यों के आधार पर पुनर्विचार करने पर यह पाया गया कि एक जागीरदार ने जागीर की कृषि भूमि संबंधी जो आय बताई थी वह जांच सही नहीं पाई गई थी। ऐसी स्थिति में सैटलमेन्ट रेट्स को आधार मान कर मुआवजे का भुगतान वर्ष 1955 में ही जागीरदार को कर दिया गया था, इसके खिलाफ जागीरदार ने राजस्व मण्डल एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में भी अपील की जो उनके द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। उपरोक्त स्थिति में पूर्व प्रसारित आदेश दिनांक 3-11-78 के अनुसार इस मामले को पुनः खोलना राज्य सरकार ने अपने अन्य आदेश दिनांक 26-2-79 के अनुसार उचित नहीं समझा। इस आदेश की सूचना भी जागीर को भेजी जा चुकी है।

(30)

जनड़ा पीपला से ओगना सड़क निर्माण का कार्य

319. श्री लालू दास (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनड़ा पीपला से ओगना वाया गोगुन्दा जिला उदयपुर में जो कच्ची सड़क है उसको कब तक पक्की कराने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जनड़ा (झाड़ा) पिपला से ओगना वाया गोगुन्दा सड़क के ओगना-गोगुन्दा भाग में सड़क बनाने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है । और झाड़ा-पिपला से ओगना भाग केवल पुलिया का निर्माण छठी योजना में प्रस्तावित हैं ।

मूंडा खूड (सीकर) सड़क का निर्माण कार्य

320. श्री रामदेव सिंह (घोघ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मूंडा खूड (सीकर) सड़क प्लान में है ? यदि हां, तो अब तक यह कितने कि.मी. बन चुकी है तथा बाकी कब तक बन जावेगी ?

(2) सीकर जिले में कौन-कौन सी सड़कें अधूरी पड़ी हैं ? कृपया सूची मय कि.मी. दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें । क्या सरकार अधूरी सड़कों को पूर्ण करने में प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो पहले इन सड़कों को पूर्ण क्यों नहीं करवाया जा रहा है ?

(3) सीकर जिले में अति वृष्टि से क्षतिग्रस्त कौन कौन सी सड़कों की मरम्मत हो चुकी है तथा कौन कौन सी बाकी हैं ? इनकी मरम्मत कब तक कर दी जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि सीकर शहर में ने. हा. नम्बर 8 पर एक एक किलोमीटर में 6 गति अवरोधक लगाये गये हैं जिससे भारी वाहनों को नुकसान हो रहा है ? क्या सरकार इस शहर में बढ़ते हुए यातायात को मद्दे नजर रखते हुए ने. हा. नं. 8 से सीकर–लुहारू-सड़क को मिलाते हुए बाई पास निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किधर से ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । पूर्व में 1975–76 तक 7 कि. मी. सड़क बन चुकी है, शेष सड़क के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव रखा गया है ।

(2) सूची 'ख' संलग्न है । जी हां ।

(3) सूची 'स' संलग्न है । कार्य अधिकांशत: मार्च 79 तक पूरे हो जायेंगे और बाकी बचे हुए कार्य आगामी वर्षा काल से पूर्व पूरे हो जावेंगे ।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(4) जी हां। 6 गति अवरोधक तीन कि.मी. में लगाये गये हैं। इनसे कोई नुकसान भारी वाहनों को नहीं होता है। जी हां, बाई पास का प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है और इसका अलाइनमेंट विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

सिकराय क्षेत्र की सड़कें

321. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सड़कों की दुर्दशा बाबत सिकराय क्षेत्र के नागरिकों और मेरे द्वारा सिकराय तहसील की सड़कों की बिगड़ी हालत बाबत विभाग को जानकारी मिली है ? यदि हां, तो कब कब ?

(2) क्या यह सही है कि सिकराय से मानपुर सड़क, जो तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय को जोड़ती है, गत दो साल से तीन किलोमीटर सड़क का नाम निशान नहीं है तथा वर्षा के दिनों में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि सिकराय से मानपुर सड़क के पुनरुद्धार बाबत गत वर्ष के जून तक विभागीय अधिकारियों ने जिला जन सतर्कता तथा अभाव अभियोग समिति की बैठक में पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस सड़क की दुर्दशा सुधारने बाबत क्या किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या इस वर्ष में भी इस सड़क की दशा सुधारने का विभाग इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक डामर की सड़क हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) सिकराय क्षेत्र की अन्य सड़कों की हालत सुधारने बाबत विभाग क्या योजनाएं रखता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या इस क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई नई सड़क बनाने की योजना है ? यदि हां, तो, वहां से कहां तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है।

(2) यह सही नहीं है कि सिकराय से मानपुर सड़क, जो तहसील व पंचायत समिति को जोड़ती है, गत दो साल से तीन कि.मी. सड़क का नाम निशान नहीं है। मूल तथ्य यह है कि इस सड़क पर घूमना बन्ध का वर्षा ऋतु में अधिक बहाव के कारण पानी आ जाता है तथा कहीं-कहीं पर डेढ़ फीट पानी कुछ समय के लिए खड़ा रहता है क्योंकि यह एरिया (सवमर्जेन्स) पानी से डूबा रहता है तथा यही हाल खेती का है और इसी दौरान यातायात भी कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है। इन्ही कि

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

मीटरों में छोई नदी का काज वे हैं। सारा पानी उसमें नहीं जाने से आसपास के फील्ड में बंट कर निकल जाता है। सड़क आज भी सही है। हां भारी वर्षा व पानी के वहाव के कारण कई जगह गड्ढे पड़ गये हैं। उनकी मरम्मत समय-समय पर की जाती रही है। सड़क कई जगह फील्ड से नीची है क्योंकि बरसात का पानी 2-3 कि.मी. लम्बाई में चलता है। इस कारण सड़क ज्यादा ऊंची करना संभव नहीं है।

(3) सीमित धनराशि उपलब्धि के कारण यह कार्य पिछले साल हाथ में नहीं लिया जा सका।

(4) हां इस वर्ष सिकराय से मानपुर सड़क के पुनरुद्धार हेतु 2-00 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं और कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(5) इसके अलावा सिकन्दरा बांदीकुई के सुधार व पाइप पुलिया हेतु कार्य हाथ में लिये गये हैं।

(6) नई सड़कें जो राज्य में ली जानी है अभी विचाराधीन है और एनुअल अलाटमेंट व धनराशि उपलब्धी पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

जालौर जिले की सड़कें

322. श्री सूरजपाल सिंह (मीनमाल): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले को सड़क निर्माण कार्यों में सबसे कम धन राशि उपलब्ध हुआ करती रही है जब कि यह जिला सड़कों के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है? अगर नहीं, तो पिछले दस साल के आंकड़े, जो सड़क निर्माण हेतु व्यय किया गया, जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि भारत सरकार के 'स्टेटिस्टिकल फिगर' जो कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुए थे, में सड़कों के दृष्टिकोण से पिछड़े राजस्थान के दो जिले बताये गये थे उनमें एक जालौर जिला भी था?

(3) क्या यह भी सही है कि जालौर जिले के काफी गांव इस वर्ष अकाल की चपेट में आये हुये हैं एवं राहत कार्यों में कुछ सड़क निर्माण के कार्य जिला स्तर से राज्य सरकार को भेजे काफी समय हो गया है मगर अभी तक कार्य शुरू करने की स्वीकृति नहीं मिली है?

उत्तर

(1) जी नहीं। पिछले वर्षों जालौर जिले में सडक के मद में खर्चे का ब्योरा इस प्रकार है?

वर्ष	व्यय
1	2
1968-69	2.13 लाख
1969-70	1.82 लाख
1970-71	1.41 लाख
1971-72	3.16 लाख

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

1	2
1972-73	1.01 लाख
1973-74	1.08 लाख
1974-75	38.54 लाख
1975-76	76.84 लाख
1976-77	1.47 लाख
1977-78	10.57 लाख
1978-79	5.54 लाख (अनुमानित)

(2) भारत सरकार द्वारा 'स्टेटिस्टिकल फिगर' के प्रकाशन का रेफरेन्स नहीं होने से यह बताना सम्भव नहीं है कि ऐसी कोई बात प्रकाशित हुई है या नहीं।

(3) अकाल राहत कार्य खोलने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है और उस पर निर्णय लिया जा रहा है।

जयपुर शहर में कार्यरत कर्मचारियों की आवास सुविधा में विकलांगों को प्राथमिकता

323. **श्री सुखलाल सेंणचा** (रायपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को सरकारी आवास गांधी नगर में आवंटित किये जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवास आवंटन के लिए एक समिति बनायी हुई है ?

(3) उक्त समिति द्वारा क्वार्टर किस आधार पर आवंटित किये जाते हैं ? क्या समिति विकलांग कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्रों पर प्राथमिकता के तौर पर विचार करती है ? यदि हां, तो कितने विकलांग कर्मचारियों को समिति ने आवास आवंटित किये ? यदि प्राथमिकता के तौर पर विकलांग कर्मचारियों को आवास आवंटित नहीं किये, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) उक्त समिति द्वारा क्वार्टर वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किये जाते हैं। विशेष मामलों में अस्वस्थता, लम्बी बीमारी आदि कारणों को देखते हुये भी प्राथमिकता दी जाती है जिसका निर्णय समिति स्वयं करती है। केवल विकलांगता के आधार पर आवंटन नहीं किये जाते ?

जोधपुर नगर खण्ड की सड़कों का सुधार

324. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है जोधपुर नगर खण्ड (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के अन्तर्गत सड़कों के सुधार, मरम्मत, डामर, रेंजिंग और चौड़ाई बढ़ाने के लिए 66 लाख रुपयों की आवश्यकता है ?

(34)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(2) क्या यह सही है कि कथित धन राशि की मांग जोधपुर (सरदारपुरा क्षेत्र) के विधायक ने प्रत्येक सड़क की क्या आवश्यकता है एवं तद्नुसार प्रत्येक सड़क पर अनुमानित राशि कितनी चाहिये का विवरण प्रस्तुत कर तुरन्त सड़कें ठीक करवाने की मांग सार्वजनिक रूप से जयनारायण व्यास (टाऊनहाल) में की थी ? यदि हां, तो सड़क सुधार के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और वर्ष 79.80 में कितनी धनराशि स्वीकृत की जायेगी ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर की सड़कों को निर्माण विभाग म्यूनिसिपैलिटी व नगर न्यास के अन्तर्गत क्षेत्र वाइज देखरेख की जाती है। केवल निर्माण विभाग के अन्तर्गत करीबन कुल सड़क 375 कि.मी. लम्बी (10 फिट चौड़ाई के हिसाब से) जोधपुर शहर की सड़क आती हैं। इनके सुधार, मरम्मत, डामर, रेंजिग और चौड़ाई बढ़ाने के लिए अनुमानित लागत 66 लाख कहीं अधिक आती है।

(2) सड़क की देखरेख व मरम्मत के मद में धनराशि का कुल कि.मी. सड़क की हालत, भौगोलिक दृष्टि व ट्रैफिक को ध्यान में रख कर राज्य के सारे जिलों में आवंटन किया जाता है।

जोधपुर जिले में सन् 78–79 में 102.85 लाख रुपये का प्रावधान सड़क मरम्मत के मद में किया गया है, इसमें जोधपुर शहर के लिए 21.49 लाख आवंटित किया गया है।

नोखा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य

325. **श्री उदाराम हटीला** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नोखा विधान सभा क्षेत्र में नोखा से पांचू, भामटसर से कोलायत, सिंहथल से जसरासर, नोखा से पांचूड़ी, कोलायत से दासूड़ी सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

इन सड़कों के निर्माण के लिए अभी कोई स्वीकृति नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में निम्न सड़कें प्रस्तावित हैं :—

सड़क का नाम	अनुमानित लागत
1– नोखा से पांचू	28 लाख
2– कोलायत से भामटसर	54 ,,
3– सिंहथल से जसरायर	38 ,,

ग्राम-बास में डिस्पेन्सरी

326. **श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बास तहसील दांतारामगढ़ में डिस्पेन्सरी बनाने हेतु कई दफा माननीय मन्त्री जी को लिखा गया तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए

35

(श्री मदनसिंह दांता)

जाने के बाद भी डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई तथा अब कब तक खोली जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है ग्राम दांता में "बी" श्रेणी का हॉस्पिटल खोलने हेतु वहां की जनता, सरपंच व स्वयं मेरे द्वारा कितनी ही दफा निवेदन किया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक हॉस्पिटल खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

सरकार द्वारा घोषित नवीन नीति के अन्तर्गत न आने के कारण ग्राम बास में डिस्पेन्सरी नहीं खोली जा सकी। योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर डिस्पेन्सरी खोलना संभव होगा।

(2) जी हां। वित्तीय प्रावधान के अभाव में ग्राम दांता में "बी" श्रेणी का हांस्पिटल खोलना सम्भव नहीं है।

जिला जालौर में खादी ग्रामोद्योग का विकास

327. श्री रघुनाथ विश्नोई (साचौर): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर की "वीरमदेव खानी" संस्था के अलावा जिला जालौर में अभी तक दूसरी और कोई खादी संस्था बनाई जाकर खादी ग्रामोद्योग का कार्य जिले के गांवों में नहीं बढ़ाया गया है ? अगर हां, तो खादी ग्रामोद्योग के कार्यों का विस्तार जिले के गांवों में नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जालौर की वीरमदेव खादी संस्था का भीनमाल एवं सांचौर दोनों तहसीलों में कोई विशेष कार्य नहीं है, यहां तक कि सांचौर नगर में भी अभी तक खादी घर नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो क्या सरकार भीनमाल नगर एवं सांचौर नगर में अलग कोई खादी संस्था बना कर उक्त तहसील के गांवों में खादी एवं ग्रामोद्योग के कार्यों का विस्तार करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील भीनमाल एवं तहसील सांचौर में हजारों बुनकर हैं एवं हाथ से कपड़े बुनने, ऊन व सूत कातने, एवं ऊंट व बकरे जट पत्तियां बनाने वाले सैंकड़ों अच्छे कारीगर गांवों में उपलब्ध हैं ? अगर हां, तो खादी ग्रामोद्योग द्वारा उन बुनकरों एवं कारीगरों को अब तक क्या क्या सहायता दी गई है ? भविष्य में उनको कब तक क्या क्या सहायता दी जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील भीनमाल एवं सांचौर में खादी ग्रामोद्योग के कामों के लिये बड़ा भारी स्कोप होते हुए भी अभी तक कोई विशेष कार्य खादी संस्थाओं द्वारा नहीं किया गया है ? तो अब उक्त क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग के कार्य बढ़ाने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या क्या कार्य कब तक हाथ में लिए जायेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि जिला जालोर में खादी ग्रामोद्योग द्वारा जालोर जिले में शिक्षितों एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को अब तक कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है ? अगर हाँ, तो क्यों ? भविष्य में कितने लोगों को कब तक रोजगार दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ, जालोर जिले में बीरम खादी ग्रामोद्योग संघ के अलावा और कोई खादी संस्था वर्तमान में नहीं है। खादी संस्था के गठन का कार्य खादी कार्य में विश्वास रखने वाले स्थानीय व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। स्थानीय अभिक्रम के अभाव में नए संगठन खड़े नहीं हो पाये हैं।

(2) भीनमाल में खादी भंडार चल रहा है। सांचोर में खादी भंडार खोलने का प्रमाण-पत्र संस्था को दिया गया है। सामान्यतः सरकार स्वयं कोई खादी भंडार नहीं खोलती है। स्थानीय संस्थाओं का गठन होता है तो नियमानुसार खादी बोर्ड द्वारा उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

(3) खादी बोर्ड द्वारा भीनमाल एवं सांचोर तहसील का इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बुनकरों को खादी बोर्ड द्वारा सीधे कोई सहायता देने का प्रावधान नहीं है।

(4) वर्ष 77-78 में इस जिले में बीरम खादी ग्रामोद्योग संघ तथा ग्रामोद्योगी सहकारी समितियों द्वारा रु० 4,68 लाख का ऊनी खादी का तथा रु० 3.53 लाख का ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जिसके माध्यम से 610 कामगरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत 32 व्यक्तिगत कामगरों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

कार्य विस्तार की दृष्टि से पंचायत समिति के स्तर पर खादी बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा रहे हैं जो क्षेत्र के स्थानीय लोगों में अभिक्रम जागृत कर खादी ग्रामोद्योगों के विकास के प्रयत्न करेंगे।

(5) जिले में अनुसूचित जाति की तीन सहकारी समितियां तथा 20 कामगरों को व्यक्तिशः ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत खादी बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की गई है। खादी के माध्यम से बुनकर परिवारों को भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

ग्रामों में कार्यरत स्वास्थ्य संरक्षक

329. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किस किस जिले में कितने स्वास्थ्य संरक्षक के रूप में सेवक

(श्री मूलचन्द डागा)

घूमते हैं और उन पर आज तक कुल कितनी कितनी राशि तनख्वाह और दवाइयों पर खर्च की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने कभी इस योजना का मूल्यांकन किया है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

उत्तर

(1) जिले अनुसार जन स्वास्थ्य रक्षकों की संख्या सूची (क) में दर्शायी गई है। इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। प्रशिक्षण भत्ता व मानदेय पर अक्टूबर 77 से दिसम्बर 1978 तक हुए व्यय की राशि सूची (ख) में दर्शायी गई है। स्वास्थ्य सेवकों के लिए औषधियों की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा निश्चित पेटर्न के आधार पर की जाती है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

नागौर जिले में उप चिकित्सा केन्द्रो के भवनों का निर्माण

330 श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सब सेन्टरों के लिए भवन निर्माण कराये हैं ? यदि हां; तो नागौर जिले में कहां-कहां पर कितनी कितनी लागत से कब कब ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह स्कीम क्या है तथा इसके लिए कितनी कितनी राशि अलाट की गई ?

(3) किस वर्ष तक खुले हुए सब सेन्टरों के भवन बनेंगे ?

(4) अब तक खुले हुए तमाम सब सेन्टरों की बिल्डिंग कब तक बनाई जाएंगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

सूची संलग्न है।

(2) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले गये उपकेन्द्रों के भवन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के अनुसार बनती थी। अब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के अनुसार प्रति उपकेन्द्र 19,300/- की राशि से भवन निर्माण कराये जाते थे। इसके अतिरिक्त जनसहयोग से भी उपकेन्द्र बनाये जाते हैं।

(3) अब तक खुले सभी उपकेन्द्र, जिनके भवनों की व्यस्था नहीं है, के वित्तीय प्रावधान के अनुसार भवन निर्माण कराये जायेंगे।

(4) प्रश्न के भाग (3) में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

(38)

ग्रामीण अरणाय (सांचौर) के उप-चिकित्सक केन्द्र पर स्टाफ की व्यवस्था

332. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम अरणाय तहसील सांचौर के सब सेंटर पर पिछले चार माह से न कोई कम्पाउण्डर है, न कोई नर्स है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? वहां कम्पाउण्डर व नर्स की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी?

उत्तर

अरणाय उपकेन्द्र पर श्रीमती पुन्नवम्मा प्रसविका की नियुक्ति आयोग क्रमांक 370 दिनांक 28-1-79 द्वारा की गई। उसने दिनांक 1-2-79 से 6-2-79 तक कार्य किया। इसके पश्चात उनके पिता का देहांत हो जाने के कारण वह दिनांक 7-2-79 से 8-3-79 तक अवकाश पर। रही उसने दिनांक 9-3-79 को अपना कार्यभार संभाल लिया है। उपकेन्द्र पर कम्पाउन्डर का पद नहीं होता है।

राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा किसानों से ट्रैक्टरों के लिए ली गई राशि

333. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के मार्फत कुछ वर्षों पूर्व कुछ आयातित ट्रैक्टर किसानों को बेचे गये थे?

(2) क्या इन ट्रैक्टरों के लिए एप्लीकेशन के लिए कुछ राशि पोस्टल आर्डर द्वारा मांगी गई थी? यदि हां, तो किस वर्ष में किन किन ट्रैक्टरों के लिये कितने आदमियों ने एप्लाई किया था तथा कितनी राशि वर्षवार जमा हुई?

(3) क्या यह सही है कि यह राशि न तो उन व्यक्तियों के खाते में एडजस्ट की गई जिन्हें ट्रैक्टर मिले और न ही उन्हें लौटाई गई जिन्हें ट्रैक्टर नहीं मिले?

(4) जिन व्यक्तियों की राशि अब भी जमा है, की सूची राशिवार, ब्याज के विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त राशि उन्हें जल्दी लौटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

(6) क्या यह सही है कि इस प्रकार एडवान्स प्राप्त की गई रकम को इतने समय रोकना कानूनी गलत है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आयातित ट्रैक्टर के पंजीकरण के लिये प्रार्थना पत्र के साथ 100/- रुपये कि

(कृषि मन्त्री)

राशि मनीआर्डर/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/नगद रूप में प्राप्त की जाती थी। उक्त राशि ट्रैक्टर (डिस्ट्रीब्युशन एण्ड सेल्स) कंट्रोल आर्डर 1 सितम्बर, 1971 के प्रभाव में आने से पूर्व ही स्वीकार की गई थी। 31 अगस्त, 1971 तक कुल 11,894 व्यक्तियों से ट्रैक्टर पंजीकरण हेतु उक्त राशि प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्राथियों की संख्या	राशि (रुपयों में)
1969–70	864	86,400
1970--71	8709	8,70,900
1971--72	2321	2,32,100
	11,894	11,89,400

(3) जी नहीं, जिन व्यक्तियों को ट्रैक्टरों का विक्रय किया गया था, विक्रय के समय पंजीकरण राशि ट्रैक्टर की सुपुर्दगी देते समय समायोजित कर ली गई थी। जिन व्यक्तियों को ट्रैक्टर विक्रय नहीं किये गये उन्हें उक्त राशि को लेने के लिए डाक द्वारा सूचना दे दी गई थी। उनके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर राशि लौटा दी गई एवं शेष व्यक्तियों को उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर लौटा दी जाती है।

(4) बकाया जमा राशि 2,419 प्राथियों को लौटाना शेष है। निगम ने जब यह राशि जमा की थी उस समय ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं रखा था। अतः जमा धन राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) 11,89,400 रुपयों में से अब केवल 2,41,900 रुपये की धन राशि लौटाना शेष है। यह धन राशि अधिकांशतः उन व्यक्तियों की है जो उस पते पर नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि उन्होंने आवंटन के प्रार्थना पत्र में अंकित किया था। उनमें से भी जैसे-जैसे व्यक्ति अग्रिम राशि की रसीद लेकर जब तब आ जाते हैं, उन्हें तुरन्त अग्रिम धन राशि लौटा दी जाती है।

(6) जी नहीं, यथा सम्भव ऐसी रकम लौटायी गई है एवं लौटायी जा रहा है।

सांचोर में मंडी यार्ड का निर्माण

335. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांचौर में अब तक मण्डी समिति यार्ड क्यों नहीं बनाया गया है? मण्डी समिति सांचौर अभी तक विधिवत क्यों नहीं चालू की गई?

(2) अब सांचौर में मण्डी समिति घोषित की जाकर कब तक कार्य शुरू कर दिया जावेगा? सांचौर में मण्डी यार्ड कब तक बनवा दिया जावेगा? सांचौर में मन्डी कब तक बन जाने की संभावना है?

(3) जब सांचौर में काश्तकारों के लिए कोई मण्डी की सुविधा प्राप्त नहीं हुई

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है तो लोगों से फालतू मण्डी कर क्यों वसूल किया जा रहा है ?

(4) सांचौर मण्डी क्षेत्र से शुल्क वसूल किया जाकर भीनमाल मण्डी में क्यों जमा करवाया जा रहा है ?

(5) अब सांचौर मण्डी का शुल्क सांचौर स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर में क्यों नहीं जमा करवाया जाता है ? अब सांचौर मण्डी का शुल्क सांचोर में कब से जमा होने लगेगा ?

(6) अब जालौर जिले में और कहां कहां पर नई मण्डियां कायम की जा रही हैं ? वे मण्डियां कब तक कायम कर दी जावेंगी ?

(7) मण्डी समिति शुल्क एक ही मण्डी में क्यों नहीं वसूल किया जाता और भिन्न-भिन्न जगह अलग मण्डी शुल्क क्यों वसूल किया जा रहा है ? एक ही बार मण्डी शुल्क वसूल करने के आदेश कब तक दे दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) सांचौर पहले कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल के क्षेत्र में था। उसे अब वहां से पृथक कर एक स्वतन्त्र कृषि उपज मण्डी समिति बनाई गई है। इस मण्डी समिति के गठन की घोषणा की जा चुकी है परन्तु उसकी प्रथम बैठक होना शेष है जिसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन किए जायेंगे। जिलाधीश जालौर द्वारा इसकी कार्यवाही की जा रही है। आशा है इसी माह यह बैठक आयोजित कर ली जायेगी। मण्डी समिति की स्थापना हो जाने के पश्चात ही विधिवत कार्य चालू करना सम्भव हो सकेगा।

कार्य चालू हो जाने के बाद ही मण्डी समिति अपना यार्ड बनाने पर विचार कर कार्यवाही करेगी। मण्डी समिति को अपने स्वयं के यार्ड के लिए भूमि उपलब्ध हो जाने पर ही ऐसा करना सम्भव होगा।

(2) सांचौर मण्डी समिति के गठन की घोषणा की जा चुकी है परन्तु उसकी प्रथक बैठक होना शेष है जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन किए जायेंगे। जिलाधीश जालौर द्वारा इसकी कार्यवाही की जा रही है। आशा है इसी माह यह बैठक आयोजित कर ली जायेगी। मण्डी समिति की स्थापना हो जाने के पश्चात ही विधिवत कार्य चालू करना सम्भव हो सकेगा।

कार्य चालू हो जाने के बाद ही मण्डी समिति अपना यार्ड बनाने पर विचार कर कार्यवाही करेगी। मण्डी समिति को अपने स्वयं के यार्ड के लिए भूमि उपलब्ध हो जाने पर ही ऐसा करना सम्भव होगा।

(3) चूंकि सांचौर पहले से मण्डी नियमन की योजना के अन्तर्गत था तथा भीनमाल मण्डी समिति का भाग था अस्तु उससे मण्डी शुल्क लिया गया। मण्डी शुल्क लेने का उद्देश्य यह रहता है कि कालान्तर में मण्डी यार्ड बना कर नियमानुसार व्यापार की सुव्यवस्था उपलब्ध कराई जावे तथा मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कें बनाई जायें। अस्तु इस मण्डी शुल्क में यह कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करने को फालतू नहीं कहा जा सकता।

(कृषि मंत्री)

(4) सांचौर मण्डी क्षेत्र से वसूल किया हुआ मण्डी शुल्क सांचौर मे ही काम आयेगा अन्यत्र नहीं ।

(5) सांचौर मण्डी का शुल्क सांचौर के ही बैंक में जमा कराया जायेगा । जैसे ही मण्डी समिति विधिवत कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ऐसा करना सम्भव हो सकेगा ।

(6) जालौर जिले में वर्तमान भीनमाल मण्डी समिति के अतिरिक्त सांचौर तथा जालौर मण्डी समितियां स्थापित करने हेतु कार्यवाही जारी है ।

(7) मण्डी शुल्क प्रत्येक मण्डी समिति द्वारा अपने मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु एक बार ही वसूल किया जाता है । प्रत्येक मण्डी समिति अपने क्षेत्र की मण्डी व गोण मण्डियों के विकास तथा मण्डी क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु प्रयत्नशील रहती है अतः उन्हें नियमानुसार मण्डी शुल्क वसूल करने का पूर्ण अधिकार है । इस प्रकार एक मण्डी समिति के क्षेत्र में मण्डी शुल्क एक बार ही वसूल किया जाता है न कि पृथक पृथक बार ।

कृषि उपज मण्डी समिति, भवानी मण्डी द्वारा एप्रोच रोड्स के लिये भेजे गये प्रस्ताव

336. श्री ईश्वरचंद्र (पिड़ावा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति भवानी मण्डी ने सन् 1977-78 व 1979-80 के लिए किन-किन एप्रोच रोड्स के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या उक्त प्रस्तावों से सरकार सहमत है ? यदि हां, तो किन-किन सड़कों पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की नीति के अनुसार जिलाधीश, झालावाड़ ने उनके पत्रांक 626 दिनांक 25-1-78 द्वारा आगामी तीन वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति, भवानी मंडी के अन्तर्गत निर्माण हेतु निम्न एप्रोच सड़कों के प्रस्ताव भिजवाये थे :—

1) पच पहाड़ से गुरड़िया माता
2) करावन से बणी तक ।

तत्पश्चात जिलाधीश झालावाड़ ने उनके पत्रांक 1756-58 दिनांक 3-5-78 द्वारा निम्न सड़कों के और प्रस्ताव भिजवाये :—

1) सुनेल से उन्हेल । 2) गुरड़िया से सरोनिया । 3) बड़ी आवली से छटा आंवली छुर्द । 4) आंवली से गलिया खेड़ी । 5) भट्ट खेड़ा वाया बचला और 6) रायपुर से दियालखेड़ा ।

(2) उक्त प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकार ने मार्च 1978 में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया उसमें भवानी मण्डी के अधीन जिलाधीश के दिनांक 25-1-78 की आज्ञानुसार निम्न सड़कों को सम्मिलित किया: —

1) पचपहाड़ से गुराडिया तक ।
2) करावन से बंगा तक ।

कृषि मन्त्री)

इन में सड़कों से पचपहाड़ से गुरड़िया तक की सड़क की वित्तीय स्वीकृति इस वर्ष में दी जा चुकी है और निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है।

कृषि उपज मंडी समिति, बेगू की सड़कों का निर्माण

338. श्री एच. एन. शर्मा (बेगू)– क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि तहसील बेगू में कार्यरत कृषि उपज मण्डी समिति से सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों के ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ग्राम बेगू से चेंची सड़क का प्रस्ताव प्रथम वरीयता पर होने के पश्चात् भी अभी तक प्रस्ताव की स्वीकृति कृषि उपज मण्डी बेगू को नहीं दी गई है ? इसके क्या कारण हैं ?

(3) उक्त सड़क के निर्माण कार्य की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाकर कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) तहसील बेगू में कार्यरत कृषि उपज मण्डी समिति से सम्बन्धित मास्टर प्लान की सड़कों के प्रस्ताव जिलाधीश चित्तौड़गढ़ द्वारा विपणन बोर्ड को भेजे गये थे। इनमें बेगू क्षेत्र की जिन सड़कों को सम्मिलित किया गया था उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्राम बेगू से चेंची सड़क का प्रस्ताव आबादी के आधार पर मास्टर प्लान में दूसरी वरीयता पर स्वीकृत है तथा उसकी सूचना मण्डी समिति को भी दी गई थी।

(3) उक्त बेगू से चेंची सड़क के निर्माण हेतु कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा अभी तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बोर्ड द्वारा उसके लिए मण्डी समिति को अनुरोध किया है। मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

तहसील बसेड़ी का पार्वती बांध

339. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर सब डिवीजन की तहसील बसेड़ी में पार्वती बांध के पास ढाई लाख रुपया लगा कर पक्की दीवार 1977 व 1978 में बनाई गई थी उस में सीमेंट का घोटाला हुआ ? बांध का पानी जब आबपाशी को खोला जाता है तो नहर में पानी न जाकर उस पार से निकल कर पारबती नदी में 40 प्रतिशत पानी निकल जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस तरह से

(श्री जगदीश सिंह)

पानी वेस्ट होता है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ठेकेदार से मिल कर लाखों रुपया खा गया तथा जनवरी, 1979 में मिस्त्री को सस्पेंड कर डिसमिस किया गया लेकिन और किसी इन्जीनियर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त मामले की जांच कराने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक ?

(4) क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) पार्वती बांध से निकलने वाली नहर में वर्ष 1977 व 78 में पक्की दीवार बांध के सरप्लस पानी को निकालने के लिए बनाई गई थी। उसमें सीमेंट का कोई घोटाला नहीं हुआ। यह सही नहीं है कि पानी दीवार में से निकल जाता है। पानी दीवार के पैंदे के नीचे (Stratified rock) सतहों वाली चट्टानों में से निकलता है, जिसका उपचार माह अप्रेल में नहरें बन्द होने के बाद करवाया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। किसी भी कर्मचारी को सस्पेन्ड या डिसमिस नहीं किया गया।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

सिकराय तहसील को विद्युतीकरण योजना

340. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में प्रत्येक जिले में विद्युतीकरण का अनुपात एक जैसा नहीं है ? यदि हां, तो जिलेवार विद्युतीकरण का प्रतिशत सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में विद्युतीकरण में असामान्य असमानता है ? कृपया निर्वाचन क्षेत्रवार तथा पंचायत समितिवार विद्युतीकरण का प्रतिशतवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि सिकराय तहसील में विद्युतीकरण जिले की अन्य तहसीलों के मुकाबले बहुत कम है ? यदि हां, तो इस असमानता को मिटाने का क्या प्रयास किया जा रहा है ?

(4) क्या सिकराय तहसील की कोई नई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति जारी कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विकासशील प्रक्रिया में असमानता होना स्वाभाविक है, क्योंकि सब ही क्षेत्रों का एक साथ विद्युतीकरण सम्भव नहीं है। पंचायत समितिवार विद्युतीकरण का प्रति-

(विद्युत मंत्री)

शत वार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्रवार यह सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(3) जी नहीं। सिकराय तहसील में जिले की दूसरी तहसीलों के मुकाबले विद्युतीकरण अधिक है।

(4) जी नहीं। भू-जल विभाग के अनुसार ये क्षेत्र ग्रोवर ड्राफ्टेड हैं अतः ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना भू-जल उपलब्धि प्रमाण पत्र के अभाव में बनाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

डेगाना तहसील में कृषकों को दिये गये विद्युत कनेक्शन

341. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि डेगाना तहसील के अन्तर्गत गांव सथाना कलां, सथाना खुर्द, स्थानी व तहसील मेड़ता में सारंगवास में सिंचाई के कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिए हुए हैं? उपरोक्त चारों ग्रामों के कृषकों की सूची, जिन्हें विद्युत कनेक्शन दिया गया है यह दर्शाते हुए कि कितने कितने हार्स पावर की मोटरे कुएं पर लगी हैं एवं ट्रांसफार्मर से कितने खम्बे लगाकर कनेक्शन दिये गये हैं, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जितनी अश्व-शक्ति की मोटरे कुओं पर लगी हुई हैं वह रिकार्ड के अनुसार सही नहीं हैं?

(3) क्या उक्त चारों ग्राम विद्युतीकृत हैं? अगर हां, तो कब से? तारीख व वर्ष बतावें? क्या इनको विद्युतीकृत घोषित करने से पहले ही विद्युत कनेक्शन दिये गए हैं? अगर हां, तो उन कृषकों के नाम बतायें? क्या उनको कनेक्शन नियमानुसार दिए गए थे?

(4) इन गांवों में सर्वाधिक लम्बी एल. टी. लाइन किस कृषक के कुएं पर लगी है? गांव का नाम, कृषक का नाम, कितने खम्बे लगे हैं, कितने अश्व शक्ति की मोटर कुएं पर लगी है, जहां से कनेक्शन किया गया है और वह ट्रांसफार्मर किस गांव की राजस्व सीमा में है, पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। चारों ग्रामों के कृषकों की वांछित विवरण सहित सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) उपलब्ध सूचनानुसार रिकार्ड में मौजूद 'एल' फार्मों में दर्शाई गई अश्वशक्ति की ही मोटरे कुओं पर लगी बताई गई हैं।

(3) जी हां। ग्राम सथाना कलां और सथाना खुर्द का विद्युतीकरण दिनांक 20-7-73 को तथा ग्राम सारंगवास और सथानी का विद्युतीकृत ग्रामों में नियमन क्रमशः दिनांक 27-3-78 एवं 13-2-79 को हुआ है। ग्राम सारंगवास और सथानी

(विद्युत मंत्री)

में विद्युतीकरण की घोषणा से पूर्व कनेक्शन दिए गए हैं जिनकी सूची प्रश्न (1) के उत्तर में सदन की मेज पर रख दी गई है। ग्राम सारंगवास के कनेक्शन पटवारी की गलत रिपोर्ट के कारण नियमानुसार नहीं माने जा सकते हैं।

(4) इन ग्रामों में ग्राम सथाना खुर्द के श्री नानूराम सियाराम के कुएं के 10 अश्वशक्ति विद्युत मोटर पम्प के कनेक्शन के लिए सबसे लम्बी लाइन, 23 खम्भों की, ग्राम सारंगवास की राजस्व सीमा में रखे ट्रान्सफार्मर से खींची गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

बाघन सिंचाई योजना के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय

342. श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बाघन सिंचाई योजना (जिला चित्तौड़गढ़, तह.–डूंगला) के लिए जो नया सब-डिवीजन खोला गया है उसके अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय बाघन में अत्यधिक दूर चित्तौड़गढ़ स्थापित किये जाने का क्या औचित्य है? इसको डूंगला या मंगलवाड़ चौराहे, जो कि अत्यधिक उपयोगी तथा आर्थिक दृष्टि से लाभकर हो सकता है, पर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या अब भी ऐसा विचार रखेंगे?

उत्तर

बाघन सिंचाई योजना के 3 उप खण्डों का कार्यालय डूंगला में रखा गया है व खण्डीय कार्यालय आवासीय, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चित्तौड़गढ़ रखा गया है। खण्डीय अधिकारी को मुख्यालय पर ही रखा जाता है, एवं अन्य उच्च अधिकारियों से सम्पर्क रखना पड़ता है एवं उप खण्डों की विभिन्न उपकरणों सीमेंट व अन्य प्रशासनिक कार्य में सहायता देने हेतु खण्डीय कार्यालय जिला मुख्यालय पर ही रखना उचित है। इस खण्ड के मुख्यालय का अन्य स्थान पर स्थानान्तरण न तो उपयोगी है न इस पर विचार किया जा रहा है।

बून्दी क्षेत्र के गरड़दा तथा बड़धा बांध का निर्माण

343. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी क्षेत्र में गरड़दा में राज्य सरकार ने बांध बांधने का निर्णय लेकर राशि मन्जूर की है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह बांध गरडदा में ही बधने वाला है? यदि हां, तो कार्य कब से शुरू कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि बड़धा बांध के लिए राज्य सरकार ने 1978-79 के लिए राशि मंजूर की थी? यदि हां, तो कितनी और अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है?

(4) क्या बड़धा बांध का निर्माण कार्य 1979 में पूरा हो जावेगा?

(५६)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह बांध गरडदा के पास प्रस्तावित है। इस परियोजना का सर्वेक्षण प्रगति पर है व लाभ-लागत अनुपात ठीक होने पर कार्य को लिया जा सकेगा।

(3) जी हां। वर्ष 1978-79 में 25 लाख रु० मन्जूर किये गये थे जिसको मार्च, 1979 तक खर्च किया जायेगा।

(4) जी नहीं। वर्ष 1980 तक पूरा करवाने की योजना है।

मांडल की खण्डसारी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने की खरीद

344. **श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल)**: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडल में राज्य सरकार व बैंक की सहायता से तीन खण्डसारी फैक्ट्रियां हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष की बकाया राशि आज भी राजस्थान खण्डसारी व हरसौडा में बाकी है?

(3) क्या यह सही है कि खण्डसारियों पर गन्ना खरीद की कीमत व मुगतान में कानूनन कोई दबाव नही है?

(4) क्या यह भी सही है कि काश्तकार को उसकी फसल का पैसा नहीं मिलने पर समय पर किसी का मुगतान नहीं कर सकता जिससे उसकी कुर्कियां होती हैं, परेशान हो जाता है? ऐसी स्थिति में बकाया राशि के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(1) मांडल में 3 खण्डसारी इकाइयां स्थापित हैं उनमें से केवल मैसर्स राजस्थान खण्डसारी शुगर मिल, मांडल ने बैंक आफ बडौदा से 5 लाख रुपये का टर्म लोन लिया है शेष दो इकाइयां मैसर्स भगवान शुगर मिल मांडल व हरसौड शुगर मिल मांडल ने किसी संस्थान या राज्य सरकार से ऋण नहीं लिया है।

(2) मैसर्स राजस्थान खण्डसारी शुगर मिल्स की अनुमानतः 7 लाख रुपया व मैसर्स हरसौडा शुगर मिल्स मांडल की अनुमानतः साठ हजार की राशि काश्तकारों को मुगतान करने हेतु बाकी है।

(3) जी नहीं। समय पर कीमत का मुगतान करवाने के लिए जिलाधीश कानूनी रूप से सक्षम है। परन्तु गन्ना उत्पादकों को खण्डसारियों द्वारा दी जाने वाली गन्ने की कीमत पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

(4) इस विषय में जिलाधीशों को राज्य सरकार के आदेश सं० प–2 (65) उद्योग/1/69 दिनांक 1 मई, 1976 द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं और शीघ्र मुगतान करवाने हेतु उन्हें पुनः लिखा जा रहा है।

बजाज सीमेंट फैक्ट्री डबोक की सीमेंट

346. **श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** (मावली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नरेन्द्रपाल सिह चौधरी)

(1) राज्य सरकार ने बजाज सीमेंट फैक्ट्री, डबोक को सीमेंट किस पदार्थ से बनाने का परमिट दिया है तथा यह फैक्ट्री किस किस पदार्थ से सीमेंट बनाती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री परमिट में स्वीकृत किए गए पदार्थ से सीमेंट नहीं बनाती ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अनियमित कार्यवाही के लिए उक्त फैक्ट्री के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) उक्त फैक्ट्री को किस भाव से सीमेंट विक्रय करने की अनुमति दे रखी है ?

(5) पत्थर के स्थान पर मिट्टी या ईंटों से सीमेंट बनाने पर क्या राज्य सरकार सीमेंट बिक्री दर कम नहीं कर सकती ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने दर कम क्यों नहीं की और अब क्या दर कम करवाने की कार्यवाही की जायेगी ?

(6) क्या यह सही है कि ईंटों से बनाई गई सीमेंट को मकानों के निर्माण कार्य में उपयोग में लेने से मकानों में दरार पड़ने की अधिक संभावना रहती है ? यदि हां, तो इस सीमेंट की ऐसे स्थानों पर बिक्री क्यों नहीं की जाती जहां पर दरार नहीं पड़े ?

(7) क्या राज्य सरकार यह प्रबन्ध करेगी कि ईंटों से बनी सीमेंट को नहर निर्माण कार्यों व अन्य ऐसे स्थानों के निर्माण कार्यों, जहां नमी रहती हो, में उपयोग में लेने हेतु ही बिक्री करने का प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बजाज सीमेंट फैक्ट्री, डबोक को सीमेंट बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है । परन्तु उदयपुर सीमेंट वर्क्स (बजाजनगर), उदयपुर को पोर्टलैण्ड सीमेंट बनाने हेतु लाइसेन्स राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाकर भारत सरकार द्वारा दिया गया है । भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत भारतीय मानक 1489/1976 में वर्णित मान के अनुसार सीमेंट बनाने हेतु चूने का पत्थर, लेटेराइट तथा जिप्सम का प्रयोग होना आवश्यक है। यह फैक्ट्री पोर्टलैण्ड सीमेंट व पोजोलाना सीमेंट का उत्पादन करती है। पोर्टलैण्ड सीमेंट हेतु चूने का पत्थर, लेटेराइट तथा जिप्सम का उपयोग किया जाता है जब कि पोजोलाना सीमेंट हेतु सिलीसियस मैटीरियल अर्थात् बर्न्टशेल (एक प्रकार का पत्थर) तथा बर्न्ट ब्रिक्स (एक प्रकार की ईंटों का चूरा) भी मिलाया जाता है ।

(2) यह सही नहीं है । वस्तुतः फैक्ट्री द्वारा स्वीकृत पदार्थों से ही सीमेंट बनाई जाती है । राज्य सरकार के पास अस्वीकृत पदार्थों से सीमेंट बनाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) प्रश्न भाग (2) के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त फैक्ट्री द्वारा अनियमित कार्य नहीं किया जा रहा है अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) सीमेंट फैक्ट्रियों को केन्द्रीय सरकार के आदेश सं० सी सी/सी ओ/8(1) 79/80 दिनांक 3-1-1979 के अनुसार 1-1-79 से 13-3-79 तक रुपये 475.71

(48)

(उद्योग मंत्री)

प्रति टन की दर से सीमेंट विक्रय करने की अनुमति दी गई है। यह दर पोर्टलैण्ड सीमेंट तथा पोर्टलैण्ड पोजोलाना सीमेंट दोनों के लिए समान रूप से लागू है।

(5) सीमेंट की विक्रय दर सीमेंट कंट्रोल आर्डर 1967 के खण्ड 8 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने पोर्टलैण्ड एवं पोर्टलैण्ड पोजोलाना सीमेंट दोनों की समान दर निर्धारित की है।

(6) ईंटों से बनाई गई सीमेंट का तात्पर्य सम्भवतया पोर्टलैण्ड पोजोलाना सीमेंट से है। पोर्टलैण्ड पोजोलाना सीमेंट में पेने का समय (सैटिंग टाइम) एवं पानी की तराई का समय पोर्टलैण्ड सीमेंट के अनुपात में ज्यादा होता है पूर्ण तराई हो जाने के पश्चात् दरार पड़ने की सम्भावनाएं नहीं रहती हैं। भारतीय मानक संस्थान के मानक 1489/1976 के अनुसार जहां पानी की मात्रा अधिक होती है वहां पोर्टलैण्ड पोजोलाना सीमेंट अधिक लाभदायक मानी गई है।

(7) वर्तमान में नहर निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण कार्यों में पोर्टलैण्ड पोजोलाना सीमेंट का भी उपयोग हो रहा है। भारत सरकार ने ऐसे नमी वाले स्थानों में प्रयोग हेतु लगभग 35,127 टन सीमेंट का आवंटन प्रथम तिमाही 1969 में किया है जिसमें मुख्यतया पोजोलाना सीमेंट ही काम में आयेगी। वैसे सीमेंट का आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है अतः किस प्रकार की सीमेंट का आवंटन किस कार्य के प्रयोग के लिए किया जाय यह निश्चय केन्द्रीय सरकार ही करती है।

गंगापुर सिटी मे वित्त निगम द्वारा उद्योगों को दिया गया ऋण

347. **वैद्य श्री गोविंद सहाय** (गंगापुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी में उद्योग लगाने के लिए आर.एफ.सी. द्वारा ऋण दिया गया है? यदि हां, तो कितना कितना ऋण किन किन व्यक्तियों को दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गंगापुर सिटी में किस किस फैक्ट्री को कितना कितना कोयला 1971 से अब तक दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जिन लोगों को कोयला दिया गया था उन्होंने ऊंची दर पर उसे जयपुर में ही बेच दिया था? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों ने बेचा? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि कोयले के ब्लैक करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है? यदि हां, तो कब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) गंगापुर सिटी में उद्योग लगाने हेतु निगम ने फरवरी, 79 के अन्त तक कुल पांच लघु औद्योगिक इकाइयों को 3.46 लाख रु० का ऋण स्वीकृत किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) 30,000 रु० गंगापुर लोहा वस्तु उद्योग
(2) 1,15,000 रु० प्रदीप इण्डस्ट्रीज
(3) 11,000 रु० डंगायच स्टेशनर्स
(4) 1,50,000 रु० संजू आईस फैक्ट्री
(5) 40,000 रु० दुर्गा उद्योग

(2) वर्ष 1974 से पूर्व सीधा ही स्पोन्सर इकाइयों के नाम दिया जाता था तथा इकाई सीधा ही प्राप्त करती थी। वर्ष 1974 से 1979 (फरवरी, 79) तक स्पोन्सर किये गये तथा प्राप्त किए गए कोयले की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) केवल एक इकाई मैसर्स एस.एल. राईस एण्ड आइल मिल, गंगापुर सिटी के विरुद्ध कोयला जयपुर में ही बेचने का संदेह होने पर जांच की गई। शेष के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) उपरोक्त इकाई का आवंटन वर्ष 1975 से बन्द कर दिया गया है और वर्तमान में कोई कोयला इकाई को आवंटित नहीं किया जा रहा है। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, केवल विभागीय कार्यवाही 1975 में करके आगे कार्यवाही नहीं की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास की योजना

348. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले एवं साधारणतः पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास की राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है? कृपया इसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) जैसलमेर जिले में खनिजों पर आधारित उद्योग लगाने के या उद्योगपतियों द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या योजना बनाई है?

(3) संसार में द्वितीय श्रेणी के श्रेष्ठ जिप्सम के मोहनगढ़ स्थित भंडारों का सरकार क्या उपयोग करने जा रही है?

(4) जैसलमेर जिले के कणोद, लंवाथाट, पोकरण के नमक क्षेत्रों के उद्योग को विकसित करने व उत्पादन बढ़ाने की सरकार ने अब तक क्या योजना बनाई है?

(5) उक्त नमक क्षेत्रों को बिजली, पानी, सड़कों व तकनीकी सहायता तथा सुविधा प्रदान करने हेतु क्या कोई योजना सरकार ने बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या पोकरण के नमक क्षेत्र में प्रभावशाली पूंजीपतियों व भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्रियों के बेनाम उद्योग लगे हुए हैं? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्य-

(९०)

(श्री किशनसिंह भाटी)

वाही की है ? क्या इन्हीं क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को सरकार प्राथमिकता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के औद्योगिक विकास हेतु जिले के मुख्यालय पर एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये आवश्यक भूमि जैसलमेर शहर के पास में आरक्षित की जा चुकी है। नगरपालिका द्वारा काफी आपत्ति के कारण इसका कब्जा आर.आई.एम.डी.सी. को नहीं दिया जा सका है।

जिले में मुख्यतः हाथ कर्घा उद्योग विकसित होने की सम्भावना है। जैसलमेर जिले में एक ऊनी उद्योग मिल स्थापना सम्बन्धी योजना हेतु आर.आई.एम.डी.सी. को 200 तकुये आवंटित किये जा चुके हैं और संयुक्त क्षेत्र में लगाने के लिए उद्यमियों का चयन शेष है। राजस्थान में हाथ कर्घा उद्योग के साथ जहां खनिज के साधन उपलब्ध हैं, वहां इस प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकते हैं।

(2) जैसलमेर जिले में मुख्यतः जिप्सम, पीली मिट्टी, डालोमाइट, पीला मारबल व सिलीकासेंड उपलब्ध हैं। इनमें से फलसून, नायना व नोख की खानें आर.आई.एम.डी.सी. को आवंटित हैं, अन्य खनिज आधारित उद्योग पर यदि कोई उपक्रमी उद्योग स्थापित करना चाहेगा तो उसे विभाग द्वारा सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

(3) मोहनगढ़ स्थित जिप्सम की खानें फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया को आवंटित हैं, जहां से यह कच्चा माल देश के विभिन्न उद्योगों को भेजा जाता है।

(4) जैसलमेर जिले में पोकरण, गुढ़ो और कानोद में राज्य सरकार द्वारा लवण क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और इनमें इच्छुक इकाइयों को आवंटित किया जा रहा है।

(5) पोकरण में सड़क बनाने के लिये 12 50 लाख रु० की योजना सरकार द्वारा प्रशासनिक केन्द्रीय सलाहकार मण्डल (लवण) द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है व राज्य सरकार द्वारा भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति शेष है। पोकरण में पानी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। अन्य क्षेत्र में अधिक उद्योग नहीं होने के कारण वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। तकनीकी सहायता लवण आयुक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(6) किसी भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्रियों के नाम पोकरण में बेनामी नमक उद्योग के लगे होने की सूचना विभाग में नहीं है। इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बांसवाड़ा जिले के आदिवासी युवकों को रोजगार देने की योजना

349. **श्री बहादुरसिंह (दानपुर)** : क्या जनजाति क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बहादुरसिंह)

(1) बांसवाड़ा जिला आदिवासी क्षेत्र में पढ़े-लिखे युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की क्या-क्या योजनाएं हाथ में ली गई हैं ?

(2) क्या इन योजनाओं में कुटीर उद्योग एवं गृह उद्योग हेतु प्रशिक्षण का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक कितने आदिवासी युवकों को इसका लाभ मिल रहा है।

उत्तर

(1) आदिवासी उप योजना क्षेत्र जिला बांसवाड़ा में पढ़े लिखे युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की निम्नलिखित योजनाएं हाथ में ली गई हैं:—

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-वर्ष 1976 से

2. राजस्थान लघु उद्योग निगम के अन्तर्गत बांस प्रशिक्षण केन्द्र।

3. बीड़ी प्रशिक्षण केन्द्र अक्टूबर, 1978 से।

4. मार्जिन मनी ऋण योजना—इसके अन्तर्गत 15% मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

5. हिन्टर लैन्ड योजना के अन्तर्गत अनुदान

(अ) बांसवाडा सिंथेटिक्स

(ब) पारस प्राइवेट लि० एवं

(स) ग्रेफाइट प्रोजेक्ट—इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत जनजाति के श्रमिकों को 150/– रुपया मासिक देय स्टाइपेन्ड में से 75/– रुपया प्रतिमाह प्रति श्रमिक अनुदान दिया जाता है।

(2) उपर्युक्त योजनाओं में से कुछ में कुटीर एवं गृह उद्योग हेतु प्रशिक्षण का भी प्रावधान है, जिनके अन्तर्गत आदिवासी युवकों को लाभ मिल रहा है जिसका विवरण इस प्रकार है :—

(अ) बांस प्रशिक्षण केन्द्र–8 युवक।
(ब) बीड़ी प्रशिक्षण केन्द्र–80 युवक।

भेड़ व ऊन केन्द्र दांता में कार्यरत कर्मचारी

350. श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भेड़ व ऊन केन्द्र दांता (सीकर) के कई कर्मचारी दस वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत हैं ? अगर हां, तो कौन-कौन ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्री लेखराज जैन को उक्त केन्द्र पर 7 माह पहले लगाया था ? अगर हां, तो इतने कम समय में स्थानान्तरण क्यों किया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या श्री छगनराम को इस केन्द्र में लगाया है ? अगर हां, तो क्या यह सही है कि केन्द्र से श्री छगन राम ने पहले गबन किया था ? अगर हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राज्य सरकार के पत्रांक प. 2(51)कृषि-3178 दिनांक 29-11-78 के द्वारा श्री लेखराज जैन को दांता रामगढ़ से फार्म फतेहपुर या सीकर जिले के अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर उक्त कर्मचारी को फतेहपुर फार्म पर स्थानान्तरित किया गया।

(3) जी नहीं। छगनराम नाम के किसी भी कर्मचारी को इस केन्द्र पर नहीं लगाया गया है। अतः गबन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

भेड़ पालकों को भेड़ खरीदने हेतु दिया गया ऋण

351. श्री खंगारसिंह (खारची) : क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भेड़पालकों को भेड़ें खरीदने हेतु कर्ज व सब्सिडी की योजना चला रखी है? यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा की प्रति प्रस्तुत करें ?

(2) पाली जिले में कहां-कहां पर भेड ऊन प्रसार केन्द्र हैं जो भेड़ पालकों के हित में उक्त सरकारी योजना का क्रियान्वयन करते हैं ?

(3) क्या भेड़ पालकों को कर्ज व अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र देने पड़ते हैं ? यदि हां, तो प्रसार केन्द्रवार आवेदकों की सूची बताई जावें ?

(4) प्रश्न के भाग (3) में बताई गई सूची में आवेदन की तारीख, कर्ज मंजूर होने की तारीख तथा कर्ज देने की तारीख बताई जावे।

(5) प्रश्न के भाग (4) में जो आवेदन बाद में आये उन्हें पहले कर्ज स्वीकृत हो चुका लेकिन भुगतान नहीं किया उसका क्या कारण है ? हर मामले की कृपया स्थिति स्पष्ट करें। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना की रूपरेखा की प्रति संलग्न है।

(2) पाली जिले में जैतारण, पाली, सोजत, खारची, रायपुर, देसुरी, बाली एवं रोहित में भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित हैं। जिसके माध्यम से उक्त योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(3) जी हां। सूची संलग्न है।

(4) सूची भाग दो 7 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध है।

(5) प्रश्न के भाग (4) में आवेदक, जिन्होंने बाद में आवेदन किया और ऋण स्वीकृत हो गया, के सम्बन्ध में निवेदन है कि पाली जिले में समय समय पर जिलाधीश द्वारा एवं बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करने हेतु केम्पों का आयोजन किया जाता है। केम्पों में आवेदन पत्र लेने एवं वहां स्थल पर पूर्ण जानकारी लेकर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। ऋण स्वीकृति के बाद बैंक आवेदक को कुछ प्रपत्र पूर्ण करने हेतु और देता है, जो बैंकों की प्रणाली में

(भेड़ व ऊन मंत्री)

है। जिसमें आवेदक का फोटो, जमानत और फार्म की कीमत आदि सम्मिलित है। भेड़ों का बीमा भी इसमें अनिवार्य है जो आवेदक को करवाना पड़ता है। आवेदक को अनुबन्धन एवं त्रिपत्रीय अनुबन्धन पत्र भी भरने पड़ते हैं। इसके पश्चात् भेड़ों को कम करके तथा उनमें बैंकिग करने एवं उसके स्वास्थ्य का प्रणाम-पत्र प्रस्तुत करने पर बैंक ऋण का भुगतान कर देता है। ऋण भुगतान के पश्चात् अनुदान की राशि जिलाधीश द्वारा स्वीकृत की जाती है बैंक आवेदक को ऋण तो स्वीकृत कर देता है परन्तु अगर आवेदक उक्त प्रपत्रों एवं कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं तो बैंक ऋण का भुगतान नहीं करता है। इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार है। इस विषय में यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि विभाग एवं बैंक के कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बैंक आवेदक की स्वयं की उपस्थिति में ही ऋण स्वीकृत करता है।

(योजना व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-1979)

राज्य की सिंचाई योजनाएं

8?. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सिंचाई योजनाओं का चयन करने और उपादेयता देखने की क्या प्रणाली है ?

(2) निकट भविष्य में राज्य सरकार की राज्य में सिंचाई की कौन कौन सी योजनायें और लिये जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य में सिंचाई योजनाओं का चयन बेनीफिट कोस्ट के अनुपात के आधार पर किया जाता है। अधिक उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना काल में निम्न योजनाएं प्रस्तावित हैं :

वृहद योजनाएं

1. छापी जिला कोटा
2. गोसुन्डा जिला चित्तौड़

मध्य योजनाएं

1. सुकली जिला सिरोही
2. बाडी सेन्दरा जिला जालोर
3. गरठा जिला बून्दी
4. बाजी जिला चित्तौड़गढ़
5. कोठारी जिला भीलवाड़ा
6. बिलाल जिला कोटा
7. हिन्डनोत जिला कोटा
8. साबी जिला अलवर
9. बनजोली जिला सवाई माधोपुर।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला म्युनिसिपल फेडरेशन श्री गंगानगर द्वारा राज्य सरकार के नये

(54)

(श्री अध्यक्ष)

वेतनमान लागू न करने पर हड़ताल का नोटिस देने के विषय में,

(2) श्री राम रघुनाथ चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 16 फरवरी को पुलिस द्वारा ग्राम भगतपुर की एक आदिवासी लड़की, जिसकी कुछ दिन पूर्व हत्या कर दी गई थी, के शव का पोस्ट-मार्टम कराने हेतु कई नगरों के चिकित्सालयों में भेजे जाने के विषय में,

(3) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल व सत्याग्रह करने की सूचना के विषय में,

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

सदन से अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री नारायण सिंह को 16 मार्च, 1979 से 17 अप्रैल, 1979 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थि रहने की अनुमति

एक और विषय साथ साथ में रखना चाहता हूं।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री नारायण सिंह, सदस्य विधान सभा ने 16 मार्च, 1979 से 17 अप्रैल, 1979 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें 16 मार्च, 1979 से 17 अप्रैल, 1979 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री वृद्धि चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, पहला स्थगन प्रस्ताव मेरा है। मैंने मकान किराया भत्ता सभी कर्मचारियों को देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

श्री अध्यक्ष : इस पर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी है। इस पर आपको कोई आपत्ति है ?

श्री वृद्धि चन्द जैन : सिर्फ दो मिनट मैं बोल लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मकान किराया भत्ता का जो प्रश्न था, यह मकान किराया भत्ता राजस्थान के 12 जिलों, जिनमें बाड़मेर जिला भी एक था, में नहीं दिया जा रहा था और इसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। वहाँ की एक समस्या थी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए क्योंकि मकान किराया भत्ता के कारण वहाँ पर मकान का किराया अधिक होने के कारण उनको बहुत कठिनाई

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

हो रही थी। वहां पर ऐसी स्थिति थी कि एक कमरे का बाड़मेर नगर में किराया सौ रुपया और दो कमरे के मकान का किराया दो सौ रुपया था। यह समस्या बाड़मेर नगर और सभी जिला मुख्यालयों में थी। इस समस्या को हल करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है, सदन में जो आश्वासन दिया है, उस घोषणा की मैं प्रशंसा करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इससे कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या हल हो जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मंत्री माननीय प्रोफेसर केदार के कमरे में तारीख 31 मई को जो एग्रीमेन्ट हुआ था, दोनों पक्षों की उपस्थिति में, उसमें नगरपालिका श्रीगंगानगर के कर्मचारियों की मांगों पर समझौता वार्ता माननीय श्रम मंत्री प्रोफेसर केदार की उपस्थिति में हुई थी और कर्मचारियों ने जो मांगें रखी थी, वे निम्न प्रकार हैं। यह सारा एग्रीमेन्ट 30 मई, 1978 के रोज हुआ था और इस एग्रीमेन्ट में करीब करीब सभी शर्तें मान कर एग्रीमेन्ट पर दस्तखत किये गये थे। इस एग्रीमेन्ट पर दस्तखत करने वाले हैं श्री विजयसिंह सचिव, डिप्टी सैक्रेटरी और दूसरे सरकारी अधिकारी थे। दूसरी ओर थे राजस्थान जिला म्युनिसिपल एम्पलाइज फेडरेशन, श्रीगंगानगर जिसमें करीब 16 म्युनिसिपैलिटीज हैं—हनुमानगढ़, रायसिंह नगर, सूरतगढ़, नोहर, भादरा, करणपुर, पदमपुर, गजसिंहपुर, सादूलशहर, सांगरिया, विजयनगर, पीलीबंगा, केशरीसिंह पुर, इन सारी नगरपालिकाओं में 70 प्रतिशत हरिजन काम करते हैं। उन हरिजनों ने हड़ताल का नोटिस दे दिया कि हम हड़ताल पर जायेंगे। आपने एग्रीमेन्ट 30 मई, 78 को किया कि राणावत पे कमीशन 1–9–78 से लागू करेंगे, एग्रीमेन्ट पर दस्तखत हैं, फोटो स्टेट कापी मेरे पास है। उनका एग्रीमेन्ट होने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। पहले भी उन्होंने 6 दिन तक बराबर हड़ताल की जिस पर यह एग्रीमेन्ट हुआ और चिकित्सा भत्ता, जो उनकी 35 रुपये की मांग थी, सरकार ने 20 रुपया कर दिया था, इस बात को उन्होंने मंजूर भी किया। जब यह हो गया कि वेतनमान 1–9–78 से लागू कर दिये जायेंगे, इस बात को भी उन्होंने मंजूर किया था। दूसरी बात उन्होंने मंजूर की थी कि हरिजनों को झाड़ू आदि के पैसे उपलब्ध कराये जायेंगे। यह एग्रीमेन्ट होने के बाद वे काम पर आये और आज 70 प्रतिशत हरिजनों, 16 नगरपालिकाओं के कर्मचारियों ने नोटिस दे दिया है सरकार को, कि बराबर 8 महीने बीत चुके हैं और 8 महीने बीतने के बाद भी उस एग्रीमेन्ट का क्या हुआ ? जिस पर गवर्नमेंट की तरफ से सचिव ने दस्तखत किये हैं उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय इस पर सीरियसली नोटिस नहीं ले रहे हैं, फिर कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना होगा, फिर संघर्ष में पड़ना होगा। इसलिये मैंने ध्यानाकर्षण किया है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, केसर नाम की एक आदिवासी लड़की की फरवरी के प्रथम सप्ताह में हत्या कर दी

(श्री राम रघनाथ चौधरी)

गई। किन कारणों से हुई, यह मेरे स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। ग्रध्यक्ष महोदय, उस लड़की की लाश हत्या हो जाने के बाद एक खड्डे में बरामद की गई ग्रौर 16 फरवरी को पुलिस ने पोस्ट मार्टम के लिये ग्रस्पताल में भेजी वहां पर पोस्ट मार्टम नहीं हो सका ग्रौर डाक्टरों ने जाहिर किया कि काफी दिन हो गये हैं, लाश सड़ी हुई है, यह हमारे वश की बात नहीं है। उस लाश को उदयपुर भेजा, वहां से जोधपुर ग्रौर जयपुर लाश भेजी गई लेकिन ग्राज तक उसका पोस्ट मार्टम नहीं हुग्रा। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस तरह के हत्या के मामलों में जहां लाश बहुत दिन बाद बरामद की गई, लाश को जगह जगह घुमाने पर भी पोस्ट मार्टम नहीं हुग्रा यह है ता राज्य सरकार की व्यवस्था। होना तो यह चाहिये कि जो लाश सड़ गई है ग्रौर उसका पोस्ट मार्टम कराने की व्यवस्था नहीं हो सकती तो उसका डिस्पोजल कर दिया जाय। ग्रगर ऐसी व्यवस्था कानून में नहीं है तो कर देनी चाहिये ग्रगर हत्या या मौत के कारणों में शंका की बात है और उसका पोस्ट मार्टम करना जरूरी है तो उसकी कायदे के ग्रनुसार समय पर व्यवस्था होनी चाहिये। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह लाश तथ्यों की जानकारी के लिये पुलिस वालों ने कई ग्रस्पतालों में भेजी। लेकिन ग्राज तक पुलिस वालों को न तो इस बात का पता है कि इस लाश का कब पोस्ट मार्टम होगा ग्रौर न हो तो क्या किया जाय क्योंकि उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। लड़की के घर वालों को भी पता नहीं है कि लाश किस प्रकार से मिलेगी? मैं कुछ लाइनें, ग्रध्यक्ष महोदय, पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इस घटना का शर्मनाक पक्ष यह है कि लड़की का शव ग्रन्त्य परीक्षण के लिये एक महीने से ग्रधिक समय से पोस्ट मार्टम व डाक्टरों की राय के लिए इस कोने से उस कोने तक घुमायी जा रहा है लेकिन अभी तक उसके ग्रन्त्य परीक्षण के लिये योग्य चिकित्सक नहीं मिल सके हैं। इस बीच शव के नाम पर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। पुलिस ने 16 फरवरी को शव ग्रन्त्य परीक्षण के लिये बांसवाड़ा ग्रस्पताल में भेजा। पुलिस ने ग्रन्त्य परीक्षण शुरू किये जाने के पूर्व चिकित्सकों से मृतक के सेक्स, ग्रायु, मृत्यु का कारण ग्रौर मृत्यु कितने दिन पुरानी है आदि सामान्य प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के कारण ग्रन्त्य परीक्षण रुक गया ग्रौर बाद में शव उदयपुर, जोधपुर, जयपुर व बांसवाड़ा के बीच चक्कर खाता रहा। इस बीच में उपरोक्त प्रश्नों का कहीं उत्तर नहीं मिला ग्रौर न कहीं ग्रन्त्य परीक्षण हुग्रा। राज्य के एक बड़े ग्रस्पताल में कोई चिकित्सक यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, जिसके कारण शव फिर घूम फिर कर बांसवाड़ा ग्राया। घर वाले परेशान हैं कि कब उन्हें उनकी पुत्री का शव दाह संस्कार के लिये मिले ग्रौर पुलिस वाले परेशान हैं कि कब तक उन्हें इस लाश घसीटा से मुक्ति मिले। यह, ग्रध्यक्ष महोदय, बहुत शर्मनाक स्थिति है पुलिस वाले ग्रौर लड़की के घर वाले क्या एक महीने भर तक लाश के साथ साथ दर दर की ठोकरें खाते फिरें। इसलिये मैं चाहूंगा, ग्रध्यक्ष महोदय, इसकी तुरन्त व्यवस्था हो लड़की के घर वालों के दुःख की कोई सीमा नहीं है। किसी घर में जवान लड़की की हत्या हो जाय, ग्रध्यक्ष

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

महोदय, इसे राज्य सरकार गंभीरता से महसूस करे—

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

....यह पहली घटना नहीं है अध्यक्ष महोदय। ऐसी घटनायें हम अखबार में कई बार पढ़ते हैं कि फलां आदमी की मौत हो गई उसकी मौत के कारण में शंका होने से पोस्ट मार्टम कराना जरूरी है फिर भी 36 घंटे, 48 घंटे, 3-3 दिन पोस्ट मार्टम नहीं होता। आप देखें, यह नवज्योति में लिखा है कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि लाश सड़ती रही, डाक्टर देखते रहे, चिकित्सक देखते रहे और लाश का पोस्ट मार्टम नहीं हुआ। इससे ज्यादा क्या भयानक घटना हो सकती है कि लाश एक महीने तक जगह जगह चिकित्सालयों में घुमाई जाती रहे। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है, अध्यक्ष महोदय। मैं चाहूंगा, चिकित्सा मंत्री महोदय इसके लिये जिन डाक्टरों के हाथों से लाश गुजरी और उसका पोस्ट मार्टम नहीं किया, उन डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जाय, पूरे मामले की जांच की जाय सदन को पूरे मामले से अवगत कराया जाय और यह आश्वासन दें तथा लड़की के परिवार के प्रति सरकार सहानुभूति जाहिर करे और उनको मुआवजा देने का आश्वासन दें।

श्री त्रिलोक चन्द जैन (चिकित्सा मंत्री) : इस प्रकार की कोई शिकायत राज्य सरकार के पास प्राप्त नहीं हुई। आपने आज बात की है। मैं इसकी पूरी जांच करा लूंगा और सारे फैक्ट्स आपके सामने ला दूंगा। डाक्टरों की गलती रही है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह कोई मुसलमान बालिका नहीं थी। अगर गड़ी हुई लाश मिली है तो निश्चित रूप से हत्या का मामला है।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे पास आपके कोई स्थगन प्रस्ताव की सूचना नहीं है और शासन पक्ष से कोई स्थगन प्रस्ताव........

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिन्दगी का सवाल है अगर इस पर सदन में चर्चा नहीं हुई तो भयानक परिणाम सामने होंगे। दो मिनट....

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट के लिये स्थान ग्रहण करें।

श्री हरीश शर्मा : मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, खास तौर से मैं आपको अनुमति भी दूं तो पहले स्थगन प्रस्ताव होते हैं वह होने दीजिये उसके बाद मैं आपको सुन लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सारे राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने हड़ताल करने का निर्णय ले लिया है और अपनी मांगों को लेकर माननीय मंत्री जी को और जो वहां के सहकारी कमिश्नर हैं उनको मेमोरेण्डम दिया है। बहुत अर्से से इन सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का इस तरह से बेहाल कर रखा है। माननीय अध्यक्ष, एक तरफ तो सहकारी आन्दोलन को एक मूलभूत आन्दोलन बना कर जनता को सहकारिता के जरिये राहत देना चाहती है यह सरकार, और दूसरी तरफ उनके सचालन के लिए जो व्यवस्थापक रखे गये हैं उनकी बड़ी दयनीय हालत है। उन्होंने समय समय पर सरकार को मेमोरेण्डम दिये हैं। अभी एक प्रश्न जो पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था, के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इन व्यवस्थापकों को 200 रुपये मिलते हैं। इस तरह से 200 रुपये उनको देकर उनका एक्स्प्लायटेशन आप करते हैं। उनकी सर्विसेज का कोई ख्याल नहीं है कि वह परमानेन्ट सर्विस है या नहीं है। हजारों सहकारी समितियां हैं और जब आपने सहकारी समितियों को वायेबल युनिट बना दिया है और उसके बावजूद बहुत से काम जैसे सीमेंट और अन्य नियन्त्रित आर्टीकल्स का वितरण सहकारी समितियों के जरिये करा कर आप उनकी वितरण-व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आप इन सहकारी समितियों को चलाने वाले इन व्यवस्थापकों की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इस बारे में माननीय मंत्री जी बतायें। राजस्थान में सहकारी आन्दोलन को चलाने वाले इन व्यवस्थापकों ने काम बन्द कर दिया है, उन्होंने हड़ताल का नोटिस दे दिया है और वे स्ट्राइक करने वाले हैं तो उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर उनको आश्वासन दें। उनकी जायज मांगों को आप मन्जूर क्यों नहीं करते हैं और स्ट्राइक को एवायड क्यों नहीं करते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह पहले स्ट्राइक करने का 15-20 दिन का नोटिस दे रहे हैं, फिर वे विधान सभा के सामने प्रदर्शन करेंगे, आप लाठी चार्ज करेंगे, अश्रु गैस छोड़ेंगे और 144 धारा लगायेंगे तब जाकर समझौता करेंगे जैसा कि अभी कर्मचारियों के बारे में किया है तो पहले ही समझौता कर लें। सहकारी आंदोलन में काम करने वाले लोगों की जो जायज मांगें हैं उन पर विचार करके जो आपको मन्जूर करना हों वह कर लें, और जिनको नहीं कर सकते हैं उनको उत्तर दे दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी हड़ताल की वजह से सहकारी समितियों का काम ठप्प न हो जाय और उनकी व्यवस्था भंग न हो जाय इसके लिए जल्दी से कदम उठायें। उनको इस ढग से ट्रीट किया जाता है कि मर्जी के मुताबिक आप लोग उनको निकाल देते हैं, कभी बैंक वाला निकाल देता है, कभी सहकारी समितियां निकाल देती हैं। उनको सर्विस का कोई भरोसा नहीं। उनको सर्विस में रखने के लिए और सर्विस से निकालने के लिए कोई कानून नहीं है। चाहे जिसको निकाल दें, चाहे जिसको रख लें। सहकारी समितियों में इस प्रकार की धांधलेबाजी चलती है कि चाहे जिसको निकाल देते हैं और चाहे जिसको रख लेते हैं। उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उनके स्थायी-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करण के बारे में, वेतनमान के बारे में राज्य सरकार सन्तोषजनक रिप्लाई दे। आज च.हें तो आप आश्वासन दे सकते हैं और आपसे उनके प्रतिनिधि आकर मिल सकते हैं। उनकी स्ट्राइक को आप टाल सकते हैं और वितरण व्यवस्था और सहकारी समितियों में जो काम होता है उसको जारी रख सकते हैं। आप उसको ठप्पन होने दें। इसके लिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि आप उनको मांगों के बारे में क्या कर रहे हैं इसके बारे में सदन को अवगत करायें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर 5·6 लाख का सहकारी समितियों के पास में फण्ड आता हैं और वह उसका आदान-प्रदान करते हैं। इसके बावजूद उन गरीवों को 200 रुपये माहवार दे रहे हैं, यह किसो भी मूल्य पर उचित नहीं है। उनके लिए आप कृपा करके कोई अच्छा काम करता है तो कुछ अनुदान दे देते हैं। माननीय रघुनाथजी विश्नोई ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा सहकारी आंदोलन से बड़ा सम्पर्क रहा है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्रीजी ......

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन ...

श्री दाऊदयाल जोशी : इन सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के लिए सर्विस नियमों की व्यवस्था करें। उस आदमी को केवल 200 रुपया मिलता है उसको बढ़ायें। उनका अधिकतम वेतनमान निश्चित होना चाहिये। यह मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी माफत निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रघुनाथजी ने प्रश्न उठाया कि उनका वेतन 200 रुपया माहवार है, उसको बढ़ाया जाय। राजस्थान सरकार ने मिनिमम मजदूरी 5 रुपये रोज की पी. डबलू. डी. के मजदूरों के लिए की है, सहकारिता समितियों के पास लाखों का बजट है। सहकारी सोसायटी का मैनेजर जो सिरोही में है उसको डेली 30 किलोमीटर घूमना पड़ता है। 5-5 ग्राम पंचायतों को मिलाकर आपने एक सोसायटी बनाई है तो वह न तो काम कर सकता है और न रिकवरी कर सकता है। उसकी बड़ी दयनीय हालत है। राजस्थान सरकार को सारे राजस्थान की सहकारी समितियों के लिये एक सर्विस कमीशन बना कर उनकी व्यवस्था करनी चाहिये। अन्यथा इस प्रकार की बात होगी कि आप बड़े सरकारी कर्मचारियों का तो वेतन बढ़ाना चाहते हैं, सेक्रेटेरियट वालों की तो सब बातें मानने को तैयार हैं और इन छोटे लोगों के बारे में सोचने को तैयार नहीं हैं। यह भयानक स्थिति है इसके बारे में राज्य सरकार को कुछ करना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उनको सभी प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहियें।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय सांचौर

(श्री कैलाश मेघवाल)

से आने वाले एक माननीय विधायक ने एक मुद्दा उठाया है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक 19 मार्च से हड़ताल पर जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा मैं माननीय विधायक और अन्य माननीय विधायकों को सूचित करना चाहता हूं कि पहले 200 रुपये इनको वेतन मिलता था। पिछली बार जब ...

(12.25 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

....सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने आंदोलन का नोटिस दिया था, उस समय उनसे बड़ी सौहार्दपूर्ण वार्ता होकर 5-6 महीने पहले 250 रुपया कम से कम उनका वेतन कर दिया गया है। जनता पार्टी के शासन में आने के बाद पहली बार 200 रुपये से 250 रुपये न्यूनतम प्रति व्यवस्थापक कर दिया गया है। उस समय यह उम्मीद थी कि कुछ समय निकलने दिया जाय। सहकारी समितियों की स्थिति को किस तरह से सुधारा जा सकता है, उनकी आमद किस तरह से सुधारी जा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो तनख्वाह दी जा रही है व्यवस्थापकों को यह सहकारी विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। यह सहकारी समितियों के कर्मचारी हैं। उनको जो वेतन मिलता है वह वेतन किसानों को जो ऋण दिया जाता है उससे जो ब्याज वसूल किया जाता है, उस ब्याज के अंशदान से मिलता है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फसली ऋण हर 6 महीने में जिस गरीब तबके के किसानों को हम देते है उस गरीब तबके के किसान के ऊपर ब्याज की दरें बढ़ा कर उनसे अधिक ब्याज लेकर उनकी तनख्वाहें बढ़ायें इस तरह की स्थिति आज नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यवस्थापक सन्तुष्ट रहें। हम यह भी चाहते हैं कि व्यवस्थापकों को जो वेतन मिलता है उसके कारण गरीब किसान पर ब्याज भार न पड़े। तो इन दोनों स्थितियों के सन्तुलन के आधार पर जो हल निकलेगा उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा, ऐसा मैं माननीय विधायकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

सांचौर से आने वाले माननीय विधायक ने बातचीत करने का सवाल उठाया है तो मैं सदैव तत्पर हूं। घर पर या दफ्तर में जहां वह चाहें मिल सकते हैं। बातचीत से हल कई प्रश्नों को देख कर निकालना पड़ेगा।

एक स्थिति और मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा, यह जो सहकारी समितियां चल रहीं हैं इनमें से कुछ सहकारी समितियों में तो जिस समय केवल ऋण वितरण किया जाता है उस समय ही सक्रियता आती है, उस समय ही वे सक्रिय होती हैं और उस समय ही काम का भार उन पर अधिक होता है। अधिकतर सहकारी समितियां, माननीय उपाध्यक्ष, जो आज ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं राजस्थान में वे केवल साल में कुछ महीने ही सक्रिय होती हैं। उस समय ही उनके पास कार्य भार अधिक रहता है। यह मैं

(श्री कैलाश मेघवाल)

मानता हूं कि अन्य सहकारी समितियां जिन्होंने उपभोक्ता सामग्री के वितरण के लिए सहकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया है और दूसरी सहकारिता की गतिविधियों में प्रवेश किया है। उन्होंने आर्थिक दृष्टि से अपने आपको सम्पन्न किया है। तो मैं यह भी माननीय विधायकों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी सहकारी समितियों का जो कार्य है और जो व्यवस्थापक वहां पर कार्य कर रहे हैं वे मूलतः ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अपने कर्मचारी हैं। यह सहकारी समितियां अपने कोष के आधार पर कोई वेतन ज्यादा देती हैं तो उसमें हमको कोई एतराज नहीं होगा। उनका टर्न ओवर कितना है, कितनी उनकी आमद है, कितना काम करती हैं उसको भी मद्दे नजर रखना है। केवल कुछ समय के लिए काम करती हैं उनके व्यवस्थापकों को नियमित रूप से 12 महीनों का ज्यादा वेतन देकर गरीब किसानों पर ब्याज की दर बढ़ाई जाय, संतुलन की स्थिति पैदा हुये बिना मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ रहूंगा।

मैं सांचौर से आने वाले माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में चेम्बर में मुझसे चर्चा कर सकते हैं। सहकारिता के अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। राज्य सरकार इसके लिए तत्पर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। जनता सरकार आने के बाद जो उन्होंने नम्बर वन फैसला किया था .250 रु० व्यवस्थापकों को देंगे यह फैसला किया था उसका क्या हुआ ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह शिकायत....

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यवस्थापक अपना काम किस तरह से चलाते हैं। क्या आप इस सहकारी आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाना चाहते हैं ? सारी वितरण व्यवस्था सहकारिता में करना चाहते हैं ? आखिर कोई बात हो।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अब्दुल अजीज : जितनी सहकारिता में हालत खराब है, उतनी किसी विभाग की नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री बाऊदयाल जोशी : व्यवस्थापकों की बात चल रही है। आप कहां भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ?

श्री अब्दुल अजीज : आपको पता नहीं है, कितना भ्रष्टाचार है।

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह : बहुत ही गड़बड़ है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। आपका नाम नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : सहकारिता में मिनिमम वेजेज को मानते हुए सरकार विचार करेगी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय म्रब्दुल म्रजीज जी, कृपया विराजें।

श्री रघुनन्दन व्यास : जहां तक मैनेजर का सवाल है, ग्राम सहकारी समिति में मैनेजर जो व्यक्ति होता है, सैण्ट्रल कोम्राप-रेटिव बैंक से उसका म्रपाइण्टमेन्ट होता है। सहायक रजिस्ट्रार उसके कर्ता धर्ता होते हैं। इस प्रकार की वह सर्विसेज हो गई हैं। सहकारिता विभाग को उनके ग्रेड म्रौर प्रमोशन रूल्स बनाने चाहिये। सोसाइटी के पास पैसा है या नहीं, इस प्रकार की बात कहना गलत है।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय·······

श्री रघुनाथ विश्नोई : म्रापकी जिम्मेदार सहकारी समिति को मजबूत बनाने की है। म्रापने सर्किल सलेक्शन बोर्ड पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के लिए बनाया है तो सहकारी समितियां सर्विस सलेक्शन बोर्ड क्यों नहीं बनाते ?

श्री म्रब्दुल अजीज : मेरा इतना ही निवेदन है कि व्यवस्थापकों को मिनिमम वेजेज के म्राधार पर देंगे या नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : मन्त्री महोदय, म्रापको यह मालूम है कि सहकारी समितियों को ऋण रिजर्व बैंक से मिलता है। उसके बीच में म्रपेक्स बैंक म्रौर म्राता है। इन दोनों में पोस्ट ज्यादा हैं, इसलिए यह म्रधिकारी तो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ग्राम सहकारी समिति का हिस्सा है। क्या माननीय मन्त्री महोदय, म्रपेक्स बैंक को, सी. सी. बैंक को जो हिस्सा मिला हुम्रा है, उसकी जांच करायेंगे ताकि समस्या का हल हो।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय रामनारायणजी को सूचनार्थ निवेदन कर दूं, जो सहकारिता का कर्जा 12% पर मिलता था वह म्रब 10 प्रतिशत पर देना शुरू किया है। रिज़र्व बैंक से जो कर्जा मिलता है, वह सीढ़ी दर सीढ़ी 3 जगह बंटता है। एक तरफ सहकारिता, में नो प्रोफिट नो लॉस, के म्राधार पर हमको सहकारी समितियों को चलाना पड़ता है। अगर कामशियल बेसिस पर उनकी सर्विसेज को चलाने की कोशिश की गई तो यह उचित नहीं होगा। जहां तक सांचोर से म्राने वाले माननीय विधायक ने 250 वाली बात कही है कि उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। मैं इसकी जानकारी करूंगा। म्रापके द्वारा मुझे पता चला है। क्रियान्विति क्यों नहीं हुई है ? म्रगर किसी कर्मचारी से गड़बड़ हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। इस बारे में मैं माननीय रामनारायणजी को सूचनार्थ निवेदन करना चाहूंगा, मैं इस बारे में सोच रहा हूं। सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक म्रौर म्रपेक्स बैंक में जो ब्याज ज्यादा लिया जाता है उससे खर्चा बढ़ा है। किसानों के ऊपर ब्याज की मार कम करने का म्रापका सुझाव है। उसका मैं स्वागत करूंगा। मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है।

श्री अब्दुल अजीज : जो भ्रष्टाचार है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह भ्रष्टाचार कब बढ़ा है। कैसे पनपा है। यह अपनी आत्मा से पूछ लें। मैं तो उसे समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिल्कुल ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। कल श्री हरीश कुमार जी को बोलने की अनुमति दी गई थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीशकुमार।

श्री रणमलसिंह : सोसाइटी का जो ब्याज मिलता है·······

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। उत्तर को डाइवर्ट करते हैं। जनता पार्टी और कांग्रेस का ऐसा जाल बनाते हैं कि सब गड़बड़ कर देते हैं। इनको चाहिए कि सही उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : हम आपको सन्तुष्ट नहीं करवा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह किस पर बोल रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : 131 में कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इनको विचार रखने की अनुमति दे दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्थगन प्रस्ताव खतम होने के बाद·······

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से स्थगन प्रस्ताव समाप्त होने के बाद में मौका दिया जाता है।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने नहीं देते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही के संचालन का नियम होता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप रूल्स की दुहाई कब से देने लगे हैं। एक माननीय विधायक अपने विचार रख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अरे, बोलो यार।

श्री उपाध्यक्ष : जो भी स्थगन प्रस्ताव आज प्राप्त हुए थे, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन पर व्यवस्था दे दी है और उन पर चर्चा हो चुकी है। अब कोई स्थगन प्रस्ताव बाकी नहीं रह गया है।

(व्यवधान)

कृपया सुन तो लें।

श्री अब्दुल अजीज : क्या सुन लें।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ (श्रम मन्त्री) : कोई भी माननीय सदस्य अगर चेअर की इजाजत से पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करता है, तो वह कर सकता है?

श्री मूलचन्द डागा : यह तो आप गलत बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी, इसलिए अवसर दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आप बोलने तो दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : किस नियम के तहत? क्या है आखिर?

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल ....

(व्यवधान)

मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा ....

श्री अब्दुल अजीज : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्षजी, आपने इजाजत दे दी है। उसके बावजूद भी ये कैसे बोल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें। आप अपना पाइन्ट ऑफ ऑर्डर कहिये।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रूल 131 का हवाला दिया है, उस पर आप क्या व्यवस्था देना चाहते हैं, यह बता दीजिये। आप कहते हैं कि चर्चा हो चुकी है। मैं यह सुनना चाहता हूं, आसन से।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरीशजी, आप शांत रहें। माननीय सदस्य, शायद आप अनुपस्थित थे। माननीय हरीश जी ने अनुमति मांगी थी और अध्यक्ष महोदय ने अनुमति देने के लिए कह दिया था और उसी के अनुसरण में इनको इजाजत दी जाती है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा गम्भीर मसला है

(श्री हरीश शर्मा)

500 आवासन मण्डल के कर्मचारियों की जिन्दगी का सवाल है। आवासन मण्डल के वो कर्मचारी जब से मण्डल बना है, तब से वर्षों से वर्कचार्ज बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनको अभी तक स्थाई नहीं किया गया है। वे योग्यता भी रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कल 18 तारीख को राजस्थान पत्रिका में एडवर्टाइजमेण्ट आया है। यह निहायत ही शर्म और बेईमानी की बात है कि उन लोगों को, जो आलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं सम्मिलित नहीं किया गया जब कि वे लोग योग्यता रखते हैं और उन लोगों को परीक्षा में सम्मिलित करने जा रहे हैं जिनका आवासन मण्डल से कभी कोई सम्बन्ध भी नहीं रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विज्ञापन राजस्थान पत्रिका में आया है उसका अंश मैं पढ़ कर सुनाता हूं—

"उपरोक्त पदों की संख्या बढ़ाने तथा कम करने का पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन बोर्ड के सक्षम अधिकारी को होगा।"

उनको पद बढ़ाने और कम करने का अधिकार होगा। यह सरासर बेईमानी है। कुछ चन्द लोगों को, जिनसे इनकी सांठ-गांठ है, उन्हीं लोगों को लेना चाहते हैं जब कि राजस्थान सरकार के नियमों के तहत 240 दिन तक जो आदमी काम कर चुका है उसको स्थाई करना होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इन नियमों को ठुकराया जा रहा है और विज्ञापन के द्वारा एक फ्राड किया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके द्वारा रिक्वेस्ट करूंगा कि यह आश्वासन दिया जाय। उनको कॉल लैटर भी नहीं भेजा गया, इण्टरव्यू में भी नहीं बुलाया गया। आज पांच सौ कर्मचारी दरवाजे-दरवाजे भटक रहे हैं, कभी चेयरमैन के और कभी सेक्रेटरी के दरवाजे पर खटखटाते हैं लेकिन उनकी उचित मांग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने अधिकारियों से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि इनकी मांग तो न्यायोचित है, इन्हीं को पहले स्थाई किया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा लगता है कि भीतर ही भीतर कुछ उलझनें हैं जिनको मैं उजागर नहीं करना चाहता। इस नाते, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि कल जो परीक्षा होने वाली है उसको निरस्त किया जावे और वास्तव में क्या हकीकत है, इसकी जांच की जाय और सदन के सामने रखी जाय, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, । यह कोटा से सम्बन्धित मामला है और पांच सौ व्यक्तियों का सवाल है। जो हाउसिंग बोर्ड में काम करते हैं, वे जयपुर में आये हुए हैं। उनको कोई काल लैटर नहीं, परीक्षा की कोई सूचना नहीं। जो योग्यता मांगी गई वे उन योग्यताओं को पूरा करते हैं, उसके बावजूद भी उनको परीक्षा में नहीं बुलाया गया। यह एक मानवता का प्रश्न है। सात-सात साल से वे लोग वर्क चार्ज बेसिस पर काम कर रहे हैं। उनको परीक्षा में प्रवेश भी नहीं दिया गया, यह महान अन्याय-पूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि,

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आवासन मन्त्री महोदय माननीय भंवरलाल जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि उनको भी परीक्षा में अनुमति देने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर सदन को विचार करना चाहिए और निर्देश दिये जाने चाहिए। एक आदमी की रोटी खोस कर दूसरे को दी जा रही है। जो आदमी वहां पर काम कर रहे थे उन्हीं को वहाँ पर काम करने देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, काफी चर्चा हो चुकी है। कृपया बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आवासन बोर्ड की परीक्षा स्थगित की जाए उन लोगों को भी काल लेटर भेजे जायं जो वर्षों से वहां पर काम कर रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : सरकार इसका जवाब दे कि वह क्या करने जा रही है।

श्री अब्दुल अजीज : जनता पार्टी के सदस्य माननीय ने चार्ज लगाया है सरकार पर कि बेईमानी की जा रही है। मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और उत्तर दें कि यह घोटाला क्यों हुआ है और उनको क्यों नहीं बुलाया गया जो वहाँ पर पहले से काम कर रहे थे? अब आप परीक्षा रोकना चाहते हैं, जो भी बात हो साफ की जाये। मन्त्री महोदय को बुलाया जावे, उनसे सही उत्तर दिलवाया जावे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना है.... ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण जी, आप अपनी सीट पर जाकर ही बोलें तो ठीक रहेगा। बिल्कुल पास में आ गये हैं।

(व्यवधान)

आपकी आवाज काफी बुलन्द है

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हाउसिंग बोर्ड की प्रस्तावित परीक्षा इसलिये कैंसिल की जा रही है क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के चैयरमैन काबिल और ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं जिनका आर. एस. एस. से सलेक्शन हुआ है और आर. एस. एस. के संचालक रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : भूतसवार हो गया है आर. एस. एस. का तुम पर....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन सर। कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि माननीय सदस्य अपनी सीट पर ही जाकर बोलें और भाटी जी को अपनी सीट पर आकर ही बोलना पड़ा। इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने अपनी गलती ठीक कर ली है।

श्री रतनलाल वर्मा : ये तो डांवाडोल होते रहे हैं। यह कोई बात नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जनता पार्टी जो गलती करने जा रही है उसको आप ठीक करेंगे क्या ? सरकार ने पहला काम उनको चैयरमेन बनाने का किया। ये लोग कहेंगे कि वह चीफ इन्जीनियर थे। हुकमानी कमानीज में चीफ इन्जीनियर थे, वह नेक हैं, अनुभवशील व्यक्ति है, मगर वह 500 लोगों का जीवन खतरे में डाल कर नये आदमियों को लेने जा रहे हैं। इसके पीछे प्रवृत्ति यह है कि किसी प्रकार से आवासन मण्डल में आर० एस० एस० के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में भर्ती किया जाए। यह मेरा आरोप है। स्वायत्त शासन मन्त्री श्री भंवरलाल शर्मा इसलिए यहां पर मौजूद नहीं है क्योंकि वह जवाब नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर इन 500 आदमियों में कोई आर० एस० एस० से सम्बन्धित न हो तो क्या माननीय सदस्य त्यागपत्र देंगे ? क्या आप चुनौती स्वीकार करते हैं। केवल बकवास करना, बार-बार आर० एस० एस० का नाम लेना।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जनता पार्टी में आर० एस० एस० के लोगों का वर्चस्व होने के बाद लोगों ने हाफ पैंट पहनना शुरू किया। जो लोग शाखा में नहीं जाते थे वह लोग भी हाफ पैंट पहन कर इस सरकार से फायदा लेने के लिए आगे आ गये हैं। आपको मालूम है या नहीं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो जनता पार्टी के बाहर चले गये। आपने जनता पार्टी से फ्राड किया है........

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय सदस्यों ने जो कहा है, सरकार की ओर से इसका जवाब दिलाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया बिराजिए। मैंने रामकृष्ण दास जी गुप्ता का नाम पुकारा है। उन्हें अपनी चर्चा समाप्त करने दें।

श्री रतनलाल वर्मा : रामकृष्ण दासजी आर० एस० एस० में रहे हैं और हाफ पेंट अभी भी आपने सुरक्षित रखी है, पहन लो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता पार्टी की नीति यही है कि दूध की मलाई के साथ साथ मक्खी भी निगल रही है। आर० एस० एस० इनके पीछे लगा है। बंटाधार करके सारे प्रशासन को छोड़ेंगे। आवासन मंडल में आर० एस० एस० के लोगों को सुनियोजित ढंग से घुसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपने आर० एस० एस० के व्यक्ति को बोर्ड का चैयरमेन क्यों बनाया ? इसलिए बनाया क्योंकि हुकमानी साहब आपकी

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

रखवाली करें। यह गम्भीर मसला है, इस प्रकार से आर० एस० एस०....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : बच कर रहना, मारे जाओगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आर० एस० एस० के प्रभाव को कैसे दूर किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आवासन मंडल के मामले से सम्बन्धित मन्त्री आ गए हैं, इनसे जवाब दिलाया जाए।

श्री हरीश शर्मा : जवाब आना चाहिए, इसका महत्व ज्यादा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जनता पार्टी को आर० एस० एस० खा जाएगा।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक मसला सदन के सामने प्रस्तुत हुआ। अगर वास्तव में आवासन मण्डल में धांधली हो रही है और जिनका अधिकार था सलेक्शन का, योग्यता के आधार पर जिनका चयन करना था उनका चयन न किया जाकर मनमाने तरीके से अपने निजी तरीके से उनका चयन किया जा रहा है, तो यह वास्तव में एक ऐसा मसला है जिस पर विचार होना चाहिए, यह मानवीय दृष्टिकोण है। इस मसले पर मन्त्री महोदय या राज्य मन्त्री जो यहां बैठे हुए हैं, बताने की कृपा करें। आवासन मण्डल में सिंधी जाति के कितने लोग लगाए गए हैं, यह देखना पड़ेगा, राज्य सरकार को देखना चाहिए और जिनके अधिकारों पर कुठारघात किया जा रहा है, उनको हम संरक्षण देना चाहिए। इस परीक्षा को कैंसिल करवाया जाए या पोस्टपोन करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मन्त्री महोदय जवाब देने को तैयार हैं, उनसे जवाब दिलाया जाए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। माननीय वर्माजी, माननीय ओमप्रकाश जी, माननीय हरीश जी, बिराजिए।

श्री हरिश शर्मा : 500 आदमियों के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार मौन रह जाए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जब से आवासन मण्डल

(श्री हरीश शर्मा)

बना है वे लोग वहां सेवा करते आए हैं, उनके हकों पर कुठाराघात करके अपने आदमी भर लें और सरकार मौन रहे, यह नहीं हो सकता। सरकार जवाब दे, हम जवाब चाहते हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मन्त्री महोदय विराज मान हैं। जवाब दिलाया जाए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जनता विधायक दल के उपनेता श्री सुराणा आ गए हैं। उनसे कहें कि जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए। श्री दाऊदयाल जोशी आसन पैरों पर है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (विद्युत मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूं। रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उससे संबंधित स्वायत्त शासन मंत्री यहां नहीं। हैं उन्हें सूचना भेजी जाए, उनके ध्यान में आ जाए, इसकी व्यवस्था की जायेगी। आध घण्टे पौने-घंटे में आ जाएं उनकी बातचीत हो जाए, तो फिर प्रत्युत्तर हो जाये। उनको बुलाया जा रहा है।

(व्यवधान)

कोलायत से आने वाले सदस्य जोर जोर से कह रहे हैं। एक सवाल एवरप्ट उठाया गया है। स्वायत्त मन्त्री को सूचना भेजी है, वह आ जायेंगे, तो प्रत्युत्तर जो होगा दिया जाएगा। इसलिये आगे की कार्यवाही को आप लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री भंवरलाल ऐरन : राज्य मन्त्री से उत्तर दिलवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कम से कम मन्त्री महोदय को स्थिति के बारे में जानकारी तो लेने दें। उत्तर देने से पूर्व जानकारी लेना चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सिंचाई मन्त्री ने कहा है कि उत्तर दिया जायेगा तो समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने सुझाव दिया है। मैं गौर करूंगा।

श्री शंकरलाल : आसन को जवाब थोड़े ही देना है, स्वायत्त शासन मन्त्री के लिए समय मांग रहे हैं। वह जवाब देंगे, तो आसन को क्या एतराज हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे अधिकार है कि अगर कोई माननीय सदस्य सुझाव दें तो उस पर गौर करूं, उसके बाद विवेक बना कर निर्णय दूं।

श्री शंकरलाल : आपको क्या सुझाव देना है ?

श्री उपाध्यक्ष : वह बोलना चाहते हैं तो उनको अधिकार है, बोल सकते हैं। कृपया विराजिए।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आइटम नं० 2 के अनुसार विद्युत मन्त्री जी ने 1977-78 का प्रतिवेदन आज रखा है जब कि आज 1979 की 17 मार्च है। 1978-79 का जो पीरियड था वह 31 मार्च तक समाप्त होगा। अब उसमें वर्ड्स यह हैं : Section 75 : The Board shall, as soon as may be, after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government in such form as may be prescribed a report giving an account of its activities during the previous financial year and the report shall also give an account of activities, if any, which are likely to be undertaken by the Board in the next financial year; and the State Government shall cause every such report to be laid before the Legislature as soon as may be after it is received by the State Government."

आज 31 मार्च, 1978 को वर्ष समाप्त हो गया और आपने पूरे 8 महीने तक, पिछला सैशन हुआ, 4 नवम्बर से और 21 नवम्बर तक चला उसमें भी इस प्रतिवेदन को नहीं रखा और आज जब 1978-79 का पीरियड समाप्त हो रहा है उस समय आप अपना प्रतिवेदन पेश कर रहे हैं। यह सैक्शन जो 75 है, राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 का सैक्शन 75(1) है उसमें लिखा है :

'It should be laid as soon as possible.''

यह बिल्कुल गलत है कि आप इतने समय के बाद रखें। आपने पहले भी निर्णय दिया था कि यह प्रतिवेदन और रिपोर्ट्स जल्दी रखी जानी चाहिये। उस निर्णय के बावजूद विद्युत मंत्री जी बराबर अवहेलना कर रहे हैं। पहले आपका निर्णय हो चुका है और आपने निर्णय दिया था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आये हुए माननीय विधायक ने जो सवाल उठाया पिछली बार भी हमने जानकारी दी थी कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही यह प्रतिवेदन, आडिट रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदन आदि यहां सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। उसके पहले कभी नहीं किये गए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : He should withdraw these words.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :....और बैक लाक है उसको हम जल्दी से जल्दी दूर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले से इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हो रही है। माननीय डागा जी, यह आप मानेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : 11 महीने के बाद रिपोर्ट रखते हैं यह प्रगति है इनकी।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 (1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1977--78 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति दी जाती है। याचिका का उपस्थापन

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हैं। अब 1979--80 का बजट चल रहा है तो 1978--79 की रिपोर्ट कब देंगे?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आडिट रिपोर्ट जल्दी लाने की कोशिश की जायगी।

श्री शंकरलाल : जब बजट डिएकस होना है तो उसके प्रीसिडिंग ईयर की वार्षिक रिपोर्ट पेश होती है। यह भी गलत है कि पहले पेश नहीं होती थी। 1978-79 की रिपोर्ट आने के बाद हो जो विद्युत डिमाण्ड है उस पर डिएकसन हो सकता है। आप 1977-78 की पेश कर रहे हैं तो 1978-79 की कब पेश करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन।

श्री मूलचन्द डागा : 11 महीने के बाद रखने पर भी आप इनको ताड़ना नहीं देते तो यह तो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है।

श्री उपाध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन श्री लालूदास

याचिका का उपस्थापन

फलासिया तहसील के बाड़ाहलदू में तालाब निर्माण

श्री लालूदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील फलासिया के ग्राम बाड़ाहलदू में तालाब निर्माण कराने के सम्बन्ध में सात याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आबकारी मन्त्री।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांग से सम्बन्धित विभाग का प्रगति विवरण

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। कल भी व्यवस्था हुई थी कि दो मांगों के ऊपर चर्चा होगी आज आबकारी और पुलिस विभाग की मांगों पर। आबकारी का प्रतिवेदन हमको किसी को भी नहीं मिला है। हम किस पर चर्चा करें ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह 2 तारीख को ही सरकुलेट हो गया है।

श्री मूलचन्द डागा : हमें नहीं मिला।

श्री रघुनन्दन व्यास : डागा जी पढ़ कर नहीं आते और यहां अपनी कमजोरी को प्रगट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी।

राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पाइन्ट आफ आर्डर है और वह पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि कल माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने कहा था कि एक दो दिन में शराबबंदी की घोषणा होगी। आज आबकारी की डिमाण्ड है। शराबबन्दी होनी चाहिए या नही होनी चाहिए यह इससे बहुत सम्बन्धित है क्योंकि यदि शराब बन्द हो जाती है तो कितना स्टाफ रखना पड़ेगा कितना नहीं, वह दूसरी बात है और अगर नहीं होती है तो डिमाण्ड का स्वरूप ही दूसरा होगा। इसलिए डिमाण्ड जो अभी आप रखने जा रहे हैं अगर यह यों की यों डिफ्रुस होती है तो इसका मतलब यह है कि आप शराबबन्दी नहीं करना चाहते हैं और अगर करना चाहते हैं तो डिमाण्ड दूसरी तरह की होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि क्या वित्त मन्त्री जी सरकार के भुलावे में तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि यह डिमाण्ड पेश कर पास करा देंगे तो फिर शराब बन्दी क्या होगी ? शराब बन्दी होगी या नहीं होगी, इसका स्पष्टीकरण हो जावे और उसके बाद आबकारी की डिमाण्ड रखी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी को डिमाण्ड पेश करने का अधिकार है और वह सदन में डिमाण्ड प्रस्तुत करेंगे। मैं आपके पाइन्ट आफ आर्डर को नहीं मानता हूं।

वित्त मन्त्री जी।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 13-आबकारी व मांग संख्या 16-पुलिस

श्री आदित्येन्द्र (आबकारी मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,44,33,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये :

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्री जी

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,65,44,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 13 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक आबकारी के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (करासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

1. गंगानगर शुगर फैक्ट्री से आबकारी विभाग को प्रति वर्ष होने वाली आय के औचित्य पर चर्चा के लिये।

2. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : शराब बन्दी किये गये क्षेत्रों में बन रही नाजायज शराब को बन्द करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

3. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : गांवों में जगह-जगह पर निकलने वाली गैर कानूनी शराब को नहीं रोक पाने तथा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत पर चर्चा के लिये।

4. **श्री जगदीशचन्द्र शर्मा** (रतनगढ़) : सम्पूर्ण राज्य में नशाबन्दी लागू करने की पर्याप्त तैयारी न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़)

5. विभाग के अधिकारी नाजायज शराब बनाने को रोकने के अपने कार्य में असफल रहे इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरचंदसिंह (पीलीबंगा)

श्री आलम अली खां (फतेहपुर)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

6. राज्य में पूर्ण नशाबन्दी करने एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार उन्मूलन किये जाने पर चर्चा के लिये।

7. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : आबकारी विभाग की मद्य निषेध क्षेत्रों में चौकसी न किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

8. **श्री हजारीमल सारण** (सरदार शहर) : नशाबन्दी किये गये क्षेत्रों में नाजायज शराब बनाने के मामलों में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये।

74

9. **श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़)** : सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शराबबन्दी के संबंध में तथा पोस्त की खुली बिक्री को रोकने के संबंध में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीतसिंह (टोंक)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

10. आबकारी अधिकारियों का शराबबन्दी पर उचित ध्यान न देने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

11. सूखा क्षेत्र में सैकड़ों घरों में नाजायज शराब बनती है तथा पी जाती है इसको रोकने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

12. **श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़)** : शराब की आय को पतित आय तथा विनाश की जननी मान कर तुरन्त बन्द कराने हेतु चर्चा के लिये।

13. **श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत)** : शराबबन्दी क्षेत्रों में शराब खुले आम मिलने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

14. **श्री अब्दुल अजीज (मकराना)** : शराब उत्पादन शुल्क मौजूदा दर से दस गुना कर दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरचंद (पिड़ावा)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

15. गलत आबकारी नीति से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

16. **श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां)**: शराबबन्दी क्षेत्रों में खुले रूप में शराब मिलने पर चर्चा के लिये।

17. **श्री शिवचरण सिंह (बयाना)** : आबकारी विभाग की शिथिलता के कारण नाजायज शराब बनाने व शराब में होने वाली मिलावट से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

18. **श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर)** : राज्य में प्रथम अप्रेल, 1979 से पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. जिन जिलों में शराबबन्दी हुई है उन जिलों में राज्य की कमजोर और विवेकहीन नीति के कारण अवैध शराब का निर्माण और बिक्री को बढ़ावा मिला जिस पर असन्तोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये।

20. **श्री वंशीलाल सारस्वत (नागौर)**: आबकारी विभाग में दक्षता के आधार निर्धारित करने व मितव्ययता की आवश्यकता के अभाव से उचित उपलब्धि प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ)

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी)

श्री ईश्वरसिंह (पिड़ावा)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री बजरंगलाल शर्मा (वनीपार्क, जयपुर)

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

श्री हीरालाल आर्या (पीपल्दा)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (पावली)

श्री ओंकारलाल चौहान (ग्रटरू)

21. पूर्ण रूप से सम्पूर्ण प्रान्त में नशाबन्दी लागू किये जाने पर चर्चा के लिये।

22. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आबकारी अधिकारियों के बारे में शराबबन्दी जिलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई में देरी करने पर चर्चा के लिये।

23. राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी की क्रियान्विति एक अप्रेल, 1979 से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. श्री हीरालाल आर्या (पीपदाल) : नायब तहसील, इन्द्रगढ़, जो कि बूंदी तथा टौंक ड्राइ एरिया से घिरा है, में अविलम्ब नशाबन्दी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. श्री बहादुर सिंह (नौहर) : राज्य आबकारी शुल्क बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : आबकारी विभाग में व्याप्त अनियमितता तथा आबकारी की दुकानों को स्कूलों, मंदिरों से दूर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. राजस्थान में पूर्णतया शराबबन्दी शनैः शनैः किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : बढ़ते हुए अवैध शराब बनाने के धन्धे को रोकने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के के लिये।

29. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) राज्य में पूर्ण शराबबन्दी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) : आबकारी विभाग द्वारा नशीले पदार्थों के विक्रेताओं की सही व्यवस्था न करने तथा उससे उत्पन्न असन्तोष के बारे में चर्चा के के लिये।

(76)

31. **श्री बालकृष्ण थानवी** (फलौदी) : एक अप्रेल, 1979 से सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश में पूर्ण शराबबन्दी लागू करने की घोषणा न की जाने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचंद सामरिया (दौसा)

श्री विजयसिंह नवेरा (बांदीकुई)

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा)

32. आबकारी विभाग में व्याप्त धांधली पर चर्चा के लिये।

33. राजस्थान के जयपुर जिले में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने के बारे में चर्चा के लिये।

34. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): राज्य में पूर्ण नशाबन्दी लागू नहीं किये जाने के संबध में चर्चा के लिये।

35. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): टोंक जिले में पूर्ण शराबबन्दी होने पर भी विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से शराब की अवैध बिक्री पर चर्चा के लिये।

36. **श्री जगतारसिंह कंग** (करणपुर): मदिरा उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : रामगंज मंडी तहसील के मजदूर क्षेत्र में बिकने वाली अवैध शराब को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

38. **श्री हरीकृष्ण** (नदबई) : नशीली वस्तुओं पर उत्पादन कर अधिक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री ईश्वरचंद्र (पिड़ावा)

39. सम्पूर्ण राजस्थान में 1 अप्रेल, 1979 से शराबबन्दी कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. शराबबन्दी क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री को रोकने में विभाग की अकुशलता के संबंध में चर्चा के लिये।

41. **श्री नरपतसिंह बरवड़** (सूरसागर): आबकारी विभाग के कार्य में सुधार की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

42. **श्री वृद्धिचंद जैन** (बाड़मेर) : दिनांक 1 अप्रेल, 1979 से सम्पूर्ण नशाबन्दी राज्य द्वारा लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा के लिये।

44. आबकारी विभाग अवैध शराब के निर्माण, विक्रय एवं प्रयोग को रोकने में बिल्कुल असफल रहा है इस पर चर्चा के लिये।

45. **मेजर श्री फतहसिंह** (भीम) : पहली अप्रेल, 1979 से समस्त राज्य में पूर्ण नशाबन्दी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. **श्री करतारसिंह** (किशनगढ़): राज्य में नशाबन्दी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. **श्री नूरा** (मसूदा) : हाथ से बनी अवैध शराब पीने से होने वाली मौतों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा)

48. रामगंज मण्डी तहसील में अवैध शराब की अनेक दुकानों के जाल को रोकने में विभाग की निष्क्रियता, पर चर्चा के लिये।

49. **श्री गोपालसिंह** (खण्डेला) : शराब बिक्री का काम श्री गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा करा कर भयंकर घाटा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)

50. प्रान्त में शराबबन्दी की घोषणा नहीं कर सरकार सामाजिक बुराई को समाप्त करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

51. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : शराब की गांव-गांव में निकलने वाली भट्टियां बन्द करने हेतु विशेष दस्ते तैनात करने हेतु चर्चा के लिये।

52. **श्री नाथूराम** (बागीदोरा) : मद्य निषेध के बारे में सरकार द्वारा किये जा रहे विलम्बकारी प्रयासों पर चर्चा के लिये।

53. **श्री जयकृष्ण शर्मा** (रामगढ़) : राजस्थान सरकार की मद्य निषेध नीति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

54. **श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : राजस्थान में शराबबन्दी तुरन्त लागू कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. **श्री सुरेशकुमार** (भरतपुर) : आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

56. **श्री मूलचंद डागा** (पाली) : आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

57. राजस्थान में अफीम, गांजा, चरस कतई बन्द होना चाहिये, ताकि यहां का नागरिक मजबूत, सशक्त बन सके, इस पर चर्चा के लिये।

58. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर): मदिरा सेवनकर्ता अधिकारियों को विभाग में न रखने एवं विभाग में अन्य कारगर सुधार कर इसे पुनर्गठित करने पर चर्चा के लिये।

59. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार) : सवाई माधोपुर जिले में शराब के ठेकेदारों द्वारा गांव-गांव, घर-घर में कार्यरत एजेन्सियों को हटाने की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

60. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : गंगानगर शुगर मिल्स की मोलेसेज से स्प्रिट बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

61. श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़): गांवों में कच्ची शराब को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

62. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): ग्रामीण क्षेत्रो में बन रही अवैध शराब को नहीं रोक पाने पर चर्चा के लिये ।

63. ग्राम रायधना तहसील लाडनू जिला नागौर में बन रही अवैध शराब को नहीं पकड़े जाने पर चर्चा के लिये ।

64. श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) : गांवों व शहरों में निकलने वाली अवैध शराब की रोकथाम बाबत चर्चा के लिये ।

65. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : मद्य निषेध क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मद्य निषेध नहीं होने संबंधी विषय पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

66. वित्त मन्त्री की पूर्व घोषणानुसार 1 अप्रेल, 1976 से नशाबन्दी न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

67. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : शराबबन्दी वाले जिलों में अवैध शराब की बिक्री को रोकने में आबकारी विभाग की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये ।

68. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : राज्य उत्पादन शुल्क लगा कर बिक्री कर को समाप्त करने पर चर्चा के लिये ।

69. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : आबकारी विभाग का कार्य नियंत्रण के बाहर होने पर चर्चा के लिये ।

70. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं): राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति आबकारी निरीक्षक के पद पर करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

71. राजस्थान में अवैध शराब से उत्पन्न स्थिति एवं उसके सुधार के संबंध में चर्चा के लिये ।

72 श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व विभाग की उद्देश्यहीनता पर चर्चा के लिये ।

73. श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : राज्य में नाजायज शराब निकालने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये ।

74. **श्री अयूब खां (तिजारा)** : राज्य में पूर्ण नशाबन्दी लागू किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

75. **श्री मथुरादास माथुर** (डीडवाना): सरकार की मद्य निषेध की नीति पर चर्चा के लिये ।

76. **श्री वृद्धिचंद जैन** (बाड़मेर) : राज्य की मद्य निषेध की नीति पर चर्चा के लिये ।

77. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डल-गढ़) : सैल्स टैक्स आबकारी की आय को पूरी करने के लिये ही लगाया गया था, अतः तुरन्त शराबबन्दी करने पर चर्चा के लिये ।

78. **श्री शशीराम ओला** (पिलानी) : आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नाजायज शराब बिकवाने की सरकारी अधिकारियों की मिली भगत पर चर्चा के लिये ।

79. अप्रेल, 1979 से राजस्थान में शराबबन्दी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

80. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदार-पुरा) : वर्तमान आबकारी व्यवस्था में मानव चरित्र, संस्कारों के निर्माण हेतु सुधार पर चर्चा के लिये ।

81. **श्री मेघराज पंवार** (चुरू) : ड्राइ-एरिया घोषित क्षेत्रों में खुली शराब की भट्टियां चालू रखने तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत के संबंध में चर्चा के लिये ।

82. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) : जिन क्षेत्रों में दारुबंदी हुई है उसके प्रभाव पर चर्चा के लिये ।

83. राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

84. राजस्थान में अफीम की खेती पर विभागीय नियंत्रण के अभाव पर चर्चा के लिये ।

85. आबकारी में होने वाली चोरी को रोके जाने पर चर्चा के लिये ।

86. **श्री विजयसिंह नदेरा** (गान्दीकुई): शराबबन्दी को राजनैतिक स्टंट न बना कर सामाजिक बुराई के रूप में ही लिये जाने पर चर्चा के लिये ।

87. शराबबन्दी से राज्य को लगभग चालीस करोड़ का नुकसान होगा, इस पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 16, शीर्ष पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

(80)

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

1. जयपुर नगर में फ्लाइंग स्क्वा के साथ एम्बूलेन्स गाड़ी दुर्घटना स्थल पर एक साथ पहुंचे, इस पर चर्चा के लिये।

2. जयपुर नगर में पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये।

3. पुलिस कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. जयपुर नगर के प्रत्येक थाने पर गाड़ी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. जयपुर नगर की आबादी के अनुपात में थानों की संख्या बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये।

6. **श्री मूलचंद डागा** (पाली) : पुलिस भी इन्वेस्टीगेशन के दौरान थर्ड डिग्री मैथड्स काम में ले रही है उसके कारणों पर चर्चा के लिये।

7. पुलिस को केवल चौकीदार ही समझ रखा है उसकी प्रतिष्ठा बनाये रखने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

8. अपराधों की वृद्धि रोकने में पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय एवं निकम्मी साबित हुई है इस पर चर्चा के लिये।

9. कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की पूर्ण रूप से असफलता पर चर्चा के लिये।

10. पुलिस जनता का विश्वास प्राप्त करने से असफल रही इसके कारणों पर चर्चा के लिये।

11. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : पुलिस द्वारा मामलों की तफतीश में निर्दोष लोगों को फंसा देने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री डूंगरराम पंवार (टी. वी.)

श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा)

12. पुलिस प्रशासन को सुधारने एवं विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : पुलिस विभाग को चुस्त बनाये जाने की आवश्यकता बाबत चर्चा के लिये।

(श्री सूरजपालसिंह)

14. पुलिस कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधायें पर्याप्त न होने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)

श्री नूरा (मसूदा)

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा)

15. पुलिस विभाग के भ्रष्ट थानेदारों को अविलम्ब निलम्बित एवं सेवा मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा)

श्री नूरा (मसूदा)

16. डेगाना, जिला नागौर के थानेदार के भ्रष्ट आचरण से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

17. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : बायतू पुलिस स्टेशन के हैड कांस्टेबल एवं अन्य कांस्टेबलों द्वारा जबरदस्ती शराब पिला कर झूठा मुकदमा प्रोहिबिशन एक्ट के अन्तर्गत बनाने के कारण ग्रामीण जनता में असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये।

18. श्री शिवनारायण (थानागाजी) : घाटा बांदरोल से हटाई गई पुलिस चौकी को तुरन्त खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

19. पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): पुलिस संगठन का आधुनिकीकरण किये जाने में शासन की असफलता पर चर्चा के लिए।

21. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : पुलिस व्यवस्था को पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. श्री हजारी मल सारण (सरदार शहर) : पुलिस प्रशासन में सुधार व अनुसन्धान के तरीके बदलने के सम्बन्ध में।

श्री भैरू लाल गौरवा (शाहपुरा)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

23. माह फरवरी 1979 में कोढ़िया ग्राम तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में मालियों द्वारा घास जलाने से सम्बन्धित एफ. आई. आर. पर कुछ भी न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. **श्री परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़) : राज्य में पुलिस की अकर्मण्यता के कारण कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति पर चर्चा के लिए।

25. पुलिस विभाग की नियुक्तियों में पक्षपात करने एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़)

26. थानों की दयनीय दशा और उनमें स्टेशनरी फर्नीचर की कोई व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

श्री श्योपत सिंह मक्कासर (हनुमानगढ़)

27. पुलिस में भ्रष्टाचार, पक्षपात, दलाली व व्यक्तियों के जरिये धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिए।

28. पुलिस कर्मचारियों की दयनीय दशा सुधारने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा)

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री आलम अली खां (फतहपुर)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

29. पुलिस जवानों की संख्या में वृद्धि एवं उनके कार्य करने की सुविधाओं में वृद्धि की जावे तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार कर भ्रष्टाचार की समाप्ति की जावे इस पर चर्चा के लिये।

30. **श्री गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़) : सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नये पुलिस स्टेशन व चौकियां बनाने एवं पुलिस को आधुनिकतम यन्त्रों से सुसज्जित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

31. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने की चर्चा के लिये।

श्री अजीतसिंह (टौंक)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

32. पुलिस में पार्ट टाइम चौकीदारों की नियुक्ति के बारे में चर्चा के लिए।

33. जनसंख्या के आधार पर पुलिस फोर्स बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. **श्री करतार सिंह** (किशनगढ़) : पुलिस विभाग में जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर जन प्रतिनिधियों की सलाहकार समितियां बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. पुलिस विभाग द्वारा लोक वाहनों की नियमानुसार चैकिंग न करने के फलस्वरूप राज्य में हो रही दिन प्रतिदिन की दुर्घटनाओं से आम नागरिकों को होने वाली जन एवं धन की निरंतर क्षति पर चर्चा के लिए।

(श्री करतार सिंह)

36. राज्य में निरंतर बढ़ रहे अपराधों के फलस्वरूप ग्राम नागरिकों में भय एवं असुरक्षा की भावना पैदा होती जा रही है, इस पर चर्चा के लिए।

37. पुलिस विभाग को पुनर्गठित कर अधिक कारगर एवं सशक्त बनाने बाबत चर्चा के लिए।

38. पुलिस विभाग में कार्यरत नीचे की श्रेणी के पुलिस कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन, भत्ते एवं सुविधायें न दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

39. जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी न किये जाने के फलस्वरूप अपराधों में निरन्तर होती जा रही वृद्धि पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

40. पुलिस कर्मचारी संघ को सरकार द्वारा मान्यता नहीं दिये जाने एवं उनका विक्टीमाइजेशन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. पुलिस द्वारा जनता की रक्षा करने की अपेक्षा स्वयं असुरक्षा करने वालों को संरक्षण देना व स्वयं को भी अपराध में लिप्त करने पर चर्चा के लिए।

42. कोठारिया में हुई अस्वाभाविक मृत्यु के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

43. पुलिस थाना खमनोर में हुई रहस्यमय मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

44. तफतीश हेतु प्रत्येक थानों और विशेष तौर से ग्रामीण थानों पर जीप गाड़ी व वायरलैस उपकरण उपलब्ध कराने व अन्य सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)

45. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्रभावी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माणक चन्द ठाकोर (नैनवा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

46 पुलिस द्वारा किये गये दमन से सम्बन्धित जांच प्रतिवेदनों की अनुपालना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(84)

47, **श्री मनोहर सिंह मेहता** (मांडल गढ़) : पुलिस में बहुत चरित्रवान व्यक्तियों को ही लिया जाये और शराबी को तुरन्त बर्खास्त करने की चर्चा के लिये।

48. **श्री रतना राम चौधरी** (रानी वाड़ा) : पुलिस कर्मचारियों की दयनीय दशा सुधारने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

49. थानों की दयनीय दशा सुधारने व चौकियां पक्की बनाने बाबत चर्चा के लिये।

50. **श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत) : पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिये।

51. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : साम्प्रदायिक झगड़ों को खतम करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को दो माह की ट्रेनिंग दी जावे इस पर चर्चा के लिए।

52. पुलिस कांस्टेबल की तनख्वाह 25 प्रतिशत बढ़ा कर रिश्वत बन्द की जावे इस पर चर्चा के लिये।

53. पुलिस थाना मकराना में सभी वर्गों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

54. पुलिस की भर्ती में सभी वर्गों के सिपाही रखे जावें इस पर चर्चा के लिए।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

55. नये पुलिस थाने खोलने व चौकियों को सक्षम करने हेतु चर्चा के लिए।

56. पुलिस कर्मचारियों को यूनियन बनाने के अधिकार दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

57. पुलिस के बड़े अफसरों व कांस्टेबल के बीच वेतनमान के भारी अन्तर को कम करने की चर्चा के लिये।

58. पिड़ावा क्षेत्र में पुलिस के निकम्मेपन से बढ़ रहे अपराधों की चर्चा के लिए।

59. **श्री रणजीत सिंह राठौड़** (ओसियां) : पुलिस की अकर्मण्यता से बढ़ती हुई चोरियों, कत्ल व डकैतियों पर चर्चा के लिए।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल)

60. सिरोही में पुलिस कर्मचारियों को और सुविधा दिलाने हेतु पुलिस स्टेशनों के पुनर्गठन पर चर्चा के लिये।

61. **श्री शिवचरण** (थानागाजी) : पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने, विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. **श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) :** राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था पर नियन्त्रण करने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

63. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी) : तालेड़ा, देवपुरा, कोटा डेम आदि थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता को होने वाली भारी परेशानी पर चर्चा के लिये।

64. पुलिस की अकर्मण्यता से जनता को भारी परेशानी व चोरी, डकैती की वारदातें बढ़ने व तालेड़ा के सब इन्सपेक्टर द्वारा हजारों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बन्शी लाल सारस्वत (नागौर)

श्री औंकार लाल चौहान (अटरू)

65. पुलिस सेवा में सुधार, उपादेयता एवं पुनर्निर्माण तथा वैज्ञानिक अन्वेषण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : राज्य में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने में पुलिस विभाग की असफलता व अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

67. पाली में श्रमिकों व आम जनता पर हुए लाठी चार्ज की घटना की जांच न कराने की चर्चा के लिये।

68. **श्री गोपाल सिंह** (खण्डेला) : राजस्थान की पुलिस में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार पनप रहा है इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. पुलिस के सिपाहियों की कम तनख्वाह के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. खण्डेला (सीकर) थाने के अन्तर्गत गोरियां, गोविन्दपुरा स्थानों पर पुलिस चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. प्रान्त में बढ़ते हुए अपराधों तथा कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने में पुलिस की असफलता के संबंध में चर्चा के लिए।

72. **श्री श्योपत सिंह मक्कासर** (हनुमानगढ़) : पुलिस प्रशासन पर होने वाले खर्चे को कम किया जावे, छोटे कर्मचारियों की वेतन दर बढ़ाई जावे तथा बड़े पदों को समाप्त किये जाने पर चर्चा के लिये।

73. पुलिस अधिकारियों पर होम डिस्ट्रिक्ट की लगी पावन्दी को हटाया जावे इस पर चर्चा के लिये।

74. पुलिस के सिपाहियों तथा हैड कांस्टेबल्स की वर्दी तथा मैस अलाउन्स को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

(86)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

श्री गुणवन्त कुमारी (बैराठ)

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

श्री राम प्रसाद लड्ढा (मांडल)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा)

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)

श्री आलम अली खां(फतहपुर)

75. तफतीश हेतु प्रत्येक थानों और विशेष तौर पर ग्रामीण थानों पर आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : पुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच के कत्ल की तफतीश सी. बी. आई. को सुपुर्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. राज्य में जुर्मों की बढ़ोतरी, कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत को सुधारने हेतु वर्तमान पुलिस प्रशासन के पुनर्गठन पर चर्चा के लिये।

78. पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों के निपटारों के बारे में सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाने पर चर्चा के लिए।

79. **श्री टीकम चन्द कान्त** (जालौर): सामाजिक सुधार एवं जन कल्याण कार्यों में पुलिस की आवश्यक भूमिका हेतु व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. प्रत्येक पुलिस थाने पर जीप एवं जहाँ टेलीफोन उपलब्ध न हो वहां टेलीफोन सुविधा प्रदान कराने हेतु चर्चा के लिये।

81. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : पुलिस द्वारा 12 अक्टूबर, 1977 को खजूरी जिला भीलवाड़ा में हुई 1 लाख की चोरी बरामद न करने के कारणों पर चर्चा के लिए।

82. पुलिस विभाग के कर्मचारियों के कम वेतनमान से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

83. राजस्थान के अन्दर कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।

84 राजस्थान के अन्दर बढ़ती हुई चोरियों तथा पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

85. **मेजर श्री फतह सिंह** (भीम) : अपराधों के अनुसंधान में पुलिस के कार्यों में नेताओं के अनावश्यक हस्तक्षेप से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

86. **श्री शिवनारायण** (थानागाजी) : पुलिस में जनता के विश्वास के अभाव के कारणों पर चर्चा के लिये।

87. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : कानून व्यवस्था के सुधार हेतु पुलिस फोर्स बढ़ाई जावे एवं पुलिस जवानों को अधिक आर्थिक सुविधायें प्रदान कर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जावे।तथा पुलिस को आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

88. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : पुलिस विभाग के आतंक तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

89. प्रत्येक थाने पर जीप की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

90. पीपल्दा कलां तथा ढींपरी (चम्बल) में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. सिपाहियों का वेतन-मान बढ़ाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

92. इटावा तथा मांगरोल में नवीन पुलिस स्टेशन भवन बनाने की आवश्यकता होने पर भी विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिए।

93. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : पुलिस प्रशासन को दक्ष, ईमानदार तथा संवेदनशील बनाने हेतु चर्चा के लिए।

94 श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद): प्रदेश में और विशेषतया नसीराबाद क्षेत्र में कानून व व्यवस्था की बिगड़ी हुई हालत पर चर्चा के लिये।

95. पुलिस प्रशासन को अधिक सक्रिय बनाने हेतु चर्चा के लिए।

96. नसीराबाद नगर में थाने को पुनः मुख्य बाजार में खोले जाने हेतु चर्चा के लिए।

97. श्री डूंगर राम पंवार (टी. बी.): नवलगढ़ में हरिजन व उसके लड़के पर नगरपालिका में सफाई निरीक्षक व पुलिस द्वारा किये गए अत्याचार पर चर्चा के लिए।

98. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : झुन्झुनू जिले के पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

99, पुलिस प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक कर जनता को राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिए।

101. पुलिस में विभागीय पदोन्नतियां सीधी भर्ती की तथा ट्रेनिंग स्कूलों की अव्यवस्था को रोकने तथा पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने की चर्चा के लिये।

102 श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : वर्तमान पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थान पर नवीन नियुक्तियां कर आर्थिक ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता तथा गोविन्दगढ़ (पुष्कर) एवं अरड़का ग्राम में पुलिस चौकियां स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

103. श्री जय नारायण सालोदिया (निवाई) : पुलिस प्रशासन में ऊपर से नीचे तक सभी वर्गों में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

104. टौंक जिले में कत्ल, चोरियां, जेबकटी, उठाईगिरी व बदइन्तजामी बढ़ने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिए।

105. निवाई निर्वाचन क्षेत्र के थाने निवाई व बरौनी में दर्ज मामलों पर कार्यवाही तथा चोरियों की बरामदगी नहीं होने पर चर्चा के लिए।

106. श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : पुलिस कार्य प्रणाली तथा ट्रेफिक व्यवस्था के सुधार हेतु चर्चा के लिए।

107. श्री श्रवण लाल (हिण्डोन) : पुलिस की उदासीनता के कारण कानून एवं व्यवस्था की दिन प्रतिदिन बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. डा. गंगा सहाय (कठूमर) : शहरों में यातायात पुलिस की अकुशलता पर चर्चा के लिए।

109. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

110. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : सीमा से लगे हुए क्षेत्र, जिनमें हर वर्ष डकैती तथा कत्ल होते रहते हैं, में गश्त हेतु विशेष तथा कुम्हेर क्षेत्र की सीमा में पुलिस लगाने हेतु चर्चा के लिए।

111. वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) : पुलिस स्टाफ की कमी के कारण होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिए।

112. पुलिस प्रशासन में व्याप्त शिथिलता पर चर्चा के लिए।

श्री भैरू लाल बैरवा (शाहपुरा)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

श्री बाल चन्द आर्य (डग)

श्री राम प्रसाद लड्ढा (मांडल)

113. ढोकलिया ग्राम तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में एक लाख की चोरी एक वर्ष पूर्व हुई थी वह बरामद न होने पर चर्चा के लिए।

श्री भैरू लाल बैरवा (शाहपुरा)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री राम प्रसाद लड्ढा (मांडल)

114. श्री नगर (शाहपुरा) जिला भीलवाड़ा में दो वर्ष पूर्व हुई हत्या का सुराग न मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

115. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): पुलिस विभाग को सतर्क एवं सक्षम बनाने के लिए उचित कदम उठाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन)

श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा)

116. पुलिस में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए।

117. हिन्डौन सब डिविजन में पुलिस चोरियों को रोकने एवं बरामद करने में सफल नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिए।

118. जिला सवाई माधोपुर में चोरियां एवं डकैतियां रोकने में पुलिस की नाकामयाबी पर चर्चा के लिए।

119. पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

120. जिला सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति के साथ हो रहे अन्याय को रोकने में पुलिस की लापरवाही पर चर्चा के लिए।

121. विभाग द्वारा गुण्डागिर्दी एवं जन धन की रक्षा करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिए।

122. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची): पुलिस द्वारा निरअपराध लोगों को हथकड़ी लगाकर घुमाने से जनता में भय व आतंक की भावना व्याप्त होने पर चर्चा के लिए।

123. **श्री कल्याण सिंह सांखला** (अजमेर पूर्व) : पुलिस कर्मचारियों के कार्य घण्टे निर्धारित कर उन्हें जनता से उचित व्यवहार एवं जन रक्षा करने को बाध्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : अपराध प्रवृत्ति मिटाने एवं कारगर जांच प्रणाली अपनाने हेतु जन सहयोग लेने, तथा पृथक अनुसंधान शाखाएं स्थापित करने एवं अन्य सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : पुलिस तथा आर. ए. सी. के जवानों को सुविधा देने बाबत तथा बढ़ते हुए अपराधों की प्रवृत्ति रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

126 **श्री समरथलाल** (राजगढ़) : पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

(श्री समरथलाल)

127. अलवर जिले के रेणी ग्राम में पुलिस स्टेशन बनाने हेतु चर्चा के लिए।

128 पुलिस की निष्क्रियता के कारण पूरे राजस्थान में असुरक्षा की भावना व्याप्त होने पर चर्चा के लिए।

129. पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पूर्वापेक्षा दुगुना हो जाने से उत्पन्न स्थिति के क्रम में चर्चा के लिए।

130 श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : आई. पी. एस. व आर. पी. एस. अधिकारियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का पूर्ण प्रतिनिधित्व न होने के बारे में चर्चा के लिये।

131. पुलिस विभाग में एस. आई. से कम स्तर के लोगों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिए।

132. दौसा में एस. पी. कार्यालय न खोलने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

133. दौसा में ए. एस. पी. कार्यालय न खोलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

134. श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी): पुलिस सेवा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पुलिस सिपाहियों को अपर्याप्त वेतन दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई)

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा)

:

135. पुलिस विभाग में चुस्ती लाने हेतु एस. आई. स्तर से नीचे के पुलिस अधिकारियों को अधिक वेतन व सुविधायें प्रदान कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़)

136. मानपुर थाना इन्चार्ज द्वारा शराब पीकर जनता से बेहूदा व्यवहार तथा जनता को लगातार तंग किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

137. सिकराय तहसील में चार थानों के बजाय एक थाना कायम किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

138 एडीशनल एस. पी. का मुख्यालय दौसा में कायम किये जाने पर चर्चा के लिये।

139. मानपुर थाने के सारे शराबी स्टाफ को अविलम्ब बदले जाने हेतु चर्चा के लिए।

140. थाना मानपुर द्वारा भूतपूर्व प्रधान सिकराय की चोरी को अभी तक

(श्री रामकिशोर लड्ढा)

बरामद किए जाने से जनता में व्याप्त भय व चिन्ता पर चर्चा के लिए।

141. मानपुर थाने में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने बाबत चर्चा के लिए।

142. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : टोंक जिले के व निवाई थाने के थानेदारों, हैड मोहर्रियों व सिपाहियों आदि के बार-बार ट्रांसफर करने के कारण व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

143. निवाई निर्वाचन क्षेत्र के गांव डागयल में पुलिस चौकी के आदेश किये जाने पर भी चौकी कायम नहीं करने पर चर्चा के लिये।

144 टोंक जिले में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

145. टोंक जिले की पुलिस की नाजायज शराब बेचने वालों से मिली भगत के कारण पूर्ण शराब बन्दी होने पर भी शराब की खुली आम विक्री पर चर्चा के लिये।

146. टोंक जिले की पुलिस की चोरों, बदमाशों से सांठ-गांठ के कारण आम नागरिकों की जानमाल के खतरे पर चर्चा के लिए।

147. **श्री नाथूलाल** (घाटोल) : जिला बांसवाड़ा घाटोल क्षेत्र के गांव पड़ोली राठौर में एक पुलिस चौकी कायम करने पर चर्चा के लिए।

148. **श्री जगतारसिंह कंग** (करणपुर) : पुलिस हवालात में बन्द करने से पहले अभियुक्तों की पगड़ी उतारने पर एवं हवालात की गन्दी हालत पर चर्चा के लिए।

149. पुलिस स्टेशनों पर जीप एवं टेलीफोन तथा आधुनिक शस्त्र न देने से तफतीश में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए।

150. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : बीगोद तथा काछोला में थाने का मकान बनाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही तथा बड़लयास में पुलिस स्टेशन कायम करने के बारे में चर्चा के लिए।

151. **श्री परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़) : राजस्थान के पुलिस (अधीनस्थ) कर्मचारी वर्ग में व्यापक असन्तोष व्याप्त होने के विषय पर चर्चा के लिए।

152. **श्री रामदेव चौधरी** (मूण्डवा) : नागौर जिले में पुलिस कर्मचारियों के अनियमित स्थानान्तरण किये जाने के विषय पर चर्चा के लिए।

153. **श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी** (मावली): पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): रामगंज मण्डी की पुलिस अपराधियों से सांठगांठ तथा निष्क्रिय साबित होने पर भी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए।

155. **श्री नवलराय बच्चाणी** (अजमेर, पश्चिम) : अजमेर शहर में हो रहे सट्टे एवं

(श्री नवलराय बच्चाणी)

जुए को रोकने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

156. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : पुलिस थाना थोई (सीकर) क्षेत्र में हो रही चोरियों से जनता में व्याप्त भय की स्थिति पर चर्चा के लिए।

157. पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को उनके कार्य को देखते हुए सुविधाएं नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

158. पुलिस थाना श्रीमाधोपुर (सीकर) का क्षेत्र बड़ा होने से जुर्म ज्यादा होने पर भी रींगस में नया थाना नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

159. पुलिस थाना श्रीमाधोपुर, खण्डेला जिला सीकर में भवनों की व्यवस्था नहीं होने से पुलिस कर्मचारियों को जो असुविधा हो रही है। उस पर चर्चा के लिए।

160. पुलिस स्टेशन (थाना) में जीप नहीं होने से तत्परता से कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

161. श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : पुलिस बल को आधुनिक बनाया जावे एवं पुलिस की संख्या थानों में बढ़ाई जावे तथा पुलिस से भ्रष्टाचार समाप्त कराने पर चर्चा के लिए।

162. श्री हरीकृष्ण (नवबई) : पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु पुलिस कर्मचारियों का अन्य विभागों के समान वेतनमान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

163. पुलिस भर्ती में पिछड़े वर्ग, हरिजनों एवं अल्प संख्यक वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक एवं शारिरीक योग्यता तथा आयु सीमा में विशेष छूट देने पर चर्चा के लिए।

164. थानेदार के पदों पर हरिजनों की सीधी भर्ती में विशेष अवसर देने पर चर्चा के लिए।

165. प्रदेश में पुलिस आतंक समाप्त करने हेतु चर्चा के लिए।

166. केशोरायपाटन क्षेत्र के कापरेन रेलवे स्टेशन पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. पुलिस में भ्रष्टाचार की बढ़ रही गति को रोकने हेतु चर्चा के लिए।

168. केशोरायपाटन, कापरेन, सहकारी शुगर मिल केशोरायपाटन में पुलिस द्वारा की गई लाठी चार्ज की जांच करवाने हेतु चर्चा के लिए।

169. श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : पुलिस विभाग में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने हेतु चर्चा के लिए।

(श्री विज्ञान मोदी)

170. पुलिस प्रशासन को अधिक सक्षम तथा जनाभिमुख बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

171. अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सगठन बनाने का अधिकार देने हेतु चर्चा के लिए।

172. श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली): पुलिस प्रशासन में सुधार लाने व भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाने बाबत चर्चा के लिए।

173. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिये तहसील स्तर पर विशेष पुलिस तैनात करने की चर्चा के लिए।

174. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

पुलिस नीमकाथाना के नया बास और आस-पास के गांवों के मीणों द्वारा बाड़मेर जिले के बायत, भोंकलसर, जैसलमेर जिले के पोकरण फलसूंड और अन्य क्षेत्र में जीपों एवं कारों द्वारा लाखों रुपये की नकबजनी किये जाने के उपरान्त भी पुलिस विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कोई ठोस कदम न उठाने के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिए।

175. पुलिस विभाग के अन्य आय के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : भीम तहसील के ग्राम बार में पुलिस स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. श्री रावतराम (सुजानगढ़) : राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग के साथ पुलिस दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है, इसके सम्बन्ध में विचार करने हेतु चर्चा के लिए।

178. पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग को नियमानुसार भर्ती नहीं किया जा रहा है, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

179. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : पुलिस अव्यवस्था से चोरी व पुलिस द्वारा कमजोर वर्ग पर जुर्म करने से उत्पन्न समस्याओं बाबत चर्चा के लिए।

180. श्री जिथिंग (कुशलगढ़) : जिला बांसवाड़ा में पुलिस की निष्क्रियता से बढ़ती हुई चोरियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

181. श्री नूरा (मसूदा) : पुलिस विभाग में फैले सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के बाबत चर्चा के लिए।

182. आन्दोलन में पुलिस का उपयोग गलत तरीके से किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री माणकलाल टाफोर (नैनवा) :

183. रामगंज मंडी तहसील एव कोटा जिले में हत्यायें, डकैतियां, अपराध को रोकने हेतु पुलिस का पुनर्गठन पर चर्चा के लिए।

(९५)

184. श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : राजनैतिक दखल के कारण प्रोत में पुलिस की शक्ति व्यवस्था बनाये रखने में असफलता पर चर्चा के लिए ।

185. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : पुलिस के वेतनमान दुगुने किये जाय तथा उन्हें संगठन बनाने की छूट दिलाने हेतु चर्चा के लिए ।

186. पुलिस प्रशासन चुस्त बनाने हेतु चर्चा के लिए ।

187. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : पुलिस द्वारा ला एण्ड आर्डर की उचित व्यवस्था न किये जाने पर व उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए ।

188. पुलिस कर्मचारियों को सन्तोषजनक वेतन व अन्य सुविधायें न देने से उनमें व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए ।

189. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : पुलिस विभाग में होने वाली अनियमितताओं एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिए ।

190. श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : बढ़ती हुई अव्यवस्था असुरक्षा एवं अशान्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां)

श्री गुलमोहम्मद (जोहरी बाजार, जयपुर) :

191. डीग के डीवाई. एस.पी. के भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता से व्याप्त आंतक के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

192. कामां क्षेत्र की जनता पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने के बारे में चर्चा के लिए ।

193. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

194. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

195. श्री पदमसिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा): पुलिस कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

196. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों को अपने गृह जिले में नियुक्त किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए ।

197. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : सवाईमाधोपुर एवं खण्डार तहसील में हुई चोरी एवं पशु चोरियों के मामले में रोकथाम एवं कड़ी व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

198. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : जिस पुलिस स्टेशन पर ज्यादा चोरियां आदि हो उसके लिए जिम्मेदार स्थानिय पुलिस अधिकारी को ठहराया जाये, इस पर चर्चा के लिए ।

199. श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़) : पुलिस के सिपाहियों व थानेदार स्तर तक के

(श्री नत्थीसिंह)

कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी व अधिक सुविधायें दिलाने हेतु चर्चा के लिए।

200. पुलिस विभाग में व्याप्त अनुशासनहीनता को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. पुलिस कानून व व्यवस्था को बनाये रखने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिए।

202. पुलिस विभाग की रिश्वत खोरी व अत्याचारों को रोके जाने के लिए चर्चा के लिए।

203. पुलिस विभाग की शिथिलता व रिपोर्ट दर्ज न करने के क्रम में चर्चा के लिए।

204. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर द्वारा थाना लाडनूं में दर्ज कराये मामलों में चालान नहीं करने पर चर्चा के लिए।

205. थाना सुजानगढ़ छापर सांडवा जिला चूरू में दर्ज चोरी, डकैती तथा मुल्जिम नहीं पकड़े जाने पर चर्चा के लिए।

206. पुलिस की अकर्मण्यता के कारण चोरी के मामलों में माल बरामद न होने तथा मुल्जिम नहीं पकड़े जाने पर चर्चा के लिए।

207. श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) : पुलिस द्वारा जांच में वैज्ञानिक तरीके अख्तियार करने बाबत चर्चा के लिए।

208. ढाणी सुवाणा तहसील सरदार शहर पुलिस स्टेशन सरदार शहर के गहना व नकद पन्द्रह हजार के चोरी के मामले में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए।

209. पुलिस के सिपाहियों के वेतन बढ़ाने बाबत चर्चा के लिए।

210. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : राज्य में कानून और व्यवस्था की असन्तोषजनक स्थिति पर चर्चा के लिए।

211. ग्राम हीरा की ढाणी जिला बाड़मेर में डकैती की बरामदगी नहीं होने एवं प्रमुख डकैत को पकड़ने में असफलता पर चर्चा के लिए।

212. ग्राम नेवरी और घारलाई तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर के भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा आस-पास के समस्त क्षेत्रों में आंतक मचाने एवं पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए।

213. अपराधों की खोज की नवीनतम एवं सुचारू व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिए।

214. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश में कानून और व्यवस्था की निरन्तर गिरती हालत पर चर्चा करने के लिए।

215. निरन्तर बढ़ रहे अपराधों और पुलिस विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा करने के लिए।

216. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

217. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : ग्रामीण थानों में अव्यवस्था के सुधार के लिए पुलिस व्यवस्था में पुनर्गठन करने की चर्चा के लिए।

218. चौमूं थाने द्वारा कृषकों पर झूठे मुकदमें दर्ज कर गिरफ्तारियां करने से ग्राम जनता में असन्तोष होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

219. चौमूं थाने में मुतवातीर भैंसों की चोरियों से उत्पन्न स्थिति एवं रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

220. ग्रामीण थानों में अव्यवस्था, अपूर्ण स्टाफ एवं वाहनों के अभाव से जुर्मों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

221. राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एव पदोन्नति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

222. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : छात्रों पर चल रहे पुलिस केसेज वापस लेने पर चर्चा के लिए।

223. कानून व व्यवस्था को असामाजिक तत्व बिगाड़ रहे हैं, उन पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

224. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, निष्क्रियता व बर्बरता पर चर्चा के लिए।

225. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

226. श्री अयूब खां (तिजारा) : पुलिस के सिपाहियों की तनख्वाह, भत्ता और सुविधायें बढ़ाए जाने हेतु चर्चा के लिए।

227. श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : यातायात (ट्रेफिक) व्यवस्था को नियमित करने के विषय पर चर्चा के लिए।

228. पुलिस फोर्स के बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : बाड़मेर जिले के डाकू किशनदान को अभी तक गिरफ्तार न किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

230. बाड़मेर जिले के ग्राम हीरा की ढाणी में कानून एवं व्यवस्था को कायम रखने एवं शांति स्थापित करने के लिए पुलिस चौकी स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. ट्रेफिक को नियन्त्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : सी. आर. नं० 1, सन् 1979 थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर का चालान अदालत में नहीं करने पर चर्चा के लिए।

(श्री हरजीराम बुरडक)

233. तहसील लाडनूं के ग्राम मंगलपुरा काण्ड की फाइलों का अदालत में चालान नहीं करने पर चर्चा के लिये।

23४. श्री शीशराम ओला (पिलानी) : पुलिस विभाग की कानून एवं व्यवस्था कायम करने में असफलता पर चर्चा के लिए।

235. पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार से आम जनता में पुलिस के प्रति बढ़ते हुए असन्तोष की चर्चा के लिए।

236. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): भूतपूर्व जिला खाद्य निरीक्षक करौजी द्वारा सेम्पल चेन्ज करने के मामले में पुलिस को जानकारी देने के बाद भी कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए।

237. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : बाड़मेर जिले के ग्राम वायतू में हैड कान्सटेबल और अन्य सिपाहियों द्वारा मारपीट करने और प्रोहिबिशन एक्ट के अन्तर्गत जबरदस्ती शराब पिलाकर किसानों को हथकड़ी पहनाकर झूंठा मुकदमा करने के सम्बन्ध में एडीशनल एस. पी. (सी. आई. डी.) द्वारा जांच कर फाइनल रिपोर्ट दिलवाने के उपरान्त भी उनके और एस.एच.ओ. वायतू के विरुद्ध डिपार्टमेंट जांच कराने में विलम्ब किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

238. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : शास्त्रीनगर, जोधपुर में अधिक चोरियों की रोकथाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

239. मन्डोर में (जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र) पुलिस थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240. महामन्दिर पुलिस स्टेशन, जोधपुर के इन्चार्ज द्वारा नागरिकों को परेशान करने से विभाग के प्रति जनता में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिए।

241. शराब पीने और पिलाने की प्रवृत्ति को भ्रष्टाचार के आधार पर पुलिस द्वारा बढ़ावा देने पर चर्चा के लिए।

242. पुलिस विभाग में भ्रष्ट पृष्ठ भूमि रखने व ले अधिकारियों को जनसम्पर्क से सम्बन्धित पदों पर नहीं रखने की चर्चा के लिए।

243. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : चूरू जिले में अपराध की बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

244. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : घुवाला (मांडल) के पास हुई डकैती का पता लगाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

245. राजस्थान में चोरियों का पता लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पर चर्चा के लिए।

246. पुलिस स्टेशन पर टेलीफोन व आधुनिक साधन की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

247. चोरी का पता लगाने के लिये ट्रेन्ड कुत्ते रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

248. पुलिस व्यवस्था को सक्रिय व सक्षम बनाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

249. भीलवाड़ा की स्थानीय पुलिस द्वारा बिना मतलब से परेशान करने पर चर्चा के लिये।

250. क्षेत्र में एस. पी का दौरा माह में एक बार जन प्रतिनिधि के साथ होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. केसों का निपटारा शीघ्र कराने के सम्बन्ध में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

252. **श्री मूलचन्द डागा (पाली) :** पुलिस का उपयोग झूठे मुकदमे विरोधी पार्टियों के खिलाफ दर्ज करने व चलाने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

253. **श्री हजारीमल सारण** (सरदार-शहर) : सहायक पुलिस सब इन्सपेक्टर थाना सरदार शहर के खिलाफ पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा की गई वैमनस्यतापूर्ण कार्यवाही बावत चर्चा के लिए।

254. **श्री अयूब खां** (तिजारा) : पुलिस की व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हेतु चर्चा के लिए।

255. **श्री विजयसिंह नदेरा** (बांदीकुई) : पुलिस को वैज्ञानिक व नैतिक ढंग से सुदृढ़ संगठन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

256. पुलिस कर्मचारियों में बढ़ती हुई गुटबन्दी से कर्मचारियों में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिए।

257. पुलिस में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की चर्चा के लिए।

258. पुलिस सिपाही के गिरते हुए स्तर को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 13 व 16 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव कटौती प्रस्तावों पर चर्चा।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव है चर्चा शुरू करने के पहले क्योंकि अब दोनों ही डिमाण्ड मूव हो चुकी हैं। खास तौर से आबकारी पर जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने भी प्रश्न उठाया था और उपाध्यक्षजी मेरा भी यह निवेदन है कि आपने डिमाण्ड देखी होगी तो उसमें काफी डिमाण्ड प्रोहिबिशन के सिलसिले में है और वित्त मन्त्री जी एक स्टेटमेंट दे दें बिगनिंग में क्लेरीफिकेशन के तौर पर, अगर प्रोहिबिशन होता है तो बहुत सी डिमाण्ड जो रखी गयी हैं वह फिर नहीं रखी जायेंगी और अगर प्रोहिबिशन नहीं होता है तो हम उस तरह से बोलेंगे। गवर्नमेंट ख्वामख्वाह सस्पेन्स में रखकर इस हाउस में डिबेट करवाती है और फिर टाइम हाउस का जाता है। मैं पुनः निवेदन करूंगा आज उसकी डिबेट है, शुरू से स्पष्ट कर दें तो सुविधाजनक रहेगा, सब लोगों को बोलने का मौका मिल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी अगर कोई वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं। आपने सजेस्ट कर दिया। चर्चा आरम्भ करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने व्यवस्था रूल आउट कर दी है। मंत्री महोदय ने कहा था एक, दो दिन में ही कहने वाले हैं। नीति सम्बन्धी विषय है। आज सारे राजस्थान को अंधेरे में रखा जा रहा है। जो हमने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, अगर माननीय मंत्री महोदय, अपनी नीति स्पष्ट करते हैं तो हमारे कटौती प्रस्ताव अपने आप डिसमिस हो जायेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, यह नशाबन्दी सारे राजस्थान में नहीं कर रहे हैं इसलिए टालमटोल करके दो चार जगह करके यह बताना चाहते हैं अन्यथा खड़े होकर क्यों नहीं कह देते ?

श्री मूलचन्द डागा : बिहार में घोषणा कर दी।

श्री मदनसिंह दांता : यह निश्चित बात है, सम्पूर्ण राजस्थान में नहीं कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के विधायकों ने लिखकर दे दिया है कि शराब बन्दी होनी चाहिए। अब कई मंत्रियों के जरिये दबाया जा रहा है, पूरे राजस्थान में न होकर 3-4 जिलों में कर दिया जाये, पुनः दस्तखत करवाये जा रहे हैं। दल के अन्दर की हालत यह है। कल मन्त्री जी ने कहा, एक-दो दिन में घोषणा कर दूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत राज मन्त्री) : कोई मन्त्री नहीं दबा रहा है।

श्री रघुनन्दन व्यास : कल भी कटौती प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो सकी और आज भी उसी तरह से यह उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा प्रारम्भ हो रही है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री बजरंग लाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री गुल मोहम्मद।

(अनुपस्थित)

श्री माधोसिंह कछवाह। केवल पांच-पांच मिनट ही।

श्री मूलचन्द डागा : 5 मिनट में कोई कैसे न्याय करेगा, दो-दो डिमाण्ड्स हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा, जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को जो आबकारी की रिपोर्ट मिली है उसमें आबकारी के आय के जो मुख्य स्रोत बताये गये हैं, वह है देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भंग, डोडा पोस्त आदि। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह देशी मदिरा और विदेशी मदिरा पिछले कुछ वर्षों से और अभी कुछ 3,4 माह से यह विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है। आम जनता का विषय बनी हुई है। राजस्थान में और हिन्दुस्तान में रोज किसी न किसी तरह चर्चा सुनने को मिलती है। देशी और विदेशी मदिरा, विदेशी मदिरा जो इन्डियन मेड

(श्री माधोसिंह कछवाह)

फारन लीकर है, उसका असर हमारी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के ऊपर पड़ रहा है और पड़ने की सम्भावना है और उसकी रोकथाम के लिए जो चर्चा सुनी है और उसके साथ हमारी राजस्थान की आय घटेगी यह दोनों प्रश्न ऐसे जुड़े हुए हैं कि अगर शराब बन्दी की जाती है तो हमें पर्याप्त आय नहीं होगी और आगे विकास रुक जायेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आज मुझे उस विकास के न होने की इतनी चिन्ता नहीं है, चिन्ता इस बात की है कि अगर हम शराब बन्दी न कर दें तो आज जो हमारे ला एण्ड आर्डर की सिच्युएशन है और जिन जिलों के अन्दर और तहसीलों के अन्दर यह शराब बन्दी की गई और वहां पर अवैध रूप से शराब का उत्पादन होता है। उस अवैध शराब के उत्पादन के साथ विभिन्न आबकारी अधिकारियों की मिली भगत होती है और पुलिस की किसी प्रकार की रोकथाम नहीं होती। उस स्थिति के अन्दर जो अराजकता हमारे सामने आई है। जैसा कि मैं जोधपुर में रहता हूँ वहां से एक फर्लांग दूर, पुलिस चौकी के सामने, आसपास शराब बिकती है। इस तरह की शराब बन्दी करने के बाद अगर राजस्थान के अन्दर घर घर के अन्दर भट्टियां जैसा आदिवासी क्षेत्र में माननीय सदस्य बता रहे हैं. खोल दी गई, अगर यही कार्यक्रम चालू रहा तो मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से अराजकता पैदा होगी घोर अन्याय उन लोगों के साथ होगा जो ऐसी अवैध शराब को पीकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर उस शराब बन्दी के बाद विकास भी नहीं कर सके, इन्सान को शराब पीने से रोक भी न सके, अवैध शराब को नहीं रोक सके और मौत के मुंह में नागरिक चले जायें, उस शराब बन्दी से क्या लाभ? चाहे सर्वोदयी मंत्री हो, चाहे समाजवादी मन्त्री हो, उनका प्रयास तो अच्छा है। अगर ऐसा कानून बन जाये, उसकी पालना नहीं हो सके, तो उसके अन्दर जल्दबाजी करना कतई उचित नहीं है। हम जो कदम बढ़ा रहे हैं, वह कदम बढ़ाते वक्त, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सर्वोदयी मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत की संस्कृति रही है, उस संस्कृति के अनुसार हमारे जो संस्कार हैं जन्म से बनते हैं। किसी जमाने में सोमरस था। जो शराब पीते चले आ रहे हैं, वह जन्म-जन्म के संस्कार हैं। शराबबन्दी कानून से रोकी जायेगी? मैं शराबबन्दी के पक्ष में हूं लेकिन इस हालत में न हो जिस हालत में राज्य सरकार कदम उठाना चाहती है। नसबन्दी से तो यह कांग्रेस का राज गया और शराबबन्दी से अराजकता होगी और जनता पार्टी का राज जायेगा। आज जो विरोध में बैठे हुए हैं, एक आवाज उठाते हैं, इस तरह से जनता पार्टी में अराजकता होगी, व्यवस्था नहीं हो सकेगी और यह लोग फायदे में रहेंगे। जनता पार्टी नुकसान में रहेगी और राजस्थान की प्रगति नहीं होगी और राजस्थान का पिछड़ापन दूर नहीं होगा। इसलिए कुछ लोग आवाज उठाते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूगा कि हमारे आबकारी मन्त्री जी से, राज्य सरकार इसको सोचे और इसको किस तरह से शनैः शनैः लागू किया जा सके, उस पर विचार करे। मान्यवर, आबकारी के बारे में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और आबकारी जो नियन्त्रण के बाहर है, इसके बारे में चर्चा करने की बजाय, चूंकि समय

(श्री माधोसिंह कछवाह)

कम है, अब मैं यही उचित समझता हूं पत्र के द्वारा आप तक पहुंचा दूं । समय की जो सीमा दी है, वह इतनी कम है । लोकतन्त्र में किसी की आवाज को दबाने के लिए इमर्जेन्सी में एक टोप रख दिया था । सदन के अन्दर समय की सीमा है, आगे क्या कुछ व्यवस्था होगी ? दो, चार मिनट और लूंगा । इसके साथ ही पुलिस के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा । मान्यवर, हमें जो पुलिस का प्रतिवेदन मिला है । यह उनके किये हुये अच्छे कर्त्तव्यों का विवरण है और इस विवरण से राजस्थान की जनता की झलक मिलती है । उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार रक्षा करने वाले और सेवा करने की जिनको ड्यूटी दी हुई है, भ्रष्टाचार करते हैं । सेवा न करने वाले और लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को जन-सम्पर्क के पदों पर अभी भी आपने बैठाये रखा है— इस जनता पार्टी की सरकार ने ।

मान्यवर, हमारे लोकतन्त्र में यह व्यवस्था है कि किसी भी दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ तब तक कोई कानूनन कार्यवाही नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह कागजों में पकड़ में न आ जाय और साबित न हो जाय । लेकिन आज तक इस तरह नहीं चलता आया है । जब कागजों में पकड़ में आयेगा तभी हम उस अधिकारी को दोषी कहें, यह कोई औचित्य नहीं है । हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह व्यक्ति जिन्दगी भर भ्रष्टाचार करता आया है, और उसका सम्पूर्ण सेवाकाल का इतिहास काला रहा है लेकिन सबूत न होने से वह दोषी अधिकारी भी बचकर निकल जाता है । यह जानते हुये भी जनता पार्टी की सरकार ने उनको ऐसी जगह बैठा रखा है कि वे आज भी भ्रष्टाचार में बराबर लिप्त हो रहे हैं और जो पहले से उत्पन्न भ्रष्टाचार है वह भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं पुलिस मन्त्री जी से, गृह मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो 30 साल से एक प्रकार से बढ़ता चला आ रहा है उसको किसी भी कीमत पर खतम करें और यदि समाप्त नहीं करते हैं तो क्या उनका भी यही इरादा है कि भ्रष्टाचार बराबर बढ़ता रहे लेकिन मैं मानता हूं, उनका यह इरादा नहीं है और नहीं है तो फिर नये तरीके से इस प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए क्यों नहीं कदम उठाते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैंने जोधपुर के पुलिस थानों में देखा है कि पुलिस अधिकारियों की शहर में शराब बिकती है । पुलिस ऐसे लोगों के साथ सांठ-गांठ रखती है जो चोरी करते हैं, शराब पीते हैं और अन्य कई तरह के व्याभिचार करते हैं । श्रीमन्, वहां एक मण्डोर का थाना है जो रेलवे स्टेशन से करीब एक फर्लांग है और जो पूर्वी शहर की दीवार है उससे आधा किलोमीटर दूर है । उस थाने में कोई पूनम चन्द थानेदार है, श्रीमन्, मैं निवेदन करूं वहां एक लक्ष्मी देवी व दो-तीन औरतें हैं जो वेश्यावृत्ति का धन्धा करती हैं उनसे रिश्वत लेने वाला वह थानेदार वहां बैठा है । मैं उसके बारे में सबको कह चुका हूं और चिट्ठियां भी लिख चुका हूं लेकिन उनमें कोई असर नहीं है । यदि ऐसे थानेदार को वहां रखा जाता है तो मैं समझता हूं....

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : वे जनता पार्टी की नेता हैं।

श्री माधोसिंह कछवाहा : मैं समझता हूं आपको इससे खुशी हो रही है इसलिए आपकी भी उससे सांठ-गांठ अवश्य है।

तो श्रीमान् मैं निवेदन कर रहा था मण्डौर रोड पर धाम मण्डी है उसमें विवेकानन्द नाम की एक कालोनी है। कुछ लोग उसको विवेकानन्द कालोनी के नाम से पुकारते हैं तो कुछ लोग उसको दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, वहां लक्ष्मी नाम की औरत रहती है और वह वेश्यावृत्ति में लीन है, उससे वह थानेदार हर महीने पैसे लेता है, यदि कुछ लोग उसका विरोध करते हैं तो उन पर मुकदमा दायर किया जाता है और कई तरह के झूठे-झूठे इल्जाम उन पर लगा दिये जाते हैं। इस तरह वह थानेदार शिकायत करने वालों को परेशान करता है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस तरह की आंख मिचौनी पुलिस में होती है और आपको सी० आई० डी० भी झूठी रिपोर्ट देती है तो मैं समझता हूं इससे अधिक अन्याय की और कोई बात नहीं है.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको सी० आई० डी० गलत रिपोर्ट दे या सही रिपोर्ट दे लेकिन आपके पास कोई ऐसे साधन होने चाहिए जिससे आपको वास्तविक रिपोर्ट का पता लग जाय और यदि आपको सच्ची रिपोर्ट का पता नहीं चलता है तो फिर आप किसी प्रकार का न्याय जनता के साथ नहीं कर सकते हैं। आप हरिजन मन्त्री होते हुए भी इस पुलिस भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते हैं, सम्भाल नहीं सकते हैं और कोई रोकथाम नहीं कर सकते हैं तो फिर स्पष्ट है कि आप पिछली 30 साल की परिपाटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं और पिछले भ्रष्टाचार को बराबर पनपाये रखना चाहते हैं.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें। काफी समय ले लिया है आपने।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पुलिस का प्रतिवेदन दिया है, इस प्रतिवेदन में कहीं मालूम नहीं पड़ता है किस-किस थाने में कितने-कितने मुकदमों की भर्ती होती है। मेरा निवेदन है कि इस पुलिस प्रतिवेदन को विस्तृत बनाया जाय ताकि सारे मामलों की जानकारी मिल सके। इस प्रतिवेदन में तो जो मोटे-मोटे मामलों में सफलता प्राप्त की है उसको तो फूलों की तरह सजाया है.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और एक सेनटेन्स कहकर ही बैठ जाता हूं और वह यह है श्रीमन्, गांधी जी ने कहा था, 'सबसे उत्तम ईश्वरीय सेवा, एक गरीब की सेवा है', और गरीब की सेवा आज की पुलिस नहीं कर सके तो वह पुलिस कहलाने योग्य भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, गरीबों में ज्यादातर मेघवाल, हरिजन होते हैं उनको पुलिस का पूरा संरक्षण मिलना ही चाहिये। एक निवेदन और है कि हमारे जोधपुर की नगर-

(श्री माधोसिंह कछवाह)

पालिका क्षेत्र में अवैध शराब जिस तरह विक रही है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है और उस अवैध शराब को पी पी कर लोगों के टी. बी हो रही है उसकी पूर्ण रोकथाम के लिए मैं आबकारी मन्त्री जी से या गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कोई सख्त कदम उठायें, नहीं तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो दोनों मन्त्रियों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने एक आवश्यक मीटिंग में शामिल होने के लिए बुला लिया था और मेरा नाम ले लिया गया, किन्तु यहां उपस्थित न होने के कारण अवसर नहीं मिला। अब आशा है, आप मुझे बोलने का अवसर अवश्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पहले श्रीमती श्यामा कुमारी बोल लें, फिर आपका नाम आ जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वे किसी आवश्यक मीटिंग में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा बुला ली गई थीं, इसलिए अब उनको समय दिया जाना चाहिये।

श्रीमती श्यामा कुमारी (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की मांग के माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान मद्य-निषेध की नीति की ओर दिलाना चाहती हूं। जैसा कि अभी पिछले दिनों बराबर चर्चा होती रही है सदन में और सदन के बाहर लेकिन मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने जिन्होंने न मालूम किस कारण से सदन में मद्य निषेध का पक्ष लिया है और हस्ताक्षर भी किये हैं लेकिन वे ही सदस्य बाहर जाकर विपक्ष में बोलते हुए नजर आये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पीते हैं।

श्रीमती श्यामा कुमारी : यह मुझे भी मालूम है पिछले दिनों इस प्रकार की चर्चा चली थी जिन माननीय सदस्यों ने मद्य निषेध के पक्ष में हस्ताक्षर करके दिये हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूं, वे पीते हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : वे पीना छोड़ रहे हैं, इसलिए दस्तखत किये हैं।

श्रीमती श्यामा कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि पिछले वर्ष बीकानेर में मद्य निषेध हो गया लेकिन प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार अभी बीकानेर में इस वर्ष होली पर जितनी शराब बिकी है, उतनी पिछले वर्षों में नहीं बिकी थी। लोगों ने पीकर खूब हुल्लड़ मचाया लेकिन किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, केवल बहुत थोड़े से लोग, दो-चार लोग पकड़े गये जो कि कोट गेट पर

(श्रीमती श्यामा कुमारी)

घूम रहे थे और बाकी सब जगह पर खुले आम शराब पीते हैं जो बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस प्रकार से दूध वालों की बंधियां होती हैं और घर-घर पर आकर दूध सप्लाई कर जाते हैं, आज कल वह स्थिति शराब की हो रही है। एक थैले में पव्वा, अद्धा और बोतलें भर कर घर-घर में सप्लाई की जाती है। इस आधार पर मैं मद्य निषेध का विरोध करती हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शराब के पक्ष में हूं या इसको चालू रखना चाहती हूं लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि बिना जन मानस तैयार किये अभी से जो लोग इसको लागू कराना चाहते हैं, वह व्यावहारिक नहीं हैं और व्यावहारिक नहीं होने के कारण कोई इसकी पालना नहीं करेंगे। अगर शराबबन्दी करने के बाद उसकी पालना नहीं होती है तो यह हमारे लिये वाजिब बात नहीं है।

इसी प्रकार, से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उदयपुर की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। उदयपुर के जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। उन लोगों का और कुछ लोग, जो वहां पर रहते हैं, का सही तौर पर कोई धन्धा नहीं है और उनका मुख्यतया धन्धा यह है कि वे घर घर में शराब बनाते हैं और लोगों को सप्लाई करते हैं। जो लकड़ी-कोयले का धन्धा करते हैं उसमें बोतलें छुपा कर ले जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप इसको लागू कर देते हैं और वह व्यवहार में नहीं आ पाता है तो लागू करने से क्या फायदा ? इसके अलावा एक और मुख्य मुद्दा विचारणीय है और वह यह है कि अन्त्योदय के तहत जो हम ग्रामीणों की सहायता करते हैं, जो समाज के वर्ग में सबसे नीचे की श्रेणी में आते हैं, सरकार एक तरफ तो उनको साधन सम्पन्न बनाना चाहती है, उनको साधन सम्पन्न देखना चाहती है और दूसरी तरफ उन लोगों का धन्धा चौपट कर रही है। एक तरफ अन्त्योदयी की हालत सुधार रही है और दूसरी तरफ नये अन्त्योदयी पैदा कर रही है। श्रीमान्, जब तक उन लोगों के लिये दूसरी व्यवस्था, धन्धे की व्यवस्था नहीं कर देते तब तक हमें मद्य निषेध के विषय में विचार करना छोड़ देना चाहिये वरना इसका दुष्परिणाम होगा। हमें समाज में पहले जन मानस को तैयार करना चाहिए, वह मद्य निषेध के पक्ष में हो और उसके बाद इसको लागू करें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

इसी प्रकार, श्रीमान्, अगर हम मद्य निषेध करके ही चुप हो जायें तो एक तरफ तो हमें इससे होने वाली आमदनी का नुकसान होगा, यही नहीं मद्य निषेध हेतु और एक बहुत बड़ी रकम खर्च करनी होगी अतः दुगुना नुकसान होगा। हमारे विकास के कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे। इस प्रकार से किये गये मद्य निषेध को मैं वरदान नहीं बल्कि अभिशाप मानती हूं। तो इस प्रकार, श्रीमान, मद्य निषेध के बारे में आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम पुलिस के बारे में अपनी बात रखना चाहूंगी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पिछली साल, और पिछले सालों को देखते हुए अपराध कम हुए हैं जिसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहती हूं लेकिन मैं फिर भी यह कहना चाहूंगी कि जितने अपराध हुये हैं वे भी कोई हमारे लिए शोभनीय बात नहीं है। इन पर और अधिक कन्ट्रोल किया जाना चाहिये और यह अपराधों की संख्या नहीं रहनी चाहिये। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इस विभाग का पुनर्गठन किया जावे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जितनी राशि आपने दी है वह काफी मात्रा में बढ़ाई है लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है उसी तरह से थाने भी बढ़ाने पड़ेंगे। उस पर स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा। वर्तमान में जो थाने हैं उनमें स्टाफ बहुत कम है। जो स्टाफ है उसमें एक जांच के लिए और दूसरा स्टाफ रिकार्ड रखने वाला है। दो तीन आदमी ड्यूटी पर चले जावें तो थाने की छुट्टी हो जाती है। मेरा निवेदन है कि आप निश्चित रूप से स्टाफ बढ़ाइए।

इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूं कि गांवों की हालत तो और भी खस्ता है। बड़े शहरों के लिये तो आपने पुलिस की व्यवस्था कर ली है लेकिन गांवों में इसको सम्भालने के लिये जो टर्म है, उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, उनके पास जीपें नहीं हैं। बहुत दूर-दूर पर थाने हैं और उनका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। एक थानेदार उसको बिना साधन के कन्ट्रोल नहीं कर सकता। गांवों के थानों को भी आपको साधन उपलब्ध कराना चाहिये और गांवों के थानों को आपको वायरलैस से जोड़ना चाहिये। जब तक इनका आधुनिकरण नहीं करेंगे तब तक इन पर कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता है। शहर के थानों पर भी जीप उपलब्ध नहीं हैं गांवों के थानों की तो क्या बात करें। गांवों के थानों में जीप होना बहुत जरूरी है। मैं आपको निवेदन करूं कि जमुवा रामगढ़ में एक थाना है। अगर नायला क्षेत्र में, जो कि उस थाने में पड़ता है, कोई गलती होती है तो वहां तक पहुंचने के लिये उसके पास कोई साधन नहीं है। उनके लिए जाने की दूरी इतनी रहती है कि मैं आपको बताऊं कि उसी पुलिस थाने के क्षेत्र में मानपुरा है और नायला भी है। अगर नायला जाना है तो मानपुर अगर गया हुआ है तो उसको नायला पहुंचने के लिए वापस जाना पड़ता है और तीसरे दिन जाकर वह घटना स्थल पर पहुंच पाता है। उसके पास साधन नहीं होने से पहले दिन सूचना मिली, दूसरे दिन वह गया, फिर रिक्शा या साइकिल जुटायेगा और तब कहीं जाकर तीसरे दिन वहां पहुंच पाएगा। पहले जयपुर आएगा तब नायला पहुंच पाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान की समस्या है, इसको आपको सुधारना होगा। इनको वायरलैस से जोड़िये। इसके अलावा ट्रैफिक में जो साइकिलें, मोटर साइकिलें हैं उनको भी वायरलैस से जोड़ा जाना जरूरी है। साथ ही जो आपने रिकार्ड रखने के लिए पैसे की व्यवस्था की है, स्टाफ की व्यवस्था की है, उससे भी वह रिकार्ड का काम पूरी तरह से नहीं चल रहा है। उस सारे रिकार्ड को मेंटेन करने के लिए अधिक पैसे की जरूरत है, अधिक आदमियों की जरूरत है, जिसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जो पुलिस कर्मचारी हैं उनका वेतन बहुत कम है,

(श्रीमती उजला आरोड़ा)

उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जितना आपने विचार किया है उससे कुछ अधिक राशि और होनी चाहिए। साथ ही उनके जो भत्ते है उनकी भी आपको देखभाल करनी चाहिए। उनको कई तरह के भत्ते उपलब्ध कराये जाते हैं फिर भी कई तरह की व्यवस्था करनी है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि उनके आवास की समस्या बहुत गम्भीर है। गरीब से गरीब अगर कोई आदमी है तो पुलिस का सिपाही है जिसकी वजह से कई बार उनको भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है, कई बार रिश्वतें लेनी पड़ती हैं। मैं इस बात को उचित नहीं समझती कि एक आदमी को भूखा रखा जाय, निरन्तर भूखा रखा जाय और ऊपर के अधिकारियों की तनख्वाह बराबर बढ़ती चली जाय। यह कदापि उचित बात नहीं हैं। उनका भी परिवार है। उनको कम से कम इतना तो दिया जाय कि वह अपने परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था कर सकें, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकें, चिकित्सा करा सकें, अच्छे वस्त्र पहन सके। जैसी उनकी ड्यूटी है, आज हम उनसे बारह बारह घण्टे ड्यूटी ले रहे हैं लेकिन उनको खाने को नहीं देते। इसके लिए आपको पुनर्विचार करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप उनके वेतन तो बढ़ायेंगे ही साथ ही जो बड़े-बड़े शहर हैं, कुछ अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर्स केवल जयपुर में होते हैं तो एक थाने से दूसरे थाने में ही ट्रांसफर होते हैं। कुछ निहित स्वार्थी लोग किसी न किसी तरह से एक जगह पर डटे रहना चाहते हैं और अपने आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते है। उनके स्थानान्तरण के नियम बनाने चाहिए और उन नियमों के अनुसार उनका स्थानान्तरण किया जाय यह मेरा सुझाव है।

साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगी कि ट्रैफिक के बारे में भी आप इसका पुनर्गठन करें और जो ट्रैफिक के सिपाही हैं उनका पुलिस में और पुलिस के सिपाही का ट्रैफिक में स्थानान्तरण न करें। ट्रैफिक के लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनायें टलें। मैं निवेदन करूंगी कि इन दोनों विभागों में आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग के हमारे मन्त्री भी मदद कर सकते हैं जिससे सड़कें ठीक हालत में रहें और एक्सीडेंट न हों। आपको शिक्षा विभाग के मंत्रीजी से भी सहायता लेनी चाहिए ताकि शुरू से ही नैतिक शिक्षा दी जाय और नैतिक शिक्षा के पाठ पुस्तकों में जोड़ें ताकि शुरू से उनको ऐसी शिक्षा मिले कि क्राइम की ओर न झुकें। ये मैंने आपको दो तीन बहुमूल्य सुझाव दिए हैं जिनको आप निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अपनी चर्चा जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग के बारे में भी एक मिनट बोलना चाहती हूं। किसी भी सरकार को, जो जनता से चुन कर आती है, यह अधिकार नहीं है कि वह लोगों

(श्रीमती उजला आरोड़ा)

को पथ भ्रष्ट करके उसको गलत दिशा देकर दिशा भ्रम कराये । शराब को मैं इतनी बुरी चीज मानती हूं कि एक लड़के को एकदम से मार देना अच्छा है लेकिन शनैः शनैः करके मारना और स्लो पायजनिंग करना किसी भी हालत में उचित नही है । माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कल यहां पर एक बात कही थी कि अगले दो दिनों में घोषणा करूंगा । मुझे आशा है कि वह एक दो दिन में घोषणा कर देंगे और वे अपने विचार भी प्रगट करेंगे लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं कि एक अप्रेल से अपने राज्य में सम्पूर्ण नशाबन्दी होगी तभी सफलता मिलेगी। आप जिस तरह से धीरे-धीरे करके, एक एक जिलों को ले रहे हैं उससे शराबबन्दी होने वाली नहीं है । जब पास के जिले में शराब मिलेगी तो व बराबर के जिले में भी निश्चित रूप से आवेगी । इसलिए अगर एक बार में ही सम्पूर्ण नशाबन्दी कर देंगे तो इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है । आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं समझती हूं कि अगर आप पूर्ण नशाबन्दी कर देते हैं तो न केवल इस प्रदेश की बल्कि सारे भारतवर्ष की जनता आपको धन्यबाद देगी । अभी उत्तर प्रदेश में घोषणा हुई है कि कुछ जिलों में बन्द करने जा रहे हैं, बिहार में घोषणा हो गई है फिर राजस्थान ही क्यों पीछे रहना चाहता है । मैं निवेदन करूंगा आबकारी मंत्रीजी से कि एक अप्रेल से सम्पूर्ण राज्य में नशाबन्दी की घोषणा करें ही, साथ ही पंचायतों को अधिकार दें कि वह अपने यहां की सारी प्रशासनिक व्यवस्था को सम्भालें ताकि पड़ोसी राज्यों से हमारे यहां शराब नहीं आए । माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि वे शीघ्र ही शराबबन्दी करें । इसमें माननीय गृह मन्त्री श्री सम्पतराम जी को भी हाथ बंटाना पड़ेगा । जहां आपने यह कदम उठाया, अनेक अपराध घट जाएंगे । मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से यह कदम उठाएंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि एक अप्रेल से शराबबन्दी नहीं की गई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगी और आमरण अनशन का मेरा निश्चय है । इसको धमकी न समझें । यह सत्याग्रह है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नारंगी देवी ।

श्री गुल मोहम्मद उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पहले मेरा नाम था ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम पुकार लिया गया था । उस समय आप उपस्थित नहीं थे । अब कृपया इन्तजार कीजिए ।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहती हूं कि यूनिवर्सिटीज और अन्य स्कूलों में जो टीचिंग स्टाफ है, प्रोफेसर, लेक्चरार, टीचर्स हैं, उनमें एक ऐसी व्यवस्था की जाए, उन

(108)

(श्रीमती नारंगी देवी)

लोगों से ऐसे प्रतिज्ञा पत्र भराये जाएं कि वे शराब नहीं पीएंगे, Education is an axis around which every activity of society revolves, whether it may be social, political, economic, moral, spiritual, philosophical or of any kind.

समाज अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स को देता है एण्ड टीचर्स इज.ए. सोशल आर्किटेक्ट आफ सोसाइटी। इसलिए उसके आचरण में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। अगर ये सोशल आर्किटेक्ट प्रोफेसर, लेक्चरार शराब पीकर विद्यार्थियों को उपदेश देंगे तो इसका बहुत बुरा प्रभाव, असर हमारी भावी पीढ़ी पर पड़ेगा। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि जो हमारे प्रोफेसर, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज के जो व्याख्याता हैं, उनमें यदि शराब पीने का दोष पाया जाय तो उनको पदावनत किया जाए, उनका डिमोशन किया जाए। यूनिवर्सिटिज और विद्यालयों में शराबबंदी का पालन किया गया तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वह इस दोष से सदा सर्वदा के लिए मुक्त रहेगी। उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी चाहूंगी कि ग्यारहवी क्लास का जो पाठ्यक्रम हो, उसमें शराबबन्दी और उसकी रोकथाम, हानि आदि के विषय में एक लेख रहना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ कर शराब से होने वाली बुराइयों से बच सके। मैं चाहूंगी कि सरकार और हमारा शिक्षा विभाग ऐसे पाठ्य क्रम बनाने की ओर ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के जो कर्मचारीगण है, वे भी शराब पीते हैं। थानों पर हम जाते है तो यह लिखा रहता है, सेवा का अवसर दीजिए। वे यह कहते हैं कि हम समाज के रक्षक हैं। वे समाज के अन्दर, प्रदेश के अन्दर व्यवस्था, शांति कायम रखना चाहते हैं। यदि वे ही लोग शराब पीकर उधम मचावे, समाज के अन्य लोगों के साथ मारपीट करें तो कैसे समाज की शांति व्यवस्था कायम रह सकती है? मैं यह कहना चाहती हूं कि पुलिस और आबकारी डिपार्टमेन्ट के कर्मचारी शराब पीते हुए पाये जाएं तो उनको तत्काल ही अवनत कर देना चाहिए, डिमोशन कर देना चाहिए। ये डिपार्टमेन्ट ऐसे हैं जो शराबबन्दी लागू करना चाहते हैं। इन्हीं के भरोसे शराबबंदी लागू की जाएगी और यदि उसी डिपार्टमेंट के लोग इस पर पाबन्द नहीं रहेंगे तो ऐसे शराब पीने वाले व्यक्तियों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को पद से हटा देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्षजी, कुछ लोग यह कहते हैं कि शराब पीना एक व्यक्तिगत फ्रीडम है लेकिन यह फ्रीडम जनता के साथ एनक्रोचमेंट है, It is an encroachment on the freedom of others. लेकिन कोई व्यक्ति मन्दिर के बीच में बैठ कर, चौपड़ पर बैठ कर शराब पीता है, किसी के साथ शराब पीकर मारपीट करता तो उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं शराब बन्दी को यूं भी आवश्यक समझती हूं कि यह अन्य मादक पदार्थों की अपेक्षा ज्यादा जहरीला पदार्थ है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कहा जाता है कि शराबबन्दी से हमारी आय में कठिनाई आएगी, आय कम होगी और इससे विकास कार्यों में कमी

(श्रीमती नारंगी देवी)

होगी। परन्तु जो गलती हमारी पूर्व की सरकार कर चुकी है और आज भी हम शराब की आय को प्रभावशाली सोर्स मान रहे हैं, तो यह हमारी गलती है। जनता पार्टी के लोग सोशल वेल्यूज, डेमोक्रेटिक वेल्यूज में विश्वास रखते है तो हमारी प्रगति, भावी पीढ़ी की प्रगति के लिए इसे आय का सोर्स नहीं मानना चाहिए। राजस्थान प्रदेश खनिज सम्पदा से भरपूर है। इसका औद्योगीकरण किया जा सकता है और जो हमारे पास खनिज पदार्थ हैं, उनको निकाल कर शराबबन्दी से होने वाली क्षति की पूर्ति की जा सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि एक अप्रेल से नहीं तो दो अक्टूबर से तो शराबबन्दी तत्काल कर देनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगी। किशनगंज, शाहबाद एक आदिवासी क्षेत्र है। एक तरफ दिवाली की खुशी लोग मना रहे थे कि उसी क्षेत्र के एक गांव से डाका पड़ा और शाहबाद क्षेत्र के तीन, चार लोग मर गये। यह बड़ा दुखद विषय है। शाहबाद क्षेत्र जहां पर कि पुलिस का स्टेशन है, थाना है और आर. ए. सी. की एक बटालियन भी है, वहां पर तहसील की पुलिस भी है, इन सबके होते हुए, पुलिस को ज्ञात होते हुए, पुलिस के उपरान्त भी वहां पर डाका पड़ा, तीन व्यक्तियों की हत्या हो गई। यह प्रतीत होता है कि वहां पर कोई लॉ एण्ड आर्डर नहीं है। आज तक इतने दिनों के बाद भी उन डाका डालने वालों का कोई सुराग पुलिस नहीं प्राप्त कर सकी है। यह पुलिस की कितनी अकर्मण्यता है।

दूसरा निवेदन मैं खासकर आदिवासियों, उनकी महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनके बारे में कहना चाहूंगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक रेलवाण गांव है। वहां पर एक आदिवासी महिला जंगल गई हुई थी। उसको फोरेस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। वह चिल्लाई। बाद में उसके भाई, पिता ने वहां पहुंच कर उसकी रक्षा की और ले गये। इसकी रिपोर्ट किशनगंज थाने में की गई। किन्तु अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टे बाद में पुलिस ने आकर उसके भाई, पिता और अन्य लोगों को, जिन्होंने कि शहादत दी थी, पकड़ कर ले गई। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि वे थानेदार जो वास्तव में इन गरीब आदिवासियों के साथ न्याय नहीं करते हैं, अन्याय करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें हंसने की क्या बात है ?

श्रीमती नारंगी देवी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस की ढिलाई है। पुलिस विभाग में सन् 1966 में जो लॉ बना था, वही कानून आज तक चला आ रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस कारण पुलिस में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। आज यह आवश्यकता है, और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारा पुलिसमैन पढ़ा-लिखा हो और वह सुपरिन्टेण्डेण्ट ऑफ पुलिस बन सके। किन्तु पुलिस के आज के नैतिक चरित्र को देखते हुए यह सम्भव नहीं दिखता है।

(श्रीमती नारंगी देवी)

इसी प्रकार से मैं महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा के बारे में भी निवेदन करना चाहती हूं। वहां पर एक पेशेण्ट की हत्या कर दी गई जो पुलिस की देख-रेख में था। उस व्यक्ति को तीन दिन पूर्व कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस के सामने, पुलिस के देखते-देखते घायल कर दिया और पुलिस यह सब देखती रही। मैं यह कहना चाहती हूं कि ऐसी पुलिस को धिक्कार है जो अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करती है, उसको सजा मिलनी चाहिये। उनका डिमोशन किया जाना चाहिये।

इसी के साथ मैं एक निवेदन और यह करना चाहती हूं कि दिल्ली के पुलिस कर्मचारी का वेतन अधिक है और हमारे यहां के पुलिसमैन का वेतन कम है। इसलिए इनकी भी वेतन वृद्धि की जानी चाहिये। इनके रहने के लिए मकान की व्यवस्था होनी चाहिये। इनको वर्दी अलाउन्स, हाई ड्यूटी अलाउन्स दिया जाये। ऐसे लोग जो देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं, असामाजिक तत्वों से समाज, प्रदेश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते है, उनके वेतन में थोड़ी वृद्धि हो, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मान्यवर, आज सदन के सामने आबकारी और पुलिस विभाग की मांगें विचाराधीन हैं। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा। मैं गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके विभाग के अधिकारी आप स्वयं को धोखा देते हैं, गलत सूचना देते हैं, उसके आधार पर आप सदन में सूचनाएं देते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक लड़की के कत्ल के बारे में। कितना भयानक वह काण्ड था और पुलिस ने गृह मन्त्री जी को जो सूचना दी, मैं आज गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं आपके अधिकारियों ने जो सूचना दी वह सही नहीं है तो उनके खिलाफ आप एक्शन लें। माननीय सम्पतराम जी, आपका राम तो निकल गया है और खाली सम्पत, सम्पत पीछे रह गया। आपका जो बैंक ग्राउन्ड रहा है, जो आपकी पालिटिकल लाइन रही है, आप क्यों दबते जा रहे हैं समझ में नहीं आता। आज जनता पार्टी आने के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति में अत्याचार बढ़ा है। ऐसी सनसनीखेज घटनाएं जो आज तक राजस्थान में नहीं हुई, राजस्थान का निर्माण होने के बाद से नहीं हुई, राजाओं के जमाने की मैं कह नहीं सकता तो इस पर आपको भी सोचना है। पीछवाड़ा ग्राम में वहां के सरपंच के साथ सवर्ण ठाकुरों ने मिल कर तहसील बसवा के ग्राम थामावती के हरिजन समाज की बारात को रोक कर दूल्हे को अपमानित कर घोड़े से गिरा दिया। मान्यवर, हरिजनों की बारात गांव में से नहीं निकल सकती। हरिजनों को कहा गया कि दूल्हे को घोड़े से नीचे उतारो, हमारे ढोक दो। दूल्हे को जबरदस्ती नीचे डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, अखबार में आया है यह, आपने क्या किया? आप राजस्थान के बड़े

(श्री रामनारायण चौधरी)

मन्त्री हैं, मैं किन शब्दों में आपसे निवेदन करूं। यह ऐसा भयानक काण्ड है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दूसरे, पाली जिले के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और इस सदन के माननीय सदस्य, जो दो बार गये हैं, का स्टेटमेण्ट अखबारों में पढ़ा और मैंने जानकारी की। अध्यक्ष महोदय, अखबार के आधार पर और अपनी जानकारी पर निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी ऐसी घटना है कि आज उस जिले में जागीरदार गांव वालों को रावले में बुला कर जूतों से पीटते हैं। मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब लोग अत्याचार और जुल्म के शिकार हो रहे हैं तथा ये सभी मामले भूमि सम्बन्धी बताये जाते हैं। देसूरी तहसील के ग्राम इन्दरवाड़ा में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आवंटित भूमि पर वहां के प्रभावशाली व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार बाली तहसील के सैंगरा ग्राम में भी कई लोगों को भूमि से बेदखल किया गया है। कांग्रेस (एस) के जिलाध्यक्ष ने बताया है कि जिले के देवली पाबूजी ग्राम में आजादी के 31 वर्ष बाद भी गांव के लोगों को रावले में बुलाकर जूतों से पीटा जाता है। अधिकारियों को बन्दूक दिखाई जाती है। गरीब लोगों के झोंपड़े उखाड़ कर फेंक दिये जाते हैं, मवेशियों को रावले में बन्द कर दिया जाता है। नये कोर्ट और नये जुडिशियल मजिस्ट्रेट और नई जेलें राजस्थान में जनता पार्टी का शासन होने के बाद कायम हो गई हैं। आप क्यों इस प्रकार कमजोर अपने आप में महसूस कर रहे हैं? मान्यवर, मैं एक और सनसनीखेज घटना के बारे में कहना चाहता हूं। आज ऐसा कोई जिला नहीं, जहां पर हरिजनों के ऊपर अत्याचार, अमानुषिक बलात्कार, नहीं हो रहे हैं। आज गांव का गरीब अपने आपको क्या जयपुर, क्या अलवर किसी भी शहर, गांव में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अभी हाल ही में रतनगढ़ की घटना है, एक मजदूर हरिजन बालिका, 11 वर्षीय बालिका के साथ एक सम्पन्न व्यक्ति द्वारा दिन दहाड़े बलात्कार किया गया। गांव गौरीसर की एक बालिका बनारसी के साथ स्थानीय बीड़ी फैक्ट्री के मालिक गिरधारी भार्गव....

श्री किशनसिंह भाटी : श्री गिरधारी लाल भार्गव अभी हाउस में नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : सम्पन्न और पैसे वाले आदमी आज किस प्रकार से हरिजन तबकों के साथ अन्याय कर रहे हैं और जो अपमानपूर्ण जीवन राजस्थान में उनको व्यतीत करना पड़ रहा है उसके मैंने चार उदाहरण माननीय गृह मंत्री जी को दिये है और ये गृह मन्त्री जी के नोटिस में हैं। हरिजन समाज का प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला है। प्रधान मन्त्री जी और भारत सरकार के गृह मन्त्री जी को पत्र लिखे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। कोई मुकदमा अदालत में पेश कर दिया होगा और गृह मन्त्री जी को इतला दे दी होगी कि इतनों का चालान कर दिया गया। तो, मान्यवर, आप सख्ती से कार्यवाही करें। राजस्थान में पहले भी आप मंत्री रहे हैं, 7 साल रहे हैं, फिर आ गये हैं, और आप चले जायेंगे, फिर भी आ जायेंगे लेकिन कोई ऐसी छाप छोड़िए कि सम्पतराम जी गृह मंत्री थे जिन्होंने कमजोर समाज को, पिछड़े समाज को प्रोत्साहन दिया। आप उनके सोशल

(112)

(श्री रामनारायण चौधरी)

और पालिटिकल ओब्लीगेशन को भूल गये। मान्यवर, गृह मन्त्री जी को संक्षेप में, पुलिस के बारे में दो शब्द मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में पुलिस की भयानक स्थिति है। जितना खर्चा किया जा रहा है राजस्थान में पुलिस के सिपाही पर उससे ज्यादा राजस्थान में डॉग स्क्वाड पर हो रहा है। जितना खर्चा 5 पुलिस मैन पर होता है उतना एक कुत्ते पर किया जाता है। मान्यवर, राजस्थान का पुलिसमैन 24 घण्टे सरकार का सेवक है आज वह कितनी भयानक स्थिति है, कैसी उसकी दशा है, क्या उनका खाना है ; कुत्तों पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और राजस्थान के पुलिसमैन पर कम खर्चा कर रहे हैं। दूसरे जानवरों की फौज खड़ी करके आप एक कुत्ते पर एक सिपाही से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। आबकारी पर दो शब्द वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा। अपका पालिटिकल बैक ग्राउण्ड है और आपका कमिटमेंट है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप शराबबन्दी राजस्थान में सख्ती से लागू करें और राजस्थान को तबाह होने से बचायें। आज जितने कत्ल हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है बलात्कार हो रहे हैं, क्या आपने नियम बना रखे हैं उनसे ये बन्द हो जायेंगे? नहीं हो सकेंगे। मान्यवर, प्राहिबिशन आपको लागू करना पड़ेगा। इसको सख्ती के साथ रोका जाना चाहिये यह आपके ऊपर आब्लीगेशन है। मोरारजी देसाई ने कहा था कि देश में कुछ करेंगे तो सबसे पहला काम प्रोहिबिशन का करेंगे। जो आपको करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, मान्यवर, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीश शर्मा।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इन्तजार कीजिए। सारी लिस्ट के पूर्ण होने के बाद देखूंगा कि समय है।

श्री गुल मोहम्मद : मेरा नाम पहले था, लेकिन मैं बाहर चला गया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मद जी, इस बारे में माननीय अध्यक्ष से आप मिल लें। श्री जगदीश शर्मा।

श्री जगदीश शर्मा (रतनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने शराबबन्दी के मामले में जो कटौती-प्रस्ताव रखा है वह यह है—

"सम्पूर्ण राज्य में नशाबन्दी लागू करने की पर्याप्त तैयारी न किये जाने पर चर्चा के लिए।"

मेरे समक्ष आबकारी विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन है, और वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान सरकार की रीति-नीति और राजस्थान सरकार के मन को प्रदर्शित करता है। इस प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से यह लिखा है–

"वर्ष 1976-77 में 22-94 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई उसकी तुलना में वर्ष 1977-78 में 4-61 करोड़ रुपये की आय ज्यादा प्राप्त हुई। वर्ष 1976-77 की तुलना में यह वृद्धि 20.09 प्रतिशत रही जो कि आबकारी विभाग की प्रमुख उपलब्धि कहा जा सकता है।"

(श्री जगदीश शर्मा)

इन आंकड़ों की प्रमुख उपलब्धि के रूप में राजस्थान सरकार ने अपने प्रतिवेदन में माना है। किसी भी कारण से हो सबसे विचित्र बात जो इसमें देखने को मिली है, वह यह है कि इन्होंने जहां-जहां शराबबन्दी की है उसको ड्राई एरिया घोषित किया है। राजस्थान में हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार शाब्दिकरण करें और "ड्राई एरिया" घोषित करें, जहां शराब नहीं पिलाई जा रही है उसको "सूखा क्षेत्र" घोषित करें। अभी तक राजस्थान सरकार और राजस्थान का मन शराबबन्दी के लिए पूर्णतया तैयार नहीं हुआ है। यही मेरा कटौती प्रस्ताव है। शराबबन्दी के लिए समुचित वातावरण राजस्थान प्रदेश में नहीं हुआ है। श्रीमन्, आपको यह जानकारी है कि 30 करोड़ के लगभग की आय हम खो बैठेंगे। मुझे आय खोने में आपत्ति नहीं है यदि शराबबन्दी का अनाचार सदाचार में परिवर्तित हो जाता है तो। लेकिन मूल सिद्धांत जो है कि राजस्थान सरकार का मन अभी तक शराबबन्दी के मामले में बन नहीं पाया है। आज स्थिति है यह कि जहां शराबबन्दी हो चुकी है वहां पर केवल यह हुआ है कि आपने पाप पर टैक्स माफ कर दिया है, और शराब उसी मात्रा में मिलती है। जिस प्रकार के ठेके पहले चलते थे उसी प्रकार से ठेके चल रहे हैं। इन दी प्रोटेक्शन आफ दी पुलिस इन दी प्रोटेक्शन आफ दी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स शराब बिकती चली जा रही है, केवल राज्य को शराब का टैक्स नहीं मिल रहा है। शराब पीना पाप है और एक पाप का दण्ड दिया ही जाना है। सरकार जहां होती है, देश जहां होता है, राज्य जहां होता है, शासन जहां होता है, तो शासन का कर्तव्य हो जाता है कि जहां पर पाप होता है वहां पर आर्थिक दण्ड दिया जाय। चोरी करने वालों पर जुर्माना लगता है या और तरह के अपराधी होते हैं तो उनको आर्थिक दण्ड दिया जाता है। इस प्रकार का आर्थिक दण्ड देने की जो प्रक्रिया है वह शराब पीने वालों को टैक्स के रूप में दण्डित करना है। यह शराब का पैसा नहीं है। यह अपराधी को दण्डित करना है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में शराबबन्दी हो, मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण दुनियां में शराबबंदी होनी चाहिए। यह आपकी घोषित की हुई नीति है, यह जनता पार्टी ने नीति घोषित की है। उसके आगे चल कर हम किसी एक शख्स को लोकप्रियता इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से गलत चीज है। शराबबन्दी के लिए राजस्थान का मूड नहीं बन पाया है और राजस्थान सरकार के समक्ष केवल किसी शख्स की लोकप्रियता बढ़ाने की बात है। राजस्थान सरकार के पास पूर्ण नशाबन्दी करने की कोई तैयारी नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि शराबबन्दी लागू की गई तो जो शराब के धन्धे में लगे हुए हैं वे पुलिस से मिल कर नाजायज शराब बना कर बेचने वाले समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। यदि आपके पास पूर्ण रूप से तैयारी न हो, राजस्थान सरकार का मन इस बात के लिए तैयार न हो कि शराबबन्दी पूर्णरूपेण कर दी जाय तो उसको नहीं किया जाय। उसके बिना यदि आपने यह निर्णय किया तो अभी जो दूसरे जिलों की स्थिति है जहां आपने शराबबन्दी की है वहां पर गांव-गांव में शराब मिल रही है और आज इस प्रकार की स्थिति है कि शराब बेचने वाले सम्भ्रान्त नागरिकों का

(श्री जगदीश शर्मा)

जीवन दूभर कर रहे हैं। वही स्थिति सारे राजस्थान में हो जायगी। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि राजस्थान स्टेट के पुलिस कमिश्नर ने यह रिपोर्ट दी है कि इस प्रकार की स्थिति को सम्हालने के लिए राजस्थान की वर्तमान पुलिस सक्षम नहीं है, तैयार नहीं है। आपने दूसरी व्यवस्था नहीं की और इस प्रकार से शराबबन्दी कर दी तो यह, श्रीमन्, बिल्कुल निश्चित बात है कि जिस बुराई से निपटने के लिए आप जा रहे हैं, जिस पाप को रोकने के लिए आप जा रहे हैं वह अपराध के रूप में समाज के सामाजिक जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाला ज्यादा होगा।

मुझे एक और भी, श्रीमन्, बात कहनी है कि कुछ बातें शराबबन्दी करने से पहले से चली आ रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि सेक्रेटेरियट मे बैठने वाले शराब नही पीते हो ? आप भली प्रकार से जानते हैं और वित्त मन्त्रीजी भी जानते हैं। आप केवल उन लोगों को दण्डित कर सकेंगे जो कि गरीब हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस मामले में पाप देखने वालों को नहीं लगता है। आपका थानेदार इन बड़े लोगों को पकड़ नहीं सकता इस प्रकार के कानून बने हुए हैं। हैड कान्स्टेबल, सिपाही या उस पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शराब पीने वाले व्यक्ति को पकड़ सके। रतनगढ़ मे अभी एक केस इसी बात पर खारिज कर दिया है कि हैड कान्स्टेबल ने शराब बनाने वाले को पकड़ा और अदालत में पेश किया तो वहां पर कहा गया है कि हैड कान्स्टेबल शराब बनाने वाले को नहीं पकड़ सकता है। इस तरह का कानून है एक तरफ तो और दूसरी तरफ पीने वाले समाज को आपने प्रवर्जित किया है। यह कानून में लिखा हुआ है।

वित्त मंत्रीजी केवल अपनी सनक के आधार पर ही सब काम कर रहे हैं। इनकी सनक के अनुसार ही पिछले साल दो लाख शराबबन्दी के अभियान के नाम पर खर्च किया गया है, और इस साल शराबबन्दी अभियान के नाम पर 10 लाख रुपया खर्च किया जायगा। मेरे क्षेत्र में भी शराबबन्दी अभियान चल रहा है। इसमें ऐसे लोगों को लगा रखा है जिनका वहां के समाज पर कोई प्रभाव नहीं है और न किसी प्रकार का मानस बनाने का वही प्रयास किया जा रहा है। तो, माननीय उपाध्यक्ष, यह जो इस अभियान पर केवल एक बात कहने के लिए 10 लाख रुपया बरबाद किया जा रहा है तो उसको रुकवाया जाय। देश की यह क्या मानसिक स्थिति है ? यह केवल ऐसे लोगों को एम्प्लाय करने की नीति है जो यहां पर बेकार धरना दें और सरकार को चिल्ला चिल्ला कर गालियां दे। यह जो 10 लाख रुपया इस काम के लिए लगाया जा रहा है इसको रोकें।

साथ ही मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कह दूं पुलिस के बारे में। मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। हमारे गृह मंत्रीजी माननीय संपतरामजी हैं। राजस्थान की पुलिस इनके लायक कतई नहीं है यह अलग बात है कि पुलिस के लायक ये अवश्य हैं। मैं इतनी सी बात कह देता हूं कि राजस्थान पुलिस की जो गतिविधियाँ हैं, और देश की

(श्री जगदीश शर्मा)

जो गतिविधियां हैं इन पर पुर्नविचार करें। इनके सारे मामलों पर विचार करना होगा कि क्या हम लार्ड मैकाले और जनरल डायर की ही पुलिस चाहते हैं। नये परिप्रेक्ष में लोगों की महत्वाकांक्षाएं जाग्रत हो रही हैं। मैं बहुत शान्ति से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के पुनर्गठन के मामले पर सम्पूर्ण व्यवस्था की जाय। पुलिस को गोली चलाने का अधिकार न दें। गवर्नमेंट उनको ऐसी गोली न दे कि लगने से ही आदमी मर जाय। उसकी व्यवस्था न करें। जो इस प्रकार की गोली हैं जो आदमी को केवल घायल कर दें या पीडित कर दें उसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा गोली चलाने का अधिकार न दें। राजस्थान सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी, मुझे ऐसी आशा और विश्वास है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हमीपतसिंह।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय रामकरणसिंहजी ने नाम नहीं दिया था :

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव दिये हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत जल्दी कार्यवाही शुरू हो गई है। डिमाण्ड पेश होकर उन पर चर्चा शुरू हो गई है। मैं मेरा नाम नहीं दे सका हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बाद में समय दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, अलग-अलग पार्टीज के लोग अलग अलग चर्चा करना चाहते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस बारे में तय किया गया है। अलग अलग पार्टीज के लिये अलग अलग समय देंगे या किस प्रकार से चर्चा कराना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने क्या निर्णय लिया है, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। जनता पार्टी के सदस्यों की सूची दी है। आप भी कांग्रेस पार्टी की सूची देते हैं तो मैं विचार कर लूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आज जीरो आवर में कम समय मिला है। इसलिए माननीय बजरंगलाल शर्मा को समय मिलना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आप वकालत कर रहे हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पाइण्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। ये कटौती प्रस्ताव जिस दिन बजट पेश हुआ उसी दिन पेश किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा चल रही है।

श्री रघुनन्दन व्यास : क्योंकि विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने प्रश्न उठाया। कल इसी मामले में घण्टे भर तक अलग बातचीत हुई है। सदन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आयेगी तो सदन उसको मंजूर करेगा। उसके पहले व्यवधान डाल कर तानाशाही तरीके से कट मोशन्स पर बोलने से रोकना कहां तक उचित है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिल्कुल ठीक है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले शराब के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। मेरा कटमोशन शराब के बारे में है। यदि आप शराबबन्दी कर दें तो 40 करोड़ रुपयों का हमें नुकसान होगा। आप आन्दोलन चला रहे हैं। सर्वोदय के लोग कितने आये हैं। बाहर विधान सभा के सामने 50 से ज्यादा आदमी नहीं हैं। एक पवित्र उद्देश्य के लिए अगर हजारों आदमी आते तो समझ में आ सकता था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो आपात-काल में विधान सभा के सामने नहीं आये थे।

एक माननीय सदस्य : सब को तनख्वाह नहीं मिलती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं सर्वोदयी कार्यकर्ताओं की इज्जत करता हूं। अच्छे कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक बात कहता हूं, क्या उनको राजस्थान में यह एक ही बुरी बात नजर आयी। हजारों गांवों में लोग खारा पानी पीते हैं। क्या उनके अन्दर यह अहसास नहीं होता कि करोड़ों लोगों को मीठा पानी पिलाने की व्यवस्था करें। अगर उनका आंदोलन इसके लिए होता तो समझ में आता। 70% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे गुजारा करते हैं। उधर ध्यान नहीं गया है। आज हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री को यह फोबिया हो जाये, कि शराब बन्द की जाये तो यह नहीं चलेगा। मैं शराब नहीं पीता हूं। मेरे परिवार में कोई शराब नहीं पीता है। तुम बहुमत में हो। जनता पार्टी के नेता और मन्त्री शराब पीते हैं। बहुमत में शराब पीते हैं। आप राजस्थान की 40 करोड़ रेवेन्यू बर्बाद करें। हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। हम विरोध करेंगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि बहुमत से मंत्री शराब पीते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बहुमत से पीते हैं या कम पीते हैं।

(व्यवधान)

मन्त्री शराब पीते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कितने पर्सेण्ट पीते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री शराब पीते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप मोवर्स-वादी हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने प्रोफेसर केदार का नाम नहीं लिया है। जो पीते हैं, उनको आप जानते हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : आपका कहना बिल्कुल वेग और बिल्कुल मिथ्या है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हो सकता है। मिथ्या हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूं....

श्री माणकचन्द सुराणा : आपने यह कहा है कि जनता पार्टी के मन्त्री बहुमत में शराब पीते हैं। यह मिथ्या है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपके नेता पीते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप नाम बतायें। कौन-कौन शराब पीते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेहरबानी करके एक फैसला कीजिये। जो भी शराब से रेवेन्यू आता है, उस तमाम पैसे का उपयोग मीठा पानी उपलब्ध करने के लिए लगाइये। यह 40 करोड़ रुपया गांवों में मीठे पानी की समस्या को हल कर सकता है। अगर यह पानी की समस्या को हल करने में नहीं लगाना चाहते तो 40 करोड़ की दवाइयां उन लोगों के लिए छोड़ दीजिये जो बिना दवाइयों के मरते है। आप कंस्ट्रक्टिव ढग से क्यों नहीं सोचते हैं? आप सोचते हैं बुढ़ापे में जाते-जाते शहीद हो जायें। और कोई काम तो हो नहीं सकता है। अगर किसी की सनक के आधार पर राजस्थान में और देश में काम होगा तो जो नतीजा संजय गांधी को भुगतना पड़ा है वही आपको भुगतना होगा।

अभी 21 तारीख को जिला अलवर में, एक जलसे में मैं लक्ष्मणगढ़ में गया तो वहां पुलिस का रिपोर्टर बन्दर की तरह छलांग लगाकर मंच पर आ गया। वह शराब पीये हुए था। पास में पुलिस स्टेशन था, खबर की, लेकिन कोई नहीं आया। यह सम्पतराम जी का जिला है। इतना बेशर्म कि मंच पर आ गया। जब आफिसर पीयेंगे तो छोटे लोग भी पीयेंगे। बड़े लोगों की मंशा और होती है। छोटे लोगों की मंशा और होती है। शराबबन्दी कर दी तो गरीब की तो बन्द हो जायेगी लेकिन बड़े लोगों की बन्द नहीं होगी। यह बड़े-बड़े तमाम आदमी डाक्टरों का सर्टिफिकेट लेकर पीयेंगे। या तो आप टोटली बन्द कर दें। फिर चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई और बहाना हो, यह बहाना नहीं चलेगा। आप छोटे आदमियों को बन्द कर दें। यह भेद-भाव पूर्ण नीति नहीं चलेगी। कृपया इस सनक को छोड़ आप इस आय से मीठे पानी की व्यवस्था करें। यह मेरा सुझाव है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सबकी बन्द कर दो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस पर भी कटमोशन दिये हैं। मेरा पहला कटमोशन है, पुलिस में भ्रष्टाचार, पक्षपात व दलाली द्वारा व्यक्तियों के जरिये धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिए और दूसरा है, पुलिस कर्मचारियों की दयनीय दशा सुधारने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सबसे बड़ा सवाल है, पुलिस कर्मचारियों के संगठन का। राजस्थान के पुलिस कर्मचारी

(118)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

संगठन बनाना चाहते हैं। आप इमर्जेंसी की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। क्या आप यह सोचते हैं कि पुलिस कर्मचारी को, एक सिपाही को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है कि वह अपना संगठन बनाये। बंगाल में बन गया है। बंगाल में वहां की सरकार ने कह दिया है कि अपना संगठन बनाओ। बिहार में बन गया है। यहां के कर्मचारी बात करते हैं तो आप उनको धमकाते हैं।

आपका एक उच्च अधिकारी यह कहता है कि 200 रुपये में और मिल जायेंगे। चले जाओ। तो मैं कहता हूं कि एक हजार में क्या अधिकारी नहीं मिलेगा ?

यह कोई तरीका नहीं है, आज हर एक आदमी को प्रजातन्त्र में अधिकार है और मैं तो यहां तक कहता हूं कि पुलिस के सिपाही को भी अधिकार है कि वह अपने विचार व्यक्त करे कि कौन सी व्यवस्था वह इस देश में लाना चाहता है, इसमें डर किस बात का ? राजनैतिक विचार कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। सिपाहो में अगर राजनैतिक विचार आते हैं तो इसमें बुराई क्या है ? बड़े-बड़े अधिकारियों की फौज आपने खड़ी की है, सिपाही उनके बीबी-बच्चों के कपड़े धोते हैं, उनके घर के काम करते हैं, उन अधिकारियों को कुत्तों को रखने का शौक ज्यादा है। यह नहीं कि जनता की रक्षा की कोई बात करें। भैंसों की फौज रखने का शौक है, घोड़ों को रखने का शौक है, कुत्तों की फौज रखते हैं और सिपाही से काम करवाते हैं, यह नहीं होना चाहिये। यह डर और गुलामी की भावना उसको छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़ेगा तो ठीक बात नहीं होगी। वह भी अपना संगठन बनायेगा, फिर चाहे यू० पी० बने चाहे कुछ भी बने—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी के साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से पूछूंगा कि आप जो अधिकारियों की, एडीशनल आई. जी., डी. आई. जी., असिस्टेण्ट आई. जी. की फौज खड़ी कर रहे हैं, इस पैसे को आप क्यों नहीं छोटे कर्मचारियों पर लगावें। कितने सिपाही टी. बी. के मरीज हैं, इसकी लिस्ट होगी आपके पास, आप बताइये। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि एक सिपाही टी. बी. का मरीज है और उससे आप ड्यूटी ले रहे हैं, कितने सिपाही टी.बी. की वजह से छुट्टी पर हैं यह आप लिस्ट बताइये ? उनको आप गुलाम की तरह से रखना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग विरोध में रहे हैं तीस साल तक कांग्रेस का शासन देखा है, मगर ऐसा माहौल नहीं देखा, इतना हौसला नहीं देखा। यह मुझे समझ में नहीं आता। कल मुख्य मन्त्री जी ने बहुत साफ कहा था कि हमारे कलेक्टर समाजवादी हैं और जन प्रतिनिधि रिएक्शनरी हैं। ये लोग काम नहीं करने देना चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। गंगानगर हो, चाहे सीकर ऐसे झूठे मुकदमें कांग्रेस के टाइम पर भी नहीं बने, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के अधिकार खत्म करना चाहते हैं। कोई भी मुल-

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जिम अपने पर लगाये गये जुर्म को बदलवा सकते हैं, लेकिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं की तफतीश नहीं बदली जायेगी, तीन दिन में चालान हो जायेंगे, यह दुनिया में कहीं हुआ है, राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर 127, 126 के झूठे मुकदमे जिनमें फांसी का प्रोवीजन है····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी खतम कर रहा हूं, केवल 10 मिनट ···

श्री अध्यक्ष : ज्यादा हो चुके हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी हमारी पुलिस क्या कर रही है, हमारी पुलिस विद्यार्थियों को जो कालेज में पढ़ने वाले हैं, उन पर 10 नम्बर में चालान कर रही है। हमारे राजनैतिक कार्यकर्ताओं का हमारी पार्टी में काम करने वाले विद्यार्थियों का 10 नम्बर में चालान किया गया। राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ 109 का चालान किया गया। हमारी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने आपकी 500 रुपये महीने की पेन्शन को ठुकरा दी, ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो मीसा में रहे हैं,

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर): आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिये, और लोगों ने भी मना किया है ।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : श्योपतसिंह जी ने जो पाइन्ट उठाया है वह गलत है, मेरे जिले में किसी ने कोई पैसा नहीं लिया ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तो लिस्ट आ जायेगी भाई, हमने कहा है कि जो भी कार्यकर्ता मांगेगा उसको हम पार्टी से निकाल देंगे । ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर आपकी टुच्ची पुलिस इल्जाम लगावे, 109 में चालान करे, शर्म की बात है,

(व्यवधान)

आप जानते हैं कि हमारे गृह मन्त्री जी पर इस बात का असर नहीं होगा, तीस साल के खिलाड़ी हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमको खुशी नहीं होती है, जब गृह मन्त्री जी पर आक्षेप करते हैं, हमें यह बात कचौटती है, लेकिन उच्च अधिकारियों ने गृह मन्त्री जी को शिखण्डी बना रखा है। उनको बात करने की तमीज तक नहीं है। थानों में लिखा रहता है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं ? हमारे एडीशनल आ.ई.जी.पी. से मैंने गोविन्दगढ़ के थानेदार के बारे में कहा कि वह शराब पीता है, कहते हैं कि आपके कहने से तबादला थोड़ा ही कर देंगे । मैं यह कहना चाहता हूं, इस सदन में कि जिस थानेदार ने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा, झूठा मुकदमा बना कर उस समय वह थानेदार छुट्टी पर था, एडीशनल आई. जी. पी. ने उसको उकसाया है, मैं कोई माफी नहीं मांग रहा हूं, कोई रहम नहीं मांग रहा हूं ···

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

(समयस माप्ति-सूचक घण्टी)

अगर जनता पार्टी के लोगों ने यह चाहा कि हम ताकत से दबा देंगे तो यह उनकी भूल होगी, हम जंग लड़ेंगे मैदान में और यह उनके लिए ठीक नहीं होगा, मार्क्सिस्ट पार्टी का हूं और हम जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं यह बता देना चाहता हूं कि बंगाल में इमर्जेन्सी के अन्दर 1100 कार्यकर्ता मारे गये, आज उसका क्या नतीजा हुआ उससे सबक लो। हमारे प्रदेश में आपको अपने वायदों को निभाना चाहिए नहीं तो मैं आपकी उम्र की प्रार्थना नहीं करता कि आपकी उम्र बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हजारी मल सारण।

(व्यवधान)

माननीय रामनारायणजी कृपया इण्ट्रप्शन नहीं करें।

श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गोलीकाण्ड, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, अश्रु गैस और पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्याओं जैसे अनेक मामले इस हाउस के सामने आये, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस जनता का विश्वास खो चुकी है और धीरे-धीरे पुलिस उन अपराधों की वृत्ति की ओर अग्रसर हो रही है, यह बहुत ही बुरी बात है समाज के लिए।

मैं निवेदन करता हूं कि पुलिस विभाग के प्रगति विवरण में लिखा गया है कि गत वर्ष के बजाय इस वर्ष अपराधों की संख्या कम हुई। बढ़ी तो सही लेकिन कम बढ़ी। 1978 में 6385 अपराध थे जबकि 1977 में 5244 अपराध हुये। तो अपराध बढ़े हैं लेकिन कम बढ़े हैं। यह गम्भीर प्रश्न है कि अपराध क्यों बढ़े ? मैं समझता हूं कि पुलिस का व्यवहार, उसका आचरण, उसकी मनोवृत्ति, उसकी संस्कृति वे सब अपराध रोकने में बाधक हैं। पुलिस खुद अपराधी की तरह व्यवहार करती है। आप देखेंगे कि राजस्थान की किसी भी रेल में, रोडवेज में पुलिस के एक सिपाही से लेकर सब इन्सपेक्टर तक कोई टिकट नहीं लेता। मैं उससे ऊंचे अधिकारियों की बात नहीं करता वे शायद प्रथम दर्जे में चलते होंगे, बाकी सब-इन्सपेक्टर से लेकर नीचे तक बिना टिकट यात्रा करते हैं। मुझे एक भी उदाहरण नहीं मिला कि पुलिस का सिपाही या सब-इन्सपेक्टर रोडवेज बस में या रेल में टिकट ले। वे क्या करते हैं ? अपराध करते हैं और हम उनसे उम्मीद करें कि वे अपराध को रोकें, यह प्रायः असम्भव है। जो स्वयं अपराध करता है, स्वयं बेईमानी करता है, उससे हम अपेक्षा करें कि वह अपराध को रोकेगा और उससे समाज की सुरक्षा होगी, यह नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, इन पुलिस अधिकारियों में न केवल अपराध मनोवृत्ति है बल्कि अहं भाव से भी वे ग्रस्त हैं। उदाहरण के लिए रामजीलाल ए. एस.

(श्री हजारीमल सारण)

आई. सरदार शहर में थाने पर लगा। 1977 में एक साल में वहां के एस. पी. ने उसका दो बार तबादला किया है, एक बार निलंबित किया बिना किसी अपराध के, सारा इलाका जानता है कि वह एक ईमानदार आदमी है लेकिन एस. पी. को टीस थी कि डी. आई. जी. ने उसकी पोस्टिंग वहां कर दी, बड़े अधिकारियों की लड़ाई में छोटे कर्मचारियों को अपना शिकार बनाते हैं तो उनसे हम आशा करें कि वे समाज को सुरक्षा प्रदान करेंगे और अपराधों पर नियन्त्रण करेंगे, यह नहीं हो सकता।

इसलिए जरूरी है कि पुलिस का व्यवहार ठीक किया जाये। जनता पुलिस से डरती है, वह हमेशा थाने के पीछे और गुरुद्वारे के आगे चलती है। जब तक जनता का विश्वास पुलिस वालों को नहीं मिलेगा तब तक चाहे कितना ही स्टाफ बढ़ा लीजिये अधिकारियों के साधन बढ़ा दें, कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है। पुलिस के सिपाही का वेतन क्या है? उसकी भूमिका क्या है? सिपाही को गोली चलानी पड़ती है, पिटाई करनी पड़ती है, अफसरों के घरों पर कपड़े धोने पड़ते हैं, उनकी गाय भैंस चरानी पड़ती हैं, वे स्वयं शराब नहीं पीते हैं तो भी अफसरों के लिये लाकर पिलाते हैं। इतनी भूमिका के बाद भी वेतन मामूली। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे और सिपाही के भत्ते बढ़ाये ताकि वे ठीक प्रकार से काम करें, उनकी एफीशियंसी बढ़े।

अब शराब की बात जुड़ी हुई है पुलिस के साथ। पूर्ण नशाबन्दी के मामले ने राजस्थान को असमंजस में डाल दिया है। करीब 30 पर्सेन्ट लोग पीते हैं वे असमंजस में पड़ गये। इनके कुकर्मों, इनकी खराब प्रवृत्तियों के कारण दूसरे क्यों भुगतें? इसलिए सभी असमंजस में पड़ गये, सारी जनता असमंजस में पड़ गई। आश्चर्य की बात है कि लम्बे समय से पूर्ण नशाबन्दी को लेकर विवाद चल रहा है। मामला मन्त्रिमण्डल में गया, विधायक दल में गया। गोकुल भाई भट्ट काफी बोले हैं और उधर उजला अरोड़ा बोली हैं। यह तर्क दिया जाता है कि यदि हम निर्णय लेंगे तो 20 करोड़ का नुकसान होगा। आप लाभ किसके लिए चाहते हैं? समाज के लिए? लोग शराब पीकर अपराधी होते जा रहे हैं? आप क्या मकान बनाना चाहते हैं ऐसे लाभ का क्या करेंगे? क्या अपराधी समाज का विकास करेंगे या इस शराब से शराबी समाज का विकास करेंगे? आप कहते हैं कि इतने करोड़ रुपये के नुकसान से विकास योजनाएं ठप्प हो जायेंगी। दरअसल विकास योजनाओं में बाधक है तो शराब है। शराब से आदमी का विवेक खतम हो जाता है, वह विवेक शून्य हो जाता है। हमारी मारवाड़ी में कहावत है:

"जूं आंर मय सूं, गागरियों कोनी मरीजे।"

यह हमारी नामर्दी है, नपुंसकता है, हमारे प्रशासन की, हमारी पार्टी की। क्या समाज सेवी संस्थायें इस काम को नहीं कर सकती? मैं यह मांग करूंगा कि राजस्थान में 20 करोड़ का नुकसान उठा कर भी, सारी योजनाओं को ठप्प करके, इस प्रकार की घबराहट को दूर करें और 1 अप्रैल से पूर्ण नशाबन्दी लागू करें।

(122)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्री सूरजपाल सिंह : हमारा नाम रह गया।

श्री गुल मोहम्मद : इसके बाद तो श्री गुरुशरण छाबड़ा का नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे जानकारी दी गई है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के नेताओं ने आम सहमति व्यक्त की थी कि इन मांगों पर चर्चा करने के लिए क्या व्यवस्था अपनाई जाये। उसी के अनुरूप मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर कोई माननीय सदस्य रह जायेंगे, फिर भी बोलने को आतुर होंगे तो उनको समय दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : यदि हमारी भावनायें इस सदन में नहीं रखी जायेंगी तो हम आपसे संरक्षण चाहते हैं, आप हमको संरक्षण दीजिये। जो जनता की भावनायें हैं सभी माननीय सदस्य रखना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सचेतक महोदय से सम्पर्क कर लें उसके बाद कुछ कहेंगें....

श्री रघुनन्दन व्यास : सदन में आसन बड़ा होता है, सचेतक नहीं। जो परिपाटी बनी हुई है उस परिपाटी को किसने बदला है? इसलिए जो परिपाटी बनी हुई है उस पर व्यवस्था दें और यदि कार्य सलाहकार समिति ने कोई रिपोर्ट दी है तो वह सदन में रखवाइये, मतदान करवाइये और जो परिणाम होगा उसका पालन होगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह पार्टी है या गौशाला है?

श्री उपाध्यक्ष : आपने नियमों में व्यवस्था का प्रश्न उठाया। सदन में कार्यवाही किस तरह से चलाई जाये और किस तरह ठीक तरह से चले, इसके लिए मुख्य सचेतक को नियुक्त किया जाता है। उनके परामर्श से और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कान्शस से कार्यवाही चलाई जाती है तो आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री गुल मोहम्मद : सवाल इस बात का है कि आज सदन बीस साल से चला आ रहा है और जिस क्रम से कटौती प्रस्ताव दिये जाते हैं उसी हिसाब से यहां सूची बनाई जाती है और बहस होती है। कटौती प्रस्ताव किस प्रकार से दिये गये जिनका नाम पहले है उसी को पुकारा जाता है।

श्री रघुनन्दन व्यास : बिल्कुल ऐसा नहीं है।

श्री गुल मोहम्मद : बिलकुल इसी तरह से है। हमारी आवाज को इस तरह से नहीं दबाया जा सकता। हमें बोलने का मौका दिया जाये।

श्री रघुनन्दन व्यास : आज तीस साल से यहां ऐसी ही व्यवस्था है। कटौती प्रस्तावों पर लिस्ट कभी बनकर आई हो तो बता दें।

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जिस प्रकार से कटौती प्रस्ताव के नाम हैं उसी प्रकार से सूची में नाम आने चाहिए।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष जी जनता पार्टी के चीफ व्हिप को ताड़ना दें कि उनकी पार्टी में अनुशासन ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरी पार्टी का कोई भी सचेतक नहीं है मेरा क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी पार्टी के अकेले सदस्य हैं। श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार का पहला और सर्वोपरि कर्त्तव्य है उसके नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करना, राज्य में शांति और व्यवस्था बनाये रखना। आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। चोरी डकैती, हत्या, अपहरण, लूटपाट और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की मार पिटाई, उनसे जबरन बेगार लेना जैसी घटनायें साधारण बन गयी हैं। राज्य सरकार ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में आंकड़ों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अपराधों की प्रवृत्ति में कमी आई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आंकड़ों से जन प्रतिनिधियों को और जनता को गुमराह करने का प्रयास नहीं करें। आपने अपने समस्त पुलिस थानों में इस प्रकार के अनौपचारिक निर्देश भेजे हैं कि कम से कम केसेज रजिस्टर किये जायें।

उपाध्यक्ष जी, इस प्रदेश में तो पहले ही पुलिस तक जाने की और केसेज रजिस्टर करवाने की परम्परा ही कम रही है। पुलिस के प्रति लोगों की धारणा ही कुछ ऐसी है कि वहां पहुंचने में लोग हिचकिचाते हैं और इस पर राज्य सरकार का यह आदेश है कि केसेज रजिस्टर ही नहीं किये जायें। मैं समझती हूं कि यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। यह आंकड़े अवास्तविक हैं और निर्मित किये गये हैं। इससे आप सदन के सदस्यों को गुमराह नहीं कर पायेंगे। जब तक आप अपनी गलती और खामियों को स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसमें सुधार करने का प्रयास नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा पहला निवेदन तो यह है कि आप इस बात को स्वीकार कीजिए। आखिर इस सदन में आने वाले माननीय सदस्य बहुत ही बड़े विशाल जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोगों के पास जाते हैं और वहां क्या हालत है उसकी उनको खुद को जानकारी रहती है। इसलिए आप आंकड़ों के माध्यम से उन्हें गुमराह मत कीजिए। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि कानून और शांति व्यवस्था इस प्रदेश में

(श्रीमती मदन कौर)

पिछले वर्षों से इस वर्ष बिगड़ी है तभी आप सुधार की ओर कदम उठा पायेंगे ।

मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहती हूं कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही पिछले दो तीन वर्षों में इतनी घटनायें घटी हैं कि मुझे स्वयं इस बात का विश्वास हो चला है कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव टापरा में पिछले 15-16 महीने में तीन चोरियां हुईं । इन तीन चोरियों में से दो के अन्दर तो केस रजिस्टर हुआ और एक आपसी बातचीत के माध्यम में ही रह गयी । उन दोनों चोरियों में कोई माल बरामद नहीं हुआ और कोई चोर नहीं पकड़ा गया । इसी तरह से जागला में चोरी हुई और पुलिस में केस रजिस्टर हुआ । बालोतरा में श्री गोरधन सिंधी के यहां चोरी हुई उसका कोई माल बरामद नहीं हुआ । इसी तरह से पास पाटोदी के गोरखा मेघवाल के यहां चोरी हुई । पुलिस में केस रजिस्टर हुआ । लोगों को पकड़ा और शनाख्तगी के लिए उनको लाया गया चोर को नहीं पकड़ा । लेकिन कोई माल बरामद नहीं हुआ । न ही पुलिस ने चोरों को पकड़ा ।

उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में लोग डकैती की बात को भूल गए थे कि डकैती अब हमेशा के लिए समाप्त हो गयी है लेकिन आपका शासन आते ही बाड़मेर जिले के ग्राम हीरा की ढाणी में 29 दिसम्बर को डकैती हुई । डाकू गाड़ी लेकर आये और गाड़ी भी किस की, एक पुलिस थानेदार के भाई की गाड़ी । इस केस में भी कुछ नहीं हुआ और कोई माल की बरामदगी नहीं हुई....

श्री सम्पतराम : हुई है ।

श्रीमती मदनकौर : यह सारी स्थिति होते हुए भी राज्य सरकार अगर यह कहे कि हमारे यहां कानून और व्यवस्था और चैन की बंसी बज रही है तो इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूं ।

श्री सम्पतराम : बरामदगी कुछ तो हुई है आपके ध्यान में होगी शायद ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कुछ हुई तो सारी क्यों नहीं हुई ?

श्रीमती मदन कौर : जिसके यहां चोरी हुई उसका कोई माल बरामद नहीं हुआ । दो पिस्तौल ही बरामद हुईं जो कि डाकू स्वयं ही लेकर आये और माल कुछ नहीं मिला । इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहती हूं कि इस घटना के कुछ ही दिन पहले एक पड़ोस की पंचायत खारापार के एक सरपंच ने पुलिस में रिपोर्ट की कि इस क्षेत्र में कुछ अजनबी लोग रह रहे हैं और जिनको असामाजिक लोग अपने यहां रखे हुए हैं । इस सम्बन्ध में पुलिस को जानकारी करनी चाहिए थी । लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और इसी का फल हुआ कि यह डकैती हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जब कोई ऐसी सूचना और

(श्रीमती मदन कौर)

खास तौर से सरपंच की तरफ से शिकायत आये और लिखित में शिकायत आये तो उस पर कार्यवाही करें। आज इस क्षेत्र के लोगों में बड़ा आतंक फैला हुआ है और भय फैला हुआ है कि आज एक घर डकैती हुई है तो कल दूसरे के घर भी हो सकती है। इस इलाके की स्थिति ऐसी है कि वहां लोग दूर दूर ढाणियों में बसते हैं। बड़े गांव नहीं हैं, और आबादी नहीं है और उनका कोई बचाव करने वाला नहीं है। उस गांव के लोगों ने और आसपास की पंचायतों ने एक प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजा कि यहां हीरा की ढाणी में एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाये लेकिन राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उस क्षेत्र में जिसका क्षेत्रफल बड़ा है और डकैती की घटनायें हो चुकी हैं वहां एक पुलिस की चौकी गांव हीरा की ढाणी में स्थापित की जाये ताकि लोगों में विश्वास बन सके सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से इस वर्ष पुलिस में अधिक खर्च करने की बात रही है केवल बजट वृद्धि करने से आप विश्वास नहीं बना पायेंगे कि प्रदेश की जनता सुरक्षित है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन कि आप लोगो में यह वातावरण बनायें और आप अपनी पुलिस को निर्देश दीजिए कि वह अपनी सक्रिय और सजग तरीके से जनता का भी विश्वास प्राप्त कर केसेज में कार्यवाही करे तभी लोगों में विश्वास बनेगा। केवल इस मद में पैसा बढ़ाने से कोई कारगर उपाय सम्भव नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट शराबबन्दी के लिये निवेदन करूंगी। हालांकि बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज इस प्रदेश में मद्य निषेध के पक्ष में वातावरण पूरी तरह से बना हुआ है। चाहे राजनैतिक वातावरण की संज्ञा दें, चाहे किसी और तरह की संज्ञा दें। प्रदेश में शराब बन्दी आज नहीं तो कल लागू करनी ही होगी। जब करनी ही है तो उस काम को कल पर मत छोड़िये। मद्य निषेध लागू करिये और व्यवस्थित रूप से लागू करिये केवल कागजों में कानून न बना रहे, व्यवहारिक रूप से लागू हो। आज बाड़मेर जिले में मद्य निषेध है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बालोतरा नगर में जहां एस. डी. ओ. का दफ्तर है, डाक बंगला है, जहां पुलिस थाना है, मैन सड़क के ऊपर 24 घंटों में किसी भी समय शराब पीते हुए आदमी को देखा जा सकता है। अगर यह नीति लागू करनी है तो आपको विचार करना पड़ेगा, इस मद्यनिषेध की नीति को लागू करने के लिये राज्य सरकार को ऐसे लोगों के हाथ में इस काम को सौंपना चाहिये जिनका अपना मद्य निषेध में विश्वास हो। आज हालत यह है कि जिन लोगों के हाथ में सौंप रखा है, उनका स्वयं का उसमें विश्वास नहीं है। बाढ़ खेत को खा रही है। जब बाढ़ खेत को खा रही है तो कैसे सफलता मिलेगी? समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मद्य निषेध में विश्वास है, आज वालंटरी रूप से तैयार हो जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : वाढ़ तो यही लगा गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव आबकारी पर है। बूंदी क्षेत्र सूखा ग्रस्त एरिया घोषित कर रखा है....

एक माननीय सदस्य : सूखा ग्रस्त ?

श्री उपाध्यक्ष : अकाल के सम्बन्ध में होगा उनका ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था, बूंदी ड्राई एरिया घोषित कर रखा है सरकार ने शराब के मामले में। पहले वहां पर पांच, सात दुकानें थीं, आज 100 से अधिक दुकानें वहां पर हैं और इसका कारण वहां अधिकारियों की मिली भगत से दुकानें खोल रखी हैं। कहीं कहीं इस प्रकार की भट्टियां चल रही हैं। जहां तक शराबबन्दी का मामला है, इस प्रकार का जब तक पूर्ण रूप से वातावरण नहीं बन जायेगा, शराबबन्दी पूरी तरह लागू नहीं हो सकती। सेक्रेटेरियेट में बैठने वाले अधिकारी एवं अन्य दूसरे लोग जब तक इसके लिये पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करेंगे, चाहे कानूनी रूप से शराब बन्दी को लागू कर दें, परन्तु यह लागू नहीं हो सकेगी इसका मतलब यह नहीं कि मैं शराब बन्दी के पक्ष में नहीं हूं।

इसके साथ ही, राजस्थान में पुलिस के अन्दर जिस प्रकार भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा वास्तव में जो भ्रष्टाचार है, इसका कारण क्या है ? इसके कारण के लिए सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारियों के वेतन को हम देखें, उनका वेतन क्या है ? आज उनको मजबूरन अपना पेट भरने के लिये भ्रष्टाचार करना पड़ता है। मेरा निवेदन करना यह है कि जब तक जो छोटे कर्मचारी हैं, उनका वेतन नहीं बढ़ाया जायेगा और उनको ठीक भोजन नहीं दिया जायेगा, हम उनके ऊपर चाहे कितने अंकुश लगायें उनको मजबूरन इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन और है, आज राजस्थान में डी० आई० जी० कितने भर रखे हैं। आप जानते हैं इस प्रकार से हजारों रुपया खर्च हो रहा है। इसको रोकने के लिए व्यवस्था की जाये।

बूंदी जिले में थानों की ओर, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। थानों की कमी है। एक गरगड़ गांव है जहां के लोगों को शिकायत करने के लिये 7 थाने पारकर कोटा डैम जाना पड़ता है। गरगड़ का व्यक्ति अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है तो उसको निमाना, बूंदी, देवपुरा, तालरा, कोटा होकर जाना पड़ता है। शायद ऐसी मिसाल कहीं नहीं है। मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसे स्थानों पर थाने खोले जायें। हमने कई बार डी० आई० जी० को, आई० जी० को, और मन्त्री महोदय को लिखकर दिया है कि बूंदी जिले में इस प्रकार भ्रष्टाचार व्याप्त है और आज भी भ्रष्टाचार है। अब

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

कुछ दिन पूर्व पाटन के अन्दर 5-3-79 को एक घटना घटी। थानेदार के विरुद्ध 302 की रिपोर्ट दर्ज हुई है। उस थानेदार को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिये गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वह थानेदार है। उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के नियम है कि 302 में कोई कानूनी जुर्म साबित हो जाये, उसको उसी वक्त गिरफ्तार किया जाये। पाटन का थानेदार है उस पर 302 की धारा लगाई गई है। उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिये। अभी कुछ दिन पूर्व नैनवा पंचायत समिति के अन्दर एक सरपंच है, झूठी रिपोर्ट के अन्दर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आज दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी है

श्री मदनसिंह दांता : 197 में प्रोटेक्शन है। 6 महीने से हल्ला कर रहा हूं आपकी सरकार नहीं मानती है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा निवेदन करना यह है इस प्रकार की कार्यवाही मंत्री महोदय शीघ्र करें जिससे जनता के अन्दर जो इमेज खराब हो रही है वह वापस बने। जयपुर शहर के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव हुए थे। उसी बात को लेकर 12 तारीख और 14 तारीख को घटना घटी। एक व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों ने बन्दूकों के जोर पर कब्जे में लिया। पुलिस रिपोर्ट लिखाई गई तो कहा गया कि हमको आदेश हैं, उनको गिरफतार न करें। अगर इस प्रकार का वातावरण जोधपुर जैसा वातावरण राजस्थान विश्वविद्यालय में हो जायेगा। जो माहौल चल रहा है उसको शीघ्र रोका जाये, जो इस प्रकार की घटनायें घटती हैं उसको रोका जाये। कुछ व्यक्तियों को किसी अधिकारी का, किसी मन्त्री का कोई संरक्षण हो....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उसको रोका जाये। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाये और बूंदी में गरगड़, दादी, दोनों स्थानों पर थाने खोले जायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो फिर वास्तव में देश की स्थिति बड़ी नाजुक बन जाती है। लेकिन जो आंकड़े इस प्रगति विवरण में दिखाये हैं उससे तो कुछ आशा का संचार होता है। पिछले साल की तुलना में अपराधों की संख्या घटी है। डकैती 14 कम हुई। लूट के 117 केस कम दर्ज हुए और जो केसेज दर्ज हुए हैं उनकी संख्या सामान्य प्रकार के अपराधों में बढ़ोतरी होने के बावजूद अन्य अपराधों की संख्या में कमी हुई है। लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है। इस प्रकार की कई घटनायें हमारे सामने हैं उदयपुर जिले की जिनके आधार पर हम कह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सकते हैं आखिर कहीं न कहीं छिद्र है और उस छिद्र के कारण व्यक्ति के मन में जो सन्तोष होना चाहिए कानून और व्यवस्था के बारे में, वह नहीं है। एक नहीं, कई केसेस मेरे पास आये हैं जिन्हें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला केस है 26-1 का, जब देश में गणतन्त्र दिवस मनाया जा रहा था, चारों ओर जलसे हो रहे थे, 15 वर्षीय बालिका को एक व्यक्ति उड़ा कर ले गया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा वह व्यक्ति कोई सामान्य नागरिक नहीं था, श्रीमन्, वह व्यक्ति पुलिस का कर्मचारी था श्री सोहनलाल सुराड़का जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। वह उस बालिका को गणतन्त्र महोत्सव से उठा कर ले गया। उसके पिता को चार दिन तक पता नहीं लगा। 28 तारीख को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मैं वहां के एस. पी. साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, जब यह घटना घटी और उनसे जाकर कहा तो उन्होंने आदेश दिये कि 24 घंटे में मामला आ जाना चाहिये और यह भी कहा कि यदि आपको लगता है कि उसके पिताजी के बयान कराये जाए तो वे भी करा लिए जाए। लेकिन वह व्यक्ति तो केवल आदेश ही दे सकता था, पालना करने वाले तो वे ही नीचे के कर्मचारी होते हैं। वास्तव में उस मुल्जिम को पकड़ कर लाया गया लेकिन जो 164 में बयान उदयपुर में हो सकते थे, वे उदयपुर में नहीं हुए। उसको मावली ले गए और वहां भी मना कर दिया कि 164 के बयान नहीं होंगे। तब नाथद्वारा ले जाया गया और 164 के बयान वहां करवाये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि मेडिकल जांच में उसकी उम्र 18 वर्ष की बता दी। पिता के बयान के आधार पर 15 साल और कुछ महीने की बालिका को बरामद नहीं करा सके, यह है हमारा काण्ड, यह है कि हमारी इज्जत को बेचने का एक तरीका और यह है आपका पुलिस का सेवा भाव। जो हमारे सहायक बनने के बजाय भक्षक बनने को उतारू हो जायं, उनके लिए क्या कहा जाय।

वहां के जो डिप्टी है शर्मा वे उस थाने के इन्चार्ज नहीं हैं लेकिन उन्होंने दखलन्दाजी करके उसका मेडिकल करा दिया और उसको संरक्षण दे दिया। श्रीमान, यही नहीं इसी तरह मैं एक और दूसरा काण्ड आपके सामने रखता हूं। उदयपुर में गणेश घाटी है। 14 फरवरी को दिन दहाड़े एक हरिजन, जो हेबीचुअल आफेन्डर था, अपने साथ बन्दूक लेकर गया टेम्पो में और किसी तरह टेम्पो को गणेश घाटी चलने को विवश कर दिया। वहां जाकर दिन दहाड़े मां को गोली मार कर चला गया। जब उदयपुर शहर के बीचों बीच गोली चली तो सभी मोहल्ले वाले दौड़ कर चले गये किन्तु वह व्यक्ति उस सारी भीड़ में से निकल गया है। फिर उसने जाकर डकैती की मारवाड़ में और जब वहां के सामान का बटवारा रवेदर में कर रहे थे तो आपस में झगड़ा हो गया और झगड़े में एक व्यक्ति के गोली मार दी। उसके बाद उसका केस दर्ज किया गया। श्रीमन्, उसके बाद वह तीन तारीख को उदयपुर में आया और उसकी सूचना भी पुलिस को दी गई लेकिन पुलिस पकड़ नहीं सकी। यही नहीं उदयपुर में अनेक इस प्रकार की घटनायें

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
आये दिन घट रही हैं जिनकी पुलिस के द्वारा कोई रोकथाम नहीं हो रही है। यह बात अवश्य है कि हमारे एस० पी० साहब प्रभावशाली हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं लेकिन दूसरे पुलिस के कर्मचारी उनको सहयोग नहीं करते हैं।

इसी तरह, श्रीमान्, गिगला गांव सलूम्बर में है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा एक कालू नाम का महाजन है, उसके घर पर कुछ लोगों ने चढ़ाई कर दी और उसकी पत्नी को चौराहे में ले जाकर नंगा करके पीटा और उसको बुरी तरह पीट करके वापस घर में घुस गये और 40 हजार का माल लेकर चले गये। पता नहीं, श्रीमान्, इन 8 महीनों में मैं कितनी-कितनी बार कहां-कहां गया हूं लेकिन उनको न तो पकड़ा और न चोरी का माल बरामद किया। श्रीमान्, रात्रि में उस बनिये को बताया गया कि तुम्हारी सोने की कड़ी मिल गई है और फलां फलां चीज मिल गई है, लेकिन जब रिपोर्ट सुबह होती है तो कहते हैं कोई चीज बरामद नहीं हुई....

श्री मदन सिंह दांता : आपके वोटर आपके लिये वहां क्या कहते होंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी ईमानदारी में सन्देह है तो देख लीजिये ...

श्री मदन सिंह दांता : आपके लिये नहीं कह रहा हूं। ये होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इनके लिये कहता हूं, मैं तो। 10-10 दफा रिपोर्ट की आपने फिर भी ये सुनते नहीं हैं तो आपके वोटर क्या कहते होंगे ?

श्री एच. एन. शर्मा : पुलिस अधिकारियों को टार्चर करना पड़ेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस सारी घटना को सुन कर गांव-गांव के लोग आ गये, ढोल बजा। लोग इकट्ठे हुए, हमला हुआ लेकिन उनसे भय और आतंक के कारण कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं आप सी. आई. डी. से जांच करवाइये और दोषी व्यक्ति को सजा दें, बस इतनी सी मंशा है।

श्रीमान्, मैं चोरी करने वालों की कोई वकालत नहीं करता हूं, चोरी मानव की एक अपराध वृत्ति है और उस अपराध वृत्ति के कारण वह चोरी करता है और चोरी कराता है तो कानून में सजा का प्रावधान है लेकिन यह नहीं है कि चोरी करता है तो थाने में उसको बुरी तरह पीटा जाय। उसको इतना पीटा गया कि वह मर गया। पुलिस कर्मचारियों ने उसी पर झूंठा आरोप लगा दिया कि पत्ती से गला काट कर मर गया। झूंठ बोलना कोई अच्छा काम नहीं है। पुलिस अधिकारी स्वयं झूंठ बोल कर यह कहें कि उसने आत्म हत्या कर ली। श्रीमान्, सच्चाई कहीं छिप नहीं सकती है। आपको भी पता लगाना चाहिये था कि क्या कोई पत्ती से गला काटकर हत्या की जा सकती है। कई बार मैंने इसके लिये निवेदन किया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

श्रीमान्, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जिनके बारे में हम कहते हैं, उनके बारे में आपने कभी कोई विचार किया है ? पुलिस के सिपाही के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं । आज राज्य के कर्मचारियों में सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो वह पुलिस का सिपाही है । उसकी खाने की रोटी को देखा जाय, उसके खाने की दाल को देखा जाय तो आप कहेंगे यह कैसे खायेगा । 300) रु. में 24 घंटे का नौकर रख रखा है । क्या कभी आपने उनके साथ न्याय किया है ? सभी लोग 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं लेकिन पुलिस का सिपाही बेचारा 24 घटे की ड्यूटी देता है । उसके लिये आप कोई रास्ता नहीं निकाल सकते हैं । वह बेचारा दुखी होकर अफसरों के घर पर काम करे और काम नहीं करे तो जूते खाय और श्रीमान् उसका ट्रांसफर कर दें । आपने सुना, किसी सिपाही का बच्चा कोई बड़ा अफसर बना हो । नहीं बन सकता है, उस वेतन में तो केवल सिपाही बनता है और 24 घटे काम करता है । रविवार को भी उसको छुट्टी नहीं देते हैं। यदि आप उसे छुट्टी नहीं दे सकते हैं तो यह तो कर सकते हैं कि दो महीने की उसको एक्सट्रा सेलेरी दी जाय । श्रीमान्, आप उसके लिये कहते हैं, कहीं यूनियन न बन जाय । क्योंकि यूनियन बनने से कहीं आपको कोई खतरा न हो जाय इसलिये उनकी यूनियन नहीं बनने देते हैं । मैं कहता हूं, यूनियन बनाना कौनसा गैर कानूनी है लेकिन आपने उसके लिये भी पाबन्दी लगा दी । यह हो सकता है और आप कह सकते हैं कि हड़ताल नहीं करें लेकिन अपने वास्तविक हकों की ओर अपने लिये वाजिब हकों की मांग करता है और सत्य चीज को बताता है तो आपको कौनसी परेशानी आने वाली है । आई. पी. एस. एवं आर. पी. एस. आफिसर अपनी यूनियन बना सकता है तो फिर सिपाही ने कौनसा जुर्म किया है कि आप उसकी यूनियन नहीं बनने देते हैं । इसके पूर्व सन् 1965-66 में सर्व प्रथम एक व्यक्ति उदयपुर के मानसिंह ने यूनियन बनाई थी लेकिन दुःख की बात है कि अजीत स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई । अब फिर सन् 78 के 24-25 दिसम्बर को वे मिले हैं और उन्होंने एक संगठन बनाने की इच्छा जाहिर की है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जो रेस्ट्रिक्शन आप लगाना चाहें लगा लें लेकिन उनको इस अधिकार से आप वंचित न रखें । उनका अपना यह अधिकार है । यदि आप यह कहते हैं कि कोई राजनीतिक दल संगठन में नहीं जाना चाहिये तो मेरा निवेदन है, कोई भी राजनीतिक दल इस पुलिस संगठन में नहीं जायगा लेकिन अपने हकों के लिये यदि वे कोई संगठन बनाना चाहते हैं तो बना दीजिये । अपने हकों के लिये ही तो आपसे भीख मांग सकता है, इसमें अनुचित क्या है ?

(व्यवधान)

श्रीमान्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं थाने हैं और जो उनके इन्चार्ज होते हैं वे तो येनकेन प्रकारेण चोरों से सांठ-गांठ करके या कैसे भी अपना पेट भर लेते हैं लेकिन मैं पूछता हूं उस सिपाही को क्या मिल जाता है । मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा वह एक कप चाय पी लेता होगा । आपको

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चाहिए कि इन बड़े-बड़े अधिकारियों की तनख्वाहों को तब तक नहीं बढ़ाये जब तक इन बेचारे गरीब सिपाहियों को अपना हक नहीं मिले, इन लोगों का पैसा नहीं बढ़ायें। केवल कुछ अधिकारियों को खुश रख कर इन हजारों भूखे सिपाहियों की बददुआ मत लो। इनकी आत्मा कचोटती है, इनकी आत्मा बद्दुआएं देती हैं और भूखों की बद्दुआएं लेकर कोई भी सरकार जिन्दा नहीं रह सकती। किसी को भूखा रख कर ईमानदार नहीं रख सकते। इसलिए इन गरीबों के बारे में निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए जिनको 24 घण्टे वर्दी लगा कर ड्यूटी पर खड़ा रखते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी

श्रीमान् दो मिनट और लेना चाहता हूं। यही नहीं, श्रीमान्, मैंने पहले भी कहा था कि यह आबकारी विभाग जो आपका है, आपने आबकारी विभाग खोला है और यहां पर आपने शराबबन्दी की भी चर्चा की है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि, जिस दिन ड्राई डे होता है उसी दिन शराब की दुकानें खुली रहती हैं। हम टेलीफोन करते हैं पुलिस को कि शराब की दुकान खुली हुई है, तो दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से टेलीफोन जाता है, दुकानदार के पास हरकारा भेजा जाता है, सूचना पहुंचाई जाती है, चपरासी जाता है कि आपकी चैकिंग होने वाली है, दुकान बन्द कर दो। हम वहां जाते हैं तो दुकान बन्द मिलती है। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि दुकान खुली हुई थी, 15-20 मिनट पहले दुकान खुली हुई थी, हमने अपनी आंखों से देखा है और तभी टेलीफोन किया है और जब वहां पर जाते हैं तो दुकान बन्द मिलती है। इस प्रवृत्ति के आधार पर क्या आप शराब को रोक सकेंगे? शराबबन्दी की बहुत बात की जाती है और मैं भी मानता हूं कि निश्चित रूप से शराबबन्दी होनी चाहिए लेकिन शराब बन्द करने के पहले कोई तरीका तय करना पड़ेगा। मेरा तर्क यह है कि शराब की दुकानें खुले आम बाजार में खोलें और खुले बाजार में दुकानें खोल कर सरेआम शराब बेचें और उसकी कीमत बढ़ा कर पूरी तबीयत से बेचिये, गांव-गांव में बेचिये, इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन गांव की पंचायत को अधिकार दीजिए कि जो भी नाजायज शराब बनाते हैं उनको पकड़ कर सजा दे सकें, उन पर जुर्माना कर सकें, उनको नाजायज शराब बनाने से रोक सकें....

श्री मदनसिंह दांता : आज भी कौन रोकता है, जिसके चाहे घड़े फोड़ सकते हो, कौन रोक सकता है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमान्, अब भ्रष्टाचार का जो आपका विभाग है उसके बारे में निवेदन करूंगा। वैसे तो सूचना भेजते हैं, चिट्ठी भी आती है कि आपके कागजात प्राप्त हो गए हैं, और भी कागजात हों, कोई डाकूमेंट हों तो भेजें। हमने एक केस भेजा। सब्सिडी वितरण की गई, सब्सिडी बांटी गई तो गांव में जाकर पूछा कि इस पम्प सैट के लिए सब्सिडी मिली है तो उसने कहा कि मुझे नहीं मिली। उन्होंने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बयान लिख कर दिया, एस. आई. के यहां पर दिया कि हमारे यहां सब्सिडी बैंक में जमा नहीं हुई है, भू-जल विभाग का परियोजना अधिकारी श्रीवास्तव है जो सब्सिडी लेकर कहां चला गया है इसका पता नहीं। सब्सिडी बैंक खाते में भी जमा नहीं की गई और यह रिकार्ड पूरा कर दिया। सब्सिडी कैसे बांट दी गई जब कि कैश सब्सिडी बांटने का प्रावधान नहीं है। अतः इस अधिकारी को तुरन्त हटाया जावे। सारे डाकूमेंट पेश कर दिए, मुख्य मंत्री जी को भी चिट्ठी लिख दी गई लेकिन पता नहीं किस तरह से एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बचा लेते हैं उसी तरह से इस केस में भी बचा लेंगे। इसमें मेरी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है न मैं सरकार को कोई बुरा भला कहना चाहता हूं लेकिन मेरे दिल में एक तमन्ना है कि ईमानदारी का राज हो, सच्चाई का राज हो। इसके लिए हमें कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, दूसरों को दोषी करार देकर ही चुप नहीं बैठ सकते। हमें जो अवसर मिला है उस समय का हमें उपयोग करना पड़ेगा और तभी हम यह कर सकेंगे। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने जो पिछले बजट भाषण पर मैंने एक बात कही थी और कुछ माननीय सदस्यों ने यह सोचा था कि मैंने यह बात एक ऐसे बुजुर्ग नेता, जो अपने आपको सर्वोदयी कहता है, जो अपने आपको गांधीवादी कहता है, के लिए कह दी। मैंने कहा था कि यह एक बुद्धिहीन वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है और आज फिर मैं उसी बात को दोहराता हूं कि वह बुद्धिहीन ही हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता उस व्यक्ति को मैं बुद्धिहीन मानता हूं। जब वित्त मंत्रीजी बहुत अर्से से इस बात के लिए घोषणा कर रहे है कि शराबबन्दी होगी, शराबबन्दी नहीं होगी तो इस मंत्रिमण्डल में मास्टर आदित्येन्द्र नहीं रहेगा। मैं समझता हूं अच्छा होता मास्टरजी के लिए कि आप हार्ट अटैक का बहाना करके या और किसी बीमारी का बहाना करके अस्पताल में दाखिल हो जाते और इस बजट को मुख्य मंत्री या और कोई मंत्री प्रस्तुत कर देते तो थोड़ी बहुत आपके बारे में जो इमेज इस राजस्थान में बनी हुई है, शायद इससे कुछ बच जाती। पर कुछ तो उन्होंने अपनी बुद्धि का दिवाला निकाल दिया। आज वे कहते हैं कि एक दो दिन के बाद हम ऊपर निर्णय करेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई बात कहने को नहीं है। अभी भी बिहार में घोषणा हो चुकी है, और जगहों पर हो चुकी है और वहां के भी कई माननीय सदस्यों में से ज्यादातर माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर करके आपको दे दिया है कि यहां पर शराबबन्दी हो। अब सवाल यह है कि आप शासन में रहना चाहते हैं या इन माननीय सदस्यों की बात को मानना चाहते हैं? तो कुर्सी के लालच से, जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी के लालच से अगर आपने शराबबन्दी की थोड़ी बहुत घोषणा की तो

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कोई सुन्दर नहीं लगेगा। अगर बिहार की तरह घोषणा करें तो शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस पर आपको धन्यवाद दें लेकिन आज अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। आज सवाल यह है कि इस देश के अन्दर जितने भी सर्वोदयी हैं, इस क्षेत्र के अन्दर रचनात्मक काम करने वाले लोग हैं वे राज के पैसे से पलते हैं और राज के पैसे से कैसे-कैसे सुख लूट रहे हैं। आज मद्य निषेध के नाम पर आपने लाखों रुपया इनको दिया है जिससे इनका गुजारा चलता है। आज जो शराबबन्दी की बातें करते हैं उनकी क्या हालत है। वे खुद कारों में घूमते हैं और उनकी औलादें शाम को शराब पीकर सड़कों पर घूमती हैं। वे राज के पैसे से ऐशो आराम करते हैं। पता लगाइये कि जो शराबबन्दी के रहनुमा बन रहे हैं, जो शराबबन्दी के मसीहा बन रहे हैं उनकी क्या हालत है? आपका रुपया जाता है और एक छोटा सा पर्चा निकाल दिया। क्या इन्होंने शराबबन्दी के लिए मानस बनाया। आप उनका हिसाब नहीं लेते। आप पिछली गवर्नमेंट की बात करते हैं लेकिन ऐसे लोग जो आज समग्र क्रांति का नारा देते हैं, जो समग्र क्रांति के दूत बनते हैं वे राज के पैसे के बिना समग्र क्रांति का नारा ही नहीं दे पाते। उस पैसे से पलने वाले, राज के पैसे से पलने वाले आज हमारे इस पैसे से ही सदन के बाहर तम्बू लगा कर शराबबन्दी की बात करते हैं। इस सारे राजस्थान की भलाई की बात नहीं सोच कर केवल अपनी बात को थोपना चाहते हैं। क्या उन्होंने शराबबन्दी के लिए काम किया, कितना प्रचार किया, कितना मानस बनाया, कितना पैसा जनता से इस काम के लिए लिया, कितने कार्यकर्त्ता तैयार किए? राज का पैसा और राज के पैसे से ही बाहर तम्बू लगा कर शराबबन्दी कराना चाहते हैं। शराबबन्दी होनी चाहिए तो सम्पूर्ण भारतवर्ष में होनी चाहिए, नशाबन्दी होनी चाहिए क्योंकि इससे दिमाग खराब होता है। लेकिन दिमाग खराब करने के लिए और भी तो नशे हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि गांवों में कहावत है कि जिसके यहां गाय का बछड़ा है, जो किसान है वह जानता है कि जिसका बछड़ा पेशाब पीने लग जाता है, उस पेशाब पीने वाले बछड़े के लिए कहा जाता है कि यह खोटा जीव है। जब इस देश का प्रधान मंत्री पेशाब को पीने लग जाय तो समझ लेना चाहिए कि इस देश के खोटे दिन है, इस देश को रसातल में ले जाना चाहते हैं। उनसे कह दें कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो सबसे खराब चीज है उस पेशाब को पीना छोड़ें और इस देश को रसातल में ले जाने से बचायें। जो माननीय सदस्य बार-बार यहां पर कहते हैं कि इस कांग्रेस ने देश के अन्दर तीस सालों में क्या किया, वह यह कहना छोड़ें। इसी एक बात को कब तक कहेंगे, कैसे कहेंगे, किस बात के लिए कहेंगे? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस मद्य निषेध की नीति पर राजस्थान के भले ही दृष्टि से विचार करें। केवल राजस्थान का ही सवाल नहीं है, यह सम्पूर्ण भारत का सवाल है। इसलिए सम्पूर्ण भारत के साथ राजस्थान को भी जोड़ा जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में निर्णय लेते समय राजस्थान का जो

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मंत्रिमण्डल है, राजस्थान का जो शासन चलाने वाले हैं, वे अच्छी तरह से सोच समझ कर निर्णय लें। केवल एक काम ही न करें। आज राजस्थान में जो असुरक्षा की भावना है आज राजस्थान में जो अराजकता की स्थिति है, आज राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है उससे उसके दर्द में और बढ़ोतरी हो। लोग बाग यह कहें, सम्पतरामजी, आपका सम्पत तो सम्पत ही रह गया और राम निकल गया। राम तो निकलने ही वाला है जिस समय शराबबन्दी होगी। एक तो आपका गृह विभाग है, जिस गृह विभाग में हमने राजस्थान के लिए थोड़ी सी बढ़ोतरी करके व्यवस्था की है, आज कोई म्यूनिसिपैलिटी का काम हो, कोई बाजार में मालिन सब्जी बेचती है उसको हटाना हो, हमारे नेतागण कहीं पर जाते हों और उनका स्वागत कराना हो, चाहे कोई भी काम कराना पड़े तो सब कहते हैं कि पुलिस की इमदाद मांग लो। चाहे कोआपरेटिव की वसूली करनी हो या और किसी की वसूली करनी हो तो पुलिस से इमदाद मांग लो। थानों की संख्या थोड़ी हैं, पुलिस की इमदाद की सख्त जरूरत है तो यह सोचना पड़ेगा कि यह जो बात है उसके लिए हम कितना करें। मैं यह कहना चाहता हूं, गृह मंत्री जी, अगर यह बात है तो आपको पुलिस की बहुत बड़ी स्ट्रेन्थ बढ़ानी पड़ेगी। अगर शराबबंदी होती है तो आपका, गृह विभाग का भी दायित्व होगा क्योंकि आप गृह मंत्री हैं। मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं, इस हाउस में भी यह बात पहले कही जा चुकी है कि बुन्दु खां की पुलिस की हिरासत में मृत्यु हुई है। सरकार का ध्यान इस ओर इस सदन के द्वारा आकर्षित किया गया है। यहां पर सरकार ने कहा कि बुन्दु खां की मृत्यु एक डकैतों के कारण हुई है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अफसोस की बात है, जब उसका पोस्टमार्टम कोटा में हुआ तो उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उसके मस्तिष्क की नली फट जाने के कारण मृत्यु हुई है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय उसके साथ जो अन्य मुलजिमान थे, उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने बताया है और प्राइवेट इस्तगासा में कहा है, मुझे एक माननीय सदस्य ने कहा है, 302 का प्राइवेट इस्तगासा है परन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ माननीय गृह मन्त्री जी को एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर शहर में ब्राह्मणों, कई तरह के ब्राह्मण होते हैं, उनमें से एक सनाढ्य ब्राह्मण की लड़की ने एक गुजराती ब्राह्मण के लड़के से शादी कर ली ब्रह्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र में जहां के असरदार मन्त्री इस सरकार में है। उस लड़की ने एक चपरासी के लड़के से शादी कर ली। लड़की से उसके माता पिता रुष्ट हो गए। उस लड़की की रजिस्टर्ड मैरिज हुई। उसके एक बच्चा पैदा हुआ और 5-6 महीने का एक बच्चा उसके है। उसके घरवाले उस लड़के के घर पर गए और उसको पीटा। आपको, उपाध्यक्ष महोदय, यह सुन कर ताज्जुब होगा कि वह आज जयपुर के एस. एम. एस. अस्पताल में 71 नम्बर के बैड पर है। इस पर भी आपकी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उस पर तेजाब डाल कर उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया गया है कोई कार्यवाही पुलिस नहीं कर पाई क्योंकि उसको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हो गया है। आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकी है। इधर वह चपरासी का लड़का है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप थोड़े से अर्से में, 30 महीने के अन्तराल में ऐसे जुल्म करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और हमारे तीस साल के शासन की बात दूसरी तरफ करते हो। आपका तो जुल्म इन तीस महीनों में ही चरम सीमा पर पहुंच गया है? मैं यह पूछना चाहता हूं आप किसको संरक्षण देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर स्वच्छ प्रशासन देने की बात कही जाती है। आप गृह मन्त्री हैं परन्तु फिर भी आपकी मजबूरियां है। जहां जिलों का सवाल आता है, सीकर जिले का सवाल आएगा तो वहां पर गृह मन्त्री होंगे हमारे उद्योग मन्त्री। जब राजस्थान के और जिलों का सवाल आएगा तो वहां गृह मन्त्री होंगे हमारे मुख्य मन्त्री जी। मैं जानता हूं कि आप राजस्थान के गृह मन्त्री नहीं हैं केवल आपको राजनीतिक कारणों से गृह मन्त्री बना रखा है। मैं यह भी जानता हूं कि आप में योग्यता की कमी नहीं है। मेरे साथ आप रहे हैं। यह भी मैं जानता हूं कि आप में काम करने की क्षमता है लेकिन आपकी उस क्षमता को काम में लेने के लिए आपको समय नहीं देना चाहते हैं आपकी पार्टी और आपके मुख्य मन्त्री....

(8.23 म. प.)

(श्री मन्जूर अली, सभापति, पदासीन)

मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, मैंने राजस्थान के मुख्य मन्त्री को जिम्मेदारी के तौर पर कहा था कि इस डी. एस. पी. के अलावा राजस्थान के जितने भी दूसरे डी. एस. पी. हैं उनसे तफ्तीश करा लें क्योंकि उस व्यक्ति के खिलाफ चार, पांच साल पहले शिकायत की थी। उसी से जांच करवाते हैं और हमारे मुख्य मन्त्री जी चौपड़ पर भाषण देते हैं, उस भाषण के अन्दर बड़ी-बड़ी डींग मारते हैं....

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपको चैलेन्ज दिया गया था। आप उस चैलेन्ज को स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री जय कृष्ण शर्मा : चिलम भरने से काम नहीं चलेगा। आपका काम हो जाएगा। आपने मर्डरर को संरक्षण दिया है...

(व्यवधान)

चौपड़ पर भाषण दिया था परन्तु उस व्यक्ति से आप राजनैतिक वैमनस्य निकालना चाहते हैं। जितने भी आपके राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हैं क्या उनसे बदला लेंगे? आप, गृह

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मन्त्री जी; यहां पर बैठे हैं। आपातकाल के दौरान अलवर के अन्दर, तीन चार व्यक्तियों को डी. आई. आर, में बन्द किया गया था। इसलिए डी. आई. आर. में बन्द किया गया था कि उन्होंने एक गरीब लड़की को ले जा कर के नंगा करके बेइज्जती की थी और उस काण्ड की यहां विधान सभा में गूंज हुई थी। जो व्यक्ति लड़की को नंगा करे और जिसको डी. आई. आर. में पकड़ा गया ऐसे व्यक्तियों को भी आप आपातकाल में शहीद हुआ मानते हैं, उनको शहीद बनाते हैं, यह बताते हुए आपको शर्म नहीं आती। जिन्होंने देश की इज्जत को लूटा उनको भी आप शहीद बना लीजिए हमें इस पर कोई एतराज नहीं है परन्तु हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप ऐसा करें जिससे इस प्रदेश के अन्दर लोगों में जो असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, वह असुरक्षा की भावना बन्द हो, लॉ एण्ड आर्डर ठीक हो। तो इस भावना को दूर करना चाहिए। हमारे प्रदेश में जो यह स्थिति है, वह तभी दूर होना संभव होगी जब हम आपने आपको ऊपर उठाएंगे ...

(व्यवधान)

आपकी यह रिपोर्ट आई है इसमें यह कहा गया है कि केसेज कम हुए हैं। गृह मन्त्री जी, आप देख लीजिए इस रिपोर्ट को। ऐसी रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। आज सड़कों पर लोग क्या कहते हैं, बसेज में लोग क्या कहते हैं, ट्रेन्स में लोग शान्ति और व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिये। आप कहते हैं डाकाजनी, चोरी, अपराध ये कम हुए हैं परन्तु वास्तव में ये अपराध कम नहीं हुए हैं, बढ़े हैं।

अन्त में मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। जब कभी भी इसका नाम आता है तो माननीय सदस्य सदन में मेजें थपथपाते हैं। तो यह है अन्त्योदय योजना, सभापति महोदय, इस अन्त्योदय योजना का नाम आते ही यहां पर मेजें थपथपायी जाती हैं। परन्तु मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि यह अन्त्योदय योजना आपका अन्त करने के लिए आई है, यह अन्त्योदय ही आपकी मौत का कारण होगी, यह इस सरकार के लिए मौत का वारन्ट है ...

(व्यवधान)

श्री माधो सिंह कछवाह : क्या आप गरीबों के शत्रु हैं ?

श्री जय कृष्ण शर्मा : हम गरीबों के शत्रु नहीं हैं। उनके लिए हमारे पास बीस सूत्री कार्यक्रम है। आप तो गरीब को और गरीब बना रहे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह पूज्य बापू का दिया हुआ शब्द है। यह उनकी योजना है। इस प्रकार आप बापूजी का अपमान कर रहे हैं।

श्री जय कृष्ण शर्मा : यह कोई बापूजी की योजना नहीं है। यह तो आपके मुख्य

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मन्त्री की व्हिम हैं। वे इस योजना के द्वारा मसीहा कहलाना चाहते हैं।

अन्त में मैं, सभापति जी, गृह मन्त्री जी को यह अन्त्योदय का एक तोहफा भेंट करना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, No interruption, please.

श्री माधो सिंह कछवाह : ये गरीबों का विरोध कर रहे हैं।

श्री जय कृष्ण शर्मा : पहले आप इनको सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं तमाम सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-1 मिनट का सही सही इस्तेमाल होने दीजिए। बीच में इन्ट्रप्शन न करें। मैं एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा। इसके बाद उनके न बोलने का रास्ता.....

श्री दूला राम (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, मेरी पार्टी के नेता के नाम टेलीग्राम आया है लादूराम, देव बागड़िया ग्राम देवड़ा बास से।

श्री माधो सिंह कछवाह : सभापति महोदय, यह समय अधिक दिया जा रहा है।

श्री दूलाराम : जिला टोंक से भेजा है कि हमारे झोंपड़ों को लक्ष्मण वगैराह ने आग लगा दी जिससे मकान जल गये। हम अन्त्योदयी परिवार बेघर हो गये हैं, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। संरक्षण की आवश्यकता है। यह हाल है हरिजनों का। इसलिए गृह मन्त्री जी, मेरा अनुरोध है कि आप इस बारे में कठोर कदम उठावें। यह जो तार प्राप्त हुआ है मैं इसे सदन की मेज पर रखता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गृह मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि सख्त कदम उठावें।

श्री सभापति : श्री मनोहर सिंह मेहता।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपकी मार्फत गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको गणेश सिंह जी जैसे आई. जी. पी. मिले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई एस. पी., डी. आई. जी. अच्छे हैं लेकिन आपका महकमा बदनाम बहुत है। आप लोग भ्रष्टाचार में शील्ड भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि कई महकमे ऐसे भी हैं जो आगे आ जाते हैं। इसलिए आप अपने विभाग वालों से कहें कि हम तो बदनाम बहुत हैं। दूसरे कहते हैं पर हम तो पीछे रह जाते हैं और बदनामी आपकी

(138)

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

होती है । इसलिए शराबबन्दी करें तो पहले अपने महकमे वालों को ईश्वर निष्ठा में शपथ दिलावें कि वे शराब नहीं पियेंगे । मैं कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 30 साल तक शराब की ग्रामदनी बहुत वढ़ाई लेकिन एक उन्होंने वेश्यालय चालू नहीं किये । अगर वे चालू कर देते तो हमारी सरकार दलील देती उनको बन्द न करने के बारे में भी । वे आपने चालू नहीं किये' मैं आपको बधाई देता हूं । मैं आगे आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कभी यह सोचा भी नहीं था कि 30 साल में यह स्थिति भी ग्रायेगी कि शराब की भी माननीय सदस्य पैरवी करने लगेंगे । कहावत है कि ग्रोछी जात कलाल की, जिसके हाथ का पानी भी नहीं पिया जाता था लेकिन 30 साल में सभी जगह शराब की दुकानें चालू हैं—गुप्ता वाइन स्टोर, मेहता वाइन स्टोर, शर्मा वाइन स्टोर, बड़े-बड़े वाइन स्टोर खुल गये हैं । कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह स्थिति हो जाएगी । ग्राज हालत यह हो गई है कि जो क्लबों में शराब पीते हैं उनकी इज्जत होती है जो नहीं पीता है उसको दकियानूसी ग्रौर पिछड़ा हुग्रा कहा जाता है । मैं शराबबन्दी पर निवेदन करूं लेकिन करूं किसको ? ग्राप सब जानते हैं कि यह बहुत खराब है लेकिन कहें किससे ? "सोन्यो खोल किवाड़ दे सुणतां पहली रेड़ ।" जिसको नींद आ रही हो वह तो जाग कर खोल देगा लेकिन मिस लेण्यो खोले नहीं, थूं भल खूब भचेड़ । उसको चाहे कितनी ही ग्रावाज दो, जो जान बूझ कर झूठी नींद सो रहा है वह क्यों खोलेगा । ग्राज शराबबन्दी की आड़ में शराब बिक रही है । राजस्थान के 13 जिलों में बन्द ग्रौर 13 में खुली तो बन्द होगी कैसे? इससे बढ़ कर शर्मनाक ग्रौर कलंक की बात कोई हो ही नहीं सकती कि कांग्रेस ने गारण्टी से ठेके दिये ग्रौर ग्रापने उनको चालू रखा । ग्राप कहते हैं कि लोगों को समझाइये । वे समझे हुए हैं वातावरण बना हुग्रा है । ग्रगर 10 साल तक शराब चलती रही तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि ग्राप सब के हाथ में प्याला होगा ग्रौर शराब की बोतल विधान सभा में सामने होगी । ग्राज जो शराबी हैं वह भी यह कहता है कि कहीं मेरा लड़का शराबी न हो जाय । ग्राप ग्रौरतों से जाकर पूछिये जिनको रोज शराबी पति की मार खानी पड़ती है । उन लाखों कुम्हलाते हुए बच्चों को देख कर, ग्रौरतों को मार खाते हुए देख कर ग्राप करोड़ों रुपयों का विकास का कार्य करना चाहते हैं तो लानत है उन विकास कार्यों पर लानत है उनको भी जो 30 साल तक शराब चलाते रहे ग्रौर लानत है उनको भी जो आज भी शराब चालू रखे हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interruption please.

श्री मनोहर सिंह मेहता : ग्राप कहते हैं उनको समझाइये । यानि हम लीपते रहें ग्रौर ग्राप चौपट करते । रहें गांधी जी ने कहा था कि चाहे कितनी ही कोशिश करते रहें, जब तक राज्य नहीं रोकेगा तब तक शराबबन्दी ग्रसंभव है क्योंकि शराब की बोतल में जो टेम्पटेशन है, जब लाल, पीली, हरी, बोतल नजर ग्राती है तो नहीं रहा जाता । लोग कहते हैं कि हमारी पीने की ग्राजादी

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

में विघ्न डालना चाहते हैं। गांधी ने कहा था....

श्री रणमल सिंह : क्या माननीय सदस्य दवाई के रूप में लेते हैं ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई शराब....

श्री रणमल सिंह : ब्राण्डी दवाई के रूप में लेते हैं कभी कभी ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं तो नहीं लेता लेकिन आप बीमार होंगे तो आपको देने में मुझे एतराज नहीं होगा। सभापति महोदय, अगर आप इन्ट्रप्शन बन्द करवा दें तो बड़ी कृपा होगी :

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मुझ पर आरोप....

(व्यवधान)

श्री सभापति : जितने माननीय सदस्य बोलने वाले, कट मोशन्स देने वाले हैं उन की, सब की स्पीच पूरी नहीं हो सकेगी। मैं फिर बड़े अदब से रिक्वेस्ट करूंगा....

श्री श्योपत सिंह मकासर : लानत तो सरकार को देनी चाहिये, जिस सरकार में खुद बैठे हैं, मेहता साहब छोड़ दीजिये, उनको। क्यों पियक्कड़ों के साथ बैठ कर....

श्री सभापति : माननीय मेहता जी, आप समाप्त कीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप जनता पार्टी को छोड़िये, हम साथ देंगे।

श्री राम नारायण चौधरी : मनोहरसिंह जी मद्य निषेध के मसीहा हैं उन पर भी शराब पीने का आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ा कोई आरोप हो ही नहीं सकता।

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था देने पर मजबूर हूं। बीच में जो बोलते हैं उनको अंकित नहीं किया जाय।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अगर मुझे किसी ने यह कह दिया....

(व्यवधान)

मैं डिस्टीलरी आफीसर रहा हूं और मेरी डिस्टीलरी में सबसे बढ़िया शराब बनती थी। मेरे घर के लोग राज्य के बड़े बड़े ओहदों पर थे और वह शराब पीते थे। बहुत से मरे ही हैं शराब पीकर। मैं शराबबन्दी में इसी वजह से आया हूं। अगर किसी माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि मैं शराब पीता हूं तो....

(१४०)

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

(व्यवधान)

आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप बात सुनेंगे। मैंने आज तक किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। अगर मेरा ख्याल रखें तो ठीक होगा।

अगर किसी ने मुझसे कह दिया कि मैं काणा हूं तो मैंने इस आंख को देख लिया कि वह ठीक है। और फिर कहा कि इस आंख से, तो मैंने दूसरी आंख को भी देख लिया कि वह भी ठीक है। तो उनको कहने दें।

अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून के जरिये से पीने के अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं? गांधीजी ने कहा था कि उफनती हुई नदी में कोई गिर रहा हो या धधकती आग में कोई आदमी गिरता हो तो बल प्रयोग करके भी उसको रोकना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा शराब की धधकती भट्टी में जाने वाले को रोकना है क्योंकि शराब से शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है जब कि आग और पानी से शरीर का ही नाश होता है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : गांधीजी ने तो और भी बहुत सी बातें कही थीं। यही क्यों आपने पकड़ी?

श्री मनोहर सिंह मेहता : सभापति महोदय, इन श्योपत सिंह जी को बोतल लाने की इजाजत दे दें हाउस में ताकि यह तो न बोलें बीच में।

मैं एक मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपने मेहरबानी करके यह कहा है कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मैं तो एक मिनट में यह निवेदन करना चाहता हूं कि शेखावत साहब का मेरे मन में आदर है, मैं क्या सारा हिन्दुस्तान कहता है कि एक ही मुख्य मन्त्री जनता सरकार का ऐसा है कि जिसके यहां अच्छी सरकार काम कर रही है और सबको अपने साथ लिये हुए है। मैं चाहता हूं कि वह शराबबन्दी की ओर कदम उठायें। अगर नहीं उठाते हैं तो उनके लिए अपने मन में आदर रखते हुए गोकुल भाई भट्ट के साथ अनशन पर किशोर निवास या जहां पर भी वे बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा। लेकिन मैं मुख्य मन्त्री के लिए श्रद्धा और इज्जत होने की वजह से बैठूंगा, आप सब लोगों के प्रति श्रद्धा होने की वजह से बैठूंगा। अगर जीवित रह गया तो इस सदन में आऊंगा और अगर जीवित नहीं रहा तो इस सदन से इस्तीफा हो ही जाएगा।

श्री सभापति : श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री हरीश शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जवाब तैयार है वह जवाब दिलवा दें आवासन मण्डल का।

श्री शिव चरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह आप कटमोशन के आधार पर ले रहे हैं या पार्टी के समय के आधार पर। कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से और जनता पार्टी की तरफ से

(श्री शिवचरण सिंह)

इतने वक्ता बोल चुके हैं और हमारा एक ही वक्ता बोला है।

श्री नूरा : अगर किसी फैसले के आधार पर आपने लिस्ट बना ली है तो ....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना जरूरी समझता हूं कि जैसी व्यवस्था उपाध्यक्ष महोदय ने दी थी कि जितने कट मोशन्स यहां पर आए हैं उन सब कट मोशन्स पर बोला जाना मुमकिन नहीं है इसलिए सभी सचेतकों से बोलने वालों की लिस्ट ले ली गई थी और उसी आधार पर मैं कहूंगा।

श्री शिव चरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी का अभी तक एक ही नाम पुकारा गया है। हमने भी नाम दिये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो अमेन्डेड लिस्ट आई है उसके अनुसार 2-3 व्यक्ति बोल चुके हैं।

श्री शिव चरण सिंह : कांग्रेस और जनता पार्टी के 15 वक्ता बोल चुके हैं। 15 में से 1 तो हमें चान्स देते।

श्री सभापति : श्री एच. एन. शर्मा।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री हरीश शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, माननीय सभापति महोदय, अभी आपने कहा है कि आपने दल के सचेतकों से लिस्ट ले ली है उसके अनुसार ही सदन में बुलाया जाएगा। मेरी पार्टी का तो कोई सचेतक नहीं है। मैंने स्वयं ने अपना नाम दिया है।

श्री सभापति : आपका नाम है।

श्री नूरा : हमको प्राथमिकता देनी चाहिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप दोनों साथ बोल रहे हैं इसलिए न आपको सुन पा रहा हूं और न उनको।

श्री नूरा : हमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह निवेदन है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मेरा नाम बीच में न रह जाय।

श्री हरीश शर्मा : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है?

श्री हरीश शर्मा : आवासन मण्डल के बारे में आसन की यह व्यवस्था थी कि 2 बजे जवाब देंगे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। चार बजने वाले हैं।

श्री सभापति : आसन उनको मजबूर नहीं कर सकता है।

श्री हरीश शर्मा : वह जवाब देने को तैयार हैं।

श्री सभापति : इसके अलावा डिमाण्ड पर डिबेट चल रही है तो बीच में जवाब देने के लिए कहना उचित नहीं समझता।

कई माननीय सदस्य : यह परम्परा भी नहीं है।

श्री माधोसिंह कछवाह : कल तो परीक्षायें हो जायेंगी।

श्री सभापति : जवाब मन्त्री महोदय देंगे या नहीं, उनका अपना डिस्क्रिशन है। आसन से, चैयर से कोई कमिटमेंट नहीं कराया जा सकता।

श्री हरीश शर्मा : कल परीक्षायें होने जा रही हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री एच. एन. शर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, यह प्रश्न अत्यन्त जरूरी है। कल परीक्षायें होने जा रही हैं उन परीक्षाओं को रुकवायें नहीं तो यह 500 आदमियों के जीवन को खतरे में डालना है। उनकी तैयारी हो गई है और मन्त्री महोदय जवाब लेकर बैठे हैं। यह मामला साफ हो जाय।

श्री सभापति : मैं श्री एच.एन. शर्मा का नाम पुकार चुका हूं इसलिए यह माननीय सदस्य बोल लें उसके बाद दो मिनट में अगर जवाब तैयार हो तो वह जवाब दे दें।

श्री माधोसिंह कछवाह : इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए।

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम बोला गया था तो श्री एच. एन. शर्मा के बाद मुझे मौका दे दिया जाय।

श्री सभापति : यह आप मेरे पर छोड़ दें।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : मैं, सभापति महोदय, आपका बड़ा शुक्र गुजार हूं कि मुझे कट मोशन्स पर बोलने के लिए आपने समय दिया।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि आबकारी की जो डिमाण्ड है उसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिये थी, क्योंकि माननीय वित्त मन्त्री जी जो हैं उन्होंने सदन के सामने कहा था कि एक दो दिन के अन्दर ही शराबबन्दी पर निर्णय हो जाएगा, लेकिन अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। सरकार का मानस क्या है, सरकार क्या चाहती है, सरकार सारे राजस्थान में शराबबन्दी करना चाहती है या कुछ क्षेत्रों में? शराबबन्दी अगर करना चाहती है तो कितना खर्चा होगा, क्या खर्चा बढ़ जाएगा? इसके बारे में जब तक सरकार का कोई मानस नहीं बना, सरकार किसी नतीजे पर नहीं

(श्री एच. एन. शर्मा)

पहुंचो, उसके पहले ही उसकी डिमाण्ड पर बहस किया जाना मेरी मोटी बुद्धि के हिसाब से तो गलत है। लेकिन फिर भी चूंकि बहस चल रही है तो मैं भी इस बहस में हिस्सा ले रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी शराबबन्दी चाहते हैं या नशाबन्दी चाहते हैं? अगर नशाबन्दी चाहते हैं तो नशाबन्दी में तो गंजेड़ी, भंगेड़ी और अमलियों के बारे में भी विचार किया जाना चाहिये। महिलाओं और बाल बच्चे केवल शराबियों से ही परेशान नहीं हैं, गंजेड़ियों, भंगेड़ियों और अमलियों से भी परेशान हैं, तो इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके बारे में भी सोचें और उनके बारे में सोचने पर.......

श्री माधोसिंह कछवाहा : गंजेड़ी क्या है?

श्री एच. एन. शर्मा : गांजा पीने वाला गंजेड़ी, भांग पीने वाला भंगेड़ी और अमल खाने वाले को अमली।

तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आप अपने मानस को बनायें, चिन्तन करें कि शराबबन्दी या नशाबन्दी के ऊपर किस तरह से आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ कर निर्णय लेना है। माननीय सभापति जी, आपने देखा होगा कि सारे राजस्थान में शराबबन्दी करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत होगी, अतिरिक्त निरीक्षक लगाने पड़ेंगे, लेकिन बजट में कट मोशन के बाद जो धनराशि आप स्वीकृत कराने जा रहे हैं वह सफिशियेन्ट होगी और क्या उससे हमारा काम चल जायगा? यह बहुत विचार की बात है। तो माननीय वित्त मन्त्री महोदय, इस बारे में आप पूरा चिन्तन कीजिये।

(व्यवधान)

बड़ी मेहरबानी है। सभापति महोदय, मेरा यह निर्णय है। एक पुरानी कहावत है। आपने सुनी होगी। कछुआ और खरगोश में दौड़ लग गई। कछुआ जीत गया और खरगोश पीछे रह गया। तो मेरा माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वह खरगोश की चाल से नहीं चलें। कछुवे के माफिक चलें। अगर खरगोश की माफिक चलने लगे और सो गये तो क्या होगा। तो जो शराबबन्दी का ढोल पीट रहे हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंच नहीं पायेंगे। माननीय वित्त मन्त्री महोदय, मैं शराब के मामले में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे राजस्थान से लगे हुए दूसरे प्रदेशों के क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जो तहसीलें मिलती हैं। या दूसरे प्रदेशों से मिलती हुई तहसीलें हैं। क्योंकि 10-12 जिलों में आप और करने जा रहे हैं तो उनमें आप पहले बन्द कीजिये। जो मजदूर कॉलोनियां हैं, नगर हैं, उनमें बन्द कीजिये। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बेगूं तहसील है। वह ऐसा क्षेत्र है जहां रावत-

(श्री एच. एन. शर्मा)

माटा एटामिक प्रोजेक्ट है। आर. पी. एस. डैम के 10 हजार कर्मचारी रहते हैं। इसलिये आप वहां पहले जायें। मैं ज्यादा शराबबन्दी पर नहीं जाना चाहता हूं। अब मैं कुछ पुलिस के बारे में बोलना चाहूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, ये महा निरीक्षक, उप महानिरीक्षक। हमको नहीं चाहिये। मेरा सुझाव है कि इनको मुख्य कांस्टेबल या चीफ कांस्टेबल कर दीजिये। जब तक इन पदों के ऐसे नाम नहीं होंगे तब तक इनमें सेवा की भावना पैदा नहीं हो सकती है। तब तक कांस्टेबल की रगड़ाई होती रहेगी। आप इनको महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक कहते हैं तो यह अपने को सामन्तवादी मानने लगे हैं। इनके नाम के पीछे चीफ कांस्टेबल या मुख्य कांस्टेबल लगाना चाहिये। यह मेरा विचार है। मुझे आशा है कि माननीय गृहमन्त्री जी मेरे विचारों से सहमत होंगे।

एक माननीय सदस्य : वह यहां नहीं हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : गृह मन्त्री जी यहां से गायब हैं।

तो, सभापति महोदय, यह कहा गया है कि अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन पहले ही पृष्ठ पर आंकड़े आये हैं। 74-75 75-76, 76-77 और 77-78 के आंकड़े आये हैं। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं आना चाहता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार का कोई प्राइज रख दिया जाये कि ज्यादा से ज्यादा जो भ्रष्टाचार करेगा, उसको स्पेशल पारितोषिक दिया जायेगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार की शील्ड हर हालत में पुलिस विभाग को ही दी जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, हाल यह है कि थाने बिकते हैं सभापति महोदय, आप घन्टी बजाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कांस्टेबल की पोस्टिंग एस. पी. करता है। अगर कांस्टेबल के खिलाफ कोई गरीब हरिजन व्यक्ति रिपोर्ट करता है तो उसकी जांच करने के लिए डी. एस. पी. जाता है। अच्छा, थानेदार एस. पी. को पैसे क्यों देता है? अगर वह पैसा नहीं दे तो उसको ऐसे थाने में लगा दिया जाये कि एक भी पैसा नहीं मिले। जांच करने के लिए डी. एस. पी. आते हैं, तो उनको इसलिए पैसे दिये जाते हैं कि कहीं सही तथ्य लिख देंगे तो, सभापति महोदय, उनको परेशानी हो जायेगी। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एस. पी. और डी. एस. पी. के अधिकार छीने जायें। उनकी नियुक्तियां और तबादले मन्त्री महोदय और सरकार करे। यह भ्रष्टाचार तभी बन्द होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, कुछ तो बोलने दीजिये।

श्री सभापति : आपका टाइम हो गया।

श्री एच. एन. शर्मा : जैसी आपकी मर्जी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई खास बात आपने नहीं कही है।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्तावों पर बोलने वाले सदस्यों का क्रम

श्री गुल मोहम्मद : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं, सभापति महोदय, आसन के प्रति सम्मान रखता हूं। आपसे व्यवस्था चाहता हूं। व्यवस्था यह चाहता हूं कि जब से राजस्थान बना है तभी से इस सदन के अन्दर एक परम्परा रही है। माननीय सदस्य जो कटौती प्रस्ताव पेश करते हैं उनके स्वीकृत होने के बाद, उनके आधार पर बोलने दिया जाता है या उनके बोलने की व्यवस्था कोई अलग से होती है ?

(व्यवधान)

मैंने आपसे व्यवस्था नहीं मांगी है। माननीय सभापति महोदय से, आसन से व्यवस्था मांगी है।

माननीय सभापति महोदय बतायें कि जबसे विधान सभा 1952 से चली है, क्या व्यवस्था रही है ? क्या कट मोशन आते थे, उसी हिसाब से लेते थे या उधर से नाम जाते थे, उस प्रकार से लेते थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस सवाल पर मैं यही व्यवस्था देता हूं कि जिस क्रम से कटौती प्रस्ताव आते हैं उसी क्रम से माननीय सदस्यों के नाम बोले जाते हैं। यही व्यवस्था कायम है। उसी के हिसाब से नाम लिया जाता है।

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जब से विधान सभा बनी है तब से लेकर आज तक क्या व्यवस्था रही है ? यह तो व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, आपने कहा है, राजस्थान जब से बना। तो राजस्थान बने हुए तो बरसों हो गये।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। आपको पता नहीं है।

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, राजस्थान जब से बना, तो राजस्थान तो यह सदन प्रारम्भ होने से पहले ही बन गया था। 1949 में यह सदन बना। 1952 से 57 तक तो मैं सदस्य नहीं रहा। लेकिन 1957 से जो व्यवस्था रही है, जो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है। वही व्यवस्था रही है। लेकिन एक-दो साल से दूसरे प्रकार की व्यवस्था रही है। समय बहुत कम है। लोक सभा में 540 सदस्य हैं। अगर सभी सदस्य बोलें तो लोकसभा में भी पूरा समय नहीं मिलता है। यह नहीं हो सकता है कि सभी बोलें। तो यह व्यवस्था रखी है कि पार्टियों के अनुसार माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्यों को बोलने का अवसर दे दिया जाये। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है, वह इसी प्रकार की है।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय सदस्य ने व्यवस्था मांगी है। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे चुके हैं। अब दुबारा व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

श्री गुलमोहम्मद : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जबसे यह सदन चल रहा है, जब से विधान सभा बनी है तब से आज तक किस हिसाब से व्यवस्था दी गई है ?

श्री माधोसिंह कछवाह : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी....

श्री सभापति : मैं जवाब दे चुका हूं, दुबारा अर्ज कर देता हूं, व्यवस्था वो है जो मौके और माहोल की नजाकत को देखते हुए कायम कर दी जाय। इस विषय पर मेरा जवाब अन्तिम है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : क्या सन् 52 से आज तक इस प्रकार की व्यवस्था रही है ? मैं आसन के प्रति सम्मान रखता हूं—

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह : यह आसन के आदेशों की अवहेलना की पराकाष्ठा है—

(व्यवधान)

श्री नूरा : जनता पार्टी शराबबन्दी के लिए भाषण झाड़ती है, उस जनता पार्टी का यह अनुशासन दिखाई दे रहा है। व्यवस्था आसन से देने के बाद भी जनता पार्टी का हाल यह है।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय वर्मा जी, क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं निवेदन यह कर रहा था, आपने कहा था, कि श्री एच. एन. शर्मा के बोलने के बाद हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के बारे में आप व्यवस्था देंगे। आपने नूरा जी का नाम बोल दिया, इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : यह बात सही है, अब मैं नूराजी के बाद दूंगा।

श्री गुलमोहम्मद : 52 से लेकर आज तक क्या हुआ, सवाल इस बात का है।

श्री नूरा : जनता पार्टी की सरकार जब से आयी है, अनुशासन में नहीं रहना सचेतक के आदेश को नहीं मानना, यह सब क्या है ? यह जनता पार्टी नहीं टण्टा पार्टी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं अन्तिम व्यवस्था दे चुका हूं। कुछ आसन पर भी छोड़िये। आसन में विश्वास करने में आदमी कभी नुकसान में नहीं रहता।

श्री गुलमोहम्मद : सभापति महोदय, इस तरह हमारा मुंह बन्द करना चाहते हैं, यह हमारे स्वतन्त्र विचारों पर कुठाराघात है। अगर हम अपने अधिकारों की ही रक्षा नहीं कर सके तो जनता के अधिकारों की कैसे रक्षा कर सकते हैं।

हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है—

श्री सभापति : इस मसले पर आप चीफ व्हिप से मिल कर बात कर लीजिये।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप नाम घोषित कर दीजिये ...

श्री किशनसिंह भाटी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो निर्णय लेती है उसकी हाउस से मन्जूरी करवाई जाती है, हम उसको स्वीकार करते हैं।

श्री सुमित्रा सिंह: XXX

(व्यवधान)

श्री सभापति : इसको एक्सपन्ज कर दीजिये। It should be expunged.

माननीय सदस्या, मैंने जो जुमला कहा, उसका मकसद आपने जो निकाला वह गलत है, मकसद कुछ और है, वह इस मौके पर अर्ज नहीं करना चाहता।

श्री नूरा : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले माननीय गुलमोहम्मद जी से....

(व्यवधान)

श्री गुलमोहम्मद : हमारे स्वतन्त्र अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। हम सदन के अन्दर हमारे क्षेत्र की समस्याओं पर बोलना चाहते हैं और हमको मना किया जाता है। इसलिए, सभापति, मैं आज के लिए सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री नूरा : मुझे दुःख है कि जनता पार्टी ...

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ये जो कटौती प्रस्ताव लिये जाते हैं उनकी क्रमानुसार सूची बनती है और परम्परा से यह क्रम चला आ रहा है।

XXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं पूरी तफसील बता चुका हूं। Justice should not only be done, it should also appear to have been done.

श्री माधोसिंह कछवाह : यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम आगे चलने देंगे नहीं तो इस व्यवस्था का

(व्यवधान)

मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति : आप चीफ व्हिप से बात करिये....

श्री माधोसिंह कछवाह : आप इस तरह से व्यवस्था नहीं दे सकते।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय सभापति महोदय, आज तक जो भी कार्यक्रम हुआ है, कटौती प्रस्तावों की लिस्ट है उसी के अनुसार हुआ है। इस सारी सूची की अवहेलना की जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस सूची के आधार पर नाम पुकारते और व्यवस्था बदलनी थी तो पहले बदलते।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी हम विरोध करेंगे, हम इस तरह से कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

एक माननीय सदस्य : मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट बीच में कहां से पैदा हो गई? क्या उस पर सदन में डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुआ और उसकी पालना हुई?

श्री नूरा : मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर आना चाहता हूं। मेरा कटौती प्रस्ताव अलग से है, अवैध शराब पीने से ...

(व्यवधान)

श्री श्रवण लाल : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। मैं कुछ कहना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भी सत्ता पार्टी के सदस्य हैं। चीफ व्हिप बात करना चाहते हैं....

श्री रघुनन्दन व्यास : हम आसन से व्यवस्था चाहते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में नहीं आई तो उसको कैसे माने—

(व्यवधान)

श्री रूपसिंह मकासर : अगर माननीय सदस्य मेरी पार्टी में आ जायें तो मैं सारा समय अपना भी इनको दे दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : मैं, सभापति महोदय, आपको सूचना देना चाहता हूं कि

(श्री मदनसिंह दांता)

हाई कोर्ट में इस बात की रिट है कि अब विधान सभा में जो विधायक बैठे हुए हैं उनमें न कोई डिसिप्लीन है न कोई ···

(व्यवधान)

श्री श्रवण लाल : यह क्या है, आपने 4-6 आदमियों को चुन रखा है।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

(व्यवधान)

मेरा पाइन्ट ऑफ आॅर्डर यह है कि आपने इस सदन में 1967 पहले की व्यवस्थायें पढ़ी हैं। मैंने 1952 से 1967 तक देखा है। आसन ने कभी भी ऐसी मजबूरी नहीं बताई कि चीफ व्हिप से बात करो। चीफ व्हिप अपने तरीके से कुछ भी व्यवस्था करें लेकिन सदन में इस आसन से आप मजबूरी जाहिर करें कि उनसे बात करें····

श्री मदनसिंह दांता : फिर लड़ाई कराओ।

श्री सभापति : मैं कह चुका वह अन्तिम है।

श्री रामनारायण चौधरी : तो आसन की ओर से कहा कि मुख्य सचेतक से बात करो। दूसरे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। सत्ता पक्ष के मंत्री सदस्यों को पकड़-पकड़ कर नीचे डाल देते हैं। इस प्रकार का पिछली विधान सभा में आज तक नहीं हुआ। सत्ता पक्ष के मन्त्री पकड़-पकड़ कर सदस्यों को बिठा रहे हैं, यह माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है।

श्री श्रवण लाल : विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, आप मुख्य सचेतक को आदेश दें कि बाहर चाहे सदस्यों को कोड़ा मार लें लेकिन सदन में किसी को इस तरह से कोड़ा नहीं लगायें।

श्री निर्मल कुमार सकनेचा : यह हमारा आंतरिक मामला है, आप दखल न दें।

श्री सभापति : श्री राममारायण जी, आपने अपनी बात कह दी। बिराजिये।

मांग संख्या 13 व 16 पर विचार

श्री नूरा : हाथ की बनी हुई शराब से अनगिनत मौतें होती हैं, उस शराब को बन्द करने की बातें करने वाले भाइयों ने हाथ की बनी शराब को कुटीर उद्योग बना लिया, छोटा धन्धा बना लिया। आज राजस्थान में सैकडों रुपये की हाथ की बनी हुई शराब बेचते हैं। जो शराब कारखाने से तैयार होकर आती है उसको वैज्ञानिक अपनी समझ के हिसाब से बना कर टाइम से बेचने की बात करते हैं जिससे किसी की मौत न हो लेकिन उस शराब को केवल प्रचार के लिए बन्द करने की बात करते हैं। बड़ी मेहनत

(श्री नूरा)

करते हैं । वह मेहनत लगाने के लिए शराब बन्द कराने वाले भाई मेहनत करके यहां विधान सभा में कहते हैं कि अविलम्ब बन्द करनी चाहिये, उससे अपराध कम होंगे, शराब बन्द करने से झगड़े कम होंगे । मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है तो वह शराब को जायज करने की बात की है । ये शराब को सारे अपराधों की जननी मानते हैं । दुनिया मे ऐसे देश हैं जहां शराब पीते हैं और फिर भी वहां शराब के अपराधों को कण्ट्रोल किया है । बाजार में चलने वाले हाथी को इन्सान काबू करके चलाता है तो वह इन्सान अपनी समझ से उसको काबू में करता है । दरअसल जो कानूनी रूप से बन्द होनी चाहिये वह है हाथ से बनी हुई शराब । जो कानूनी व्यवस्था है, उस कानून का पालन कराने में यह सरकार असफल रही है । उसके लिये मैं सरकारी कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराता लेकिन जिसके हाथ में सरकार की बागडोर है वह दोषी है । आप कहते हैं कि सेक्रेटेरियट के बड़े अफसर पीते हैं, अधिकारी पीते हैं, मन्त्रिमण्डल के सदस्य पीते हैं, विधायक पीते हैं जनता पार्टी के नेता पीते हैं । पीते हैं तो मैं कहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपने उनको रोका नहीं इसलिये कानून के डंडे से मार कर रोकते हो । इससे जनता में असंतोष बढ़ेगा । हाथ से बनने वाली शराब ज्यादा बनेगी और लोगों की पीने से मौतें होंगी । इसलिए हाथ से बनी हुई शराब को अगर कण्ट्रोल नही कर सकते तो फिर शराबबन्दी का ढिंढोरा पीटने वालों की यह कमजोरी है । उन लोगों को आप समझाने नहीं जा सकते लेकिन डंडा बरसाना चाहते हैं. इस तरह की नीति पर आप पुनर्विचार करें ।

जिस देश में शराब पीते हैं उसमें शिक्षा सबसे बड़ी बात है, वह शराब को कन्ट्रोल करती है । शिक्षा का विस्तार होना चाहिये और ये अपराध जो होते हैं उनको रोकना चाहिये । मेरे एक साथी ने बताया कि इंगलैंड में शराब पीकर गाड़ी चलाना जुर्म है, वे पकड़े जाते हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है लेकिन शराब की रोक नहीं है । लेकिन जो अपराध ही नहीं करते उन पर डंडा बरसाने का काम शुरू करें, यह गलत है । यह सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है, शराब के माथे सब अपराध मढ़ कर शराब बन्द करते हैं, ऐसे प्रचार को छोड़ दें । कांग्रेस के भाई बड़े जोर से शराबबन्दी का समर्थन करते हैं वे आपको जल्दी डुबोने के लिए आपका समर्थन करते हैं न कि आपको सहयोग देने की बात करते हैं । कांग्रेस वाले समझदार थे, नफा नुकसान को देखकर इसमें हाथ नहीं डाला । आप सबसे ज्यादा कमजोर पड़ते हो यदि शराब पर हाथ डालते हो । यह बातें शराबबन्दी होने से पूरी नहीं होंगी ।

अब मैं पुलिस पर आता हूं । कहते हैं कि भ्रष्टाचार की ओर ले जाने वाली सरकार की यह सबसे पहली शाखा है । आज पुलिस के छोटे कर्मचारी मांग करने जाते हैं, अपने अधिकार लेने की बात करते हैं तो उनको अधिकार नहीं मिलते । संगठित होकर संगठन बनाना चाहते हैं तो अधिकार नहीं मिलते । विभागीय अधिकारी और सरकार उनके साथ कठोरता बरत रही है ।

(श्री नूरा)

इसके लिए सरकारी नीति जिम्मेदार है न कि बड़े आफिसर्स । सरकार उनको यूनियन इसलिये नहीं बनाने देती क्योंकि सरकार अपनी कमजोरी जानती है कि यदि उन्होंने संगठन बना लिया, कोई मांग उठा ली और वह पूरी नहीं कर सके तो मजदूरों, किसानों और विद्यार्थियों पर डंडा बरसाने वाली कौन सी टीम लायेंगे जिससे डंडे बरसवायेंगे । उस समय कोई मन्त्री नहीं जाता । उन पर डंडा बरसाने के लिए पुलिस को भेजा जाता है । गलत काम के सौदे होते हैं तो पुलिस के बड़े अधिकारियों के होते हैं । इसलिये पुलिस को बदनाम करने की जिम्मेदारी जनता सरकार की है । आपको कितने मना किया था कि आप भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न करें ? उसके पीछे कोई न कोई कमजोरी है जनता पार्टी के लोगों की जिनके पीछे तस्करी पनपती है, कालाबाजारी पनपती है, चोर बाजारी पनपती है । काला धन कमाने वाले मन्त्रियों और जनता पार्टी की सरकार बनी है उनको धन देते हैं इसलिए उनका साथ देने के लिए पुलिस को बदनाम करते हैं इसलिए कि कल आने वाले चुनावों में यही लोग पनाह देंगे । मैं जनता पार्टी के सारे ईमानदार आदमियों पर इल्जाम नहीं लगाता लेकिन उनके ऊपर इल्जाम लगाता हूं जिनका इसमें हाथ है । जो लोग सरकार में बैठे हैं और मंत्रिमण्डल में बैठकर इस बात को पनाह देते हैं । किस ने रोका है कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करें ? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 16-2-79 को 12 बजे एक पहाड़सिंह निवासी गांव गलीपा ने एक हरिजन को 12 बजे डंडों से मार कर हत्या कर दी । 23 फरवरी को हमारी पार्टी के सैक्रेटरी जिला जालौर ने शिकायत की कि इस प्रकार से पहाड़सिंह ने हरिजन को मारकर उसकी हत्या कर दी । उसके बाद भी उसके सारे परिवार को डराया गया कि अगर तुममें से किसी ने पुलिस में इत्तला दे दी तो सारा घर तबाह कर देंगे । तो इस तरह से पुलिस तक में रिपोर्ट नहीं होने दें और फिर कहें कि अपराधों की संख्या घटी है । आज लोगों को थानों तक नहीं पहुंचने देते । इसकी जिम्मेदार जनता पार्टी है । यहां पर सदन के माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं तो करने नहीं देते, उनको बोलने नहीं देना चाहते हैं । जो वाक आउट करके चले गए उनको बोलने का मौका देते । मुझे आसन से कुछ नहीं कहना । एक प्रकार की व्यवस्था है । पुलिस को डंडे बरसाने के लिए भेजा जाता है । विधान सभा में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं । सभापति महोदय, मैं····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कहना चाहता हूं कि कालाबाजारी, चोरबाजारी, तस्करी और डकैती होती है उसकी जिम्मेदारी न सरकार की है और न पुलिस की है । उसकी जिम्मेदार है यहां की चलने वाली जनता पार्टी की सरकार । मैं दावे के साथ कहना हूं कि हम दो कम्युनिस्टों के आधार पर इस सरकार को चलाने दो और फिर हम बतायेंगे कि किस प्रकार से सरकार चलती है । हम कन्ट्रोल करके बतायेंगे नहीं तो हम इस्तीफा देकर चले जायेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नूरा)

लेकिन यह आपकी कमजोरी है । इस तरह से अपराध आप करवाते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं । आपकी पूंजीवादी व्यवस्था है और पूंजीवादी राज्यों में ऐसा होता आया है, कोई नयी बात नहीं है । पूंजीवाद के सहारे जनता पार्टी बैठी है जो कि आम लोगों की सुरक्षा की गारन्टी नहीं कर सकती । इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री मथुरादास जी माथुर ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कुछ आवासन मण्डल के बारे मे कहना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने....

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, आज का जो हमें अजेण्डा मिला था और जो आज की कार्यसूची में है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय कोई स्टेटमेन्ट देंगे ...

श्री रतनलाल वर्मा : मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष महोदय चेयर पर थे उस समय व्यवस्था की थी ।

श्री रामनारायण चौधरी : आज की कार्यसूची में जो निर्धारित कार्यक्रम नहीं है उसको नहीं लिया जाये । जो निर्धारित कार्यक्रम है उसको ही सम्पादित किया जाय और जो कार्यसूची में शामिल नहीं है उसको नहीं लिया जाये ।

श्री सभापति : माननीय चौधरी साहब की आपत्ति पर मेरी व्यवस्था यह है कि इस में भी ऐसा प्रावीजन है कि अगर हाउस में कोई मैटर आ जाता है उस इश्यू पर कभी भी मंत्री महोदय कुछ शार्ट स्टेटमेन्ट देना चाहें तो उसकी परमीशन दी जा सकती है ।

शासकीय वक्तव्य

आवासन मण्डल द्वारा नियुक्तियों में लिये की जाने वाली परीक्षा

श्री भंवरलाल शर्मा (आवासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह कोई इश्यू उलझा हुआ नहीं है । मैं सूचना के लिए कह रहा हूं कि आवासन मण्डल की परीक्षायें भर्ती के लिए कल हो रही हैं । माननीय सदस्यों ने यहां चिन्ता व्यक्त की कि जो आवासन मण्डल में सेवा में रत हैं उनको इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया गया है। उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि मैंने जानकारी की है आवासन मण्डल से और उसका कहना है कि जिनकी योग्यता है और जो क्वालीफिकेशन को पूरा करते हैं उनको हमने बुलाया है और जिनकी क्वालीफिकेशन पूरी नहीं है उनको नहीं बुलाया है । यदि फिर भी क्वालीफिकेशन पूरी करने के बाद यदि कोई भूल से रह गया है तो उसका एग्जामिनेशन लेंगे । अभी भी वह इम्तिहान के लिए काल लेटर इश्यू कर रहे हैं । जो यहां छात्र आये थे उनको मैंने कहा है । आपके माध्यम से कि वह मण्डल में चले जायें । उनको अधिकार होगा और क्वालीफिशकेन होगी तो उनका एग्जामिनेशन होगा ।

श्री मदनसिंह दांता : क्वालीफिकेशन क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हायर सैकन्डरी। अगर वह है तो इम्तिहान लिया जायेगा।

श्री अब्दुल अजीज : आप एक सदस्य के लिए कह रहे हैं या सब के लिए""

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मंत्री महोदय ने यह कहा कि जो सदस्य चाहते हैं वह भिजवा दें। यह एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेन्ट है। मेरा निवेदन यह है कि जो आदमी उस सूची में आते हैं उनको ले लेना चाहिए। इसमें सदस्यों को जाकर वोर्ड में नाम लिखाने की क्या बात है ?

श्री मूलचन्द डागा : एक विज्ञापन निकला है और तारीख मुकर्रर की है। उस विज्ञापन में आपने क्वालीफिकेशन ले डाउन कर दी है। अब आपने एक मोशन उठा दिया जो जयपुर में रहने वाले नहीं हैं और जो दूर-दूर कालोनीज में रह रहे हैं वह तो वंचित हो जायेंगे। उनको क्या मालूम ? यह कर क्या रहे हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, आठ-आठ और दस दस साल से यह काम कर रहे हैं और अब यह कह रहे हैं कि हमने विज्ञापन दे दिया। दूर-दूर जगह वह रहते हैं, उनको मालूम नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वहां नौकरी करते रहे और सेवारत रहे उनमें से कुछ ओवर एज हो गए वह क्या करेंगे ? आठ-आठ साल से आपके यहां काम कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री हरीश शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जिसने 240 दिन काम किया है उसको स्थायी करने का प्रावधान है। उनको आज दस-दस साल हो गए। दूसरा निवेदन यह है कि बहुत से लोग कोटा के हैं और बहुत से लोग बाहर के हैं। मैं मंत्री महोदय का स्वागत करूंगा यदि सब को सुविधा दी जाये और एक परीक्षा और ले ली जाये ताकि लोग उसमें आ सकें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, जैसी माननीय सदस्यों ने आपत्तियां की हैं अगर तफसील से नहीं बता सकें तो बाद में बता दें।

श्री हीरालाल आर्य : जिन्होंने बर्षों से सेवा की और दूसरे विभागों में भी नहीं जा सके उनके लिए भी व्यवस्था करके उनकी भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि आवासन मण्डल की परीक्षा में वह बैठ सकें।

श्री सभापति : कोई डिबेट तो है नहीं। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, देने दीजिये।

श्री ज्योतिसिंह मकासर : यह विषय सदन में आ गया। इसलिये सदन का अधिकार है। ईस विषय पर मंत्री ने जब

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

स्टेटमेंट दिया तो इसके अमरात क्या पड़ेंगे उनको सैफगार्ड करना चाहिये। सर्विसेस में जो बैठे हुए हैं, 6 साल से, दो साल से, 1 साल से आवासन मण्डल में हैं, वहां पर काम किया है, उनका क्या होगा ?

श्री सभापति : उनका स्टेटमेंट आने दीजिये, कोई भी इनजस्टिस हो उसके लिये सुझाव दे दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिन लोगों ने सर्विसेज दी हैं, उनका एक्सपीरियेन्स है। जो सैकिण्ड डिवीजन पास हैं उनको ले लें। आपने जिन को लिया, जो थर्ड डिवीजन थे, सैकण्डरी थे या हायर सैकण्डरी थे, जो दूसरी सर्विस में जा नहीं सकते, उनके साथ क्या होगा ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 15 दिन के बाद इन्टरव्यू कीजिये। इस बात पर विचार किया जाये। उनको मौका दिया जाना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति जी, आप शार्ट स्टेटमेंट देने का आदेश दे रहे हैं ...

श्री सभापति : मैं आदेश नहीं दे रहा हूं। उन्होने इच्छा प्रकट की है।

श्री परसराम मदेरणा : वह दे नहीं रहे हैं। यह तो बात कह रहे हैं क्लेरीफिकेशन की। यह क्लेरिफिकेशन है। समय पर एपलाई नहीं किया है, कोई माननीय सदस्य बता दें। यह कोई स्टेटमेन्ट नहीं है। प्राब्लम यह है जो कई वर्षों से यहां हैं, जो कन्फर्म हुए नहीं, उन लोगों को एक बार अवसर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, स्टेटमेंट देने वाले नहीं हैं। इस सदन में इनकी यह रेपूटेशन है यह सब से शार्ट स्टेटमेंट देने वाले हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों की ओर से····

व्यवस्था का प्रश्न
शासकीय वक्तव्य उपरांत प्रश्न

श्री रामनारायण चौधरी : रूल 290 बिल्कुल स्पष्ट है।

"290–Statement made by a Minister.—A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made."

There is no mention of **short** statement.

जब स्टेटमेंट आयेगा उस पर हमें क्लेश्चन पूछने का अधिकार है। सवाल जवाब होंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक मिनट। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आपने यहां पर कुछ स्टेटमेंट तो दिया नहीं है····

श्री सभापति : स्टेटमेंट देने कब दिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन्होंने कहा है, What is that statement ? What did he say ?

श्री परसराम मदेरणा : He has already given a statement. You are now giving him another opportunity to give another statement about the queries which have been raised.

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप खतम कर चुके हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मंत्री महोदय, अपनी बात समाप्त कर बैठ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : इनका बयान पूरा हुआ है या नहीं, यह खुद बता दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बयान पूरा हो चुका है। उसके बाद बैठ गये। सरकार इस बात को तय करे। जिन्होंने 3, 4, 5, 6 साल की सर्विस कर ली है, उनका क्या होगा ? यह बतायें। सब से अहम सवाल यह है, जिन लोगों ने सैकण्ड डिवीजन से पास नहीं किया है, उन लोगों का क्या होगा ? उनके पास 5, 6 साल का एक्सपीरियेन्स है....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह एग्जामिनेशन रुकेंगे नहीं। जिनको नहीं मिला है, 15 दिन बाद एक्जामिनेशन और रख लें।

श्री सभापति : कृपया मुझे सुनिये। The rule is like this.

"Statement made by Minister.– A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made."

तो कांसेंशस को देख कर मैंने कहा। अगर यह अपनी बात खतम कर चुके हैं, "no questions shall be asked at the time the statement is made." अगर अधूरा है, तो इनको पूरा करने दीजिये। इतनी बात और जोड़ता हूं मंत्री महोदय, माननीय सदस्यों की ओर से और मेरा भी सुझाव है कि अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ कापीटेंट आदमियों को बाई पास कर दिया गया है तो जिन को इसके लिये जिम्मेदार ठहरायें, उनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाही की जाये।

श्री शिवचरण सिंह : इसमें एक साजिश है।

(व्यवधान)

आर. एस. एस. के लोगों को भर्ती करने की साजिश है....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री शिवचरण सिंह : आर. एस. एस. के लोगों को भर्ती किया जायेगा, यह भविष्यवाणी है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह भविष्यवाणी करने वाले कहां गये थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय....

श्री अब्दुल अजीज । सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा, is that not discrimination ?

यह बात हुई क्या ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आप गलत बात कर रहे हैं। आप महरबानी करके गलत मत बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरे को आसन की तरफ से कहा गया, इस संबंध में कोई जानकारी दूं....

श्री मूलचन्द डागा : आसन की तरफ से नहीं कहा गया।

आसन ने कहां कहा था ? स्टेटमेंट इनको देना था, आसन ने कभी नहीं कहा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आसन ने पूछा है, स्टेटमेंट देना चाहते हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : नियम 290 के अन्दर, मिनिस्टर आसन की इजाजत लेकर बोलता है....

आवासन मण्डल द्वारा नियुक्तियों के लिये की जाने वाली परीक्षा

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो आसन की इजाजत से बोल रहा हूं। आप लोग बिना इजाजत बोल रहे हैं।

सवाल यह है, प्रश्न कोई बहुत बड़ा नहीं है। यह हो सकता है कि कुछ लोग, जिनको परीक्षा में बैठने का अधिकार था, गलती से रह गये। जब मेरे सामने बात आई, मैंने जानकारी ली। उस जानकारी के आधार पर बताऊं कि यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा देने के लिये अधिकारी है और अगर नोटिस में आ गया है तो उसको ठीक किया जाये। इसके बाद भी कोई व्यक्ति परीक्षा का अधिकारी था, किसी प्रशासनिक गलती के कारण कोई रह गया हो, निश्चित रूप से उसके बारे में विचार किया जायेगा। अभी जो यह कहा है मैंने माननीय सदस्यों से कि अपने आदमी भेज दें और रिकार्ड देख लें। जो लोग आये हैं और जिन्होंने कहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मैंने कहा है बोर्ड आफिस में चले जाइये। वहां आफिस 8 बजे तक खुला रहेगा। अगर आप परीक्षा देने के लिये अधिकृत हैं तो आप दे सकते हैं और कहीं कोई भूल हो गई हो उसमें जो नियमों में सुविधा दी जा सकती है वह निश्चित रूप से दी जायगी।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल शर्मा : 240 दिन काम करने वाले हैं, उनको नहीं हटा सकते हैं, यह नियमों में क्लीयर है।

श्री नूरा : 240 दिन नहीं होने देते हैं, उसमें ब्रेक दे दिया जाता है क्योंकि उनको रखना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मथुरादास जी माथुर।

मांग संख्या 13 व 16 पर विचार

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : सभापति महोदय, पुलिस की मांग पर बोलते हुए मैं सदन के सामने कोई व्यक्तिगत केस या कोई ऐसे मामले नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने उनके क्षेत्र की बातों को बताने की कोशिश की है। श्रीमान्, मेरी मान्यता है कि आजादी के बाद में हमारे समाज में काफी परिवर्तन हुए हैं और हमारे समाज में नई संस्कृति पैदा हुई है। जो पहले जुर्म नहीं थे, अब हो गये हैं, लोगों की चेतना बढ़ी है और अब जो नया कल्चर पैदा हुआ है जो पुराने कल्चर में क्राइम हो रहे थे, उससे नई किस्म के क्राइम पैदा हो रहे हैं। अब नये क्राइम को खतम करने के लिए हमारा पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, वह नाकामयाब है। इसलिये चाहे जनता पार्टी की सरकार रहे या और कोई पार्टी जनतन्त्र में आये, आज जो नया स्ट्रक्चर पैदा हुआ है उसमें हम सोच नहीं सकते हैं कि स्मगलिंग करने वाला आदमी, करोड़पति या लखपति है वह जेल में जा सकता है। हम यह नहीं सोच सकते हैं कि धनीमानी व्यक्ति भी पुलिस के शिकंजे में आकर गिरफ्तार किया जा सकता है।

इंडियन पैनल कोड का कानून था था और उसी प्रोसीजर से चलता था इसलिये आज के दिन जो नये क्राइम पैदा हो रहे हैं उसके लिए आप चाहे कितना ही सदन में गृह मन्त्री जी को बुरा-भला कहे, कुछ होने वाला नहीं है। आज पुलिस के थानों में जितने पुलिस कान्स्टेबल को अधिकार है वह राष्ट्रपति को नहीं हैं। राष्ट्रपति आज दिल्ली से सम्मन नहीं कर सकता है और वे मुझे बुलाये तो मैं जाऊं या न जाऊ मेरी मर्जी पर हैं। यह बात अवश्य है कि उनको इज्जत और सम्मान देने के लिए जा सकता हूं। लेकिन यदि पुलिस का थानेदार रपट करके बुलाये तो जाना पड़ेगा, नहीं तो वह गिरफ्तार करके, हथकड़ी डालकर ले जा सकता है। अब जब लोगों में नई चेतना आई है, समाज में चेतना जागृत हुई है तो जनता उसका विरोध कर रही है और विरोध कर रही है तो कई प्रकार की समस्यायें खड़ी हो गई हैं।

माननीय सदस्यों ने अपने अपने इलाकों की तकलीफों को रखा है, भ्रष्टाचार के मामलों को रखा है और भी कई अन्य मामलों को रखा है। वे सब मायने में सही हो सकते हैं लेकिन उनका इलाज नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस के पूरे स्ट्रक्चर को चेन्ज करना पड़ेगा। पुलिस का बड़ा फर्ज लॉ एन्ड आर्डर को मेन्टेन करना

(श्री मथुरा दास माथुर)

है और फिर वही पुलिस मामलों की इन्वेस्टीगेशन करती है। जब थानेदार को यह मालूम हो जायेगा कि मथुरा दास माथुर यहां रहता है और उसका जुरिसडिक्शन है और थानेदार की बात को नहीं मानता है तो किसी भी इन्वेस्टीगेशन में नाम डालकर उसकी तफतीश शुरू कर सकता है और नाजायज तौर पर परेशान कर सकता है। जब कभी बलवा या कोई हंगामा होता है थानेदार उन लोगों का नाम लिखा देता हैं। अब उसके बाद अदालतों में जाते रहो और परेशान होते फिरो। वर्षों उन मुकदमों की सुनवाई में गुजर जाते हैं। तो यह तो हुआ उनका परेशान करने का एक तरीका।

अब पुलिस के दूसरे पहलू को देख लीजिए। किसी भी व्यक्ति पर जुर्म लगाकर उसको अकेले में बिठा कर, सारे दरवाजे बन्द करके उसको बुरी तरह पीट दें और वह कुछ बोल नहीं पाये। यह स्थिति आज के जमाने में चलने वाली नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है ब्रिटिश साम्राज्य में जो बने हुए कानून हैं उनको नये ढग के कानूनों में बदलिए। विज्ञान की तरक्की हो जाती है विज्ञान की तरक्की के साथ साथ जुर्मों की तरक्की भी होती रहती है। क्रिमिनल्स को भी विज्ञान मदद करता है। हमारी पुलिस का स्ट्रक्चर कान्स्टेबल ओरियन्टेड है। एक पुलिस कान्स्टेबल को पहले तो लाइन में भेज कर परेड करवा दी और फिर दो चार ताजेरात हिन्द के कानून बता दिये। केवल इतना बता कर ही जिले में इन्वेस्टीगेशन के अधिकार दे देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उसको पहले पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाय। इसके लिए भारत सरकार ने एक कमीशन मुकर्रर किया है रिपोर्ट देने के लिए। वे यहां भी कमेटी मुकर्रर कर रहे हैं। मैं उसमें पेश हुआ हूं एक गवाह की हैसियत से। मेरा निवेदन है इस कान्स्टेबुलेरी को पूरी तरह सुधारा जाय।

आज के दिन एक कान्स्टेबल इकानामिक अकाउन्ट्स को कैसे चैक करेगा कि इसने होर्डिंग की है या कोई ब्लैक मार्केटिंग किया है या और कुछ सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। यह हरिजन है और छुआछूत हुई है, इसमें कौनसी धारा का प्रयोग करेगा। अब हमारे भारत के संविधान में सब बराबर है। आज वे बराबरी की आवाज उठाते हैं लेकिन हमारी पुरानी संस्कृति के जो लोग हैं वे अभी इसके आदी नहीं है। तो फिर जुर्म होते हैं, रेप होता है, कत्ल होते हैं ये सब आज के दिन के क्राइम हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस का एक नया स्ट्रेक्चर और कान्स्टेबल को एक हैसियत देनी पड़ेगी। आज भी पुलिस में क्राइम का इकरार कराने के लिए वही 200 साल पुराना डण्डे के जोर का तरीका है। डण्डे के बल पर आज भी पुलिस थानों में तफतीश होती है। किन्तु पहले इसके खिलाफ आवाज नहीं होती थी, अब आवाज होती है। कोई मर जाता है तो आवाज उठाते है और पूरे जिले में हल्ला हो जाता है इसलिए मेरा निवेदन है, कमीशन की रिपोर्ट न जाने कब आए, उसकी मियाद खतम हो गई और मियाद बढ़ा दी गई। यदि मन्त्री जी आप नामवरी

(श्री मथुरादास माथुर)

चाहते है तो पुलिस आपरेटर्स को बदलिए, उसके सारे स्ट्रक्चर को चेन्ज करिए। इसके लिए अगर कमीशन मुकर्रर नहीं कर सकते हैं तो सदन की एक कमेटी बना दीजिए और चिन्तन कीजिए, किस प्रकार पुलिस लॉ एन्ड आर्डर को मेन्टेन कर सकती हैं, किस प्रकार इन्वेस्टीगेशन के काम को कर सकती है तीसरा जो पुलिस का काम है प्रोसीक्यूशन का वह किस प्रकार नियमानुसार किया जा सकता है। चौथा जो पुलिस का काम है वह है सिक्योरिटी का और पांचवें काम में मैं ट्रैफिक को लेता हूं। ट्रैफिक के बारे में मैं अन्त में कहूंगा। इसलिए इन चारों बातों में लॉ एन्ड आर्डर मेन्टेन करने में, इन्वेस्टीगेशन में, प्रोसीक्यूशन और सिक्योरिटी में नई चीजों को ईजाद करना चाहिए। पुलिस कान्स्टेबल की क्वालिफिकेशन को बदलिए, उसको ग्रेड अच्छा दीजिए, उसको ट्रेन्ड कीजिए। पुलिस लाइन में परेड कराकर 6 महीने में उसको तैनात कर देते हैं यह आज के युग में ठीक नहीं लगता है। वह कहीं पर भी जुर्म कर सकता है, तकलीफ दे सकता है इसलिए आज के सोशियो इकानामिक स्टेटस में पुलिस को बदलना है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय आज की कार्य सूची में प्रविष्ट मांगों के पारित होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : आज क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया है कि 8.00 बजे तक हो जायगी।

श्री नवनीत पालीवाल : मैं तो कहता हूं कि 7.00 बजे तक ही हो जाय।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, इम्पलाइड है 8.00 बजे तक ही बढ़ाया जाय। इसमें आप संशोधन कर लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 8.00 से आगे बढ़ा नहीं सकते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 व 16 के पारित होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाय ?

कई माननीय सदस्य : जी नहीं। 8.00 बजे तक।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कार्यवाही का समय आज रात 8.00 बजे तक के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय रात 8 बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 13 व 16 पर विचार

श्री मथुरादास माथुर : श्रीमान्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसलिए अब यह

(श्री मथुरादास माथुर)

टी. बी. की बीमारी बन गई है और इस टी. बी. की बीमारी का इलाज आप बाम लगा कर नहीं कर सकते। ये जो टी. बी. के कीटाणु घुस गए हैं उनको खतम करना पड़ेगा, इन टी. बी. के कीटाणुओं को मारना पड़ेगा। इस सारे पुलिस स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा और इस टी. बी के कीटाणुओं को मार कर नया इन्सान पैदा करना पड़ेगा, नया पुलिस प्रशासन पैदा करना पड़ेगा, नई पुलिस फोर्स पैदा करनी पड़ेगी, नया पुलिस एपरेटस पैदा करना पड़ेगा तभी जाकर यह समस्या हल हो सकती है वरना कोई कमीशन बिठा लें, चाहे कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। आज आम सामाजिक चिंतन चल रहा है, क्या लोगों की तकलीफ है उसके बारे में किसी को पता नहीं हैं। चूंकि समय कम है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सुझाव तो और भी बहुत से हैं और दूसरे माननीय सदस्य भी और बहुत से सुझाव देंगे लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य मिलजुल कर एक कमेटी बनाएं और इस तरह के सुझाव दें कि जो सारे भारत के लिए मिसाल हो सकते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सकता है।

श्री मदनसिंह दांता : Why we only? Why not judges? Why not lawyers?

श्री मथुरादास माथुर : बाहर के कमीशन तो बैठे हुए हैं मैं तो यहां की बात कर रहा हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस इंवेस्टीगेशन सेपरेट होना चाहिए और लॉ एन्ड आर्डर की पुलिस सेपरेट होनी चाहिए। आज जगह-जगह पर सुनने में आता है, मैं व्यक्तिगत बात रखना नहीं चाहता लेकिन कहीं पर कोई मिनिस्टर ने किसी जगह पर एक थानेदार को जाकर कह दिया और उसके द्वारा मुकदमा दायर करा दिया। लोग रोते हुए आते है हमारे घरों पर और टेलीफोन करते रहते हैं। इस तरह की शिकायतें सुनने में आती रहती हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इंवेस्टीगेशन पुलिस अलग हो, प्रोसीक्यूशन पुलिस अलग हो, सिक्योरिटी पुलिस अलग हो, और लॉ एण्ड आर्डर की पुलिस अलग हो। मिनिस्टर्स के पास में और जो वी. आई. पीज, फारिन डिगनटरीज आते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। इस तरह से अलग-अलग चार सेल कर दें।

अन्त में एक बात ट्रैफिक के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है। बातें तो बहुत सारी कही जा सकती हैं लेकिन मैं ट्रैफिक की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस पुलिस की लापरवाही से एक इंसान मर जाता है। आप रोज सुनते हैं कि ट्रक के नीचे आकर मर गया। जयपुर शहर के अन्दर औसतन एक महीने में तीन चार बच्चे और आदमी औरतें मर जाते है... ....

श्री रामनारायण चौधरी : रोज मरते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर सिटी की बात कह रहा हूं। सारे राजस्थान में

(श्री मथुरादास माथुर)

तो रोज कितने ही एक्सीडेंट होते रहते हैं और हम देखते रहते हैं । मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर ·······

श्री मदनसिंह दांता : ऐसे तो अमेरिका में भी ज्यादा मरते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा आपसे निवेदन है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जुदा कायम होना चाहिए । आज ट्रैफिक पुलिस का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से कोई कोआर्डिनेशन नहीं है । ट्रैफिक आयलैंड कहां पर बनने चाहिए, इसकी भी साइंस बन गई है कि ट्रैफिक आयलैंड कैसे बनें, कहां पर बनें और ट्रैफिक को किस प्रकार से डायवर्ट किया जावे । कोई बिल्डिंग बनती है तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से तो पूछते हैं कि यहां पर बिल्डिंग होनी चाहिए या नहीं लेकिन ट्रैफिक वालों से नहीं पूछा जाता कि यहां पर सिनेमा बने या नहीं, मिर्जा इस्माइल रोड पर सिनेमा बनाया जाय या नहीं । जयपुर में रीक्रिएशन के साधन बढ़ रहे हैं, पापुलेशन की डेनसिटी बढ़ रही है·······

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय माथुर साहब को पता नहीं है कि सिनेमा के लिए पहले एस. पी. क्लेक्टर से पूछते हैं । सब कुछ पूछते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : ट्रैफिक पाइन्ट आफ व्यू से कहीं नहीं पूछा जाता है । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि क्लेक्टर को पूछते हो और क्लेक्टर एस पी. को पूछ लेता है लेकिन ट्रैफिक की डैनसिटी कितनी है और इसके आधार पर यहां पर प्राइवेट-पब्लिक इंस्टीट्यूशन बने या नहीं, इस पर ट्रैफिक से रिकार्ड पर कोई ओपीनियन नहीं ली जाती है । आज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट चाहे तो पुलिस वाले कहते ही रहें कुछ नहीं होता । आज हम यहां पर आते हैं मिर्जा इस्माइल रोड से होते हुए, गवर्नमेंट होस्टल होते हुए यहां पर आते हैं, गाड़ी खुद चला कर लाते हैं तो हमें हमेशा बड़ा खतरा बना रहता है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जावे । जयपुर में ट्रैफिक की बत्तियां हैं, आज ही मेरे साथ आप चलिये, नाइनटी पर्सेंट बत्तियां गुल हैं । आप चलिये मेरे साथ मैं आपको बताता हूं कि पुलिस के ट्रैफिक आयलैंड हैं वे पूरे बने हुए नहीं हैं, लाइनें पूरी खिची हुई नहीं हैं । पुलिस के सिपाही ट्रेंड नहीं हैं । ट्रैफिक के समय में सड़क के बीच में खड़े-खड़े बीड़ी पीते रहेंगे गांव वाला आ गया तो उसके गले में हाथ डाले बातें करते रहेंगे और ट्रैफिक चलता रहेगा । इसकी वजह से रोज एक्सीडेंट होते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस एडवाइजरी कमेटी बनाइये, पुलिस एग्जीबिशन लगाइए, जनता को ट्रैफिक का प्रशिक्षण दीजिए और ट्रैफिक के लिए डिफरेंट सेल कायम कीजिए तभी जाकर कुछ समस्या का समाधान हो सकेगा । तभी जाकर अलग डिपार्टमेंट बनेगा, अलग बजट होगा । मैं आपको कहता हूं कि पंचायती-राज के अन्दर इंजीनियर होते हैं, हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर हैं लेकिन पुलिस के अन्दर ट्रेंड इंजीनियर नहीं हैं, ट्रैफिक के लिए इंजीनियर नहीं हैं । आज दिल्ली में कितना काम हुआ है । जयपुर शहर महत्वपूर्ण सिटी है, यह टूरिस्ट सैंटर है । यहां पर टूरिस्ट रोज आते हैं, शहर की आबादी

(श्री मथुरा दास माथुर)

बढ़ती जा रही है लेकिन यहां पर कोई नहीं सुनता । लोगों की जान को खतरे में डाल देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अलग करके अलग बजट बनाएं, अलग इंजीनियर कायम करें, साइंटिफिक तरीके से इस समस्या को हल करें और लोगों में ट्रैफिक कोंशस पैदा कीजिए ।

अब मैं, श्रीमान, इस बारे में और भी बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन समय की कमी है और दूसरे माननीय सदस्य भी अच्छे सुझाव दे सकते हैं, इस बात को समझते हुए अब सिर्फ वित्त मंत्रीजी से दो बातें अर्ज करना चाहता हूं । मेरा आपसे निवेदन है कि आप क्या चाहते हो, आपने बजट पेश किया है। आप हमसे क्या चाहते हो, आप सदन से क्या चाहते हो और आप खुद क्या चाहते हो, आपकी सरकार क्या चाहती है ? हम को साफ साफ बता दो, हम सुन लें । आपने कई दफा इस सदन के अन्दर घोषणा की है कि प्रोहिबिशन करने का आपका विचार है। फिर आप सरकार में से अपने आपको इस्तीफा देकर निकल सकतेहो, इसके अलावा आप में ताकत नहीं है। आपकी केबिनेट क्या करना चाहती है ? रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि केबिनेट मीटिंग हो रही है । रोज अखबारों में आ रहा है, भैरोंसिंहजी दिल्ली गए हैं, मोरारजी भाई से मिले हैं, फिर यहां पर आए हैं, फिर मीटिंग हो रही है। अरे भाई मेटरनिटी होम में लड़का हो या लड़की हो, कुछ तो पता चले । हम तो इन्तजार करते हैं कि कोई नतीजा तो निकले। आखिर में हमने सोचा कि बजट आएगा तो बजट में घोषणा करेंगे। आपने बजट भी पेश कर दिया इसमें भी अब तीन सिचुएशन हमारे सामने हैं। जो आपने आफिशियल पाइन्ट आफव्यू से बजट डिमाण्ड रखी हैं, एक्साइज के मद में वही डिमाण्ड रखी है, जो लास्ट ईयर थी। उससे टैन पर्सेंट इन्क्रीज करके 28-30 करोड़ की एक्साइज रेवेन्यू आंक ली। इसी के साथ ही जो सैल्स टैक्स पहले था उसकी भी वही डिमाण्ड आपने रखी जिस पर हम वोट देंगे। उस डिमाण्ड में भी जो आपकी नैट रेवेन्यू लास्ट ईयर थी उस नीति पर आपने बजट बनाया है। उस नीति पर डिमाण्ड रख रहे हैं और उसी को वोट करायेंगे। यह सरकार की नीति हुई बजट की। फिर बजट पर भाषण देते हुए आपने कह दिया कि एक दो दिन में फैसला करेंगे । क्या फैसला करोगे ? डिमाण्ड तो आज पास करवा लोगे, दो दिन बाद क्या घोषणा करोगे ? प्रोहिबिशन लागू करने से तुम्हारा सारा बजट डेफिसिट हो जाएगा और उस डेफिसिट को मीट करने के लिए क्या स्टेप लोगे, पैसा कहां से लाओगे ? सैवंथ फाइनेंस कमीशन ने कह दिया कि प्रोहिबिशन पर जो 27 करोड़ 40 लाख का लास्ट ईयर रेवेन्यू था उसका फिफ्टी पर्सेंट देंगे । एक्साइज की रेवेन्यू के पांच साल के लोस को चार साल में मीट कर देंगे लेकिन सैवंथ फाइनेंस कमीशन ने यह नहीं कहा कि सैल्स टैक्स से जो आठ साढ़े आठ करोड़ का घाटा होगा उसको कौन भरेगा ? यह सैवन्थ फाइनेंस कमीशन नहीं कहता कि इसकी पूर्ति कैसे होगी। मोरारजी भाई प्रोहिबिशन चाहते हैं........

(व्यवधान)

(श्री मथुरादास माथुर)

मोरारजी भाई का प्रोहीबिशन को समर्थन है लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर किसी पार्टी की पालिसी के आधार पर काम नहीं चल रहा है। आपकी पार्टी की पालिसी क्या है.......

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पांच मिनट में समाप्त करता हूँ। आपकी पार्टी की पालिसी यह कहती है कि हम प्रोहिबिशन चार साल में कर देंगे। हिन्दुस्तान भर में इसकी घोषणा कर दी। आपका इलेक्शन मैनीफेस्टो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद में एक्साइज के ठेकों का एडवर्टाइजमेंट करवा दिया, लोगों ने दरख्वास्तें दे दीं और दूसरी तरफ आप प्रोहिबिशन की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसी हालत में आप आखिर क्या करना चाहते हो, क्या प्रोहिबिशन नहीं करना चाहते हो या लागू करना चाहते हो। इसी कसमकश में वित्त मंत्रीजी आप बेआबरू हो गए हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मोरारजी भाई राजस्थान के अन्दर प्रोहिबिशन चाहते हैं तो मेरा कहना है कि सैल्स टैक्स में, एक्साइज रेवेन्यू में जो लोस है उसका सेंट परसेंट न्यूट्रलाइजेशन करें। अगर मोरारजी भाई चाहते हैं तो उनके भी स्टेट्स हैं, सैंट्रली एडमिनिस्टर्ड स्टेट्स हैं जहां पर उनकी हुकूमत चलती है, अगर प्रोहिबिशन ही करना चाहते हैं तो मोरारजी भाई दिल्ली में करें, मिजोरम में करें, नागालैंड में करें। हमारे पर ही यह महरबानी क्यों हो रही है? कोई भी आदमी सैंटर से आया, जो मर्जी हुई अपनी व्हू को लेकर चलता है। आप प्रोहिबिशन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए लेकिन जो घाटा हो रहा है महरबानी करके उसको पूरा कर दीजिए। यह तो कह दिया कि पांच साल की जगह चार साल में पूरा कर देंगे लेकिन सैल्स टैक्स की रेवेन्यू का जो लोस होगा वह नहीं देंगे, एक्साइज की रेवेन्यू का फिफ्टी पर्सेंट देंगे और जो इसको एन्फोर्स करने में तीन चार करोड़ का खर्चा होगा वह भी नहीं देंगे। राजस्थान वर्षों से पिछड़ा हुआ है उसके विकास को आगे बढ़ाने के लिए मोरारजी भाई पैसा दे दें, कह दें कि मैं अपनी मर्जी से काम करवाता हूं तो इतना कम्पेन्सेट कर दूंगा। हम कभी नहीं कहते कि प्रोहीबिशन नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, प्रोहिबिशन अच्छी चीज है, जरूर होना चाहिए। आज आप कानून बनाकर प्रोहीबिशन करना चाहते हैं और आज बजट की डिमाण्ड पास करवाना चाहते हैं लेकिन आज क्या हो रहा है? मेरे क्षेत्र डीडवाना में आपने प्रोहिबिशन कर दिया, जोधपुर में आपने प्रोहिबिशन कर दिया तो लोग इल्लीगली पैदा करते हैं और फिर जूते चलते हैं, फिर पुलिस वालों और एक्साइज वालों की रिश्वत होती है। आप एक तरफ प्रोहिबिशन करेंगे और दूसरी तरफ हजार बीमारियां पैदा होंगी। आपका दिमाग साफ नहीं है। आप चाहते क्या हैं? इस कारण आज आपने यह स्थिति पैदा कर दी है। मैं चाहता हूं कि आप जो भी काम करो वह एक होकर करो। हिम्मत से करो ताकि आपको कामयाबी मिले। आज आप वोट ले रहे हैं एक्साइज की डिमाण्ड पर और दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि आप 1 अप्रेल से प्रोहिबिशन करेंगे। यह ठीक नहीं है। यह जो बजट आपने पेश किया है, यह बताता है कि आप इसकी

(श्री मथुरादास माथुर)

आमदनी लेना चाहते हैं। तो आप बताइये आप क्या चाहते हैं? आप कहते हैं एक-दो दिन में फैसला कर लेंगे। जब एक साल भर में आप फैसला नहीं कर पाये तो एक दो दिन में कैसे फैसला कर लेंगे ? क्या डिस्कस कर लेंगे एक दो दिन में ? प्रोहिबिशन करना चाहते हो तो कहिए हम उसी तरह से बहस करें। नहीं करना चाहते हैं तो कहिए हम उसी तरह से बहस करें। जो रेवेन्यू का लास होगा उसको किस तरह से आप मीट करेंगे। प्रोहिबिशन को उपयुक्तता के बारे में, अनुपयुक्तता के बारे में आपको कहेंगे। आप राजस्थान की तरक्की करना चाहते हैं तो इस पर भली प्रकार से विचार कीजिए। एक दो दिन में इस पर फैसला नहीं होगा। इस डिमाण्ड पर आज वोट मत लीजिए, एक दो दिन में फैसला कर लीजिए और तब आइये हाउस के सामने। आज इस डिमाण्ड को ड्राप कर दीजिए। काफी बहस हो गई है और सदन की क्या इच्छा है, वह भी आपके सामने है, इस पर केबिनेट से फैसला लीजिए वरना तो यह आपके बजट से ही स्पष्ट हो गया है। अगर पूरा प्रोहिबिशन आप करते हैं तो यह बजट काफी डेफिसिट हो जाएगा और इससे इन्फ्लेशन होगा। इससे मंहगाई बढ़ेगी। इस पर आप विचार करिए। आप खुद इस पर वोट मांग रहे हैं। आपको पता नहीं है क्या आप प्रोहिबिशन पर वोट मांग रहे हैं। एक्साइज की रेवेन्यू पर आप वोट मांग रहे हैं। इसकी डिमाण्ड आपने पेश की है। आप इस पर चिन्तन कीजिये। पहले अपनी केबिनेट में इस पर फैसला कर लीजिए और फिर हम से वोट लीजिए। हम आपको राय देंगे।

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय, हमारी पार्टी को कब समय दिया जाएगा ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यही शिकायत मुझको है।

श्री सभापति : मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री शिवचरण सिंह : हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना पर गौर कीजिए।

श्री सभापति : तीन इधर से और एक उधर से। कभी आपके दल का नम्बर भी आएगा।

श्री शिवचरण सिंह : ये सब सदस्य बोल चुके हैं। अगर यह बात है तो हमारे दल की ओर से दो नाम दिये गये थे। उनका नम्बर कब आयेगा।

श्री सभापति : नम्बर आयेगा।

श्री भंवर लाल ऐरन।

श्री परस राम मदेरणा : माननीय सदस्य प्रगतिशील दल के नेता है। जब कोई दल का नेता होता है तो उसको पहले नम्बर दिया जाता है। Leader of the parties should have prior right over other people. मोस्ट प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर बोलना चाहते हैं इसलिए आप उनको तो मौका दीजिए।

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह

(श्री भंवरलाल ऐरन)

मन्त्री महोदय को विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी का शासन आया तब हमारे देश के प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि हम सब को भय मुक्त कर देंगे। मैं समझता हूं कि हमारी जनता तो भय मुक्त हुई या नहीं हुई परन्तु हमारा पुलिस प्रशासन बिलकुल ही भय मुक्त हो गया है। विगत दो वर्षों में इस पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हुई है और अकर्मण्यता आई है। जहाँ तक नसीराबाद क्षेत्र का प्रश्न है, मैं प्रारंभ से ही यह कहता आया हूं कि नसीराबाद में पुलिस का प्रशासन बिलकुल अकर्मण्य एवं अपने आपको कतई अयोग्य सिद्ध करता है। उत्तरदायित्व तो यह प्रशासन बिल्कुल समझता ही नहीं है। सभापति महोदय, नसीराबाद में एक जबर्दस्त मोहल्ला है जिसको मैं दूसरा पाकिस्तान कहता हूं। हालांकि वहां पर लोग काफी सम्पन्न हैं, वहां पर मोटर आपरेटर्स रहते हैं ये सम्पन्न है और प्राभवशाली हैं। पुलिस को रोज पैसा देते हैं, शराब पिलाते हैं और पुलिस को हर प्रकार की सहायता करते हैं। आज उनको कन्ट्रोल करने के लिए पुलिस के पास कोई साधन नहीं हैं और पुलिस उनको कन्ट्रोल करना भी नहीं चाहती है। प्रत्येक त्योहार पुलिस की मदद से नसीराबाद में मनाया जाता है। आज यह स्थिति पैदा हो गई है। गत दीवाली पर जो कुछ हुआ, वह मैंने सदन के समक्ष रखा था। इस होली पर भी बाकायदा मुझे पुलिस प्रशासन के पास जाना पड़ा। गृह मंत्री को निवेदन किया और एस0 पी0 को कह कर पुलिस का इन्तजाम करवाना पड़ा परन्तु इसके बावजूद नसीराबाद की स्थिति कोई सामान्य रही हो, ऐसी बात नहीं है। वहाँ एक मिस्टर टांक है। उनके मकान में शतुरखाने के लोग एन्टर हो गये और एन्टर होने के बाद महिलाओं को तंग करना शुरू किया। पुलिस आई लेकिन आने बाद केवल एक आदमी पकड़ा गया और बाद में उसको भी छोड़ दिया गया। वे सम्पन्न लोग हैं। उन्होंने मोबिल आइल सारे मकान पर छिड़क दिया और पुलिस निठल्ली खड़ी देखती रही। मैं, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विगत दो वर्षों में वहाँ पर सट्टा बढ़ा है। मुख्य बाजार में प्रभावशाली लोग जुआ खेलते हैं। सट्टे का बाजार गर्म है और पुराने अपनी बुजुर्गी से काम करने वाले सटोरिये जुआ खिलाते हैं। अपने मकानों पर जुआ खिलाते हैं। यह सब पुलिस जानती है। पुलिस का पैसा बधा हुआ है। उसको वह नहीं रोकना चाहती है। आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, मुझे अफसोस है कि सदन में गृह मंत्री जी नहीं हैं। उनको यहां पर रहना चाहिए। वहां एक शफी पहलवान है जो अपने पिता नत्थन के समय से नाल तोड़ता है। पुलिस को मालूम है उसको वह शान्त कर लेता है

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आ रहे हैं।

श्री भंवरलाल ऐरन : ठीक है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा था कि नसीराबाद में पुलिस बिलकुल अकर्मण्य है, निठल्ली है और अयोग्य है। गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि

(श्री भंवर लाल ऐरन)

वे वहां की पुलिस को मुस्तैद करें। जब जब भी मैं पुलिस थाना जाता हूं तो वहां की सामान्य स्थिति के बारे में यह कहा जाता है कि इस पुलिस स्टेशन के पास जीप नहीं है, पुलिस स्टेशन शहर से दूर है और पुलिस स्टेशन पर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है। मेरे कहने से गृह मंत्री जी ने आदेश दे दिए कि पुलिस थाना मुख्य बाजार में जाएगा और उसके लिए 12500/- रुपये की सैंक्शन दी गई है। मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस 12500 रुपये से वहां की दीवालें भी नहीं ठीक हो सकती हैं। वहां का पुलिस थाना क्षत विक्षत अवस्था में है और उसका ठीक करने के लिए कम से कम 70,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी तभी थाना थाने के योग्य हो सकता है, थाने की स्थापना हो सकती है।

मैं मदिरा के बारे में अपने बजट भाषण पर काफी कह चुका हूं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से कि शराब एक सामाजिक बुराई है, समाज के लिये एक अभिशाप है, सभी अपराधों की जननी है। पुलिस में आज शराब के दौर चलते हैं। पुलिस का एक कांस्टेबल डी वाई0 एस0 पी0, एस0 पी0 के नाम से रोज 100 रुपये नगर से उगाता है, मैंने एस. पी. को थानेदार साहेबान का नाम भी बताया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये में आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी इस शराब की बीमारी को दूर किया जाय उतना ही अच्छा है। इस बारे में जिक्र न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आया और जो वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण में। वित्त मंत्री जी से जब जब प्रश्न किया तब तब यही कहा कि शांत रहिये सब ठीक हो जायेगा, मैं कल घोषणा करूंगा, एक दो दिन में घोषणा करूंगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को एक आग्रह निवेदन करूंगा। आज तो वित्त मंत्री बने हुए हैं, कल आपको भी आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा, उस दिन मैं भी आपके साथ में बैठूंगा। लेकिन आप आमरण अनशन की नौबत न आने दें। अपने भाषण में ही घोषणा कर दीजिये। जो घाटा होगा उसकी पूर्ति भी हो जायेगी—

(व्यवधान)

आप शांति से सुनिये।

श्री मदनसिंह दांता : ये फर्स्ट अप्रेल फूल बनेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वहां तो लोकनायक की चिठ्ठी आ गई है। बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। बिल्कुल अनशन पर नहीं बैठेंगे, आप क्यों झगड़े में पड़ रहे हैं?

श्री भंवरलाल ऐरन : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बात की व्यवस्था की जाय शराबबन्दी से पहले, शराबबन्दी के बाद होने वाली अवैध शराब को रोका जायगा। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि फिर सप्रेशन आफ

(श्री भंवर लाल ऐरन)

इम्मोरल ट्रेफिक रन गर्ल्स एक्ट बनाने की क्या आवश्यकता है, फिर चोरी के लिये प्रावधान करने की क्या जरूरत है? We cannot put the horse before the cart. आप तो शीघ्रता से हिम्मत के साथ शराबबन्दी की घोषणा करिये। सारा सदन आपके साथ है, अधिकांश सदन आपके साथ हैं—

ले हिम्मत से काम तुझको अल्लाह रक्खे
कर दे दारू बंद तुझको अल्लाह रक्खे ।।

श्री सभापति : श्री बालकृष्ण थानवी ।

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय सभापति महोदय, अभी अभी विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि लोकनायक का आदेश आ गया है और शराबबन्दी के मामले पर आमरण अनशन गोकुल भाई नहीं करेंगे ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं करेंगे ।

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय सदस्या को पूरी जानकारी नहीं है। चाहे किसी का आदेश आये गोकुल भाईअगर 1 अप्रेल, 79 से राजस्थान में शराबबन्दी लागू नहीं होगी तो निश्चित रूप से आमरण अनशन करेंगे और मैं भी करूंगा उनके साथ ।

श्री मदनसिंह दांता : आपने पहले क्यों नहीं कहा ?

(व्यवधान)

आप अनाउन्समेंट आज करवा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बोलने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी को निश्चित रूप से गलत सूचना दी गई है। उन्हें यह बताया गया है कि अगर गोकुल भाई भट्ट 1 अप्रेल से आमरण अनशन करेंगे, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 1 अप्रेल, 1979 से पूर्ण शराबबन्दी न किये जाने पर, तो न केवल मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत त्याग पत्र दे देंगे बल्कि केन्द्र और अन्य प्रदेशों की जनता पार्टी सरकारें भी डांवाडोल हो जायेंगी। यह सूचना गलत ढंग से चाहे मुख्य मन्त्री जी के माध्यम से लोकनायक को पहुंचाई गई, चाहे चन्द्र शेखर जी के माध्यम से पहुंचाई गई मगर यह सच्चाई और वास्तविकता से परे है। जे० पी० का पत्र निश्चित रूप से गोकुल भाई जी के पास आया है कि अगर ऐसी स्थिति प्रदेश व देश में पैदा हो तो आप इस पर पुनर्विचार करें। लोकनायक को गलत सूचना देकर श्री भट्ट जी पर दबाव डालने के लिये उनसे भिजवाये गये पत्र के बावजूद श्री गोकुल भाई जी ने दृढ़ विचार कर रखा है और वे अपने मत से हटने वाले नहीं हैं तथा वे प्रदेश में पूर्ण शराबबन्दी लागू न करने पर 1–4–79 से निश्चित रूप से आमरण अनशन करने जा रहे हैं, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। चूंकि सदन एवं जनता विधायक दल का बहुमत 1–4–79 से प्रदेश

(श्री बालकृष्ण थानवी)

में पूर्ण शराबबन्दी लागू करने के पक्ष में है अतः अगर इसके कारण अपनी घोषणा-नुसार मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत त्याग पत्र दे देते हैं तो कोई आकाश पाताल एक होने वाला नहीं है। कारण कि जनता पार्टी के राजस्थान विधान सभा में 150 सदस्य हैं और उनमें मुख्य मन्त्री पद के लिये कई योग्य हैं उनमें से कोई एक उनका स्थान ले लेगा। अतः जनता पार्टी को श्री भैरोंसिंह जी शेखावत के त्याग पत्र देने से कोई खतरा नहीं है बल्कि मुख्य मंत्री पद के लिये उनका विकल्प तैयार है.........

श्री मदन सिंह दांता : आप अकेले भैरोंसिंह जी.........

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर भैरोंसिंह जी शेखावत प्रदेश के मुख्य मन्त्री पद से त्याग पत्र दे देते हैं तो जनता पार्टी एवं राजस्थान भी महा योग्यतम प्रतिभाओं से शून्य नहीं हैं, और भी अनेक योग्य हैं, वे योग्यता के साथ प्रदेश की बागडोर संभाल लेंगे। इसमें मुझे किसी प्रकार की आशंका नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप नाम भी बोल दीजिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : श्री नत्थी सिंह।

श्री बाल कृष्ण थानवी : अब मैं पुलिस की मांग पर निवेदन करना चाहूंगा। पुलिस के बारे में आम तौर पर आलोचना होती है कि इसके अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं लेकिन जैसा कि मैंने गत बजट अधिवेशन के वक्त भी सदन में कहा था और आज भी कह रहा हूं कि आप पुलिस कर्मचारी अपनी कुछ मजबूरियों से इधर उधर की बात भले ही कर दें मगर पुलिस विभाग पूरा का पूरा भ्रष्ट नहीं है। पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी अंजाम के दौरान गंभीर से गंभीर खतरों में पड़ना पड़ता है। कहीं पर भी आन्दोलन खड़ा हो, पुलिस वालों को शांति एवं व्यवस्था के लिये वहां जाना पड़ता है। मगर पुलिस को उसके बदले में क्या मिलता है? पेट भर रोटी नहीं मिलती, तन ढकने के लिये पूरा कपड़ा नहीं मिलता, बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते और न ही बीमार की चिकित्सा की ही पूर्ण व्यवस्था कर पाते हैं। इसलिये मेरी सरकार से यह मांग है कि पुलिस वालों की माली हालत को ध्यान में रख कर उनको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दी जाये। गंभीर से गंभीर खतरे में पड़ कर जो काम वे करते हैं, उसका पूरा हक उन्हें मिलना ही चाहिये। मुझसे पूर्व बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने बताया था कि डी वाई. एस. पी. भ्रष्ट होते हैं। मगर सभी के लिये यह कहना उचित नहीं है। हमारे फलौदी के डी वाई. एस. पी. फलौदी में हाल ही में हुई एक हत्या, जिसकी कि लाश सेप्रसर तालाब के किनारे ले जाकर जलाई गई थी, की बहुत ही सरगर्मी के साथ छानबीन कर रहे हैं। वे पूर्ण रूप ईमानदार हैं पूरे योग्य हैं, किसी की कोई गलत सिफारिश नहीं मानते और वे हत्या की खोज करने में सफल होंगे, ऐसी मुझे आशा है। इसलिये यह सही बात नहीं है कि सारे पुलिस अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। अलबत्ता पुलिस के थानेदार जरूर गड़-

(श्री बालकृष्ण थानवी)

बड़ी करते हैं जैसा कि फलौदी में भी हुआ है।

कुछ समय पूर्व फलौदी तहसील के भीयांसर ग्राम में कोई मौसर हुआ था। जानकारी मिलने पर पुलिस थानेदार मय तहसीलदार एवं अन्य पुलिस अमले के वहां पहुंचे थे। उन्होंने संबंधित घर से बड़ी रिश्वत ली थी एवं उनकी बन्दरबांट तहसीलदार व अपने साथ ले जाये अन्य पुलिस अमले के मध्य की थी।

मैंने इसकी जानकारी फलौदी डी वाई. एस. पी. से चाही तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मेरे ध्यान में भी यह बात आई है। ली गई रिश्वत कितनी-कितनी किन-किन में बंटी, यह भी उन्होंने मुझे बताया। इस तरह का गलत काम पुलिस वालों को या तहसील वालों को नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोग भी होते हैं मगर इसका यह मतलब नहीं कि सारा पुलिस विभाग ही भ्रष्ट है। पूर्व में एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि डी वाई. एस. पी. को देने के लिए थानेदार को रिश्वत लेनी पड़ती है। मगर फलौदी के थानेदार पर तो यह कथन लागू नहीं होता। कुछ समय पहले मडला ग्राम (तहसील फलौदी) के रहने वाले एक जाट की पत्नी को कोढ़ निकल गई तो उसकी न्यात के लोगों द्वारा उसको घर से बाहर करने की बात कही गई। यह कहा गया कि अपनी पत्नी को कोढ़ी खाने में भेज दो नहीं तो तुम्हें न्यात से बाहर कर देंगे। चूंकि उक्त जाट पैसे वाला था अतः उसने सोचा कि अगर उसको कोढ़ी खाने में भेज दिया तो समाज में बदनामी होगी। उसने अपनी पत्नी को कोढ़ी खाने में न भेज कर भगवान के घर भेज दिया। इसके बाद जब पुलिस थानेदार फलौदी को यह मालूम हुआ कि ऐसी घटना घटित हुई है तो वह वहां आ पहुंचा। उसने सम्बन्धित जाट से 5 हजार रुपये रिश्वत के लेकर उस मामले को दबा दिया। इस तरह की घटनाएं भी होती हैं लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सारे पुलिस वाले ऐसा बुरा काम करते हैं। पुलिस में ईमानदार लोग भी हैं। हर जगह ईमानदार और बेईमान आदमी मिलते हैं। राजस्थान विधान सभा में, हमारे मंत्रि-मंडल में, केन्द्र के मंत्रि-मण्डल में, और लोक सभा में भी दोनों तरह के सदस्य हैं, बुरे और अच्छे, भ्रष्ट और अभ्रष्ट। इसी तरह के अन्य महकमों में भी है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर कोई भ्रष्टाचार होता है तो सम्बन्धित व्यक्ति के बजाय सारे लोगों को दण्डित करना या सारे लोगों पर लांछन लगाना सही है क्या? मैं मानता हूं कि कोई भी विवेकी इसको सही नहीं मानेगा। जो गलत हैं, उन्हें ही गलत कहेंगे सारे लोगों को गलत नहीं कहेंगे।

पुलिस विभाग के कर्मचारी जिस मुस्तैदी के साथ काम करते हैं उसका पूरा मुआवजा उन्हें नहीं मिलता। यहां तक कि उन्हें अपनी यूनियन बनाने का भी अधिकार नहीं है ताकि अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से कि दूसरे कर्मचारी आगे बढ़ते हैं वे भी बढ़ सकें। इसके लिए उन्हें रोका जाता है, इसको भी ठीक नहीं

(श्री बालकृष्ण थानवी)

मानता। बहुत पहले ऐसा विवाद बिहार में उठा था और अब राजस्थान में भी यह समस्या हमारे सामने आ रही है। मेरे फलोदी क्षेत्र में भी कुछ समय पूर्व पुलिस यूनियन के लोग अपनी किसी मीटिंग में गये थे अतः उन्हें ड्यूटी पर नहीं माना एवं उनकी गैरहाजरी मार्क कर दी गई जिसकी कि शिकायत मेरे सामने भी आई थी। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हमारे गृह मन्त्री जी पुलिस जवानों को पुलिस यूनियन बनाने का अधिकार प्रदान करें। यह अधिकार पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दें ताकि वे भी अपनी मांगों को लेकर, जिस तरह से दूसरे कर्मचारी, दूसरे संगठन आगे आते हैं, आगे आ सकें, और अपने संगठन के आधार पर अपनी मांगों का फैसला करवा सकें।

आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इतना ही मेरा आखिरी पुरजोर निवेदन है कि एक अप्रेल, 1979 से पूरे राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी निश्चित तौर से की जानी चाहिए, नहीं तो सदन का अपमान होगा। कारण कि सदन का बहुमत इस बारे में अपनी पुरजोर राय दे चुका है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में जो कमियां हैं, जहां भी जो भ्रष्टाचार है उसको भी ठीक करते हुए पुलिस कर्मचारियों की जो कम तनख्वाहें हैं उन्हें ज्यादा तनख्वाहें देने की व्यवस्था करके लाभ पहुंचाएं।

श्री सभापति : माननीय शिवचरण सिंह जी।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : माननीय सभापति जी, मेरे से पूर्व वक्ताओं के शराबबन्दी पर कितने ही और कई प्रकार के विचार आये हैं, लेकिन आज मुझे एक नया फैक्ट ज्ञात हुआ है। माननीय वित्त मन्त्रीजी अपने बजट की मांग पर उन पर प्रकाश डाल देते तो हम सन्तुष्ट हो जाते। लेकिन मुझे यह मालूम हुआ है कि राजस्थान बनने के समय जा भूतपूर्व रियासतें थीं उनमें जिन लोगोंको शराब उतारने की इजाजत थी उनका एक मैमोरेण्डम माननीय मुख्य मन्त्रीजो को मिला है कि अब हमारा राज्य हो गया है इसलिए अब हमें भट्टी उतारने की इजाजत हो, और उस मैमोरेण्डम के आधार पर इन्होंने केबिनेट में इस प्रकार का नाटक रचा है····

एक माननीय सदस्य : पहले आप हंस लें और फिर बोल लें।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय सभापति महोदय, केबिनेट में इस प्रकार का नाटक सीधे तरीके पर किया गया। माननीय वित्त मन्त्री जी तो कहते हैं कि हम नशाबन्दी करेंगे और मुख्य मन्त्री जी निवेदन करते हैं कि हम शराबन्दी करेंगे, लेकिन वास्तविक बात यह है कि माननीय वित्त मन्त्री जी नशाबन्दी चाहते नहीं हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी नशाबन्दी चाहते हैं। सही बात तो यह है कि वह चाहते हैं एक ढेले से दो शिकार खेलना। वह चाहते हैं कि नशाबन्दी हो जाती है तो मेरे पास जो मैमोरेण्डम आया हुआ है भट्टी उतारने का वह भी पूरा हो जाय....

श्री श्योपतसिंह मकासर : भट्टियां चलें।

श्री शिवचरणसिंह : चलेंगी भट्टियां। रियासतों में जब पुराने जमाने में 6 हजार आदमियों का शराब उतारने की कानूनी इजाजत थी और आज भी हिमाचल स्टेट है उसमें अलग-अलग किस्म की भट्टियां उतारने की कैटेगरीज हैं। आपको, वित्त मन्त्री जी, भ्रष्टाचार मिटाना है और माननीय मुख्य मन्त्री जी को जो मैमोरेण्डम पेश हुआ है उसको निश्चित रूप से एक्जीक्यूट कर परमीशन देनी है जायज और नाजायज तौर पर भट्टियां उतारने की, तो आप हिमाचल की यात्रा करके आयें। हिमाचल प्रदेश में छोटी और बड़ी 5 किस्म की भट्टियां हैं। वहां पर दो बोतल उतारने की यह रेट है, 3 बोतल उतारने की यह है, 10 बोतल उतारने की यह रेट है।

तो हिमाचल प्रदेश में यह कानूनी रेट बना रखी है। इससे आपको थोड़ी बहुत आय हो जायगी और भट्टी उतारने वालों को भी इजाजत मिल जायगी। वह मैमोरेण्डम एक सीक्रेट डाक्यूमेंट है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आपको बताया नहीं। वह निश्चित तरीके से पुराने शराब उतारने वालों के साथ हैं, उनका उनसे पुराना एसोसियेशन है, उनको अलाउ करने का यह नाटक पूरा हो जायगा, और शराबबन्दी के तरीके से उनको लीगेलाइज किया जायगा। यह शराबबन्दी की इस बारे में नीति है। फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य बोले, नशाबन्दी की बात करते-करते शराबबन्दी पर क्यों बदल गये तो मुझे यह शक हो गया कि माननीय सदस्य नशाबन्दी चाहते हैं या शराबबन्दी ?

श्री बालकृष्ण थानवी : शराबबन्दी।

श्री शिवचरणसिंह : मुझे बजट का ध्यान था। मैंने कहा था और मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि छोटी छोटी स्टेटों में और केन्द्र में सरकार नशाबन्दी करती तो अच्छा लगता। उन्होंने वहां पर नशाबन्दी कर दी लेकिन राजस्थान जैसी बैकवर्ड स्टेट में जहां फण्ड के लिए इतनी बुरी हालत है, इतनी बड़ा प्राब्लम है, इतने बड़े प्रान्त में पुलिस की दया की खास बात रखी है और अवसर रखते हैं कि पुलिस के पास मद्यनिषेध की प्राब्लम कितनी आ रहे हैं ? माननीय मास्टर साहब, आप अपनी जिद में आकर और भैरोंसिहजी अपनी जिद पर आकर प्रोहीबिशन पर तुले हुए हो और इल्लीगल परमीशन देने पर तुले हुए हो तो इस तरह का प्राब्लम पुलिस विभाग में होने वाली है तो सारी विधान सभा पर दया कर पुलिस के बजट को बढ़ायें। योजनाबद्ध तरीके से यह बात रखी गई है। पुलिस विभाग पर दया कर दी जाय। मेरे पूर्व वक्ता ने कह दिया तो उन्होंने यह बात कही कि मांग पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि अधिकांश सदस्य भांग पीते हैं दोनों टाइम। गांजे पर विचार नहीं करेंगे। अमल पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि जनता पार्टी के 80 प्रतिशत सदस्य डोढ़े पीते हैं चाय में डाल कर। यह कह दूं कि पुराने महरबान थे, उनको शराब उतारने की इजाजत देना चाहते हैं, उनको भट्टी उतारने की इजाजत देना चाहते हैं तो क्यों नहीं सीधे आते हैं, हाउस को क्यों गुमराह करते हैं ? पुराने लोगों को इजाजत थी और उनको आप इजाजत देना चाहते हैं तो कानूनी इजाजत देनी चाहिए। इन्डाइरेक्टली हाउस को

(172)

(श्री शिवचरणसिंह)

धोखा देते हैं। जो सम्पन्न, पुराने जमाने के फ्यूडल हैं वह शराब उतारने का धन्धा करते हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी नहीं करते हैं। वह अफीम बांटते हैं। जैसलमेर माननीय मुख्य मन्त्रीजी जाते हैं तो इनको लोग कटोरा देते हैं। माननीय खेतसिंह जी जब भी जाते थे तो कटोरे चांदी के पीते थे। माननीय बिरदमलजी मंत्री बनने के बाद जब जोधपुर गये तो इनको शहर में एक हजार रियाल हुए हैं। रियाल होता है अफीम घोल कर पीना। बिरदमलजी सिंघवी बहुत अच्छे आदमी हैं और इनकी मैं इज्जत करता हूँ। यह रियाल इज्जत है समाज में। जो बड़ा आदमी आता है उसके आनर में यह किया जाता है। तो इन भले आदमी का वहां इस तरह से आनर किया गया है। यह इनकी इज्जत है।

क्या, माननीय मास्टरजी, आप बिलकुल नशाबन्दी करेंगे? पूर्ण नशाबन्दी निश्चित रूप से राजस्थान में होनी चाहिए। लेकिन, माननीय मास्टर साहब, आपने शराबबन्दी तो की लेकिन अफीम वालों को लीगल परमीशन दी। शराब वालों ने 2 करोड़ का घोटाला करने की योजना बनाई तो मेरे जैसे लोगों को पीछे होना पड़ेगा।

(व्यवधान)

मैं क्या जानूं। मैं तो दारू के अलावा और कुछ नहीं जानता हूं। सभापति महोदय, इनको समझायें। हम बैठ सकते हैं। यह नशाबन्दी का काम है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं तो यह कहूंगा कि सम्पूर्ण नशाबन्दी होनी चाहिए। सम्पूर्ण नशाबन्दी के लिए मैं भी बैठ सकता हूं। जनता हमें भी चाहती है।

श्री शिवचरणसिंह : पूर्ण नशाबन्दी होनी चाहिए। लेकिन पुराने शराबखाने वालों को परमीशन दे दी। आपकी हिम्मत नहीं है। भट्टी उतारते वक्त आप रोक नहीं सकते हैं। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी। मेरे ख्याल में इस डिमाण्ड को छोड़ कर, उसकी घोषणा होने के बाद फिर आप पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको पुलिस को एक्स्ट्रा ग्राण्ट देनी पड़ेगी। जो लीगल लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो खराब लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह वित्त मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है।

पुलिस प्रशासन के बारे में मेरा निवेदन है कि राजस्थान में पुलिस प्रशासन में, पुलिस के ढांचे में जो परिवर्तन आना चाहिए था, वह नहीं आया। पुराने जमाने से, लार्ड मैकाले के जमाने से, उन्हीं का बनाया हुआ कानून अब तक चला आ रहा है। उस जमाने का कानून आपके जमाने तक चला आ रहा है। वह बदलना चाहिए था। मैं माननीय गृह मन्त्री जी को इस बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके आने के बाद शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का पुलिस में कितना रिक्रूटमेण्ट हुआ है। आप क्या कहते हैं? शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पूरा रिप्रेजेण्टेशन नहीं मिला है। यू. पी. और बिहार की तरह से आपको भी 50%

(श्री शिवचरणसिंह)

रिजर्वेशन करना चाहिए। गरीबों को प्रोटेक्शन देना है। आप क्लास वाइज कर दें तो आपको पता लग जाएगा। जो लोग गरीबों का दमन करते हैं, उन्हीं लोगों को ले रहे हैं।

माननीय गृह मन्त्रीजी, आपका जो इन्सपेक्शन का तरीका है, वह वही घिसा-पिटा है। आई. जी. का हो जाएगा। डी. आई. जी. का हो जाएगा। चाहे वह इन्सपेक्टर हो, चाहे वह अकाउटेंण्ट हो, आपका वही पुराना तरीका है। वही पुराना घिसा पिटा पुराना तरीका है। क्या कभी, गृह मन्त्रीजी आपने बैठ कर सोचा है। क्या आपने कभी डी. आई. जी. का इन्सपेक्शन किया है। क्या आपने एस. पी. का इन्सपेक्शन किया है? आपने रेवेन्यू अभियान की तरह से कोई अभियान किया है, रेवेन्यू अभियान को तो छोड़ दे। उसमें तो प्रत्यक्ष रूप से रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट फेल्योर रहा है। वह एक नाकामयाबी का तरीका है। आप इन्सपेक्शन कीजिए। आपको, गृह मन्त्री जी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। एक और निवेदन करूं, आपका एस. पी. होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकता है। एस. आई. और इन्सपेक्टर होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकता है। आपका आई. जी., डी. आई. जी, कलेक्टर और गजटेड आफिसर की एसोसिएशन हो सकती है, लेकिन नॉन गजटेड की एसोसिएशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? यह जमाने का तकाजा है। बड़े अधिकारी 40-40 अर्दली रखते हैं। क्या यह अर्दली का जमाना है। उनको अलाउन्स दे दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और चाहता हूं।

यही नहीं 40-40 सिपाहियों को, आर. ए. सी. के लोगों को काम करते हुए मैंने देखा है। आप हिम्मत करके पुलिस का जो गरीब तबका है उसको नान गजटेड एसोसिएशन बनाने की इजाजत दे दीजिए। यूनियन बनाने की इजाजत नहीं दीजिए। इस पर, माननीय गृह मन्त्रीजी, आपने कभी सोचा है? सी आई. डी. और आर. ए. सी. को स्पेशल पे आप दे रहे हैं। यह 20 साल पुरानी है। आप वेतनमान को मिटाना चाहते हैं। यह आप देख लें। एडीशनल एस. पी. की पोस्ट अभी क्रियेट हुई है तीन चार साल पहले। उनको आपने कोई सुविधा नहीं दी है।

एक माननीय सदस्य: टेलीफोन तक नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह: टेलीफोन तक नहीं है। आप यह सोचें।

सभापति महोदय, एक मिनट और चाहता हूं। अभी समाप्त करता हूं।

माननीय गृह मन्त्री जी, जनता पार्टी का राज आने के बाद आपने जो फ्यूडल्स को अधिकार दिए हैं, उनका नतीजा यह है, होली के दिन गुण्डागर्दी करो, साल भर रोबदाब करो, साल भर के बाद फिर करो। मेरे इलाके में हरिजनों के कितने मुकदमे हैं। गरीब लोगों से कहते हैं होली के लिए रकम लाओ। चन्दा लाओ। मैंने आपको इन्स्टांस दिए हैं। गृह मन्त्री जी,

(श्री शिवचरण सिंह)

गैलेण्टरी मैडल अपने रखे हैं। यह सब क्या क्रियेट करते हैं? इन दिनों में एक नया तरीका चला है। पहले किडनेप करते थे। उसके बाद दूसरा तरीका अपनाया। खान मजदूरों को उड़ाया। लेकिन अब नयी आपरेण्डी हो गई है। अब ट्रक्स को किडनेप करते हैं। अभी दो ट्रक ले गये। एक ट्रक को रिकवर किया है। एक हजार रुपया देकर आये हैं। आप कृपा करके स्पेशल ए. डी. एफ. लगाकर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को ठीक करें। होता क्या है? धोलपुर वाले धक्का देते हैं, मुरेना को। करौली वाले धक्का देते हैं, भरतपुर को। एक डी. एस. पी. भेजे हैं। जो नैनवा में झगड़ा करके आये हैं। वहां मर्डर हो गया। ऐसे आदमियों को आप भेजते हैं। इससे और प्राब्लम पैदा होती है। आप जानते हैं, आप ठीक ढंग से ऑपरेट करते तो निश्चित रूप से राजस्थान की स्थिति सुधर जाती। लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम गरीब तबके के लिए है। आप गरीब तबके से आते हैं, लेकिन आपको करने नहीं दिया जा रहा है। पहले हमेशा मुख्य मन्त्री जी के पास होम मिनिस्ट्री रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट में खतम करता हूं। इसलिए इन पर वर्डन लाद दिया है, बदनामी गृह-मन्त्रीजी की हो और

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जितने रोड़े गृह मन्त्री जी के काम में आते हैं उतने किसी मन्त्री के काम में नहीं आते हैं।

श्री श्रवणलाल : यह आपके समय में हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : Very true, very true.

श्री सभापति : बस अब समाप्त करिये। माननीय श्री रतनलाल जी वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : सभापति महोदय; शराब के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कई तरह की बातें कीं और थानवी साहब ने तो रिकार्ड तोड़ बात कह दी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सदन ने कानून बना दिया कि राजस्थान की लोटरी नहीं बिकेगी लेकिन दूसरे राज्यों की लोटरी यहां बिक रही है और यहां का पैसा बाहर जा रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिनकी लोटरी खतम हो गई उनका क्या होगा?

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए फिर आमदनी कहां से आयेगी, यह भी बताना चाहिए। इस तरह से कह देना अलग चीज है और शासन का चलाना अलग बात है। सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं कि भैरोंसिंह जी को क्या अधिकार था और माननीय वित्त मन्त्री जी को क्या अधिकार था इस्तीफे की बात कहने का? क्यों आये फिर सदन में? जनता का विकास करने के लिए आए या जनता के अन्दर मखौल करने के लिए आए? इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ किया है और गलत परम्पराएं कायम की हैं। इस-

(श्री रतनलाल वर्मा)

लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मेरे को तो पौने दो साल हो गए, मैं तो यह देख रहा हूं कि बुराई की जाए, पुलिस डिपार्टमेन्ट की, या दूसरे डिपार्टमेन्ट की, फोरेस्ट की। गलती करे कोई और गालियां सुने मिनिस्टर। सीरा खाते दांत घिसें तो घिसने दो और मतलब बनते लोग हंसे तो हंसने दो। यही बात शुरू से सुनता आ रहा हूं। यही बात पुलिस के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं, गत सदन में भी कहा था, क्या सुधार हुआ? माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी चीज कानून बना देने से नहीं बदल सकती, मन को बदलना पड़ेगा। मैं यह कह सकता हूं चैलेन्ज के साथ, जिन विधायकों ने दस्तखत किए कि शराबबन्दी होनी चाहिए वे रोज पीते हैं और पीने वालों ने दस्तखत किये कि शराब बन्द होनी चाहिए, यह एक तरह का मखौल हो जाता है।

श्री मदनसिंह दांता : लेकिन सबको नहीं पीने देंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम निवासियों के विकास की बात आनी चाहिए, किसानों और नागरिकों का किसी प्रकार से विकास करना चाहिये उन पर करों का भार नहीं आना चाहिए और तीस सालों में जो उनका विकास नहीं हुआ वह विकास अब होना चाहिए, शराब बन्दी हो या नहीं, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। लोगों को तीस सालों में पीने का पानी सुलभ नहीं हुआ, तेलिया पानी आता है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह से यहां की लॉटरी के टिकिट नहीं बिकते, बाहर के लॉटरी के टिकिट यहां आकर बिकते हैं उसी तरह से बाहर से शराब भी यहां आकर राजस्थान में बिकेगी, 40 करोड़ की आमदनी का सत्यानाश हो जायगा और घर घर में शराब बनने लग जायगी। घर-घर में आप इस कुकर्म को देखेंगे। मैंने अपनी आँखों से देखा है, आटा बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, अब शराब बना रहे हैं। गांधीजी ने कहा था कि सत्य बोलिए, किसी के साथ विश्वासघात मत करिये, अन्याय मत करिये, अपने से गरीब को मत सताइये। सैकड़ों बातें कह कर गया था, कौन पालन कर रहा है, कौन झोंपड़ियों में रह रहा है, क्यों बंगले बनाये, किसने कहा ? गांधी जी के नाम की दुहाई दे रहे हो। वह बेचारा बुड्ढा मर गया। तीस साल हो गये, आज भी उसकी दुहाई देते हैं और चांदी के गिलासों में दूध पीते हैं और बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं, चमचमाते कपड़े पहनते हैं,

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, बुड्ढा मर गया, गांधीजी के लिए ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा : बिल्कुल, मैं उनका आदर करता हूं, उनके प्रति मेरे दिल में आदर है। जिसने देश के लिए कुर्बानी दी, जिसने यहां स्वर्ग बनाने की कोशिश की उस आदमी के सपनों को साकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यह सब ढोंग है कि मैं मर जाऊंगा, मैं अनशन

(श्री रतनलाल वर्मा)

कर दूंगा। क्या आप वायदा करके नहीं आये कि शराब का विरोध करेंगे ? हमने कहा कि तीस सालों में जो विकास नहीं हुआ हो विकास हम करेंगे गांवों में,

श्री सभापति : माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रासिंह ने प्रपोज किया है कि महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त शब्द **बुड्ढा मर गया,** को एक्सपन्ज किया जाय ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तो इसलिए कहा कि मन आत्मा की बात को मान नहीं रहा है।

श्री सभापति : यह जिस कान्टेक्स्ट में कहा है

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनता पार्टी के लोगों ने उस महान शक्ति को बेचारा बना दिया —

श्री रतनलाल वर्मा ; कांग्रेस वालों ने बना दिया, हमने क्या बना दिया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रासिंह के एतराज पर व्यवस्था यह है कि जिस कान्टेक्स्ट में माननीय वर्माजी ने ये शब्द कहे वे महात्मा गांधी की आत्मा को कोई ठेस पहुंचाने की नीयत से नहीं कहे है।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं आदेश का पालन करता हूं, शराब नहीं पीता हूं, शराब पीने वालों से बात नहीं करता, झूंठ नहीं बोलता। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं कहता हूं यह तो कहिए कि इस चारदीवारी में बैठे हो तो शराब नहीं पीओगे। यह तो तय कर लो और जितना सरकारी स्टाफ है जिसको सदन से तनख्वाह मिलती है, पुलिस के लिए जितना स्टाफ है, फारेस्ट के लिए जितना स्टाफ है, राजस्व डिपार्टमेन्ट का जितना स्टाफ है जिनको इस सदन से तनख्वाह मिलती है.......

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

वे कोई भी शराब नहीं पीएंगे, यह क्यों नहीं कहते ? यह तो तय कर लीजिए। लेकिन भाषण लम्बे-चौड़े देंगे, दुनिया को जगाओ और रात को जाकर पीएंगे। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सदन वाले ही पहले अपना हृदय टटोलें। कोई भी विधायक, मन्त्री, सरकारी नौकर शराब नहीं पिये। बारह महीने ही इस पर पाबन्दी लगाकर देखिये तो सही, कितना पालन होता है ? 12 महीने पाबन्दी लगाकर तो देखें कि कितनी पालना होती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दो उपचुनाव होंगे। तीन उप चुनाव करने पड़ेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : अब मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। यह पुलिस की प्रगति रिपोर्ट है। फौज की फौज खड़ी है, आफिसर के आफिसर खड़े हैं। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है थानेदार के अलावा जिसके पास जीप नहीं है। मैं आई. जी. व गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि कितनी बार कौन कौनसे थानों को उन अफसरों ने चैक किया ? गाड़ी का उपयोग करके एस.

(श्री रतनलाल वर्मा)

पी. ने कितने थानों को चैक किया ? गाड़ियों का उपयोग बीवी व बच्चों को घुमाने के लिए किया अपने ऐश के लिए किया। हम कहते हैं कि पुलिस की गाड़ी नहीं है लेकिन अगर अधिकारी एक्टिव हो जाये, आई. जी. और डी. आई. जी. एक्टिव हो जाए तो कोई जुर्म नहीं हो सकता। अगर जुर्म होते हैं तो यह कलंक है। मैं गारन्टी के साथ कहता हूं कि पुलिस प्रशासन सतर्क हो जायेगा, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। गड़बड़ी होती है तो पुलिस की मिली भगत से होती है, पुलिस वाले स्वयं करवाते हैं, ये क्या आंकड़े देते हैं ? इसमें कह दिया कि डकैतियां कम हो गईं, पहले 164 थी अब 127 हो गईं। अपने रोजनामचे में चोरी को डकैती दिखा दिया और डकैती को चोरी दिखा दिया, यह तुम्हारे हाथ की बात है। डकैती के अलावा जो आंकड़े दिए हैं सब अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। गृह मन्त्रीजी, जो मौजूदा प्रशासन पुलिस का चल रहा है, हम 6 महीने सहन करेंगे, मेरा चैलेन्ज है खुला क्योंकि 30 साल कांग्रेस का शासन देखा····

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : 6 महीने से अधिक यदि मौजूदा घटनाचक्र चलता है तो बरदाश्त नहीं करेंगे एक दिन वह आ जायेगा कि बगावत होगी इसलिये मेरा चैलेन्ज है····

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : क्या उन्हें हकीकत बयान करने नहीं देंगे ?

श्री सभापति : काफी बोल चुके हैं।

श्री मदनसिंह दांता : रोजनामचे की नकल मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : जहां न्याय करने वाले न्यायाधीश भी यूनियन बना कर सड़कों पर लोक सभा के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं वहां वह बेचारा पुलिस का सिपाही, जो जूते खाता है, डण्डे खाता है, सब तरह की बुराइयां झेलता है, अफसरों की नालाइकियां भुगतता है, क्या यूनियन बनाकर अपने पेट के लिए कुछ नहीं कर सकता ? धिक्कार है ऐसे शासन को। लानत है ऐसे शासन को। वे गरीब कुछ नहीं कर सकते इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन गरीबों की बात सोचिये, वे संगठन बनाएं। सिपाही जूते खाने में आगे रहता है, अफसर हमेशा पीछे रहता है। पत्थर बरसते हैं उन पर। किसी का मर्डर हो गया तो सिपाही फंसेगा, एस. पी. नहीं फंसेगा, थानेदार नहीं फंसेगा। मुकदमा अफसरों के खिलाफ नहीं चलेगा, सिपाही के खिलाफ चलेगा, बच्चे उसके मारे जायेंगे।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं एक ही मिनट में समाप्त करता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी, 2 अक्टूबर, 1980 तक इस सवा डेढ़ साल में अपने मानस को बना लें कि हमको कटिबद्ध रूप से देखना है। चोर दुकानें नहीं चलगी; डाक्टर परमिट देंगे उसको शराब पीने की छूट होगी इससे तो रिश्वतखोरी शुरू होगी। बीमार है तो वह पीता जाये, बोतल दे दो यह गलत तरीका है। ये चोर

(श्री रतनलाल वर्मा)

गलियां हैं। अगर शराब बन्द करनी है तो सम्पूर्ण बन्द करो।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : श्री मोरारजी प्रधान मंत्री पहले अपने निवास स्थान दिल्ली में तो शराब बन्द करें उसके बाद वह राजस्थान पर हमला करें तब प्रसन्नता होगी। गृह मन्त्री दोनों बातों पर गम्भीरता से विचार करें। गृह मन्त्री मेरी चुनौती है कि 6 महीने के अन्दर आपने पुलिस प्रशासन को नहीं सुधारा तो बगावत करने के लिए रतन लाल सबसे आगे होगा। हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन। एक विधायक की तरफ से ऐसा एलान हुआ है कि अगर 6 महीने में प्रबन्ध नहीं हुआ तो वे बगावत करेंगे····

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता।

श्री परसराम मदेरणा : जिन माननीय सदस्यों की सूची हमारी ओर से पेश की गई है उसकी तरफ भी आपकी नजर पड़े। It is very difficult to catch the eye of the Chair. Mine is the main opposition party and I feel that the Chair should look into our list also.

श्री सूरजपाल सिंह : उधर से दो सदस्य बोले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी नजर नहीं पड़ रही है, नजरें इनायत हो।

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता ने जो सूची दी है वह 7 सदस्यों की है। कांग्रेस की भी 7 सदस्यों की है। दोनों के नम्बर बराबर होने से मैंने दो उसके बुलवा दिये, दो उसके बुलवा दिये।

श्री परसराम मदेरणा : समय का बटवारा अध्यक्ष महोदय ने किया था।

श्री सभापति : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : जनाब सदर, मैं शुक्रगुजार हूं कि जो दो मांगें पुलिस और आबकारी की चल रही हैं उन पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया। मेरे पुलिस की मांग पर 4 कटौती प्रस्ताव हैं— (1) साम्प्रदायिक झगड़ों को खतम करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को दो माह की ट्रेनिंग की जावे, (2) पुलिस कान्सटेबल की तनख्वाह 25 प्रतिशत बढ़ाकर रिश्वत बन्द की जाए, (3) पुलिस थाना मकराना में सभी वर्गों की सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था करें, (4) पुलिस की भर्ती में सभी वर्गों के सिपाही रखे जावें।

सभापति महोदय, साम्प्रदायिकता हमारे देश का बहुत बड़ा मसला है, कलंक है जिसके लिए हम और सब चाहते हैं कि इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकें। तो मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि सरकार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लाजमी तौर से ट्रेनिंग देती है लेकिन थानेदार, जो थाने का इन्चार्ज है, को भी आप दो महीने की विशेष ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स के द्वारा

(श्री अब्दुल अजीज)

दें और उसके मानस को तैयार करें समाज में शान्ति बनाये रखने के लिए और लोगों की जान व माल की हिफाजत करने के लिए, असामाजिक तत्वों से लोगों की हिफाजत करने के लिए, ऐसी हालत में जब मासूम लोग मर जाते हैं उनकी माली हालत को दो चार कर दिया जाता है और जिनका कोई कसूर नहीं होता ऐसे लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता है और सरकार व देश बदनाम होते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि गृह विभाग अगर यह करे कि नीचे जो थाना इन्चार्ज हैं जिसको पुलिस में वाइड पावर्स हैं उनका मानस बनाने के लिए सरकार रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से ट्रेनिंग दे। उनका ऐसा मानस बनाए और उसके बाद समय-समय पर उनका आचरण देखा जाए कि इस काम को करने में उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की है। प्रोग्रेस रिपोर्ट और सी. आर. इस पर निर्भर करे, इसके लिए मैं विशेष रूप से सुझाव देता हूं। सबसे पहले राज्य सरकार इसको माने और अपने गृह विभाग में लागू करे ताकि सरकारी कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी महसूस हो।

दूसरे, पुलिस की माली हालत के बारे में मेरी राय है कि पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाहें वाकई बहुत कम है, कम से कम 25 पर्सेन्ट इसमें तरक्की करनी चाहिए।

तीसरे मैंने चाहा है कि मकराना में जो पुलिस थाना है उसमें इस तरह के आदमी रखिये कि हर वर्ग का आदमी वहां पर आ सके। पुलिस में भर्ती का मामला आपकी सुरक्षा के पाइन्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए जब भी आप नयी भर्ती करें उसमें हर वर्ग के लोगों को बराबर अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से ज्यादा अच्छा होगा।

पुलिस की गतिविधियों के बारे में गच्छीपुरा थाने की ओर माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। जो गस्साराम मेघवाल छः सात बार हाजिर हुआ, उसके लिए मैं भी हाजिर हुआ। उसके केस के अन्दर आपने गृह विभाग के कमिश्नर को लैटर लिखा है और एक कापी मुझे दी है। उसके बाद गृह मन्त्री जी ने पूछा था कि क्या हुआ। इसमें 8 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार, और इसका मैं घोर विरोध करूंगा। वह आदमी दोषी नहीं रहा। सिर्फ थानेदार ने अपनी जिद कायम रखने के लिए उसका चालान किया। वह बूढ़ा आदमी है, जिसका खेत था और जहां भैंसें पानी पीने आती थीं उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने चोरी कर ली। अब मेरे लिए तो यही सदन सबसे बड़ी अदालत है। इससे ज्यादा और कहीं राय जाहिर नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस थानेदार ने किन्हीं राजनैतिक लोगों के कहने पर बदनीयति से झूठे गवाहान खड़े किये हैं उस गरीब आदमी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है और समाज के अन्दर उसको लज्जित किया है, जो कि जुर्म नहीं करने वाले के खिलाफ बात रखी है उसकी आप कृपया जांच करें। मुझे जानकारी दीजिए कि आपने लिखा है कमिश्नर साहब को। लोगों को संगीन जुर्म में फंसाने का इकरार किया गया। आप कृपया इस मामले

(180)

(श्री अब्दुल अजीज)

की तथ्यात्मक रूप पुलिस अधीक्षक नागौर से मंगाने की कृपा करें और साथ ही जानकारी करें कि क्या इस मामले का चालान कर दिया है? तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने रंजिश दिखाई, गरीब आदमी को परेशान किया और 8 दिन तक थाने में रखा। होली के त्यौहार पर भी वह अपने परिवार के पास नहीं जा सका। एक राजपूत शेरसिंह ने तो यह गवाही दी कि ऐसा यह आदमी नहीं हो सकता। ऐसा आप उस रिपोर्ट में पायेंगे। तो ऐसा थानेदार है जिसने राजनैतिक हस्तक्षेप से किसी की मंशा पूरी की है और कमजोर आदमी का चालान किया है, हिरासत में रखा है और त्यौहार के मौके पर थाने में ही रखा और जिसकी आपको पूर्ण जानकारी है और जिसके लिए आपका पत्र गया, इसका आप अन्दाज लगायें। थानेदार की हिम्मत की आप दाद दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे थानेदार को तलब करके आप पूरे मुकदमे की तरफ ध्यान दीजिए ताकि समाज के अन्दर संतुलन बना रहे और विश्वास कायम हो। इसलिए मैं पुरजोर अपील करता हूं कि जो कुछ कर दिया जाता है उसका इलाज क्या है? आपके पास सारे अधिकार हैं, आप मुझे बता दीजिए कि उसने इस तरह से किस तरह से हिम्मत की?

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात आबकारी के सम्बन्ध में कहूंगा। जहां तक शराबबन्दी का मसला है, इस देश के लिए एक बड़ा पेचीदा सवाल बना हुआ है। एक तरफ तो जनता पार्टी की पूरी नीति है, जो जनता सरकार में विराजमान हैं, हमारे प्रधान मन्त्री हैं, उनका यह मानस है कि हम पूर्ण नशाबन्दी करके रहेंगे। एक तरफ मंगोसिंह जी हैं और बीच के अन्दर हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर श्री आदित्येन्द्र जी हैं। कौन उनका उत्तराधिकारी राजस्थान में है, अब अन्दाजा लगाते जा रहे हैं? हमारे प्रधान मंत्री की इच्छा को कौन पूरा कर रहा है? मुख्य मन्त्री जी के सामने कितने मसले हैं। जब चुप हैं तो मैं अपनी जुबान क्यों खोलूं आपकी जंचे सो कर लेना, मैं तो बैठता हूं।

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैं आबकारी और पुलिस पर अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से बोलना चाहता हूं। पहले पुलिस के कटौती प्रस्तावों के बारे में दो शब्द कहूंगा।

राजस्थान के अन्दर कानून और व्यवस्था की जो स्थिति बनी हुई है वह वास्तव में बड़ी सोचनीय है। जनता सरकार के शासन में आने के बाद में अपराधों में वृद्धि हुई है। गरीब आदमियों के साथ अन्याय और अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती होने की आये दिन वारदातें होती रहती हैं। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अच्छा शासन प्रदान करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है वह यह है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में अच्छी होनी चाहिये। वह नहीं है। इसके लिए आपको बड़ा जागरुक रहना पड़ेगा, आपको प्रशासन को सजग बनाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन की जो कमजोरियां हैं उनको आपको बड़ी बारीकी और गहराई से सोचना पड़ेगा

(श्री सूरजपाल सिंह)

उनका अध्ययन करना पड़ेगा और उनकी जो मुसीबतें हैं, उनकी जो शिकायतें हैं उनको भी दूर करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अपराधों को रोकने के लिए मैंने पिछले सत्र में भी आपको सुझाव दिये थे कि आपको अपनी सी. आई. डी. ब्रान्च को मजबूत बनाना पड़ेगा। सी. आई. डी. ब्रान्च जब तक आप मजबूत नहीं बनायेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं कर सकते। सी. आई. डी. ब्रान्च को लेटेस्ट टैक्निक और नये से नये वैज्ञानिक उपकरणों से आपको सुसंगठित करना होगा। नई ट्रेनिंग देकर जब तक आप उनको तैयार नहीं करेंगे तब तक दिनों दिन जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं वह आपसे कन्ट्रोल होने के नहीं हैं। इसलिए मैं सबसे पहले सुझाव दूंगा कि आप सी. आई. डी. ब्रान्च को सुसंगठित और मजबूत बनाइये।

पुलिस प्रशासन में जो पुलिस अधिकारियों के वेतनमान हैं वह बहुत ही सोचनीय हैं। उनके वेतनमान आपको बढ़ाने पड़ेंगे। पुलिस विभाग में पुलिस के अधिकारियों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को देखते हुए उनके जो वेतनमान हैं वह बहुत ही कम हैं जब वेतनमान कम होंगे और उनके अधिकार अधिक होंगे तो वह अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। इसके लिए सबसे अहम मुद्दा है वह यह है कि पुलिस विभाग के जो वेतनमान हैं वह बहुत पुराने हैं और बहुत ही कम हैं। उन वेतनमानों में संशोधन करके उनको अच्छे वेतनमान दिये जाने चाहिये। पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा उपेक्षित सिपाही वर्ग है। उनको आप 22 रुपये मैस खर्च का देते हैं। इस महंगाई के जमाने में कोई गुजारा इस पैसे में नहीं चला सकता। तो जो मैस अलाउन्स है, मैडिकल फैसेलिटीज हैं, उनको टी. ए., डी. ए. नहीं मिलता है। इन सारी चीजों पर विचार करके कान्सटेबल के वेतनमान और टी. ए., डी. ए. वगैरह में वृद्धि की जाना अति आवश्यक है। अगर यह वृद्धि नहीं होती है तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको कहते रहे हैं कि वह चोर हैं। पुलिस चोर तभी होगी जब उसका गुजारा नहीं होगा और तभी चोरियां होती हैं।

दूसरी बात, इस डिपार्टमेंट के अन्दर ड्राइवर्स हैं चाहे आई. जी. के पास ड्राइवर हो, चाहे डी. आई. जी. के पास ड्राइवर हो, उसको कान्सटेबल की ग्रेड मिलती है। जब सारे डिपार्टमेंट्स के अन्दर ड्राइवर्स सबार्डिनेट सर्विसेज के अन्दर आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है उसे कान्सटेबल की पे मिलती है। मैं निवेदन करूंगा पुलिस के जो ड्राइवर्स हैं अन्य विभागों के अनुसार जो सैलेरीज हैं, वह दी जानी चाहिये। पुलिस विभाग के अन्दर ट्रैफिक पुलिस की तरफ भी गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज ट्रैफिक की हालत यह हो रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की छतों पर 100, 100 आदमी बैठ कर चलते हैं और ट्रैफिक पुलिस देखती रहती है। पता नहीं इनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। प्रोवीजन हटा दिया गया है क्या, समझ में नहीं आता। 100, 100, 50, 50 आदमी बसों पर बैठ कर चलते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस चैक नहीं कर सकती तो ट्रैफिक पुलिस का क्या फायदा है, मेरी समझ में नहीं आता। ट्रैफिक पुलिस को सजग बनाना आवश्यक है। इस तरह के चैक न होने की वजह से आये दिन

(श्री सूरजपाल सिंह)

एक्सीडेन्ट बढ़ते जा रहे हैं।

दूसरी बात यह है पुलिस विभाग में, कहा जाता है कि पुलिस अधिकारी सब चोर हैं, ऐसी बात नहीं है। जो ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता है, जो काम करना चाहते हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पुलिस के प्रशासन को खराब करने के अन्दर सबसे ज्यादा योगदान इन नेता लोगों का है सब विधायक यह कहते हैं कि हमारे यहां अमुक थानेदार हो, अमुक एस. पी. आना चाहिये। क्या लेना देना है। उनको काम करने दो। अगर वह किसी तरह जनता के साथ न्याय नहीं करते, अगर गलत काम करते हैं तो उनको चैक कीजिये। यह नहीं कि वही होगा तो ही हमारा काम चलेगा। जो ईमानदारी से काम करेगा········

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे मुख्य मंत्री जी, गृह मन्त्री जी खड़े हैं और आफिसर्स बैठे-बैठे बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : This is no point of order.

श्री सूरजपालसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था। यह दो चार बातें मैंने पुलिस विभाग के बारे में कही हैं, जो मैंने सुझाव दिये हैं, गृह मन्त्री जी उन पर विचार करें।

अब मैं आबकारी के विषय में जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसके बारे में

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट अर्ज करूंगा।

अभी जोरों से चर्चा चल रही है कि 1 अप्रेल से मद्यनिषेध सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया जायेगा। बड़ी खुशी की बात है। मगर हालत यह है कि 1 अप्रेल से लागू कर आप सही तरीके से इम्पलीमेंट कर सकेंगे या नहीं, यह सोचने की बात है। हमारा जालौर जिला पहले से ड्राई है। मगर हालत यह है कि घर-घर में कुटीर उद्योग खुले हुए हैं। इसके उत्पादन के लिए आप ड्राई करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मेरा निवेदन यह है यह अवैध शराब न निकले, इसे पीकर लोग न मरें, इस सब की व्यवस्था आप पहले कर लें, विचार कर निर्णय लें तो ज्यादा उचित होगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सुमित्रा जी।

श्री जगतार सिंह : सभापति जी, मुझे थोड़ा सा समय दें।

श्री सभापति : माननीय गृह मन्त्री जी को अहसास कराना चाहता हूं कि सब इन्सपेक्टर तक की ग्रेड के जो कैडर हैं उनके पे स्केल अपग्रेड किये जायें और स्ट्रेंथ आफ दी पुलिस पर गौर किया जाये। यह 55-56 की कायम की हुई है।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, इधर 150 विधायक हैं, उधर 50 विधायक हैं। एक साथ तीन, तीन विधायक बोल चुके, इधर से कोई नहीं बोला। यह व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति : कुछ तो आसन पर छोड़िये। उनको यहां प्रिसाइड करना है, इसलिए उनको पहले बुलवाया है।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) : सभापति महोदय, आज यह सदन पुलिस और आबकारी की डिमाण्ड पर बहस कर रहा है। पुलिस के बारे में माननीय सदस्यों ने इस बात का इजहार किया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर गिरती जा रही है। पुलिस को आबकारी के साथ इसलिये किया है कि सब सदस्यों का आक्रोश और जो वास्तविक स्थिति है वह पुलिस पर प्रकट हो जाये, आबकारी रह जाये। माननीय मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी दुविधा की स्थिति में हैं, वे भी बच जायें।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग ने जो अपना प्रगति विवरण दिया है उससे भी स्पष्ट है और उससे भी ज्यादा स्पष्ट लोक सभा के अन्दर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राज्य मन्त्री धनिक लाल मंडल ने इस बात को स्वीकारा है कि हरिजनों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान नं० 2 पर है। तो यह स्वयं सिद्ध बात है कि जनता पार्टी के प्रशासन में आने के बाद में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हुई है, केवल एक क्षेत्र नहीं, आप किसी भी क्षेत्र को लीजिये, यूनिवर्सिटी को ले लीजिये, इस पूरे सत्र के अन्दर पढ़ाई हो नहीं पा रही। इस तरह का यूनिवर्सिटीज का वातावरण चल रहा है। पिछले साल जोधपुर विश्वविद्यालय was barnt to ashes. बिल्कुल जलाकर राख कर दिया। क्या किया सरकार ने क्या जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई? यह तो यूनिवर्सिटीज की हालत है। उद्योगों में क्या हो रहा है? इन्टर यूनियन राइवलरीज कितनी बढ़ी हुई है और उनमें क्या हो रहा है? उसके बाद एम्पलाइज का और स्टूडेंट्स का झगड़ा है। माननीय केदारनाथ जी गृह मंत्री थे उस समय उनको मालूम है कि स्टूडेन्ट्स के साथ रोडवेज के कन्डक्टरों का झगड़ा हुआ। मारपीट हुई। रोडवेज के कर्मचारियों का अस्पताल के अन्दर एक्स रे नहीं हुआ। संतोकबा में जाकर एक्स रे हुआ। होम मिनिस्टर साहब खुद मिलने गये। इतने द्रवित हो गये, उनकी आंखों में आंसू आ गये। उसका भी क्या हुआ? कुछ नहीं। विद्यार्थियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? एम्पलाइज को कैसे सन्तुष्ट किया गया निवेदन करने का मतलब यह है कि आज रोजाना अखबारों के अन्दर खबर आती हैं, कौन सा दिन है जिस दिन अखबारों में किसी चोरी की खबर न आती हो, डकैती की खबर न आती हो, नकबजनी की खबर न आती हो, हरिजन महिलाओं के शील अपहरण की बात अखबारों में नहीं आती हो। मैं तो उन अखबारों की कटिंग को आप चाहे तो प्रस्तुत कर सकती हूं। रोजाना आप देखिये ये खबरें आती रहती हैं इसलिये मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि राजस्थान के अन्दर आप आज इस शेखावत गवर्नमेंट में चाहे आपकी उपलब्धियां भी हों, फुड फार वर्क में जो काम कर रहे हैं, वह प्रसंशनीय है, अन्त्योदय में जो काम किया है वह भी अच्छा हैं, रेवेन्यू अभियान है वह भी ठीक है लेकिन मैं आपसे कहती हूं किसी भी सरकार के स्थायित्व के लिये उसकी प्राइमरी ड्यूटी कानून और व्यवस्था को बनाये रखने की होती है, सभापति महोदय, न केवल

184

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह अकेली राज्य सरकार बल्कि भारत की सम्पूर्ण प्रान्तीय सरकारें और भारत सरकार भी कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने में अक्षम है। इसलिये मैं कहती हूं इन आपकी उपलब्धियों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ने पानी फेर दिया, नाकाम कर दिया। माननीय मन्त्री महोदय, खास तौर से राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति के स्वयं गृह मन्त्री होने के बाद यह स्थिति रहती है तो आपकी छवि का क्या होगा ? आज हमारा प्रान्त हिन्दुस्तान के अन्दर हरिजनों के अत्याचार के मामलों में नम्बर दो पर है, अग्रणी है। क्या आप उन लोगों को संरक्षण नहीं दे सकते हैं, उन लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि समय कम है इसलिए कौन कौन से केस को कोट करूं, यह भी एक मुसीबत है। श्री जोशी, जो टेलीग्राफ आफिसर थे, का आज से दो वर्ष पूर्व मर्डर हुआ था। माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे, क्या हुआ उस केस में ? मेरी समझ में उस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। दिन दहाड़े बैंक रोबरी हो गई विश्वकर्मा में। इस तरह की आये दिन घटनायें हो रही हैं। आज सच पूछिये तो क्या नहीं हो रहा है ? दिल्ली के एक अखबार का एडीटोरियल है उसमें मिस्टर हिरणमय कार्लेकर ने लिखा है, दिल्ली में आज कोई भी महिला सेफ नहीं है। मैं कहती हूं दिल्ली ही क्या, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, अलवर किसी भी जगह महिलाएं सेफ नहीं है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या नहीं है ?

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : सेफ नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : असत्य बोल रही हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मुझे असत्य नहीं कहें, पहले सुन लें, माननीय सदस्य। यह बात मैंने इसलिए कही है, मैं माननीय गृह मन्त्री जी को याद दिलाना चाहती हूं भरतपुर में एक बार काफी समय पहले, करीब डेढ़ दो साल पहले का मामला है ....

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : उस घटना को मैं अच्छी तरह जानता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए, सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह........

श्री सम्पतराम : देखिये, माननीय सदस्या आप महिला हैं। महिलाओं के बारे में आपको जिम्मेदारी से बोलना चाहिये। भरतपुर में एक भी घटना नहीं हुई है....

(व्यवधान)

सुनिये, आपको अपनी माता और बहिनों के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। एक

(श्री सम्पत राम)

बार माननीय रामनारायण जी ने भी चैलेन्ज किया था और मैंने उनको सन्तुष्ट कर दिया था।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : शराब पिये हुए गुण्डे घूमते हैं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : चूरू जिले में एक 11 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार हुआ है। यह घटना सही है। आज भी मुल्जिम खुले आम घूम रहे हैं। यह हमारी सरकार पर काला धब्बा है।

श्री सम्पतराम : मैं नहीं कहता कि घटनाएं नहीं होती हैं। समाज में कब नहीं हुई। होती हैं तो बड़ी निकम्मी बात है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : 11 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार हुआ है और मुल्जिम खुले आम घूम रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : यह बात बेबुनियाद और गलत है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या राजस्थान की महिलाओं का राजस्थान सेक्रेटेरियट के पास एक जुलूस नहीं निकला था जिसमें वे कह रही थी कि महिलायें सेफ नहीं हैं। उन्होंने खुद ने फर्माया था।

श्री सम्पतराम : क्या वे आंकड़े मुझे बता सकते हैं·······

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि इस वक्त सदन में कट मोशन्स चल रहे हैं। यह नियम है कि जब सारे सदस्य बोल जाते हैं उसके बाद मन्त्री महोदय जवाब देते हैं। अब ये बीच-बीच में उठकर जवाब देते हैं तो हम भी जवाब देंगे। इसलिए कुछ तथ्य महिला सदस्या कह रही हैं उनको सुनना चाहिये। यह तथ्य सही है कि जयपुर के बाजार में अकेली महिला आज भी नहीं घूम सकती है। आज पुलिस के आई. जी. पी. धर्म से कह दें कि क्या उनकी लड़कियां रात्रि में अकेली जा सकती हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय गृह मन्त्री जी का यह मन्तव्य है कि जोर से बात कह कर मुझे दबा दें।

श्री सम्पतराम : मैं तो आपको कभी भी नहीं दबा सका।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, ये शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बातें यहां कही जाय।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : You are creating trouble. कुछ नहीं कहा, चलिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं लेकिन भरतपुर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

का क्या नाम बता दिया मन्त्री जी तैश में आ गये। मैं बताना चाहती हूं भरतपुर में कोतवाली के पास ही गाजियाबाद से एक लड़की अपने कजन के साथ आई हुई थी परीक्षा देने के लिये। सदन को जानकारी देना चाहती हूं कि एक लड़की अपने कजन के साथ परीक्षा देने के लिए भरतपुर आई हुई थी। उसने कहा, कोई ठहरने का स्थान है। पुलिस थाने के सामने की बात है। एक गुण्डा आया और उसने कहा मैं बताऊं। लड़की को साथ मोटर साइकिल पर बैठाया और भाई को धक्का देकर लड़की को मोटर साइकिल पर ले गया। उसके साथ रेप किया और फिर उस लड़की को वापस लाकर कोतवाली के सामने ही छोड़ दिया। सभापति महोदय, इसका केस भी रजिस्टर हुआ है। उसके बाद सभापति महोदय, कांग्रेस (आई) और कांग्रेस दोनों को मिल कर वहां प्रदर्शन करना पड़ा और जब डिमान्स-ट्रेशन किया तब जाकर आगे कोई कार्यवाही हुई।

श्री सम्पतराम : भरतपुर के गुण्डों को अब मैंने सम्भाल लिया है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप बीच बीच में डिस्टर्ब न करिये, माननीय मंत्री महोदय, जब आप अपना जवाब दें तब सफाई पेश करें, मुझे ख्वामाख्वाह बीच में डिस्टर्ब क्यों करते है ?

माननीय सभापति महोदय, यह सारा कांड कोतवाली के सामने हुआ, उसके सामने यह सब कुछ हुआ। इतने बड़े कुकृत्य के बाद माननीय गृह मन्त्री हंस रहे हैं, इससे बड़ी लज्जा की क्या बात हो सकती है। आपके गृह मन्त्री काल में ऐसा हो इससे तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। क्या यह हंसने की बात है। यह केवल भरतपुर का किस्सा नहीं है, मैं कहती हूं कि जोधपुर के अन्दर नन्दा त्रिवेदी काण्ड हुआ। उस लड़की को बम्बई में ले जाकर क्या नहीं किया गया ? जिस लड़के ने नन्दा त्रिवेदी को उड़ाये जाने की रिपोर्ट दी थी उसको टोर्चर किया गया कि तुम गलत बयानी करते हो। अभी माननीय गृह मन्त्री जी बड़ी तेजी से कह रहे थे माननीय रामनारायण जी को कि गलत बयानी करते हो। मैं आपसे कहती हूं कि आप स्वयं गलत बोलते हैं। उसी तरह से उस लड़के को टार्चर किया गया कि तुम गलत बयान दे रहे हो, उसको मारा पीटा गया और जब एजीटेशन हुआ तब गृह मन्त्री जी को पता चला कि वास्तव में क्या बात है।....

श्री रामनारायण चौधरी : उसके अन्दर भी इन होम मिनिस्टर की पुलिस ने बेईमानी की। जो चालान किया गया उसमें सरासर बेईमानी की। जो दफा लगानी चाहिए थी वह नहीं लगाई और यह कहा गया कि यह झूठा मामला है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरी बात सुनिये। मुझे इस बात से भी कष्ट हुआ होम मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ दिनों पूर्व ही आई. जी. साहब ने प्रेस कांफ्रेंस की और उस प्रेस कांफ्रेंस में इस बात को स्वयं ने स्वीकार किया कि आज इतने क्राइम बढ़ रहे हैं कि हमको इस पुलिस विभाग के ढांचे को दो भागों में विभक्त करना पड़ेगा। दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक भाग इनवेस्टीगेशन का हो ताकि जो क्राइम हो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

रहे हैं उनका ठीक तरह से इन्वेस्टीगेशन हो सके, दूसरा भाग ला एण्ड आर्डर को मैंटेन करने के लिए है। यह स्वयं आपने प्रेस कांफ्रेंस में कहा है इसलिये कि कानून और व्यवस्था की स्थिति काबू से बाहर हो गई है। यह इस बात की पुष्टि करता है जो मैं कह रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस के ऊपर मैं इतना ही कहते हुए कि, माननीय गृह मन्त्री जी, यह आपके ऊपर राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ लोगों की सुरक्षा, महिलाओं की पूर्ण रूप से सुरक्षा और खास तौर से दबे हुए, पिछड़े हुए, दलित, शोषित, ऐसे तबकों की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी है। आपको इन सभी बातों का अहसास करना चाहिए। उसके बाद यदि हम आपको सहयोग देते हैं, यहां पर कुछ कहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, आपका स्वंय का बोझ हल्का करते हैं। अतः आपको हमारा धन्यवाद देना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ अब दो मिनट में आबकारी के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। आबकारी के बारे में गांधीवादी वित्त मन्त्री जी लोकनायक ने चिट्ठी लिख दी, सिद्धराज जी ढड्ढा लेकर रवाना हो गए, मुख्य मन्त्री जी जवाब दें, मैं मुख्य मन्त्री जी से ही जवाब लेना चाहती थी लेकिन वे हैं नहीं, मुख्य मन्त्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली जाकर चन्द्रशेखर के पांव पकड़े, चंद्रशेखर ने लोकनायक की मनुहार की और लोकनायक, जिसको आपने लोक सभा के चुनावों में गांव गांव और झोंपड़ी झोंपड़ी में लिखा था, मैं पढ़ती थी तो मेरे दिमाग में भी आता था कि लोकप्रियता एवं प्रचार में तो कमी नहीं है, लिखा जाता था, गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश।....

श्री श्योपतसिंह मकासर : बेचारा शब्द एक्सपंज होना चाहिए। बेचारे शब्द के लिए पहले भी आब्जेक्शन हुआ था....

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह भी उसी कांटेक्स्ट में है इसलिए इसके बारे में भी उसी कांटेक्स्ट में समझ लें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर मैंने बेचारा शब्द का प्रयोग किया है। मैं निवेदन कर रही थी कि उस बेचारे जयप्रकाश नारायण को जो लोक-नायक....

श्री एक माननीय सदस्य : वह बेचारा नहीं, देश का नेता है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उनके गौरव को आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहां से कहां ले आए। इसीलिए मैंने बेचारा शब्द कहा है....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जब मैं बोल रहा था तब तो आपने एतराज किया था बेचारे पर....

श्रीमती सुमित्रासिंह : देवली से आने वाले माननीय सदस्य....

(188)

श्री रतनलाल वर्मा : मैं नहीं आया देवली से।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य आसन की व्यवस्था के अनुसार बेचारा शब्द स्वीकार हो चुका था इसीलिये मैंने उस शब्द का प्रयोग किया है। आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। तो मैं निवेदन कर रही थी ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या को बोलने दिया जावे।

श्री मदनसिंह दांता : न पुलिस वाले प्रोटेक्शन देते हैं और न आप प्रोटेक्शन देते हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, तो मैं निवेदन कर रही थी कि उन लोकनायक को एक मुख्य मन्त्री अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कहां तक इन्वाल्व्ड कर सकते हैं, कैसे-कैसे अनैतिक काम के लिए लोक नायक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे याद है दो वर्ष पूर्व अपने बजट भाषण के अन्दर माननीय वित्तमन्त्री जी ने बड़े गर्व के साथ, इस सदन में गर्वोक्ति करते हुए घोषणा की थी कि अनैतिक ढंग से कमाई हुई कमाई को राज्य के अन्दर हम काम में नहीं लेना चाहते हैं चाहे हमारे साधन सीमित हैं लेकिन अनैतिक ढग से कमाई नहीं चाहते और इसीलिए लाटरी को बन्द किया गया था। यह भी अनैतिक कमाई है। गांधीजी कहते थे साध्य ही नहीं, साधन भी पवित्र होने चाहिए। इसीलिए इस पाप की कमाई को, लाटरी को बन्द किया और अब इस प्रोहीबिशन के बारे में घोषणा की गई तो सच पूछिये मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जब माननीय सदस्य बोल रहे थे ...

श्री टीकमचन्द कान्त : सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी तक पाप की कमाई नहीं थी ?

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती थी कि ...

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सदस्या, आपके लिए नहीं कहा, आप क्यों चिन्ता करती हैं ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : इन शब्दों का प्रयोग अगर मेरे लिए भी करें तो मुझे कोई चिन्ता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय सदस्या के बोलने पर हर सेटेंस पर इन्टरवीन करें क्या यह उचित है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो शब्द कहे गये हैं ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या जब से बोल रही हैं बराबर इन्ट्रप्शन हो रहा है।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : माननीय सभापति महोदय, ये शब्द इस सदन की गरिमा के खिलाफ हैं। जो शब्द कहे गये हैं आपने शायद सुने नहीं।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैंने यह कहा है कि सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यह पिछली सरकार के लिए कहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह गलत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी आपत्ति चूंकि रिकार्ड में आ गई है इसलिए मेरी व्यवस्था है कि जो शब्द माननीय सदस्य ने कहे हैं वे माननीय सदस्या के लिये मखसूर तौर पर नहीं थे बल्कि एक पार्टी इन पावर के लिये इस किस्म की नुक्ताचीनी एक पार्टी दूसरी पार्टी पर किया करती है। माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि जिस प्रकार प्रगतिशील दल के, करौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सारी बातें शराब के लिये ही क्यों कह रहे हैं, बाकी नशों के बारे में भी कहें, उन्हें भी बन्द करें। मैं कहती हूं कि बाकी नशों के अन्दर आदमी डल हो जाता है उत्पात नहीं करता। शराबबन्दी सबसे पहले आवश्यक इसलिए है कि शराब पीकर आदमी उत्पात करता है। इसलिये मैं शिवचरणसिंह जी की बात पर निवेदन कर रही हूं....

(व्यवधान)

कि आदमी शराब पीकर उत्पात करता है और इस उत्पात को रोकना जरूरी है। तो मैं निवेदन कर रही हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात का स्पष्टीकरण दें कि क्या यह बात सही है कि सिद्धराज जी ढड्ढा लोकनायक के पास से एक इस तरह का मैसेज सर्वोदयी नेता गोकुल भाई भट्ट के नाम लेकर आये हैं जिसमें कहा है कि बीच बचाव का रास्ता निकाल लो। मुख्य मन्त्री महोदय को कुर्सी न छोड़नी पड़े ऐसा कुछ न कुछ एडजस्टमेन्ट कर लो। मैं पूछना चाहती हूं कि लोकनायक को यहां क्यों घसीट लाये। माननीय वित्तमन्त्री जी, लोकनायक की बात तो छोड़िये, आपका अपना जीवन उच्च रहा है, सार्वजनिक जीवन में पचास साल से आप लगे हुये हैं तो किन सिद्धान्तों के लिए और किन उसूलों के लिये लगे हुये हैं। क्या इसी कुर्सी के लिये ? इस उम्र के अन्दर जब आदमी वैरागी हो जाता है, इस उम्र के अन्दर जब कि आदमी विरक्त हो जाता है, कुर्सी का मोह चला जाता है, आप इसी कुर्सी का मोह कर रहे हैं। मैं आपको अहसास करा रही हूं आपके अपने गौरव का, अपने व्यक्तित्व का। आप चाहते हैं कि....

श्री कौशल किशोर जैन : आपकी विरक्ति का समय कब आएगा ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब आपका चला जायगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : तो आपसे निवेदन कर रही थी कि कहां लोकनायक को घसीट लाए ? मुख्य मन्त्री को कुर्सी छोड़नी पड़े या सर्वोदयी नेता अनशन की अपनी बात से डिगें, एक तरफ नैतिकता है, उसूल

(१९०)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हैं सिद्धान्त हैं दूसरी तरफ रियलिटीज अर्थात् पोलिटिकल रियलिटीज हैं, राजनैतिक वास्तविकता हैं, पोलिटिकल रियलिटीज हैं दूसरी ओर नैतिकता खड़ी सिसक रही है और उसके लिए आप गांधीजी की तरह देश में और इतिहास में अपना नाम छोड़ जायेंगे या अपनी कुर्सी को बचायेंगे। यही मुझे आप से कहना है तथा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : सभापतिजी, मद्य निषेध के बारे में मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है। वित्त मन्त्री जी ने बजट भाषण पर हुए विवाद के उत्तर में भी इस ओर संकेत किया है। मैं बहुत ही नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शराबबन्दी 1 अप्रेल, 1979 से होनी चाहिए। यह मेरा निजी मत है। इसके पीछे कोई आर्गूमेंट नहीं है। आर्गूमेंट फार एण्ड अगेंस्ट तो बहुत हो सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन शराब पीना बड़ा भारी जुल्म है, कलंक है, अभिशाप है। हिन्दू संस्कृति की जो बात करते हैं, उनके लिए यह चेतावनी का विषय है। हिन्दू संस्कृति की बात करने वाले इसकी वकालत करते हैं कि नशाबन्दी नहीं होनी चाहिए। यह पक्ष सामने आता है। इसके लिए मैं एक दूसरा पक्ष पेश करना चाहता हूं.......

(6.40 सायं)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, सभापति, पदासीन)

बिहार राजस्थान से बड़ा है। उन्होंने भी मद्य निषेध लागू करने के पहले कुछ आंकड़े रखे होंगे। यह दलील दी कि इन्फ्रा स्ट्रक्चर नहीं है, मशीनरी नहीं है, आदमियों की कमी है। हमारे सोर्सेज कुछ कम नहीं हैं। वित्त मन्त्रीजी, क्या आप इस आर्गूमेंट से सहमत हैं कि इन्फ्रा स्ट्रक्चर नहीं है.......

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति के अन्दर यह आवश्यक है जो एक बुराई है, जो समाज के लिए अभिशाप है, जो हमारे बच्चों को और आगे आने वाली सन्तति को बिगाड़ सकता है, उसको बन्द करना आवश्यक है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि प्रधान मन्त्री आपकी मदद पर हैं और वे घाटा पूर्ति के लिए भी तैयार हैं तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि आपको शंका पैदा हो रही है। या कहीं इसके पीछे राजनीति तो नहीं खेली जा रही है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं where there is a will, there is a way. हिम्मत से आगे आइये और मद्य निषेध को लागू कीजिए जल्दी से जल्दी और 1 अप्रेल से ही लागू कीजिए।

इसके अलावा, सभापति महोदया, मैं पुलिस विभाग की डिमान्ड के सम्बन्ध में सक्षेप में मुद्दे रखना चाहता हूं। यह जो प्रगति विवरण हमको दिया गया है, इसमें कई पहलुओं पर विचार प्रकट किए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि पहले की अपेक्षा कृत अपराधों में कमी हुई है। पुलिस ने तत्परता से अन्वेषण किया है। चालान

(श्री ओंकार लाल चौहान)

भी किए गए हैं। मैं इन सब बातों से एग्री करता हूं। इसमें कोई शका नहीं है। आज की बदलती हुई परिस्थिति में, इमर्जेन्सी के बाद एक अजीब सा माहौल सारे हिन्दुस्तान में बना था। इस बारे में पुलिस विभाग को सजग होना चाहिए था परन्तु उस प्रकार से वह सजग नहीं था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इस रिपोर्ट के अन्दर कई बातों का जिक्र किया गया है। अन्वेषण कराये गये हैं। डकैती उन्मूलन का कार्य किया गया है। हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की रोक थाम की गई है और इसके लिए एक सैल कायम किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय को यह ताकीद करना चाहता हूं, उन्होंने जो यह कदम उठाया है, हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं, उसके लिए एक सैल कायम किया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हरिजनों पर अत्याचार दो तीन कारणों से होते हैं। एक मुख्य कारण तो यह है जमीन का झगड़ा। जमीन पर उनको कब्जा नहीं मिलता क्योंकि सरमायेदार उस पर काबिज हैं और उनके कारण उनको कब्जा नहीं मिलता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ ही एक स्पेशल फोर्स क्रिएट करना चाहिए। एक स्पेशल फोर्स उनको कब्जा दिलावे जमीन पर और इस सम्बन्ध में कोई झगड़ा न होने दे। सभापति महोदय, इस पुस्तिका में जो सुधार हुए हैं, उनको बताया गया है। मैं यह मानता हूं कि सुधार हुए हैं लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट में यह देखने को मिलता है कि अदम सबूत से क्या मतलब? ऐसा क्या वाकया होता है या तो कोई नाकामी होती है, या कोई गफलत होती है उस समय यह कोई बहाना लिख कर, इस तरह का एक्सक्यूज लिख कर दे दिया जाता है। पुलिस विभाग को इसके लिए सतर्क होना चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय को यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जहां आपने पुलिस फोर्स को रिआर्गेनाइज करने, प्रशिक्षण देने की बात कही है, परन्तु आज जुर्म अलग-अलग बढ़ गये हैं। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है उसी तरह से क्राइम की कैटेगरीज अलग हो गई हैं। क्राइम करने का तरीका बदल गया है Crime does not create a criminal. कोई भी व्यक्ति क्रिमीनल नहीं है। परिस्थितियां उसको क्रिकिनोलोजी की तरफ ले जाती है। इसकी क्या वजह है? एक उदाहरण देना चाहता हूं। कोटा शहर में दो, चार दिन में एक कत्ल हो जाता है। छुरेबाजी, चाकूबाजी तो वहां पर प्रतिदिन होती है। जहां पर इन्डस्ट्रियल काम्पलेक्स है, इन्डस्ट्रियल सेण्टर है. वहां पर कई तरह के लोग रहते हैं। कई यूनियनें वहां पर काम करती हैं। वे अपने मर्जी से चलते हैं। अपनी चीजों को दबाने के लिए उत्पात करते हैं कि खतरा हो जाता है। पुलिस उसको दबाने में सक्षम नहीं होती है, न ट्रेण्ड हो पाती है और न उसके पास समय होता है। इसलिए ये क्रिमिनल, क्राइम्स बढ़ते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के अधिकारियों को तनख्वाह एक तारीख को मिलती है परन्तु इस विभाग के जो सब डिविजनल हैडक्वार्टर्स है वहां पर 12, 13, 14 तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि डिसबर्सिंग आथोरिटीज को आप डिसेन्ट्र-

(श्री ओंकार लाल चौहान)

लाइज करिए। क्या किसी व्यक्ति को 14 तारीख तक तनख्वाह देना न्यायोचित है। इस सम्बन्ध में बस इतना ही संकेत करना चाहता हूं। टी० ए० बिल भी उनको चार, छः महीने तक नहीं मिलता है।....

(व्यवधान)

श्रीमती सभापति : कृपया संक्षेप में जल्दी समाप्त करें।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पुलिसमैन को उसका टी०ए० बिल समय पर मिलना चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि एक्ट के तहत अनटचेबिलिटी काग्नीजेवल ग्राफेन्स है। इस रिपोर्ट के अन्दर अनटचेबिलिटी के कितने केस दर्ज किए गये उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। क्या आप यह समझते हैं कि अनटचेबिलिटी के कोई केसेज नहीं हुए हैं राजस्थान में। अस्पृश्यता एक अपराध है कानून के अन्दर। इसलिए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में जो अपराध होते हैं उनका अन्वेषण करना चाहिए और इस रिपोर्ट के अन्दर उनका जिक्र होना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हम पुलिस से काम लेना चाहते हैं, उसको मजबूत बनाना चाहते हैं तो क्या आपने उनके हैड क्वार्टर पर रहने की व्यवस्था की है? सभापति महोदया, आप ताज्जुब करेंगी मेरी कान्स्टीट्युएन्सी में एक जगह पर एस० एच० ओ० का हैडक्वार्टर है। उसके लिए वहां पर मकान नहीं हैं। वह वहां पर से दो-तीन मील दूर रहता है और कोई वाकया हो जाता है तो किस तरह से वह फोर्सेज को इकट्ठी करके मौके पर जा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको पुलिस फोर्स को एक्टिव बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त करना है तो उनको वहीं पर रहने की सुविधा देनी चाहिए जिससे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त और सक्षम बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभापति : श्री हरीश शर्मा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, निर्दलीय को भी....

श्री सभापति : ऐसा है हरीश शर्मा के बाद जनता पार्टी के एक सदस्य और बोल लें, फिर आपको मौका मिलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : फिर हमको मौका नहीं मिलेगा। आप बतला दीजिये कितने कितने सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री सभापति : बोलने वाले तो बहुत हैं। पहले हरीश शर्मा बोलेंगे उसके बाद जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य और बोलेंगे फिर कांग्रेस (आई) या निर्दलीय सदस्य को समय दूंगी। फिर माननीय मन्त्री महोदय का जवाब होगा।

श्री हरीश शर्मा : सभापति महोदया, विश्वविद्यालय के छात्रावासों में आज जो छात्र....

श्री सभापति : आज तो कट मोशन पुलिस का है।

श्री हरीश शर्मा : आबकारी का भी है।

श्री सभापति : आप तो शिक्षा पर चले गये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : भूमिका बना रहे हैं।

श्री हरीश शर्मा : छात्रावासों में आज छात्रों का गिरता हुआ चरित्र है। यह आगे चल कर देश का चरित्र उत्थान करेंगे? आज देश बड़ा है या दल बड़ा है या राष्ट्र सर्वोपरि है या राजस्थान का विकास सर्वोपरि है? आज 39 करोड़ की आय राजस्थान सरकार को शराब से है इसके साथ-साथ जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार 148 करोड़ बताये हैं प्रस्ताव किया है, भारत सरकार को सिफारिश की है इसके लिये कि राजस्थान में शराबबन्दी लागू करने पर सरकार को 148 करोड़ देने होंगे लेकिन भारत सरकार ने आश्वासन दिया है 50 प्रतिशत के लिये, वह भी केवल आबकारी का जिसका 5 साल के हिसाब से 65 करोड़ देना चाहते हैं। तो आपका 107 करोड़ का घाटा होगा उसकी क्षति पूर्ति के बारे में व्यवस्था नहीं है। वह व्यवस्था या तो कर लगाकर करनी पड़ेगी, या योजना को समाप्त करके करनी पड़े या राजस्थान की जनता पर 107 करोड़ के और टैक्स लगायेंगे या विकास योजनाओं को रोकेंगे। आज राजस्थान की जो स्थिति है, 8 हजार आदमी जो इस रोजगार में लगे हुए हैं। आपने परीक्षण के तौर पर तहसीलों और कई जिलों में शराबबन्दी की है लेकिन वहां यह नहीं के बराबर हुई है। वैसी स्थिति ही और हो जाएगी जिसके नियन्त्रण के लिए हमें और व्यक्तियों को भर्ती करना पड़ेगा। आज शराब की आबकारी की वजह से लोग लगे हुए हैं गंगानगर शुगर मिल में। अगर यह बन्द कर दी जाती है तो गंगानगर शुगर मिल बन्द हो जाएगी। जिसका प्रभाव किसानों पर भी पड़ेगा जो गन्ना बोते हैं उन पर भी पड़ेगा। हमारे पर्यटक जो राजस्थान में आते हैं उनकी दृष्टि से भी हमें सोचना पड़ेगा। ट इम्स आफ इण्डिया में सूचना थी कि तमिलनाडु में शराबबन्दी है मगर वहां एक लाख शराब के अवैध भट्टे चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो हिम्मत के बारे में बात कर रहे हैं....

(व्यवधान)

...लेकिन उस हिम्मत का परिणाम क्या होगा? हमारी जो योजनायें हैं काम के बदले अनाज, अन्त्योदय योजना, ये ठप्प हो जाएंगी, गरीब मारे जायेंगे। मैं चाहूंगा, राजस्थान में शराबबन्दी हो लेकिन इस प्रक्रिया की स्टेज क्या हो, चरण क्या हो, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। यह नहीं कि केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न उठा कर इसको इस ढंग से लिया जाय। केवल राजनैतिक दृष्टि से शराबबन्दी करना उचित नहीं होगा। शराबबन्दी की जो बात चल रही है मैं चाहूंगा उस पर गम्भीरता से विचार किया जाय। मुख्य मन्त्री जी बार बार धमकी देते हैं कि त्याग पत्र दे देंगे। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि त्याग पत्र देने या न देने का अधिकार उनको

(श्री हरीश शर्मा)

नहीं है, जिन्होंने चुना है उनको अधिकार है। वे इस प्रकार की धमकियां न दें...

श्री सभापति : मुख्य मन्त्री जी हैं नहीं, आप किसे कह रहे हैं। आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हरीश शर्मा : मैं पुलिस के बारे में....

श्री सभापति : आपने 8 मिनट तो ले लिये हैं। मैं मजबूर हूं आपको समय देने के लिये।

श्री हरीश शर्मा : दो मिनट, सभापति महोदया। पुलिस के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि हमारे गृह मन्त्री जी पुलिस से मिले हुए हैं ऐसा मुझे सन्देह। मुझे सन्देह है कि इन्होंने कोटा के एस. पी. और डी. एस. पी. को सन्देश दिया है कि आप रामगंज मण्डी में कानून की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करवा दें। पुलिस को बार बार आगाह करते हैं लेकिन आज तक कत्ल करने वाले लोग गिरफ्तार नहीं हो सके। बड़ी बड़ी डकैतियां हुईं लेकिन चोरों को पकड़ा नहीं जा सका। सभापति महोदय, ऐसे पता नहीं कितने मामले हैं जिनमें पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। कोटा में एक छात्र प्रदीप जैन का हत्याकाण्ड हुआ, इतना आश्चर्यजनक काण्ड हुआ, कोर्ट में गवाही देने वाले तक को मौत के घाट उतार दिया लेकिन कोई नहीं पकड़ा जा सका। क्यों नहीं किसी को पकड़ा गया? जिलाधीश महोदय ने कहा कि मामला सी. बी. आई. को दे रहे हैं सी. आई.डी. को दे रहे हैं लेकिन न सी.बी.आई. को केस दिया, न सी. आई. डी. को दिया, न छात्र के परिवार को कोई मुआवजा दिया। इस प्रकार धोखाधड़ी लगातार चलती रही तो। एक पूरे साल भर पहले अनाज का भरा ट्रक गायब हो गया जो आज तक नहीं मिला। ट्रक को गायब करके ले गये। दो आदमियों की खोज पुलिस नहीं कर सकी जो गायब हो गये। मुझे सन्देह है उन दोनों आदमियों को पुलिस काट कर खा गई। राजन काण्ड हुआ जिसका आज तक पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। सभापति महोदय, इतनी भयानक स्थिति में डकैती हुई, मैं स्वयं उस समय वहां था, 3 आदमी मारे गये। जो घायल हुए, मैंने स्वयं उनसे बात की। इसके बावजूद भी डकैतों ने शाहबाद में लगातार 10 गांवों में डकैती डाली। लेकिन सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। यह पुलिस है क्या? किस निमित्त है? किस लिए है? यह प्रश्न चिन्ह उनके सामने खड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी पर भयंकर कलंक है यह कानून और व्यवस्था....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया तो जनता इसके खिलाफ भयंकर संघर्ष करेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : और आप इधर आ जायें पहले।

श्री सभापति : माननीय श्री नवरंग सिंह, आप केवल 5 मिनट में समाप्त करें।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और निश्चित रूप से अपनी बात 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री रंगजी भाई : माननीय सभापति महोदया, हरीश जी के बाद मेरा नाम था।

श्री सभापति : नहीं। हरीशजी अस्वस्थ थे। उन्होंने लिखकर भेजा था कि वह जाना चाहते हैं। अस्वस्थ हैं इस कारण से उन्हें समय दे दिया जाय। इसलिए उनको समय दे दिया गया था। उनका नाम नवरंगजी के बाद में था।

एक माननीय सदस्य : मतदान कौन करेगा?

श्री नवरंग सिंह : मैं शराबबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, मैं यह सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय गोकुल भाई भट्ट ने जो प्रण किया है, अनशन का, उसके बारे में अगर राजस्थान सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया तो जितना सहयोग और मदद हो सकेगी निश्चित तौर से मैं व्यक्तिगत रूप से दूंगा।

इसके साथ-साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन में कई दलीलें दी गई हैं। पहले तो माननीय पुराने नेता यह कहते हैं कि इससे घाटा होगा राजस्थान को। माननीय सभापति महोदया, राजस्थान को घाटा तो सातवें वित्त आयोग से हुआ है तब नेता लोग कहां चले गये? सातवें वित्त आयोग का यह बहाना किया है। राजस्थान में यह सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को लोगों के सर पर कब तक लादा जायगा। कभी न कभी तो इसका अन्त आएगा। यह मौका है कि हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने राजस्थान को यह आश्वासन दिया है कि जितना घाटा होगा उसका 50 पर्सेन्ट तक केन्द्र सरकार से राजस्थान को मिलेगा। यह आश्वासन दिया है, जो मदद हो सकेगी वह मदद करेगी। यह दलील दी गई है कि गंगानगर शुगर मिल बन्द हो जाएगी। शराबबन्दी होती है तो, सभापति महोदया, राज्य सरकार कल से ही उसको बन्द कर दे। यह सामाजिक बुराई है। इस सामाजिक बुराई को राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरी पुरजोर शब्दों में यह मांग है कि माननीय वित्त मन्त्री जी आज ही इस बात की घोषणा करें, जैसा कि एक-दो दिन के लिए कल उन्होंने बात कही है, हम भी राजस्थान में 1 अप्रैल, 1979 से शराबबन्दी कर देंगे, क्योंकि वह स्वयं भी इस विचारधारा को मानने वाले हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि गांधीवादी विचारधारा के वित्त मंत्री जी हैं, वह इन बातों पर गौर करेंगे।

इसके अलावा, सभापति महोदया, मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे माननीय गृह मन्त्री जी की इन्टेग्रिटी पर शक नहीं है। राजस्थान में एक अच्छे विचार वाले, अनुशासित एवं कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले

(श्री नवरंग सिंह)

समय में राजस्थान में कुछ भयंकर घटनायें हुई हैं। आपने जो यह प्रगति विवरण दिया है उसमें 77-78 मे 73452 मामले बताये हुए हैं । 1974 के मुकाबले में इस वर्ष 12650 मामले अधिक हैं : इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पुलिस को इस तरह से सक्षम बनायें कि इनकी संख्या घटे । पिछले दिनों जो कुछ भी राजस्थान में घटा है चाहे वह जोधपुर में घटना घटी और चाहे वह भालेरी के गांवों की घटना थी जिसमें जमींदारों ने गरीब परिवारों पर हमला किया, चाहे वह बीकानेर की घटना हो, चाहे गंगानगर के छात्रों के साथ अमानुषिक व्यवहार पुलिस का हो, चिड़ावा बारां की घटना हो इस बात के लिए, सभापति महोदया, मुझे गृह मन्त्री और गवर्नर तक जाना पड़ा था, उनको भी ज्ञापन दिया था। मैं आपकी मार्फत गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह पुलिस को सक्षम बनायें और किसी का भी कितना ही प्रेशर आए, चूंकि आप राजस्थान के गृह मन्त्री हैं इसलिए आपकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है, उसके आगे न झुकें इस जिम्मेदारी को ठीक तौर से वहन करना आपका कर्तव्य है इसलिए मैं ...

श्री मदन सिंह दांता : चरण सिंह जी का नहीं बताया आपने, जब वह होम मिनिस्टर थे।

श्री नवरंग सिंह : सभापति महोदया, दांता साहब को आप बिठा दें। मेरा टाइम खतम होने वाला है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि झुन्झुनूं में, सभापति महोदया, डकैतियां हुई हैं, वहां चोरियां हुई हैं, चिड़ावा के पास में ट्रक और कार को रोका गया और लूटा गया, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहां पर जितने भी थाने गुड़ा वगैरह में हैं उन थानों में जब तक रिश्वत नहीं दी जाती है, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन सब बातों की ओर ध्यान दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन में पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामकृष्ण दास जी गुप्ता, केवल 5 मिनट का समय आपको दे रही हूं। केवल 5 मिनट का।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : धन्यवाद, सभापति महोदया, आप मुझे 1 मिनट में ही बैठने को कहेंगी तो बैठ जाऊंगा। क्योंकि मैं अनुशासित व्यक्ति हूं।

श्री सभापति : प्रारम्भ करिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सभापति महोदया, चूंकि समय बहुत ही कम है इसलिए मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात और गम्भीर बात सदन में कहना चाहता हूं, और वह यह है कि हमने राजस्थान सरकार के गृह मन्त्री और पुलिस की पोटेन्सी तो बारां काण्ड और केशोरायपाटन काण्ड में देखा है। पुलिस की पोटेन्सी गृह मन्त्री की पोलिटिकल इम्पोटेन्सी के सामने हतप्रभ और असफल हो गई है। आज मुझे जो शिकायत और शिकवा है वह

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

पुलिस से नहीं है, अपने गृह मन्त्री से है, अपनी राजनैतिक शक्ति से है, अपनी राजनैतिक सत्ता से है। इसका नमूना राज्य की राजधानी जयपुर के जिलाधीश के कार्यालय पर जो एस. पी. ने रेड की थी उसमें जो लोग पकड़े गये थे, जो बोतले तोड़ी गई थीं, जो नोट छीन लिये गये थे, कागज फाड़ दिये गये थे, उनको मिस हेण्डल किया गया उस केस में आज तक राजस्थान के गृह मन्त्री नपुंसक रहे क्योंकि केन्द्रीय सरकार का एक राज्य मन्त्री, जिसका संबंध राज्य से है, और उनका घटक इस बात की कोशिश में है कि कोई कार्यवाही न हो।

श्री सम्पत राम : हो गई है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : नहीं हुई।

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा जवाब देने का माननीय गृह मंत्री जी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उस बात को दो महीने हो गये। जिलाधीश के कार्यालय में यह हुआ।

श्री रतन लाल वर्मा : आपने नपुंसक कहा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप बैठ जाइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह ठीक नहीं है। आप अनुशासन तोड़ते हैं बार बार।

श्री नवनीत पालीवाल : इस तरह से चार्ज····

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : He is a parasite on the exchequar. He is making money out of ex-chequer. He is a useless man who is eating halua at Nathdwara and doing nothing. You are the most corrupt man of this house.

श्री सभापति : और अपनी पार्टी में अनुशासन नहीं रखते हैं यह भी आप कहिए साथ में।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जिलाधीश कार्यालय में 6 तारीख को रेड की गई और एस पी. ने 393, 394 धाराओं के उन पर अपराध लगाये, मगर क्या कार्यवाही की? कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज आप नपुंसक हैं। आप नपुंसक हैं और आपने आपकी पुलिस फोर्स को डिमोरेलाइज किया है। क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि एस. पी. के साथ मारपीट हो और वह मुल्जिम गिरफ्तार न हो। आपको शर्म आनी चाहिए, गृह मन्त्री जी और आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं यह मांग करता हूं कि गृह मन्त्री जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। गलती गृह मन्त्री की नहीं, गलती पुलिस की नहीं है। गलती यह है कि गृह मन्त्री जी पोलिटिकल राज्यमन्त्री का सामना नहीं कर पाए।

दूसरी घटना इस प्रकार है कि यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र 15 तारीख को जयपुर में वनीपार्क में जिलाधीश के आफिस

198

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

के सामने मकान है उसमें से एक लड़के योगेन्द्र को जबरदस्ती बन्दूक के सहारे वहां से 11 कि. मी. दूर उड़ा कर ले गये। पुलिस की फ्लाइंग स्क्वेड उसको छुड़ाकर लाई। उसकी शिकायत की गई लेकिन वे हत्यारे पकड़े नहीं गए। श्रीमती उजला अरोड़ा ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह यह बात कहतीं कि उजला अरोड़ा ने एस. पी. से कहा तो उन्होने कहा कि मैं क्या करूं। मन्त्री जी फोन करते हैं तो छोड़ दिया। हम किस मुंह से पुलिस को दोष दें? पुलिस का सिपाही, दूसरा पुलिस का थानेदार, पुलिस का एस. पी. सभी बहुत ही पीड़ित हैं। एक पुलिस के सिपाही को हम 300 रु. देते हैं चपरासी से भी कम। उनके पास कुछ साधन नहीं, जीप नहीं, कुछ उनकी सर्विस की सिक्योरिटी नहीं, इज्जत नहीं, रहने को मकान नहीं, तो वह चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सारा दोष राज्य सत्ता का है। जयपुर के मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज के छात्र की हत्या हुई। पुलिस आज तक उसको पकड़ नहीं पाई है। अब आप गंगानगर में चलिए।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य को इन्क्वायरी के लिए लगाया था।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : गंगानगर के छात्रों के मामले में लेबर मिनिस्टर को माननीय मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था। डी० आई० जी० मिश्रा से जांच करा ली जाएगी। वहाँ उन्होंने यह आश्वासन दिया था। मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया और वह वहां से इलेक्शन में चले गये। पीछे से इशारा कर गये कि केस को फाइल कर दो। तीन दिन के अन्दर यह हुआ। जब कि इन्ट्रूमेण्ट रिकवर हुए। इस प्रकार से राजस्थान के मन्त्रीगण एक दूसरे की पीठ में छुरा भोकने के लिए तैयार हैं। जिस हीरे में पानी नहीं हो बेकार है। गृह-मन्त्री जी, जो अधिकारी हैं, वह ऐसी व्यवस्था करें। मैं कहता हूं, गृह मन्त्री जी आप ही नपुंसक नहीं हैं, सारे मन्त्री नपुंसक हैं। इनका पानी भरा हुआ है। बीकानेर में विश्नोई नाम का लड़का था। उस पर हॉस्पिटल रोड पर घातक हमला किया गया।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, क्या मैं बैठूं?

श्री सभापति : आप दो मिनट में वाइण्ड अप कर दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उस लड़के के 32 इंजरीज आयीं। 307 का केस है। उस केस में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपकी पुलिस किस ओर जा रही है। वह अब पुलिस की यूनियन बना रहे हैं। वह एक काला दिन है जिस दिन पुलिस के लोगों ने यूनियन बनाई। पुलिस और मिलिटरी में यूनियन नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप कुछ विधायकों की कमेटी बना दें। जो कि पुलिस की समस्याओं पर, उनसे मिल कर

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

टाइम टू टाइम राय देती रहे। आप कम तनख्वाह देते हैं और जिम्मेदारी इतनी बड़ी दे दी है। आज बीकानेर में स्ट्राइक हो गई है। कोटा में हुई। जोधपुर में हुई। अगर आपने समय को नहीं समझा तो आप डूबोगे। यह राज भी डूबेगा। अन्त में मैं शराब बन्दी के बारे में कहना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब आप जल्दी समाप्त कर दें। एक सेण्टेंस में समाप्त कर दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं निवेदन करूंगा कि राज्य की जनता से इस बात पर वोट लिया गया है। महात्मा गान्धी के नाम पर वोट लिया गया। दो साल तक आप आश्वासन देते रहे। शराब बन्दी करेंगे, अगर सिद्धान्तों के लिए आप नहीं लड़े तो आप असफल हो जायेंगे। माननीय वित्त मन्त्री जी, आप आज हैं कल नहीं रहेंगे। उमर भी काफी है।

श्री सभापति : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य आपको माननीय मन्त्री महोदय की आयु के लिए शुभ कामना करनी चाहिए।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इन्होंने अभी सेण्टेंस पूरा नहीं किया है?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय वित्त मन्त्री जी को मेरी भी आयु लगे।

(व्यवधान)

जो राजनैतिक व्यक्ति सिद्धान्तों के लिए अपने हितों की कुर्बानी नहीं कर सकता है, इतिहास उसे कभी नहीं बख्शेगा। जहां ऐसी स्थिति हो....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

शराबखोरी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो।

(व्यवधान)

वह तो यह चाहते हैं कि साम्यवाद आये, सी० पी० एम० की सरकार बने।

तो मैं वित्त मन्त्री जी से आग्रह करूंगा ...

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

चाहे मुख्य मन्त्री जी इस्तीफा दें। हम नहीं चाहते हैं कि वह कायम रहें। लेकिन यदि शराबबन्दी नहीं होती है तो आपको तो इस्तीफा देना चाहिए।

श्री सभापति : पहले वित्त मन्त्री जी आबकारी के बारे में उत्तर दे दें।

माननीय आबकारी मन्त्री।

शासकीय व्यवस्था

राजस्थान में 1 अप्रेल 1979 से मद्य निशेध

श्री आदित्येन्द्र : माननीय सभापति महोदया, आबकारी से सम्बन्धित मांग संख्या 13 पर कटौती प्रस्ताव है। अधिकांश माननीय सदस्यों के भाषणों से यह स्पष्ट है कि

(श्री आदित्येन्द्र)

वे चाहते हैं कि आबकारी महकमा समाप्त हो। उनमें से अनेकों ने अपने भाषण में कहा है कि सभी नशीली वस्तुओं की सुविधायें खतम की जाएं और अगर ये सब एक साथ समाप्त नहीं हो तो कम से कम पूर्ण शराबबन्दी तो की ही जाये। मैं ऐसा मानता हूं कि पूर्ण शराबबन्दी होने के पक्ष में हैं। जहां उन्होंने पूर्ण शराबबन्दी का समर्थन किया है, वहां उन्होंने कुछ इफ एण्ड बट्स भी लगाये हैं। वहां उन्होंने बहुत सी कठिनाइयां बताई हैं। वर्तमान में जैसा कि हो रहा है, जहां कहीं वह देखते हैं, अवैध शराब के कारखाने या भट्टियां, और दुकानें तो वह यह समझते हैं कि उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी काम सच्चाई और ईमानदारी से किया जाए तो वह काम अवश्य सम्पन्न होगा। यह सब जानते हैं कि वैसे तो सभी नशीली वस्तुएं खराब हैं लेकिन शराब सबसे ज्यादा खराब है। इसमें सन्देह नहीं है। जितने भी धर्म हैं, दुनियां के बड़े-बड़े, सभी धर्म ग्रन्थों ने शराब को खराब बताया है और इसीलिए उन्होने मद्य-निषेध का उपदेश दिया है। हमारे देश में 60-70 वर्ष का इतिहास देखें। उन्होंने यह सबसे पहले प्रारम्भ किया कि इस काम को सरकार अपने हाथ में ले। और वही चीज अभी तक चल रही है। इसीलिए देश की आजादी से पहले जो स्वतन्त्रता संग्राम का कार्यक्रम तैयार किया गया था उसमें शराब बन्दी या नशीली वस्तुओं के सेवन को छोड़ने का मुख्य कार्यक्रम था। उस समय स्वतन्त्रता संग्राम के सबसे बड़े हमारे जो नेता महात्मा गांधी थे उन्होंने इस चीज को अच्छी तरह से महसूस किया कि देश इस शराब को सदा-सदा के लिए हटा दे और इसीलिए उन्होंने एक बार ही नहीं अनेकों बार कहा कि शराब एक बहुत बुरी वस्तु है और यदि मुझे एक घण्टे के लिए भी भारत का डिक्टेटर बना दिया जाय तो मेरा सबसे पहला काम यह होगा कि जितनी शराब की दूकानें हैं या जो शराब बनाने के जहां पर कारखाने हैं उनको बगैर मुआवजा दिये समाप्त कर दूं। तो इससे पता चलता है कि उनकी कितनी तीव्र भावना थी और उन्होंने किस चीज को प्राथमिकता दी और वह शोषण के लिए, यह मतलब नहीं कि वे और चीजें नहीं चाहते थे वह एक वर्गहीन समाज, शोषण विहीन, ऐसे समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहते थे और यही उनकी परिकल्पना थी। लेकिन उसमें उन्होंने देख लिया कि यह सबसे बड़ी, सबसे पहली चीज है जिसको कि हमें यहां से हटाना चाहिए। हम अपने आपको गांधीजी का अनुयायी कहते हैं, जनता पार्टी के जो भी लोग हैं या विरोधी पक्ष में अधिकतर है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं हैं वे भी उनको एक महान व्यक्ति मानते हैं। वह ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वह सत्य था। इसलिए हम लोगों को जो उनकी एक प्रकार की तीव्र इच्छा थी कम से कम उस तीव्र इच्छा का पालन करना चाहिए। देश की आजादी के बाद उनकी बातों पर ध्यान दिया गया और क्योंकि बहुत से वे लोग थे प्रशासन में जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था इसलिए प्रारम्भ में काफी ध्यान दिया गया और थोड़े से समय में ही कई राज्यों में पूर्ण शराब बन्दी लागू कर दी गई लेकिन हम एक ओर जहां गरीबों के हामी बनते हैं, जहां

(श्री आदित्येन्द्र)

हम एक ओर ऐसा समझते हैं कि ऐसे काम किए जाएं जिनसे गरीबी मिटे वहां दूसरी ओर हम पाश्चात्य सभ्यता की नकल भी करते हैं और वह यह समझ कर ही करते हैं कि हमने समझ लिया कि जो डवलप्ड कण्ट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं जो कुछ भी विकास हो रहा है वह ठीक है और उनकी नकल हमें करनी चाहिए। हमने यह नहीं देखा कि इस देश में किस प्रकार का विकास हो सकता है, कैसे हो सकता है। क्या हमें मालूम नहीं है कि हम रूढ़ियों में बंधे हुए हैं। सामाजिक कुरीतियां हैं। उन समस्याओं को अगर दूर नहीं किया तो मैं समझता हूं कि वह ऐसा समय था, बिल्कुल अन्धकार था और उस अन्धकार के युग को हमने प्रकाश में परिवर्तित किया। भारतीय जनता ने हजारों लाखों, करोड़ों ने त्याग, करके तपस्या करके स्वतन्त्रता प्राप्त की और अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंका। यह बात हुई कि चरित्र के सहारे, । अपने चरित्र के सहारे। उस चरित्र में सबसे बड़ी चीज है मद्य निषेध, नशीली चीजों का व्यवहार छोड़ दें इसके लिए हमें निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं यह कह रहा था कि उसके बाद ऐसे लोग प्रशासन में आए उन्होंने इसके लिए काम किया लेकिन पश्चिमी सभ्यता के संसर्ग, सम्पर्क से हम फिर भूल गए। जो भी राजनैतिक पार्टियां उस समय थीं चाहे वह कांग्रेस हो या दूसरी जो विरोधी पार्टियां हों उन सबने ही और बातों का जिक्र तो किया लेकिन शराबबन्दी का सवाल शायद उनके कोष में नहीं था और न चर्चा में आता था। मैं यह मानता हूं कि मैं भी इसका दोषी हूं। मैं भी दोषी रहा, उस जमाने में हमने कोशिश भी की लेकिन वह चीज उस समय कामयाब नहीं हुई और इसलिए नहीं हुई कि हर एक अपने-अपने ढंग से राज्यों में राज चला रहा था हरएक राज्य में मद्यनिषेध हो। इसलिए हमने कभी भी यह विचार पूरे देश का प्रश्न समझ कर नहीं किया चाहे विधान में उसका उल्लेख हो। लेकिन अब ऐसा समय आया है, पिछले दो-तीन वर्षों से जब से यह परिवर्तन आया और जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय मोरारजी भाई प्रधान मन्त्री बने तो दस, पन्द्रह, बीस सालों में जो शराब का सेवन करने का या शराब की बुराई का अनुभव किया और जब दुखी हुए उस समय हमने सोचा कि शराब की बुराई दूर होनी चाहिए। इसलिए जनता पार्टी की सरकार जैसे ही केन्द्र में आई और बाद में राज्यों में हुकूमत जनता पार्टी की बनी, जुलाई, 77 में एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई उसमें सभी चीफ मिनिस्टर्स और आबकारी मन्त्री इकट्ठे हुए। उसमें निश्चय किया गया, संकल्प किया गया, मैं निश्चय ही नहीं कहूंगा संकल्प किया गया कि देश में चार वर्ष के अन्दर पूर्ण शराबबन्दी कर दी जाय। उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई शराबबन्दी के खिलाफ बोलने को। सभी ने, केरल, वेस्ट बंगाल, बिहार और सभी जगह के, जम्मू काश्मीर, के सभी जगहों के मुख्य मन्त्रियों ने इसका पूर्ण समर्थन किया। बाद में एक तारीख भी निश्चित कर दी गई उस समय मैं भी उसमें शामिल हुआ था, मुख्य मन्त्रीजी भी शामिल हुए थे और मैंने यह कहा था कि राजस्थान इसमें अगुआ बनेगा क्योंकि राजस्थान की समस्यायें भिन्न प्रकार की हैं। राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी का

(श्री आदित्येन्द्र)

आन्दोलन आज से 13, 15 वर्षों से 66 से चल रहा है और यह भी पूज्य गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में । 13-14 वर्षों तक लगातार चला, उनके बारे में यह कहा जाना कि भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, यह एक गम्भीर बात है। यह एक मामूली चीज नहीं है। इसके क्या रिपर्कशन्स होंगे, क्या नहीं होंगे, मैं ऐसा मानता हूं यह सवाल नहीं आएगा लेकिन मेरा यह कहना है कि उन्होंने तीन बार सत्याग्रह किया। दो तीन बार, शायद तीसरी बार इसके लिए वह बैठे। 10-10 दिनों का उनका अनशन रहा है और बड़ी से बड़ी अथोरिटी ने, प्रधान मन्त्री ने उसमें दखल दिया है। जय प्रकाश जी ने भी कहा, आप दखल दीजिए, राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी हो जाए। मुझे याद है जिस समय सुखाड़िया जी की सरकार थी उन्होंने भी असेम्बली के प्लेटफार्म पर यह घोषणा की थी कि सन् 1972 तक पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी जाएगी। उन्होंने प्रारम्भ में कुछ जिलों को ड्राई एरिया भी घोषित किया। लेकिन एक वर्ष के बाद उनको यह कहना पड़ा कि

(7.30 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हम इस कार्यक्रम को आगे नहीं चला सकते। इसलिए गोकुल भाई को बड़ा धक्का लगा। बाद में जो जो भी वचन दिए गए उन वचनों का कोई परिणाम नहीं निकला और उनको हमेशा असफलता मिली, निराशा मिली। अब की बार जो सोचा तो एक तरफ जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार में वे लोग थे जिन्होंने राजघाट पर बैठकर प्रतिज्ञा ली, खास तौर से गांधीजी के जो जीवन मूल्य थे उन पर चलकर हम काम करेंगे इसलिए उन्होंने फिर इस आशा से इस सवाल को उठाया और दूसरी तरफ जो पूरे देश में निश्चय किया था उससे वातारण बना। मैं ऐसा मानता हूं कि आज का वातावरण बहुत ही सुन्दर है, जहां कहीं भी मैं जाता हूं, सभी जगह पर यह चर्चा होती है कि राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी होगी। यहां तक कि जो इस काम को करते हैं, शराब के काम को, जो ठेकेदार हैं, उनमें भी यह चीज पैदा हो गई है कि बहुत जल्दी शराबबन्दी होने वाली है 1 अप्रेल, 1979 से । इसलिए जो भी एलान किया टेन्डर्स देने के लिए तो अभी तक अनिश्चय की अवस्था में वे आगे नहीं बढ़े हैं। जब ऐसा वातावरण है, युवकों में, महिलाओं में, बुड्ढों और दूसरे लोगों में, विद्यार्थियों में तो मैं समझता हूं इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं आ सकता।

माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी चिन्ता व्यक्त की है और मुझसे अपेक्षा की थी कि आप घोषणा कीजिए, आपकी यह अपेक्षा करना स्वाभाविक भी था क्योंकि आप, हम सभी जिन सिद्धांतों पर चल रहे हैं या जिन सिद्धांतों को मान रहे हैं, वे सिद्धांत ऊंचे हैं। जनता पार्टी की यह भी घोषित नीति है, इसलिए आपने यह अपेक्षा की। इस अपेक्षा करने के लिए हां जो आपने भावना प्रदर्शित की है उसके प्रति तो मैं आभार प्रदर्शित करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हू। लेकिन सवाल

(श्री आदित्येन्द्र)

यह है कि इतना होने पर भी अभी तक वांछित परिणाम क्यों नहीं आए ? यह सही है कि आपने मेरे बारे में कहा कि तुमने कई जगह एलान किए, कई जगह पर मैं बोला और यह बात भी कही कि यदि अविलंब शराबबन्दी नहीं होती है या ज्यादा से ज्यादा 1 अप्रैल, 1979 तक नहीं होती है तो ठीक है, मैंने कहा कि मेरा यहां रहना निरर्थक है। मैंने कभी भी सत्ता से मोह नहीं किया, न पहले न आज है। जहां पर कोई सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के प्रति मेरा पूरा आदर है और मैं समझता हूं कि वे सिद्धांत पूरे होने चाहिए। आज भी मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज एक बार नहीं अनेक बार कह चुका हूं उसी बात पर मैं दृढ़ हूं, लेकिन जो पद्धति हैं, संसदीय पद्धति है, केबिनेट सिस्टम है, इस बीच में प्रयास हुए हैं, हम मिले हैं और सभी मन्त्रिमण्डल के सदस्य मानते हैं लेकिन कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां, कुछ धन की कठिनाइयां वे बताते हैं। ठीक है, वे कठिनाइयां हैं लेकिन वे कठिनाइयां तब दूर होंगी जब एक बार हम दृढ़ संकल्प कर लेंगे, जब एक बार अपने मन में विचार कर लेंगे कि हमें यह करना है तो वे कठिनाइयां अपने आप दूर हो जायेंगी। कौनसी ऐसी चीज है जो पूरी नहीं हो सकती ? कोई चीज असंभव नहीं। आज हम निश्चय करते हैं तो वे निश्चय पूरा हो जाता है।

जब से हमने एक बार इस बात का संकल्प कर लिया है तो कई बार हमने विचार भी किया है और मैं मानता हूं कि रास्ता सुगम हुआ है इसलिए मैंने कल इस बात की घोषणा की थी कि एक या दो दिन में मैं यह घोषणा करने की स्थिति में रहूंगा कि पूर्ण शराबबन्दी कर दी जाए। तो ठीक है, कल भी हमने बैठकर विचार किया, आज भी बैठकर विचार करेंगे और मैं मानता हूं कि हम नजदीक ही पहुंच रहे हैं और सब इस बात को अनुभव भी कर रहे हैं कि यह ठीक है, करना चाहिए, कोई विरोध नहीं है। सभी मानते हैं कि यह चीज ऐसी है लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि रुपया सब कुछ है और रुपए के बिना विकास नहीं होता, लेकिन हमको देखना जरूर है कि विकास क्या चीज़ है। जहां पश्चिमी देशों में हथियारों की होड़ है और जब आपस में समझौता करते हैं तो कुछ कहते हैं कि इतने बम्ब-वर्षकों को नष्ट कर देंगे, हम कार्स को समुद्र में डुबो देंगे। पहले आपने ऐसा भी सुना होगा कि जिनके पास अनाज प्रचुर मात्रा में था वह भी नष्ट कर दिया जाता था, लेकिन यह जरूर है कि हम सुखी बनें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के नजदीक आयें और मानव को मानव समझें, वह विकास है। अगर मान लिया कि रुपये से हमारा विकास होता है जिससे प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं। तो और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना कहूंगा कि मेरी इसमें दृढ़ आस्था है। कोई यह समझे कि किसी तरह मैं अपने सिद्धांत से हट रहा हूं, ऐसी बात नहीं है और मुझे विश्वास है कि आप जल्दी ही अच्छी खबर सुनेंगे। मैं समझता हूं लोकतंत्रीय पद्धति में किसी भी काम पर उस समय निर्णय लेना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए जब सर्व सहमत हो जायं और जब तक सहमत नहीं हों तब तक उस काम को इतनी

(श्री आदित्येन्द्र)

जल्दी में करे कि यह चीज हो जाएगी, तो ठीक नहीं। पर मैंने आपसे कहा कि हम धीरे-धीरे जो कुछ आगे बढ़ रहे हैं उससे मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम जल्दी ही अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, ठीक है आबकारी की मांग है.........

श्री मदन सिंह दांता : ये मांगें हमसे पास करवायेंगे ?

श्री आदित्येंद्र : इसमें कोई कानूनी कठिनाई नहीं होगी। यह जो आबकारी का महकमा है, अगर हम पूर्ण मद्यनिषेध लागू करेंगे तो इसका नाम प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट रख सकते हैं।

जहां तक रुपये पैसे का सवाल है, तो अपने जो माननीय प्रधान मंत्री, श्री मोरार जी भाई हैं और जो अपने उप प्रधान मंत्री, श्री चरण सिंह जी हैं उनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी और 5 वर्षों में हमारी जो भी हानि होगी उसकी एवज में जो कन्सेशन देंगे तो पांच वर्ष के बजाय 4 वर्ष में ही वह हमारी मर्जी के माफिक दे दें। याने 5 वर्ष के लिए वह 70 करोड़ रुपया देंगे वह 5 वर्षों में चौदह-चौदह करोड़ के हिसाब देंगे। तो हमने चाहा है कि पहली साल में 28 करोड़ दे दें, दूसरी साल में 21 करोड़, तीसरी साल में 14 करोड़ और चौथी साल में 7 करोड़ दे दें। उन्होंने इसका वचन दिया है। इसीलिए मैं अब भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। हमारा रास्ता, मैं समझता हूं, काफी सुगम है और अब हमें कोई कठिनाई मालूम नहीं होती।

इन्हीं शब्दों के साथ जैसा मैंने कहा था कि आबकारी का महकमा प्राहिबिशन का महकमा होगा, इसलिए जो भी बजट में है उस जगह पर वह काम आयेगा। अभी यह ठीक है कि 13 जिलों को अभी तक ड्राई एरिया घोषित किया है और 12 तहसीलों को भी ड्राई एरिया घोषित किया है, उनमें मैं इस बात को मानता हूं कि इफेक्टिवली हमने शराबबन्दी के लिए प्रयास जरूर किये हैं, लेकिन उनमें हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता हम प्राप्त नहीं कर सके हैं, इस कारण से एक जगह ड्राई है तो उसके पास का एरिया वेट है अगर हम पूरे राजस्थान में कर दें तो दूसरे राज्यों के एरिया भी आ सकते हैं। मैं हरियाणा के आबकारी मन्त्री जी से फरीदाबाद में आज से 1।। साल पहले मिला था और हमने निश्चय किया था कि अगर हमारा राज्य अपने क्षेत्र में पूर्ण नशाबन्दी लागू करता है तो आसपास के राज्य के कुछ किलोमीटर तक ऐसा एरिया घोषित कर दें जिसमें कि कोई शराब की दुकान नहीं होगी। तो यह तमाम हम लिखा पढ़ी करेंगे और इस मामले में इतना जरूर हो गया है कि बिहार अगुआ हो गया है। हमें मालूम नहीं था कि बिहार अगुआ बनेगा। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जिस समय हम अपने माननीय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, श्री चरण सिंह जी से मिले तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को भी हम ड्राई करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं भी इसका कट्टर समर्थक हूं इसलिए उससे भी हमें बहुत प्रेरणा मिली।

श्री परसराम मदेरणा : प्रोहिबिशन मंत्री जी बिहार तो अगुआ हुआ या नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

लेकिन 1 अप्रैल से आप भी कर देंगे तो बराबर हो जायेंगे। यह सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट लानी पड़ेगी, 27 तारीख को लौटिन लग रहा है। इस डिमाण्ड पर चर्चा तो हो गयी लेकिन इसको पारित करवाने में पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में दुविधा खड़ी हो जायेगी।

श्री आदित्येन्द्र : कोई दुविधा नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : इसके पहले कि मैं, माननीय गृह मन्त्री जी को बोलने के लिए कहूं, मैं चाहूंगा कि जब तक यह प्रस्तुत मांगें पारित न हों तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्तुत मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

(सदन का समय प्रस्तुत मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।)

गृह मन्त्री जी।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप गृह मन्त्रीजी को आदेश दें कि वह अपना भाषण शुरू करें, मैं जो कुछ भी वित्त मन्त्री जी ने, प्रोहिबिशन मिनिस्टर की हैसियत से कहा, मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे यहां पर प्रजातांत्रिक प्रणाली में पार्टी के लीडर और सदन के नेता मुख्य मन्त्री होते हैं और मुख्य मन्त्री जी से भी हम वही आश्वासन सुनना चाहते हैं जो कि हमारे प्रोहिबिशन मिनिस्टर ने दिया है। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह भी इस बात की घोषणा करें कि एक दो दिन में पूर्ण नशाबन्दी राजस्थान में हो जायेगी। जैसा कि अभी वित्त मन्त्री जी ने कहा।

कुछ माननीय सदस्य : यह नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : इन्होंने साफ बिल्कुल नहीं कहा है कि कुछ होगा इसलिए I don't agree that he is the Prohibition Minister.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय दांता साहब के विचारों में काफी वजन तो है। मैं तो मुख्य मन्त्री जी की जबान से सुनना चाहता हूं। यह भी कुरान की आयतें पढ़ दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : मुझे याद है जिस समय आपने कुरान की आयतें पढ़ीं और आप कुरान की आयतों को भूल भी गये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं फ्लोर को

(श्री मथुरादास माथुर)

आकुपाई कर रहा हूं क्योंकि अभी मास्टर जी ने, वित्त मन्त्री जी ने, प्रोहिबिशन मिनिस्टर ने.........

श्री अयूब खां : खुदा उनका साथी है जो सब्र करते हैं। इसलिए आपको सब्र करनी चाहिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कोई भी मन्त्री बोलता है तो सरकार की तरफ से बोलता है आप तो बहुत होशियार हैं। जो भी मतलब निकालना हो वह निकाल लें लेकिन इस झंझट से आगे की कार्यवाही में बाधा नहीं डालें।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मन्त्री जी बोलना चाहते हैं और आप उनको रोक रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल यही बोलना चाहता हूं कि आप बैठ जायें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : शनिवार की संध्या है इसको क्यों खराब करते हो माथुर

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दोनों खराब हो रही है।

श्री मदनसिंह दांता : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। सदन की परम्परा है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमेशा मुख्य मन्त्री बोलें। पहले भी मुख्य मन्त्री बोलकर और भाषण देकर चले गए और उसका कोई अर्थ नहीं कि भ्रष्टाचार का क्या हुआ? कम से कम सदन में माथुर बैठ सकते हैं, यह बैठ सकते हैं। हम अपने यहां जाकर क्या कहेंगे इसके लिए? अप्रैल तक रुकें। इसलिए छोटी सी बात के लिए आप अपनी केबिनेट में क्यों नहीं कहते कि केबिनेट में कोई न कोई डिसीजन लेना चाहिए। आज सस्पेन्स में रखना चाहते हैं राजस्थान की जनता को। वह सस्पेन्शन में नहीं रह सकती इसलिए कहना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से तो कुछ नहीं कहलाना चाहती मुझे तो आबकारी मन्त्री महोदय इतना बता दें कि गोकुल भाई भट्ट को कहीं भूख से मर तो नहीं जाना पड़ेगा?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वह कह चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मन्त्री जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आश्वासन तो दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सहानुभूति गोकुल भाई तक पहुंचा दी जायेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्री जी आपको तो गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिये।

मांग संख्या 13 व 16 पर विचार

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे प्रथम आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग को जो उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है और जो-जो काम करने पड़ते हैं, सबने उनको सही तरीके से समझा है और जहां आलोचनायें की हैं, उसके साथ-साथ बहुमूल्य सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सभी लोग स्वीकार करेंगे कि जिस महकमे पर इस सदन में विचार विमर्श हुआ है वह कोई डवलपमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है। इसका सीधा संबंध सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करने में है। सामाजिक दायित्व किसी भी संगठन पर आता है तो स्वभाविक बात है कि अकेला संगठन ही काम नहीं कर सकता। लेकिन इसकी उपलब्धि और किस तरह से उत्तरदायित्व को निभाया है, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जिक्र करना उचित समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान आजाद हुआ। आजाद होने के बाद एक अभूतपूर्व इतिहास इस देश में कायम रहा। वह यह रहा कि जितने भी प्रजातांत्रिक देश जो संसार में हैं, किसी भी मुल्क में एक राजनैतिक दल का शासन इतने लम्बे चौड़े अर्से तक नहीं रहा। परिवर्तन होते रहते हैं। मैं भले और बुरे में नहीं जाना चाहता, यह अभूतपूर्व घटना थी इस देश में जब राजनैतिक ढांचा बदला, उसमें जिक्र करना जरूरी होता है। वह यह है कि इस देश में राज चलाने वाला राजनैतिक दल इस देश की कानून और व्यवस्था को कायम नहीं रख सका। जितने नियम और कानून, संविधान, जो व्यवस्थायें हमारे देश में थीं, इस बात के लिये सक्षम नहीं मानी गई कि हम देश में अमन चैन शांति कायम रख सकें और हमारे देश को ठीक ढंक से चला सके, नतीजा यह हुआ कि इमर्जेन्सी लाई गई। इमर्जेन्सी का अनुभव अंग्रेजों के राज में तो हुआ था और कुछ जुल्म किसी इलाके में हुए होंगे परन्तु यह अजीब घटना थी इस देश के सामने जिसका अनुभव नहीं हुआ। उस समय सारा का सारा समाज एक तरीके से गर्क में लगा हुआ था आजादी के बहुत बड़े अंश को कट किया गया था, हमारी जुडिशियल कोर्ट्स को ठीक तरह से जजमेंट करने में दिक्कत पैदा हो रही थी। एक बात कहना चाहता हूं वह यह है उस समय जो समाज बंधन में जकड़ा हुआ था वह एकदम उससे निकला और वह इस संदर्भ के साथ कि क्या राजनैतिक दल इस देश में सरकार बना रहा है तो मजदूर भी, हमारे विद्यार्थी भी, हमारे किसान भी, हमारे शोषित वर्ग भी, हमारे समाज के प्रत्येक अंग अपनी-अपनी डिमाण्ड लेकर सामने आने लगे हैं और यह बड़ा स्वभाविक है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है कि कभी भी जो दल सत्ता में नहीं होता है उससे बहुत सी बातें, जरूरत से ज्यादा निकल जाती हैं क्योंकि लम्बी चौड़ी पृष्ठभूमि रही है। इस पृष्ठभूमि के साथ आज भारत में नई पार्टी ने सत्ता

(श्री सम्पतराम)

संभाली है ।

राजस्थान की सरकार बनी तो उस सरकार के बनने के बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत, उपाध्यक्ष महोदय, यह हुई कि कभी हमारे राजतंत्र में इस बात का अनुभव नहीं हुआ था कि देश में एक राजनैतिक दल बदल कर दूसरा राजनैतिक दल सत्तारुढ़ होगा । उससे हमारी सर्विसेज का क्या हाल होगा ? राज सेवा में जाना नहीं चाहूंगा । राज सेवा का परिवर्तन हो तो एक तरफ तो हमने यह भी कहा था जो जुल्म हुआ उसके लिये राज सेवी जिम्मेदार हैं । हो सकता है सबके लिये न कहा हो । हमने प्रत्येक वर्ग को राहत पहुंचाने की कोशिश की है । इसके साथ-साथ राज करने वाला कोई भी राजनैतिक दल हो, उपाध्यक्ष महोदय, उसका सवैधानिक और कानूनी कर्त्तव्य नहीं है बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है, राज के बदलने के बाद जो कुछ दिया है इसको स्वीकार करें । जगह-जगह पर कमीशन कायम किये गये । उनके सामने कर्मचारी, अधिकारी कटघरे में खड़े हुए । टेलीफोन पर हुक्म देने वाले कहां गायब हो गये ? आज मैं अगर कोई हुक्म देता हूं, मैं जानता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, उसे मुझे वहन करना चाहिये । अलवर की घटना मुझे याद है । बहुत सी बातें यहां कही गई । जब कमीशन के सामने बयान हुए, आप कायर होकर भाग गये । यह देश की परंपरा, डेमोक्रेसी के लिये बहुत बुरी बात है । इस तरह की चीज होनी चाहिये····

(व्यवधान)

श्री टीकमचंद कांत : आप इन्ट्रप्शन न करें ।

श्री कौशल किशोर जैन : हरिदेव जोशी भाग गये····

श्री राम नारायण चौधरी : अलवर की घटना का यहां जिक्र हुआ था····

श्री रतनलाल वर्मा : यह गलत तरीका है····

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : अपोजीशन के मैम्बर ने उठाया था····

श्री रतनलाल वर्मा : हम भी बोलना जानते हैं····

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जायें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गृह मंत्री जी या तो नाम बतायें····

श्री राम नारायण चौधरी : कौन भाग गया, कहां भाग गया····

(व्यवधान)

सम्पतराम, होम मिनिस्टर भाग गया ।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : मैं यह कह रहा था·····

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दी गई···

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर कोई बात कहना चाहें, पाइंट आफ आर्डर के रूप में कहें। इन्ट्रप्शन न करें।

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइंट आफ आर्डर। सरकार की तरफ से जवाब देते वक्त राजस्थान का होम मिनिस्टर यह बात कह सकता है जो गोलमोल हो ?

श्री कौशल किशोर जैन : यह कौन सा पाइंट आर्डर है·····

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : इसका समाधान करता हूं। आपका जो मतलब था उस हद तक साफ कहना चाहिये था कि जिन जिन कांग्रेसियों ने घोटाले किये, वे भाग गये। आप कमीशन बैठाकर उस सजा को रोक रहे हो, यह मेरा चार्ज है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हों तो कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा न हो। वे जब बोल चुके तब कहें, इस नियम का उल्लंघन होना नहीं चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ रिफ्लेक्शन दिया है वह कानसिंह आयोग के बारे में जो सुनवाई हुई है, उसके बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : कौन थे, कहां चले गये, पूरा बताना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या आप नियमों के प्रावधानों को देख सकती हैं। उसमें माननीय मंत्री महोदय को कहीं मजबूर कर सकते हैं क्या ?

श्री राम नारायण चौधरी : नहीं, वे ऐसा नहीं कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम नारायण जी मैंने व्यवस्था दे दी है। आप गृह मंत्री जी को बोलने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गृह मंत्री जी गोल माल जवाब न दें, लम्बा जवाब दें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : स्पष्ट जवाब देना चाहिये।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिदेव जोशी ने अलवर के महाराज कुमार को मरवाया और अपनी

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

जिम्मेदारी से भाग गये और कानसिंह आयोग के समक्ष जवाब नहीं दे सके....

(व्यवधान)

राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, हरि देव जोशी ने अलवर के महाराज कुमार को मरवाया लेकिन यह सरकार भी उसकी रिपोर्ट को सदन के पटल पर क्यों नहीं रख रही है ?

श्री सम्पत राम : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं अपने विचार रख रहा था उसमें यही था कि देश में परिवर्तन एक विचित्र हालात में हुये थे इसलिये कानून और व्यवस्था पर आगे जाकर क्या असर पड़ा है, यह निवेदन कर रहा था, बहुत सी जगह कमीशन कायम हुए और बहुत सी जगह क्या-क्या हुए लेकिन उन सबको स्वीकारा है, यह एक आम बात कही है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने जो कुछ कहा है, उस समय भी केबिनेट में आपका स्टेटस था और अलवर का मामला डिसकस हुआ था उस समय आप बोलते लेकिन उस समय तो आप भीगी बिल्ली बने बैठे थे।

श्री सम्पतराम : उस समय तो सारी दुनियां बैठी थी।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और उस व्यवस्था के प्रश्न में मैं पूछना चाहूंगी कि माननीय रामनारायणजी चौधरी किस नियम के तहत बोल रहे हैं ? वे नियम उद्धृत करें। बिना नियम के बोल रहे हैं।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था आपके माध्यम से सदन को कि इस पृष्ठ भूमि में यहां राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे देश में सरकारें बनीं और उस समय देश का प्रत्येक तबका चाहे वह विद्यार्थी वर्ग हो, हमारा किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, हरिजन हो, व्यापारी हो, सब लोग समाज के विभिन्न अंग एकदम खुल कर आये और कहा हमारी समस्याओं को हल किया जाय। हमने अपने प्रशासन की दिशा बदली लेकिन उसके बावजूद भी जब यह सरकार अपना काम करने लगी तो कानून और व्यवस्था का तथ्य तो क्या रखूं यह प्रगति प्रतिवेदन रखा है। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों ने इस प्रगति प्रतिवेदन को गौर से पढ़ा होगा इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। पुलिस ने सतर्कता से काम किया है।

एक बात यहां कही गई कि हरिजनों और वीकर सैक्शन के ऊपर काफी अत्याचार हुए। उपाध्यक्ष महोदय संघर्ष और टकराव समाज में तब होता है जब वर्षों से शोषित और पीड़ित समाज उठने की कोशिश करता है और उस बोझ को वह समाज उतार फैंकना चाहता है, ऊपर का तबका उसको दबाना चाहता है और ऐसी स्थिति में संघर्ष होना स्वाभाविक है। आज जो कुछ भी देश में हो रहा है, माननीय सदस्यों ने उसकी चिन्ता की और इसकी खुशी है, क्योंकि हमको भी उसकी चिन्ता है। यह एक शुभ लक्षण भी है कि गरीब तबका संघर्ष के लिए सामने आ गया है।

(श्री सम्पत राम)

है। आज बहुत से भाई छुआछूत के बारे में कह रहे थे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी छुआछूत कहां नहीं है? क्या आज इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि हमारे गांवों में और शहरों में, किसी जाति और बिरादरी के बारे में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो छुआछूत के भेद को आज भी नहीं मानते हैं। मैं समझता हूं मुश्किल से 2-4 पर्सेन्ट ही ऐसे लोग मिल पायेंगे जिनकी निगाह में छुआछूत का भेद नहीं है और वे इस भेद-को मानते भी नहीं होंगे लेकिन अधिकांश संख्या में आज भी इस छुआछूत की बीमारी को मानने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन कर सकता हूं शायद आज भी हम अपने घर के मेहतर को नौकर नहीं रख सकते हैं। यदि कोई स्वयं रख भी लेंगे तो उनकी बीबी मना कर देगी और वह एक संघर्ष की स्थिति बन जायेगी। उनके घर वाले शायद उस नौकर के हाथ की कोई चीज भी खाना पसन्द नहीं करेंगे। इसलिये जो आज बताया है, उसको मैं अच्छा लक्षण मानता हूं।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सवाई माधोपुर के दौरे पर गया था। मैंने वहां के जिलाधीश और एस. पी. से कहा जो जमीन गरीब तबके को दे दी गई है, जो उनको आवंटित हो चुकी है उस जमीन से कोई भी आदमी अपने प्रभाव से, अपने पैसे के बल पर या और किसी तरह का प्रशासनिक दबाव डाल कर उसको बेदखल नहीं कर सकता है लेकिन राजस्थान की सरकार ने उससे भी आगे जाकर कदम उठाया है और जहां-जहां आवश्यकता हुई है उनको आइडेन्टिफाई भी किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में यह वर्ग भेद समाप्त किया जा रहा है। राज्य सरकार इस ओर प्रयत्नशील है कि वर्षों से शोषित, पीड़ित, पद-दलित, हरिजन, आदिवासी गरीब काश्तकार' मजदूर आदि से न केवल वर्ग भेद समाप्त करने की बात करें बल्कि उनके उचित सम्मान की भी बात करे। अभी वहां कलेक्टर महोदय ने उन लोगों को यह कह कर नहीं बुलाया कि मैं तुम्हारी हालत को ठीक करना चाहता हूं बल्कि इसलिए बुलाया है कि तुम्हें समाज में समान स्थान देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसे हम अपनी मारल और नैतिक जिम्मेदारी समझ कर चलना चाहते हैं। हजारों की तादाद में संघर्ष हुए, मैं जानता हू कि यदि हम यह कोशिश नहीं करते कि तुम काश्त करो तो वहां वर्षों तक यह स्थिति आने वाली नहीं थी। मैं आपको यह भी निवेदन कर दूं कि मैं कोई राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमने उनको कब्जा नहीं दिलाया है। वर्षों से यह स्थिति चल रही थी कि कागजों में कब्जा दिखाया गया है लेकिन वास्तविक रूप से उनका कब्जा उन जमीनों पर नहीं था। हमने मौके पर जा-जा कर देखा है उनको कब्जा नहीं दिया गया था। तो, उपाध्यक्ष महोदय, उस कामकाज को भी हमको पूरा करना पड़ा है। अब आप देखिए वहां सबको कब्जा दे दिया गया है, तो यह नहीं है कि नई सरकार के आने के बाद इस काम को मुस्तैदी से नहीं किया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूं और वह यह है कि इस

(श्री सम्पत राम)

बात का खूब प्रचार किया गया है कि नई सरकार के ग्राने बाद अब हिन्दुस्तान में हरिजन ग्रौर मुस्लिम इस राजनीतिक दल में सुरक्षित नहीं हैं, हमें राजनैतिक रूप में काफी डिमोरलाइज किया गया है लेकिन हमने ग्रपने पूरे प्रयत्नों के साथ उन लोगों में जान पैदा की है, हिम्मत पैदा की है ग्रौर ग्राज उस स्थिति में भी काफी सुधार हुग्रा है, ग्रब वह स्थिति नहीं रही है। हमने इस काम में भी सख्ती बरती है कि जो भूखे-नगे ग्रौर पीड़ित हैं उनका थाने में कोई भी केस ग्राये, रजिस्टर कीजिये ग्रौर उसकी पूरी पैरवी कीजिये ग्रौर यही कारण है कि इतने जुर्म पिछले सालों में कभी रजिस्टर नहीं हुए होंगे। यह एक सामाजिक परिवर्तन है ग्रौर मैं कहता हूं कि यह एक शुभ लक्षण है। ग्राज इस बात की चिन्ता नहीं है कि इस वर्ग संघर्ष में 100 हरिजन मर जायं, हजार हरिजन मर जायं लेकिन हमें उस समाज का पूर्ण विकास करना है ग्रौर मैं कहता हूं इससे भी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े तो करेंगे, यह हमारा कर्त्तव्य है ग्रौर इससे घबराने की जरूरत नहीं है।

अभी माननीय रामनारायण जी ने कहा हरिजन महिलाग्रों के साथ ग्रभद्र व्यवहार हुग्रा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में हरिजन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। यहां भी एक जात-पात का प्रश्न ग्रा जाता है ग्रौर इसी के साथ मेरा यह भी निवेदन है कि यदि कहीं म्युनिसिपल मेहतरानी के साथ छेड़छाड़ कर ले तो वहां जात-पात खत्म हो जाती है ग्रौर यह होता है लेकिन हमको रोकना चाहिये, यह कोई, ग्रच्छी बातें नहीं हैं। मैं ग्रापको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि कहीं पुलिस भी गलती करती है तो उसे भी हमारे ध्यान में लावें हम ईमानदारी से कार्यवाही करेंगे।

तो मैं ग्रधिक ग्रांकड़ों में नहीं जाकर थोड़ी सी बातें उसी सन्दर्भ में ग्रर्ज कर रहा हूं कि यह सारा हमारा काम था। ग्रभी यह सवाल पैदा किया गया कि हमारे यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात ठीक नहीं बन रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। पटवारी के लिये तो तय कर रखा है कि गिरदावरी के खसरे उतने ही रहते हैं लेकिन यह कभी ग्रन्दाजा नहीं लगाया गया कि एक पुलिस स्टेशन की ग्राबादी सन् 65 में क्या थी ग्रौर ग्राज क्या है? भारत सरकार ने कौन से नार्म्स तय किये ग्रब तक? हर थाने की तादाद कितनी होनी चाहिये, कितने सिपाही, हैड कांस्टेबल ग्रौर सब इन्सपेक्टर कितनी जन-संख्या पर कितने होने चाहिये? ग्राज जन-संख्या इतनी बढ़ गई कि पहले से दुगुनी हो गई ग्रौर दुगुनी होने के साथ-साथ भी ग्रगर मान लीजिये कि ग्राफेंसेज बढ़े नहीं तो भी नार्मल तौर पर भी जब डबल पोपुलेशन हो गई तो उसके ग्रनुपात में भी डबल ग्राफेंसेजे हो सकते हैं, उसके मुताबिक पुलिस का ढांचा बढ़ाना चाहिये था लेकिन वह नहीं बढ़ाया गया। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी है उपाध्यक्ष महोदय, कि जितनी तादाद में जनसंख्या बढ़ी है, जितनी तादाद में बेरोजगारी बढ़ी है, जितनी तादाद में ग्राबादी बढ़ी है ग्रौर उसके साथ ही साथ ग्राबादी की जमीन सिकुड़ी है, खेती की जमीन सिकुड़ती जाती है, विभिन्न प्रकार

(श्री सम्पत राम)

को दिक्कतें आती हैं जिनकी वजह से जुर्म भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ-साथ कोई इत्तला करने जाता है तो भी बहुत सी चीजें हो जाती है जिसके कारण से जुर्म बढ़ते जाते हैं और जुर्म बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी हमने पिछले वर्षों में हमारे अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाने के लिए पुलिस के बेड़े को जितना बढ़ाना चाहिये था वह नहीं बढ़ाया जिसकी वजह से जुर्म में कमी नहीं आई। आज बहुत बड़ी तादाद में लोग शहरों में आ गये। दुनियां भर के औद्योगीकरण हो गये, दुनियां भर को बेरोजगारी हो गई, एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त में आकर बस गये। पढ़े लिखे लोगों को संख्या समाज में बहुत हो गई, कई तरह के वैज्ञानिकरण हो गये लेकिन हमने पुलिस को, पुलिस के बेड़े को उस वैज्ञानिक तरीके से ट्रेंड नहीं किया। जितने जुर्म करने वाले ट्रेंड हो गये उतने ही पुलिस का बेड़ा भी उसी तरह से ट्रेंड होना चाहिये वह जुर्म को रोकने में सक्षम हो सके।

माननीय मथुरादासजी माथुर और अन्य विधायकों ने कुछ सुझाव दिये, वे दरअसल में मानने लायक हैं। यह सरकार रहे या कोई भी सरकार रहे, सरकार को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार पुलिस ढांचे में परिवर्तन लाना होगा। यह सरकार कटिबद्ध है कि परिवर्तन लाया जाय। इसी उद्देश्य से अभी जैसा कि सेवथ फाइनेन्स कमीशन ने 9 करोड़ रुपया इस काम के लिए दिया है, उससे हम पुलिस को सुसंगठित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक थाने में टेलीफोन हो, प्रत्येक थाने में वायरलैस हो, वहां पर जीप की व्यवस्था की जावे। राजस्थान में जबसे जनता पार्टी का राज बना, उससे पहले पुलिस स्टेशन पर यह व्यवस्था थी कि या तो ऊंट मिलेगा या साइकिल मिलेगी, किन्तु यह किसी ने नहीं सोचा कि इतने संचार साधन बढ़ गये, इतने भागने दौड़ने के साधन बढ़ गये, सड़कें बन गईं, ट्रक हो गये कारें हो गईं, बसेज हो गईं। आज जो जुर्म करने वाला है वह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर बड़ी तेजी से आता जाता है, उस हालत में उसको इन साधनों से पकड़ना असम्भव है। आज इसके लिये कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। एक बहुत छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है और यह बात भी नहीं है कि इससे समस्या का हल हो जाएगा लेकिन उस दिशा में हमारा कदम है। हमने इस चीज को स्वीकार किया था और बारह सौ रुपये की व्यवस्था की थी पिछले समय में हमारे वित्तीय साधनों के आधार पर। आज हम यह तय करने जा रहे हैं कि प्रत्येक थाने पर जो भी एस. एच. ओ. मोटर साइकिल रखेगा हम 75 रुपया माहवार उसको अलाउन्स देंगे। ऊंट के लिए 40) रु दिये जाते थे उसका 80) रु. किया जाय लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी हमें सन्तोष नहीं है हम यह जानते हैं कि 80) रु. में ऊंट को रख सकना आसान नहीं है। फिर भी हमारे वित्तीय साधनों के दायरे में हमने इस पुलिस के प्रशासन में सुधार करने की बात सोची है।

अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने शहरों की बात की। जयपुर शहर की हालत हमसे छुपी हुई नहीं हैं। आज यह दस लाख का शहर हो गया है, दुनियां भर की इण्डस्ट्रीज

(श्री सम्पत राम)

हो गई हैं, स्टूडेंट कम्युनिटीज भी हैं, औद्योगीकरण से लेबर प्राब्लम भी है। बेरोजगारी भी बहुत है, आबादी बहुत बढ़ गई है। इन सारे हालातों को देखते हुए एजीटेशन भी होते हैं और जब एजीटेशन होते हैं, आंदोलन होते हैं, क्राइम भी होते हैं तो पुलिस उसको भी देखे और इन्वेस्टीगेशन भी करे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सारे दिन डंडे बजाये। यह मानवीय तरीके से भी सम्भव नहीं है। इसीलिए हमने सोचा है कि यहां पर टास्क फोर्स बनायें। यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग फोर्स के साथ साथ इस प्रकार का संगठन होना चाहिये कि जो बड़े-बड़े आन्दोलन हों, जो चीजें इस तरह की हों, जुर्म हों तो उनका पीछा करें, उनको पकड़े। इसके साथ-साथ आज, उपाध्यक्ष महोदय, जो जुर्म करने वाले हैं, जुर्म करने वालों की टैक्निक भी अलग हो गई है। आज जयपुर मे एक घटना घटी, कल दिल्ली में घटना घटती है, उसके बाद आगरा में जाकर घटना करेंगे, फिर लखनऊ में चले जायेंगे। आज इसकी वजह से यह भी उत्तरदायित्व हो गया है कि नेशनल हाईवेज पर उनकी सतर्कता रखें। इसके लिए हम फ्लाइंग स्क्वायड कायम करना चाहते हैं। इसके लिए हम टेलीफोन की व्यवस्था करना चाहेंगे। सब तरह से जाल बिछाना होगा ताकि कोई भी जुर्म करने वाला आसानी से भाग न सके। समाज में यह भी यकीन पैदा करें कि जुर्म तो होंगे, कोई जमाना ऐसा नहीं हुआ जिसमें जुर्म नहीं हुए हों लेकिन हम यह साबित करना चाहते हैं कि जुर्म करने वाला भले ही जुर्म करे लेकिन उसको यह विश्वास रहना चाहिये कि पुलिस की नजर से, हम पुलिस के बेड़े से आंख छुपा कर भाग नहीं सकते।

माननीय सदस्यों ने बहुत सी घटनाओं के उदाहरण दिए, मैं उनको स्वीकार करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि कभी भी किसी भी मुल्क की जितनी लॉ एण्ड आर्डर की जो सिचुएशन है वह जितनी संतोषजनक है उससे ज्यादा संतोषजनक स्थिति हम चाहते हैं। आज अखबारों में कोई छोटी सी चीज भी होती है तो वह फ्रंट पेज पर आती है। हमारी कोई घटना होती है पकड़ने की, वह पीछे को चली जाएगी। मुझे पता नहीं उसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है। लेकिन हमारी मजबूरी है, उपाध्यक्ष महोदय। हमारे बहुत से माननीय सदस्य और हमारे मित्र भी कहा करते हैं कि डिपार्टमेंट की उपलब्धियां तो बहुत हैं लेकिन पब्लिसिटी नहीं होती। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मजबूरी है। हम जब तक हर चीज को बरामद नहीं कर लें तब तक डिक्लेयर नहीं कर सकते। यदि घोषित कर देते हैं कि कहां माल रखा है, कौन से लोग इन्वाल्व्ड हैं तो सब तितर बितर हो जाएगा....

श्री मंजूर अली : कुल ढाई करोड़ के खर्च का सवाल है। आप मोटर साइकिलें प्रोवाइड कर दें, सब ठीक हो जाएगा।

श्री सम्पत राम : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो जुर्म करने वाले शिक्षित हो गए हैं, ट्रेन्ड हो गए हैं, उनकी टेक्निक बदल गई है, सब कुछ हो गया है तो ऐसे चालाक, चुस्त दुरुस्त जुर्म करने वालों को पकड़ने के लिए सक्षम पुलिस आर्गेनाइजेशन भी होना चाहिये। इस दिशा में हमारे सारे देश में कोशिश चल रही है और हमारे यहां पर भी फारेंसिक लेबोरेटरी में

(श्री सम्पत राम)

भी काम हो रहा है और उसी दिशा में सारे देश में कोशिश की जा रही है, नये तरीके ईजाद किये जा रहे हैं। लेकिन आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, जो मोस्ट थर्ड डिग्री मैथड थे इन्वेस्टीगेशन के वे भी फेल होते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ताज्जुब की बात है कि जितने थर्ड डिग्री मैथड थे वे भी फेल हो गए हैं। मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं कि क्रिमिनल्स इतने हार्ड-हिट हो गए हैं, पता नहीं कहां से पैदा हो गए हैं, पिछले जमाने के जितने भी इन्वेस्टीगेशन के मैथड थे सब फेल हो गए हैं उनके सामने। इस हालत में पुलिस के काम की तरफ काफी ध्यान देने की आवश्यकता है।

अभी माननीय सदस्या ने और रामनारायण जी ने घटनायें बताईं। मेरे पास भी बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है, यदि उसमें मैं जाऊंगा तो आप शायद कहेंगे कि हमने पढ़ लिया है इसको क्यों ज्यादा पढ़ते हो। इसके साथ-साथ मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। इस दौरान में पहले डाकुओं को सरेंडर कराया गया और जिस पृष्ठभूमि में, जिस विचारधारा के साथ सरेंडर कराया गया मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं उसकी आलोचना नहीं करता लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उसके पीछे बहुत सी रियायतें थी, बहुत से कन्सेशन थे ...

श्री बजरंग लाल शर्मा : गृह मन्त्री को एक महिला डकैत को सरेंडर कराने में विशेष दिलचस्पी क्यों रही थी ?

श्री रघुनन्दन व्यास : आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए।

श्री सम्पतराम : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमारे सामने भी आया। हमने यह कहा था कि जो कोई भी क्रिमिनल, जिसने डाका डाला है, जिसने मर्डर किया है, जिसने हीनियस आफेंस किया है, को किसी प्रकार की रियायत नहीं देना है। कानून की नजर में दूसरों के बराबर रहेंगे और इसी हालत में डाकुओं को सरेंडर कराया गया है। इससे एक बात स्पष्ट लक्षित होती है कि पुलिस आर्गेनाइजेशन की पकड़ यदि इतनी मजबूत नहीं होती, समाज विरोधी तत्वों ने यह नहीं समझ लिया होता। उनके लिए अब पुलिस से बचना असम्भव है, उनको तो अब मरना ही है, इसके अलावा उनके सामने दूसरा रास्ता नहीं है तभी जाकर बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने सरेंडर किया है। इसी का परिणाम है कि हमने थ्री-नोट-थ्री की रायफलें बरामद की हैं, हमने स्टेनगन तक बरामद की हैं ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : छोड़ेंगे तो नहीं ? उनको रियायतें तो नहीं दे रहे हो।

श्री सम्पतराम : उनको बिलकुल रियायत नहीं दे रहे है। छूटेंगे भी तो अदालत के हुकुम से छूटेंगे जैसे दूसरे मुल्जिम छूटते हैं। उनको किसी प्रकार की रियायत सरकार की तरफ से नहीं मिलने वाली है। साधारण क्रिमिनल्स की तरह से उन पर भी मुकदमा चलेगा। तो हमने यह व्यवस्था की है कि हर जगह हम पुलिस को सतर्क करें, उनको साधनों से सुसज्जित करें ताकि समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने में वे आगे बढ़ सकें।

(श्री सम्पतराम)

इसके साथ-साथ बहुत सी घटनाओं का और भी जिक्र करूंगा तो वैसे ही समय काफी हो गया है, और भी ज्यादा समय हो जाएगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उनका जिक्र करना उचित नहीं समझता।

एक बात और है, बहुत से माननीय सदस्यों ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, मेरी जिम्मेदारी है कि उन घटनाओं के बारे में कहूं। सरकार का उत्तरदायित्व है कि उनकी जांच करके एक्शन ले और अगर एक्शन ले लिया है तो उनके बारे में सदन को सूचित करें। अगर एक्शन लेंगे तो उनके बारे में भी बतायें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक-एक मुद्दे को देखूंगा। देखने के बाद विभागीय स्तर पर कार्यवाही करना आवश्यक होगा, उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। जो कुछ भी कार्यवाही की जाएगी उसके बारे में समय-समय पर माननीय सदस्यों को सूचित करने की व्यवस्था करूंगा।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी दूसरी बातें माननीय सदस्यों ने यहां पर सदन में कही हैं। उस बारे में चिन्ता व्यक्त की है। हम सबको इस ओर चिन्ता होनी चाहिए। पुलिस विभाग में सुधार होना चाहिए। इसकी स्ट्रेंग्थ को बढ़ाना चाहिए। मैंने यह बात पहले भी अर्ज की है कि सन् 65 के बाद, बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए, जिस प्रकार से पुलिस विभाग को सशक्त करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, सुसज्जित करना चाहिए था, उतना न करने के अभाव में आज हमारे सामने मुश्किल आ गई है। फिर भी राजस्थान के वित्तीय साधन को देखते हुए हमने प्रयत्न किया है। जहां हम फोर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा वह सिपाही जो नीचे के स्तर पर काम करता है, डंडा लिए खड़ा रहता है, वह गरीब है और गरीब होने के नाते हो इस प्रकार की सर्विस के लिए वह तैयार होता है, उसकी हमें देखभाल करनी होगी। इस दिशा में राजस्थान सरकार ने सोचा है और बराबर किसी न किसी रूप में यह प्रयत्न करती रही कि पुलिस विभाग में सबसे नीचे के स्तर पर आमदनी के हिसाब से जो कर्मचारी है, तनख्वाह के लिहाज से जो सब से नीचे बैठा हुआ है, उस जवान सिपाही की बेहबूदी की तरफ हमारा ध्यान जाए।

इसके अलावा हम जयपुर में पांच थाने और बढ़ा रहे हैं। साथ ही टास्क फोर्स गठित कर रहे हैं। चौकीदार की बात भी है। बीटस सिस्टम होना चाहिए। यह फोर्स बढ़ावें ताकि हमारे नागरिकों में विश्वास पैदा हो सके। जुर्म करने वाले तत्व आसानी से कहीं पर हाथ न डाल सकें।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ट्रैफिक के बारे में भी कहा गया। इस विषय पर भी मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आम धारणा यह रहती है कि यह सारी ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वह सुव्यवस्थित हो और हमारे वाहनों का आवागमन सुव्यवस्थित हो। इसका सारा उत्तरदायित्व पुलिस पर ही है, यह बात नहीं है। राज्य सरकार ने इस समस्या पर

(श्री सम्पतराम)

विचार किया है। कहीं पर लाइट खराब हो जाती है। सड़कों पर निशान स्पष्ट नहीं होते हैं। जहां पर क्रासिंग होता है वहां पर लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसके साथ ही नागरिकों को जानकारी देने के लिए लिट्रेचर होना चाहिए। इस प्रकार की सारी व्यवस्था करने के लिए रुपये की जरूरत है। नगरपालिका और जो हमारी दूसरी संस्थाएं हैं उनका भी यह उत्तर दायित्व है। उनकी ओर हमारा ध्यान अभी तक नहीं गया है। आम नागरिक यह समझता है कि यह पुलिस की जिम्मेदारी है। यह सारी व्यवस्था उसको करनी चाहिए। हमने इस पर विचार किया है? हमारे पास जितने वित्तीय साधन होंगे, उसके अनुसार व्यवस्था करेंगे। माननीय माथुर साहब ने इस सदन में, इस बारे में यह भी संकेत किया कि इसका सेपरेट आर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं अभी घोषणा नहीं कर सकता हूं। हमारा ट्रैफिक का स्टाफ अलर्ट हो, ट्रेन्ड हो, सजग रहे? आनेस्टी के साथ काम करे, यह हम करना चाहते हैं और इसके लिए विचार करेंगे।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सप्तम् वित्त कमीशन ने हमको 9 करोड़ 16 लाख रुपया पांच वर्ष के दौरान पुलिस की बेहबूदी, उसकी टैक्नोलाजी, उसके स्टाफ, साधन, गाड़ियां, टेलीफोन, इक्विपमेन्ट आदि के लिए दिया है। हम इससे काफी तरक्की कर सकेंगे और अपने संगठन को गतिशील बना सकेंगे। अच्छे साधन और इक्विपमेन्ट से गतिशीलता बढ़ेगी। इसके अलावा हम देहाती क्षेत्र में भी इस संगठन में पुनर्गठन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि 65 के नार्म्स से यह संगठन बना हुआ है और उसका नतीजा आज का परिणाम है। अब 17 इन्सपेक्टर, 97 सब इन्सपेक्टर, 64 सहायक सब इन्सपेक्टर, 180 हैड कान्स्टेबल और 1013 कान्स्टेबल की वृद्धि इस क्षेत्र में होगी। इससे हम कुछ थाने भी बढ़ाना चाहते हैं और इनको हम जरूरत को देखते हुए बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहां यह भी कहा गया कि फलां जगह चौकी नहीं है, थाने नहीं है, तो यह सब करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंयहां पर यह भी जिक्र करना उचित समझूंगा कि पिछले वर्षों में हमारे पुलिस के लिए जितनी आवा:-सीय व्यवस्था का प्रबन्ध होना चाहिए था उतना नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यदि पिछले आंकड़े रखूंगा तो वह ठीक नहीं होगा लेकिन फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले दस वर्षों में जितना रुपया खर्च किया गया था, उससे ज्यादा रुपया हमने खर्च किया है। मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा है। पिछले वर्ष का 44 लाख रुपया खर्च नहीं हो पाया है। सिपाही को मकान देना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, मकान के अभाव में हमारा जवान, पुलिस का क्रिमिनल्स से सम्बन्ध रहता है, तो जब शाम का टाइम आता है, मकान के अभाव में, फेमिली नहीं होने की वजह से वह ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर क्रिमिनल्स पहुंचते हैं।

218

(श्री सम्पतराम)

यह एक प्राकृतिक बात है। प्राकृतिक आवश्यकता को देखते हुए, पुलिस में सन्तुलन लाने, उसके चरित्र का निर्माण करने के लिए मकान की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। हम उसके लिए मकान की व्यवस्था करें, इस मामले मे सतर्क हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से कुछ अनाउंसमेन्ट करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि हमने थोड़े से समय मे करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपया पुलिस विभाग के कर्मचारियों को किसी न किसी रूप में देने को कोशिश की है और यह रुपया कहीं उसके अलाउन्स में वर्दी अलाउन्स में हमने बढ़ाया है, पिछली बार आपको याद होगा राज्य सरकार ने उनके मेस अलाउन्स में पांच रुपया बढ़ाया था और यह मेस अलाउन्स उनको 15, 22 और 30 रुपया दिया जाता था। अब हम इसमें दस रुपये की और वृद्धि करना चाहते हैं और इस वृद्धि के बाद उनको 25, 32 और 40 रुपया प्रतिमास प्रत्येक को मिलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : इतनी तो धन की कीमत ही बढ़ गई है।

श्री सम्पतराम : इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हू. वह यह है कि जो हमारे राज्य सेवा में काम करते हैं, उनको होली, दीवाली और अन्य त्योहारों पर छुट्टी दी जाती है परन्तु हमारा सिपाही ऐसे त्योहारों पर घर न रह कर सड़कों पर खड़ा रहता है। उस बेचारे के भी बाल-बच्चे हैं। ऐसे त्योहारों पर उसे अपने घर वालों से मिलने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए हमने यह कोशिश की है कि जहां पहले सिपाही को 15 केजूअल लीव मिलती थी उसको अब कम्पेनसेटरी के रूप में दस दिन की छुट्टी और देंगे। इस प्रकार कुल 25 दिन की छुट्टी मिला करेगी। इसी तरह की रियायतें और दी हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं, यह जो पुलिस विभाग की डिमांड मैंने पेश की है इसको पास करने की कृपा करें।

श्री मदनसिंह दांता : एक छोटा सा सवाल है। माननीय माथुर साहब ने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा था। पुलिस का एक्ट अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। उसको बदलने के लिए आपकी क्या राय है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात गृह मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि मालवीया रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज में एक छात्र की हत्या की गई थी। उसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं और कब तक आप उन हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे। यह बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कई घटनाओं की चर्चा यहां पर की गई है और उस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कहा है कि वे इसकी जांच करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : गंगानगर के अन्दर जिन छात्रों को पुलिस ने जबर्दस्ती फंसाया है उनके बारे में भी आपको क्या कहना है ?

श्री रतनलाल वर्मा : ये तो हलवे में से कंकड़ निकाल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री महोदय के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि आज के क्रिमिनल्स इतने चुस्त, होशियार हो गये हैं कि उन पर थर्ड डिग्री मेथड काम में लेने पर भी पुलिस को सफलता नहीं मिल रही है। इस मैथड के एप्लाइ करने पर भी आज पुलिस को माल की बरामदगी में सफलता नहीं मिल पा रही है। जब इससे भी सफलता नहीं मिल रही है तो साईटिफिक मेथोडोलाजी में और भी सफलता सदिग्ध है। इस विभाग को चुस्त करने के लिए आप कई नये साधनों से सुसज्जित करने की सोच रहे हैं। जो आपकी सांइटिफिक इन्वेस्टीगेशन की लेबोरेटरी है उससे भी बरामदगी नहीं है उससे क्रिमिनल्स को आइडेन्टीफाइ नहीं कर सकते हैं। थर्ड डिग्री से भी बरामदगी नहीं हो रही है क्योंकि वे चालाक और हार्ड बाइल्ड हो गये हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि माल की बरामदगी कैसे की जाए, तीव्र गति से हो सके, क्योंकि क्रिमिनल्स इतने चालाक हो गये हैं, वे जल्दी ही दूसरे स्थानों को भाग जाते हैं, कभी लखनऊ पहुंच जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि आपकी पुलिस उनका पीछा कर सकती है ? ऊंट से वह उनको नहीं पकड़ सकती है। मोटर साइकिल से भी नहीं पकड़ सकेंगे। तो क्या आपने ऐसा भी किया है कि हवाई जहाज रखना पड़े।

मांग संख्या 13 व 16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,44,43,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,65,44,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.30 बजे सोमवार दिनांक 19 मार्च, 1978 के म० पू० 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 332 की सूची)

तालिका (घ)

नसबंदी आपरेशन की प्रगति जून 1977 से फरवरी, 1979, तक
राजस्थान

क्र. सं	जिला	नसबंदी आपरेशन		योग
		पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	240	903	1143
	मेडिकल कालेज	127	1020	1147
2.	अलवर	333	592	925
3.	भरतपुर	110	370	480
4.	धौलपुर	26	83	109
	जयपुर प्रथम	221	1507	1728
	जयपुर द्वितीय	252	831	1083
	मेडिकल कालेज	228	1932	2160
5.	सीकर	120	376	496
6.	झुन्झुनू	445	1474	1919
7.	टोंक	41	112	153
8.	सवाई माधोपुर	109	167	276
9.	बीकानेर	69	176	245
	मेडिकल कालेज	273	1067	1340
10.	गंगानगर	697	2072	2769
11.	चुरू	181	598	779
12.	नागौर	156	618	774
13.	जोधपुर	58	304	362
	मेडिकल कालेज	207	1855	2062

1	2		3	4
14.	जालोर	27	263	290
15.	बाड़मेर	41	138	179
16.	जैसलमेर	60	68	128
17.	पाली	88	657	763
18.	सिरोही	44	576	620
19.	कोटा	152	675	827
20.	बून्दी	17	124	141
21.	झालावाड़	82	470	552
22.	उदयपुर	353	417	770
	मेडिकल कालेज	136	1517	1653
23.	चित्तौड़गढ़	147	439	586
24.	भीलवाड़ा	167	396	563
25.	डूंगरपुर	40	673	713
26.	बांसवाड़ा	123	971	1094
	योग	5370	23459	28829

222

तालिका (ब)

नसबन्दी आपरेशन की प्रगति 1978-79, राजस्थान

(अप्रैल, 78 से फरवरी, 79)

जिला		नसबन्दी ग्रापरेशन		योग
		पुरुष	महिला	
1.	ग्रजमेर	164	515	679
	मेडिकल कालेज	80	511	591
2.	ग्रलवर	260	441	701
3.	भरतपुर	66	268	334
	धौलपुर	16	43	59
4.	जयपुर प्रथम	135	864	999
	जयपुर द्वितीय	172	607	779
	मेडिकल कालेज	129	982	1111
5.	सीकर	82	206	288
6.	भुंझुनु	335	798	1135
7.	टोंक	28	68	96
8.	सवाईमाधोपुर	84	150	234
9.	बीकानेर	47	85	132
	मेडिकल कालेज	142	693	835
10.	गंगानगर	558	1696	2254
11.	चुरु	97	363	460
12.	नागौर	107	413	520
13.	जोधपुर	21	168	189
	मेडिकल कालेज	119	1020	1141
14.	जालौर	16	121	137
15.	बाड़मेर	26	75	101
16.	जेसलमेर	50	46	96
17.	पाली	64	377	441
18.	सिरोही	23	345	368
19.	कोटा	86	374	460

1		2	3	4
20.	बूंदी	11	87	98
21.	झालावाड़	51	297	348
22.	उदयपुर	273	274	547
	मेडिकल कालेज	74	930	1004
23.	चित्तौड़गढ़	98	226	322
24.	भीलवाड़ा	96	231	327
25.	डूंगरपुर	21	373	394
26.	बांसवाड़ा	84	581	665
	योग	3615	14228	17843

———

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न सं० 153 की सूची)

परिशिष्ट "क"

गलत तथ्यों के आधार पर नहरी भूमि आवंटन करवाने वाले जागीरदारों की सूची:—

1.	श्री रूप चन्द माथुर	डीडवाना	राज० उच्च न्यायालय में विचाराधीन
2.	श्री गोविन्द लाल माथुर	,,	,,
3.	श्री मोहन लाल माथुर	,,	,,
4.	श्री सुभाष चन्द्र माथुर	,,	,,
5.	श्री जदन चन्द्र माथुर	,,	,,
6.	श्री सज्जन चन्द्र माथुर	,,	,,
7.	श्री प्रकाश चन्द्र माथुर	,,	,,
8.	श्री फतह चन्द्र माथुर	,,	,,
9.	श्री आनन्दी लाल माथुर	,,	,,
10.	श्री दाऊ दयाल गोस्वामी	चिलकोई	,,
11.	श्री तुलेश्वर गोस्वामी	,,	,,
12.	श्री घनेश कुमार गोस्वामी	,,	,,
13.	श्री गोपीकांत गोस्वामी	,,	,,
14.	श्री हरिकिशन गोस्वामी	,,	,,
15.	श्री एन. एन. गोस्वामी	,,	,,
16.	गुमान सिंह	वागोली	सुनवाई की तारीख 30-3-79
17.	श्री मसूद अहमद	बाकरा	24-3-79
18.	श्री इनामुल हक	,,	,,
19.	श्री वली मोहम्मद	,,	,,
20.	श्री सादिक अली	,,	,,

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण विधान सभा में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

बूंदी जिले में लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत सिंचाई

335. श्री श्रोमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार लिफ्ट द्वारा सिंचाई करने के बारे में बूंदी जिले के लिए सोच रही है ? यदि हां, तो बूंदी में कौन कौन से गांव इस योजना के तहत लिये जाने वाले हैं ?

(2) क्या छतपुरा, सिलीर, रघुवीरपुरा, हट्टीपुरा, कांटी, ग्रस्तोली, काजरी, सिलोर ग्रादि गांवों में लिफ्ट द्वारा सिंचाई की योजना है ? यदि हां, तो कब तक क्रियान्वित की जावेगी ? ग्रोर यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान वित्त निगम में कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती

336. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम ने 10 जुलाई, 1978 को कुछ रिक्त पदों का विज्ञापन किया था ? यदि हां, तो उसमें रोस्टर प्रणाली की ग्रनुपालना कहां तक की गई है ?

(2) क्या चयनित ग्रभ्यार्थी उसी योग्यता के हैं जिसका विज्ञापन दिया गया था ? चयनित प्रत्याशियों के नाम, योग्यता, निवास ग्रादि से सम्बन्धित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि निगम ने निर्धारित योग्यताग्रों में बिना संचालक मण्डल की पूर्व स्वीकृति के छूट दी है ? यदि हां, तो किन किन ग्रधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण में ऐसा किया गया है ग्रोर क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निगम द्वारा उप प्रबन्धकों के 6 पदों एवं सहायक प्रबन्धकों के 8 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिया गया था इसके ग्रलावा ग्रप्रेन्टिस कनिष्ठ सहायक/टाइपिस्ट हेतु भी उसी दिन पृथक विज्ञापन द्वारा प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किये गये थे। उप प्रबन्धकों ग्रादि के पद नहीं भरे गये हैं क्योंकि इस मामले में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा निषेधाज्ञा दिनांक 12-5-78 को जारी की गई थी। ग्रप्रेन्टिस कनिष्ठ

(उद्योग मन्त्री)

सहायक/टाइपिस्ट का चयन कर लिया गया है। इस चयन में रोस्टर प्रणाली की पालना की गई है।

(2) जी हां। अप्रेन्टिस कनिष्ठ सहा-यक/टाइपिस्ट का चयन उम्मीदवारों में से मेरिट के आधार पर निर्धारित योग्यता वाले उम्मीदवारों में से किया गया है जिसकी सूची विवरण सहित संलग्न है।

(3) जी नहीं। निर्धारित योग्यताओं में किसी के मामले में कोई छूट नहीं दी गई है।

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर

चयनित अप्रिन्टिस कनिष्ठ सहायक/टाइपिस्ट की सूची

क.सं	नाम	योग्यता	निवास
1	2	3	4
1.	श्री उमेश चन्द्र पारीक	बी. काम.	जयपुर
2.	श्री सत्य नारायण शर्मा	बी. काम.	जयपुर
3.	श्री कृष्ण मुरारी खण्डेलवाल	बी. काम.	अलवर
4.	श्री अरुण कुमार भटनागर	बी. ए.	जयपुर
5.	श्री राधा कृष्ण चतुर्वेदी	बी. ए.	जयपुर
6.	श्री ज्ञान चन्द्र अग्रवाल	बी. काम.	अलवर
7.	श्रीमती उभा बी. वैष्णव	बी. ए.	जयपुर
8.	श्री रूप चन्द नाहर	बी. काम.	जयपुर
9.	राजेश कुमार जैन	बी. काम.	जयपुर
10.	श्री कुमुद चन्द पांडेय	बी. ए.	उदयपुर
11.	श्री अशोक कुमार शर्मा	बी. ए.	अजमेर
12.	श्री सुन्दर लाल	बी. काम.	जयपुर
13.	श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल	बी. काम.	अजमेर
14.	श्री विजय प्रकाश शर्मा	बी. एस. सी.	अजमेर
15.	श्री चन्द्र प्रकाश पारीक	बी. काम.	जयपुर
16.	श्री योगेन्द्र कुमार तिवाड़ी	बी. काम.	जयपुर
17.	श्री राम गोपाल गुप्ता	बी. काम.	जयपुर
18.	श्री वासु देव केसवानी	बी. काम.	जयपुर
19.	श्री रवि कान्त राजवंशी	बी. काम.	बीकानेर
20.	श्री राधा कृष्ण शर्मा	बी. ए.	जयपुर
21.	श्री राकेश कुमार सांघी	बी. काम.	जयपुर
22.	श्री भाग चन्द जैन	बी. काम.	जयपुर
23.	श्री गोपाल लाल व्यास	बी. ए.	उदयपुर

1	2	3	4
24.	श्री प्रदीप कुमार गोयल	बी. काम.	जयपुर
25.	श्री अवतार सिंह मल्होत्रा	बी. काम.	जयपुर
26.	श्री आलोक राजोरिया	एम. ए.	अजमेर
27.	श्री गौरी शंकर गुप्ता	बी. काम.	जयपुर
28.	श्री धनपत सिंह छजलानी	बी. काम.	जयपुर
29.	श्री महेन्द्र सिंह चौहान	बी. काम.	जयपुर
30.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गहलोत	बी. काम.	जयपुर
31.	कु. ज्योति बाला द्विवेदी	बी. काम.	जयपुर
32.	श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता	बी. काम.	जयपुर
33.	कु. अनीता जोशी	बी. काम.	जयपुर

सीतावाड़ी (केलवाड़ा) का अस्पताल

337. श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीतावाड़ी (केलवाड़ा) में तीस शैयाओं का अस्पताल कब तक तैयार हो जावेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार किशनगंज व शाहबाद के अस्पतालों में शैयाओं को बढ़ाने का विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार कस्बा थाना डिसपेंसरी को शय्यायुक्त अस्पताल बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा को 30 रोगी शैयाओं के रेफरल अस्पताल में, चालू वर्ष में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

(2) जी हां। जन सहयोग से भवन व्यवस्था होने पर 6-10 रोगी शैयाओं पर विचार किया जा सकता हैं।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जिला बीकानेर के गांवों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत विद्युतिकरण

338. श्री रावतराम (सुजानगढ़) : क्या विद्युतमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर के गांवों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण का सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो कब और कितने गांवों का ?

(2) उपरोक्त सर्वे शुदा गांवों में बिजली कब तक दे दी जावेगी और इसके लिए कितनी धन राशि स्वीकृत की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्व प्रथम वर्ष 1974–75 में 51 गांवों का सर्वे कराया गया था। इसके बाद विभिन्न वर्षों में सर्वे किये गये। वर्ष 1978–79 तक इस तहसील के कुल 140 ग्रामों का सर्वेक्षण हो चुका है।

(2) उपरोक्त सर्वे शुदा गांवों में से 6 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत दो योजनाओं के अन्तर्गत शेष 134 ग्रामों का विद्युतिकरण वर्ष 1982–83 के अन्त तक प्रस्तावित है जिसके लिए 117.542 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

सहायक मलेरिया अधिकारी के पद

339. डा० गंगासहाय (कठूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में एक सहायक मलेरिया अधिकारी का पद है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक मलेरिया अधिकारियों (ए.एम.ओ.एस.) में

(230)

(श्री गंगासहाय)

से एक भी अधिकारी अनुसूचित जाति व जन जाति का नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। दो सहायक मलेरिया अधिकारी, अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं।

राज्य के पशु चिकित्सालय

340. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा-रामगढ़) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य मे कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ?

(2) जनता सरकार द्वारा कितने नये पशु चिकित्सालय खोले गये हैं ?

(3) नये पशु चिकित्सालय खोलने का क्या मापदण्ड रखा गया है ?

(4) जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? यदि नहीं हैं, तो इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय क्यों किया गया है ?

(5) इस विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय न खोलने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) राज्य में 347 पशु चिकित्सालय एवं 143 पशु औषधालय हैं।

(2) 30 चिकित्सालय एवं 100 औषधालय खोले गये हैं।

(3) नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने हेतु निम्न आधार रखे गये हैं: —

(1) जिले एवं तहसीलों में उपलब्ध (पशु संख्या) गौ वंश इकाइयां।

(2) पूर्व से कार्यरत एव भविष्य में संभावित स्थापित किये जाने वाले पशु चिकित्सालय/औषधालयों में आपस में कम से कम 10 से 16 किलोमीटर का अन्तर।

(3) छटी योजना काल में सभी तहसील, पं०सं० एवं नगर परिषद मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा संस्था कायम करना।

(4) बड़े शहरों में प्रत्येक 80 हजार आबादी पर एक पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध करना।

(5) मरुक्षेत्र में गांवों की दूरी, आबादी एवं पशु संख्या वाले क्षेत्रों को भी ध्यान में रख कर स्थान निर्धारित करना।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तहसील जमवारामगढ़, आमेर, बैराठ के कुछ कुछ गांव आते हैं। इन तहसीलों में वर्तमान में 9 पशु चिकित्सालय/औषधालय कार्यरत हैं। जिनमें से एक जमवारामगढ़ मुख्यालय भी है। मास्टर प्लान के अनुसार आगामी वर्षों में खाले जाने का प्रावधान हैं।

राजस्थान व चम्बल नहर कमान्ड एरिया हेतु विश्व बैंक से समझौते

341. श्री नूरा (मसूदा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान एवं चम्बल नहर कमाण्ड क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक से अलग-अलग दो समझौते किये हैं ? यदि हां, तो यह समझौते कब किये गये थे ? समझौतों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या मूल समझौते के बाद इन समझौतों में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे परिवर्तनों, परिवर्द्धनों या संशोधनों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस समझौते के अनुसार इन कमाण्ड क्षेत्रों में क्या क्या विकास कार्य शुरू हो गये हैं और क्या क्या कार्य अभी शुरू करने बाकी हैं ?

(4) क्या इन समझौतों के अन्तर्गत हो रहे विकास कार्यक्रमों की समय समय पर प्रगति रिपोर्ट तैयार होती है ? यदि हां, तो कब तक कितनी और कब कब प्रगति रिपोर्ट तैयार हुई है ? कृपया समस्त प्रगति रिपोर्ट की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार ने विश्व बैंक से राजस्थान नहर सिंचित क्षेत्र विकास एवं चम्बल नहर सिंचित क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय सहायतार्थ समझौता किया है।

(2) जी नहीं।

(3) भारत सरकार द्वारा किये गये समझौते के अनुसार दोनों सिंचित क्षेत्रों में निम्न विकास कार्य प्रारम्भ किये जा चुके है:—

राजस्थान नहर

(1) नहरों का पक्का करना
(2) वृक्षारोपण एवं चरागाहों का विकास
(3) सड़क निर्माण कार्य
(4) ग्रामीण पेय जल हेतु ठिग्गियों का निर्माण
(5) भूमि विकास कार्य

चम्बल नहर

(1) सिंचाई एवं जलोत्सरण कार्य
(2) सड़क निर्माण कार्य
(3) वृक्षारोपण कार्य
(4) भूमि विकास कार्य

(4) जी हां। मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। वर्ष 1974–75 से जनवरी, 1979 तक की प्रगति रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थानों की संख्या

342. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मूलचन्द डागा)

(1) क्या यह सही है कि मेडिकल कालेजों में सीटें प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है ? यदि हां, तो उसका क्या आधार है ?

(2) इस वर्ष 78-79 में कितनी सीटें निश्चित की गई थी तथा कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में निश्चित सीटों से भी ज्यादा विद्यार्थियों को मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा पिछले 10 वर्षों में किस-किस वर्ष में कितने-कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष 16 अंक का गलत प्रश्न देने के कारण बिल्कुल सही योग्यता सूची बनाना असम्भव था ? जबकि एक-एक अंक पर 15-20 विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला होता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष दिनांक 23-9-78 की योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश सम्बन्धी सूचना मौखिक रूप से विद्यार्थियों को साक्षात्कार के समय दे दी गई थी ? लेकिन उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उस योग्यता सूची को बदल दिया गया जिसमें कई विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गये ? जबकि राज्य सरकार उच्च न्यायालय में स्वीकार कर चुकी है कि जिन विद्यार्थियों का साक्षात्कार हो चुका है वे प्रवेश के हकदार हैं और उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में बुलाया जाय ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उन विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या राज्य सरकार ऐसी स्थिति में यह उचित नहीं समझती है कि मेडिकल कालेज में सीटें बढ़ाकर उन विद्यार्थियों के साथ न्याय किया जावे जो साक्षात्कार के बाद प्रवेश से वंचित रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सीटों का निर्धारण राज्य की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

(2) इस वर्ष 550 सीट निश्चित की गई और 550 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इसके अलावा दो कश्मीर के छात्रों को अगले वर्ष के प्रावधान के प्रति प्रवेश दिया गया है।

जी नहीं। सदैव ही राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीट्स के अनुसार ही प्रवेश दिये जाते हैं। पिछले 10 वर्षों की जानकारी इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रवेश जो किये गये
1969-70	600
1970-71	600
1971-72	600
1972-73	512
1973-74	518
1974-75	570
1975-76	511
1976-77	525
1977-78	550
1978-79	550

(श्री चिकित्सा मन्त्री

(3) जी हां। 16 अंकों के प्रश्न-पत्र में गलती थी और इसलिए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को जो डाइरेक्टिव दिया तदनुसार योग्यता का निर्धारण किया गया।

(4) पी. एम. टी. परीक्षा के आधार पर केवल साक्षात्कार किया गया था, प्रवेश नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पूर्व परीक्षा फल रद्द कर दिया गया एवं योग्यता सूची के विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन के आधार पर नई तौर से प्रवेश दिया गया है। न्यायालय में कोई स्वीकारोक्ति नहीं की गई है कि विद्यार्थियों को पूर्व साक्षात्कारित प्रवेश दिया जायेगा।

(5) जी हां।

(6) राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार योग्यता के आधार पर ही समस्त छात्रों को प्रवेश दिया है। न्यायालय के निर्णय से प्रभावित विद्यार्थियों की अन्तिम योग्यता के आधार पर प्रवेश देना सम्भव नहीं है।

जोधपुर डेयरी में हड़ताल व तालाबन्दी

343. **श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़)** : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जोधपुर डेयरी, में हड़ताल कितने दिन रही और कितने दिन तालाबन्दी रही ?

(2) इस हड़ताल व तालाबन्दी के कारण डेयरी को कितना नुकसान उठाना पड़ा ?

(3) यह हड़ताल अथवा तालाबन्दी किस कारण से हुई तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार था ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या सरकार ने कोई जांच की है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? क्या कार्यवाही की है ? दोषी व्यक्तियों में कौन कौन हैं ?

(5) क्या यह सही है कि इस सारे झगड़े के जुम्मेदार श्री बी. के. गर्ग है ? यदि हां, तो क्या श्री गर्ग की नियुक्ति नियमानुसार है ? यदि हां तो कैसे ? यदि नहीं, तो इसे क्यों रखा गया है ?

(6) क्या यह सही है कि इस डेयरी का एक बोयलर काफी अर्से से खराब पड़ा है तथा और भी नुकसान हुआ है ? कुल इस वर्ष में कितना खर्च इस डेयरी पर हुआ है और क्या आमदनी हुई है ? 1 अप्रेल, 78 से 1 मार्च, 1979 तक का हिसाब बतलाने की कृपा करें।

उत्तर

(1) डेयरी में हड़ताल 30-12-78 से 16-1-79 तक रही और तालाबन्दी कतई नहीं रखी गई।

(2) इस हड़ताल में लगभग एक लाख रुपये की हानि की सम्भावना है।

(डेयरी मन्त्री)

(3) इस हड़ताल का मूल कारण कर्मचारियों द्वारा माडल स्टेंडिंग ग्रार्डर को नहीं मानना था। सरकार द्वारा माडल स्टेंडिंग ग्रार्डर्स की अनुपालना कराने का निर्णय लिया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। श्री बी० के० गर्ग की नियुक्ति नियमानुसार है।

(6) जी हां। डेयरी प्लांट का एक बायलर दिनांक 20-11-1978 से खराब है। सहकारी संस्था होने के कारण संघ का वित्तीय वर्ष जुलाई से जून होता है। अतः अभी तक इसका लेखा-जोखा नहीं बना है।

अरावली स्कूटर कारखाना

344. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अरावली स्कूटर बनाने का राजस्थान मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कारपोरेशन का कारखाना असफल हो गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या इसका उद्धार करने की राज्य सरकार की कोई योजना है?

उत्तर

(1) जी हाँ। कारखाने को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का मुख्य कारण अन्य स्कूटरों की प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकना था।

(2) तत्काल कोई योजना नहीं है। इस बात के प्रयत्न जारी हैं कि इस स्कूटर कारखाने को directified production (डाइरेक्टीफाइड प्रोडक्शन) के लिए परीक्षण किया जावे।

मेडिकल कालेज जोधपुर का भवन निर्माण कार्य

345. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टीचिंग होस्पीटल, मेडिकल कालेज जोधपुर का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है? तथा यह कार्य कब पूरा होने की संभावना है और अतिरिक्त धन की कितनी आवश्यकता होगी? आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है?

(2) क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज के टीचिंग होस्पीटल के ऊपर की मंजिल का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1979–80 में पूर्ण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वित्तीय कमी का बहाना बना कर टीचिंग होस्पीटल के निर्माण कार्य को गत कई वर्षों से अपूर्ण रखा है? यदि हां, तो मानव को मौत के मुंह से बचाने के लिए सरकार धनराशि क्यों नहीं लगा सकी तथा निर्माण कार्य अब कब तक पूरा हो जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। 200 पलंग के अस्पताल

(चिकित्सा मन्त्री)

को पूरा करने का सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनुमान 1978 तक 32 लाख का था जो अब बढ़ कर 41 लाख हो गया है। जिसमें केवल 132 पलंग होंगे। इस प्रकार अधूरे कार्य के लिए 9 लाख की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होगी। अतिरिक्त धनराशि के प्रावधान पर सरकार विचार कर रही है।

(2) वित्तीय प्रावधान होने पर निर्माणाधीन कार्य के 1979–80 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) जी नहीं। वित्तीय प्रावधान कर निर्माणाधीन कार्य पूरा कराने का प्रयत्न जारी है।

ग्राम सुवाणा के विद्यालय को दी गई कृषि भूमि

347. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम विद्यालय सुवाणा, जिला भीलवाड़ा को 50 बीघा कृषि योग्य जमीन कब तथा किसके आदेश से आवंटित की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यालय राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किये जाने के पश्चात् भी उस जमीन का कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है ?

(3) 50 बीघा जमीन का लगान सरकारी खजाने में गत 10 वर्षों से कौन कितना जमा करा रहा है ?

(4) क्या इस जमीन पर भीलवाड़ा के किसी संस्थान ने नाजायज कब्जा किया हुआ है ?

(5) इतनी बड़ी सरकारी सम्पत्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम विद्यालय सुवाणा को 50 बीघा कृषि योग्य भूमि का आवंटन जिलाधीश भीलवाड़ा ने किया था जिसका विवरण निम्न है:—

ग्राम विद्यालय के नाम पुरानी जमाबंदी के खाता संख्या 653 पर निम्न भूमि अंकित हैं :—

आराजी नम्बर	रकबा
1636	10)2
1638	14)2
1639	5)1
1646।15	14।)
2338।6	6।।)
योग :—	50) बीघा

इस भूमि का नामान्तरकरण विद्यालय के नाम दिनांक 9-8-59 को हुआ एवं नये सेटलमेंट के रेकार्ड में यह भूमि ग्राम विद्यालय सुवाणा संचालक केसरपुरी गोस्वामी के नाम अंकित है।

(2) ग्राम विद्यालय सुवाणा नामक संस्था का विधिवत् अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। संस्था वर्ष 1972

(राजस्व मन्त्री)

में बन्द हो गई थी, तब से बन्द पड़ी है। इसके शाला भवन को अनौपचारिक रूप से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुवाणा को कक्षा चलाने हेतु ग्राम पंचायत ने दे दिया था। उस समय यह भवन विरान पड़ा था। जहां तक कृषि भूमि का सम्बन्ध हैं, इसके बाबत कोई आदेश या निर्णय नहीं हुआ।

जिलाधीश द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार पिछले वर्षों में निम्न प्रकार लगान जमा हुआ है :—

सम्वत	रकम	किसके द्वारा जमा कराया
2031	35–69	ग्राम विद्यालय सुवाणा।
2032	35–67	,, ,,
2033	35–67	,, ,,
2034	35–67	,, ,,
2035	35–67	,, ,,

बकाया लगान ग्राम विद्यालय सेवा संघ के खाते में शामिल जमा हुआ। सम्वत् 2029 से 2030 तक लगान जमा नहीं हुआ। शेष रसीद बुकें जमा हो जाने से जानकारी नहीं दी गई।

(4) इस भूमि पर किसी के नाजायज कब्जा होने का रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है। कृषि भूमि ग्राम विद्यालय सुवाणा नामक संस्था के संचालक के पास ही है।

(5) इस सम्बन्ध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश जिलाधीश को दिये जा रहे हैं।

अल्प संख्यकों को लघु उद्योग व कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन

348. **श्री अयूबखां** (तिजारा),

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार),

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत पांच वर्षों में लघु उद्योग इकाइयां कितनी लगाई गई? प्रतिवर्ष का ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग को लघु उद्योग व कुटीर उद्योग लगाने में प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे?

(3) राज्य सरकार के अल्पसंख्यक वर्ग को पिछले दो वर्षों में किस किस कुटीर उद्योग को क्या क्या प्रोत्साहन दिया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) पिछले दो वर्षों में लघु उद्योग व कुटीर उद्योग की कितनी इकाइयों का रजिस्ट्रेशन हुआ इनमें से अल्पसंख्यक वर्ग की कितनी इकाइयां है?

उत्तर

(1) राज्य में पिछले पांच वर्षों में 15377 लघु उद्योग इकाइयों का पंजीयन किया गया है :—

(उद्योग मन्त्री)

क्र०सं०	वर्ष	इकाईयां
1.	1974	3962
2.	1975	2190
3.	1976	2638
4.	1977	2580
5.	1978	4277
		15377

(2) नियमों में अल्पसंख्यकों के लिए उद्योग सम्बन्धी कोई विशेष प्रावधान नहीं है। राज्य की वर्तमान नीति का समान रूप से लाभ उठा सकते हैं जिसमें अल्पसंख्यक भी लाभान्वित हो सकते हैं।

(3) अल्प संख्यक वर्ग के लिए कोई पृथक से सूचना संकलित नहीं की जाती है अतः तत्काल उत्तर उपलब्ध नहीं है।

(4) वर्ष 1977-78 में 2580 इकाईयां एवं 1978 में 4277 इकाईयां पजीकृत है। अल्प संख्यक वर्ग के लिए कोई पृथक से सूचना संकलित नहीं की जाती है अतः तत्काल उत्तर उपलब्ध नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र में कालीन उद्योग की योजना

349. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोलायत क्षेत्र की ऊन, कालीनों के लिए राज्य में सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस पर आधारित कालीन उद्योग के विकास के लिए क्या किया जा रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी बाजार के लिए कालीन बनाने की योजना का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कोलायत क्षेत्र की ऊन कालीनों के लिए राज्य के अन्य क्षेत्रों की ऊन की तुलना में सर्वाधिक उपयोगी है।

कालीन उद्योग के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम वर्तमान में 35 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है। जिसमें कोलायत क्षेत्र भी सम्मिलित है। इनके अलावा राज्य की उद्योग नीति के अन्तर्गत जमीन, पूंजी एवं अन्य साधन निजी व्यवसाइयों को मुहैया कराये जाते हैं।

(2) राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सवाई माधोपुर जिले के मन्दिरों के ट्रस्ट

351. श्री गोविन्द सहाय (कठूमर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार वक्फ बोर्ड की तरह राज्य के मन्दिरों का भी कोई बोर्ड बनाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग द्वारा मन्दिरों की देख रेख ठीक

(श्री गोविन्द सहाय)

प्रकार से नहीं हो रही है ? यदि हां; तो देवस्थान विभाग ठीक ढंग से व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में महत्वपूर्ण मन्दिरों की देख रेख के लिए ट्रस्ट बना रखे हैं ?

(4) सवाई माधोपुर जिले के महत्व-पूर्ण मन्दिरों के कितने ट्रस्ट हैं तथा उन ट्रस्टों में कौन-कौन मैम्बर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राजकीय प्रबन्धित मन्दिरों की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा सुचारू रूप से की जा रही है।

(3) राजकीय प्रबन्धित मन्दिरों के ट्रस्ट बनाने का कोई सवाल नहीं है।

(4) महत्वपूर्ण मन्दिरों के ट्रस्ट तथा मैम्बर के नाम की सूची संलग्न हैं।

(तारांकित प्रश्न 352 की सूची)

सवाई माधोपुर जिले में स्थित महत्वपूर्ण ट्रस्टों व उनके सदस्यों की सूची

क्र. सं.	पंजीयन का क्रमांक व दिनांक	प्रन्यास का नाम	प्रन्यासियों (सदस्यों) का नाम
1	2	3	4
1.	41 दि. 20-7-63	मं. श्री निर्गणजी महाराज मण्डावर जिला सवाई माधोपुर	श्री प्रेमदास चेला ज्ञानदास
2.	54 दि. 2-8-63	मं. श्री जगदीशजी कैमरी जिला सवाई माधोपुर	श्री रामस्वरूप शर्मा चेला किशनदास
3.	78 दि. 5-12-63	दिगम्बर जैन मन्दिर तेरापन्थी गोठ सवाई माधोपुर	श्री मानकचन्द राव का पुत्र किस्तूर चन्द
4.	93 दि. 2-3-64	दिगम्बर जैन मन्दिर पंचायती गोठ सवाई माधोपुर	श्री निरन्जन लाल जैन छाबड़ा पुत्र किस्तूर चन्द
5.	98 दि. 13-3-64	मं. श्री हनुमानजी गंज करोली	महन्त नारायणदास चेला राधकादास
6.	99 दि. 14-3-64	मं. श्री गोवर्धनस्वरूप विपरोली नोन वालान करोली	पं. गोरीशंकर शर्मा पुत्र बाल किशन श्री रामचरण पुत्र नारायणलाल श्री भौंरीलाल पुत्र नन्दकिशोर
7.	100 दि. 13-3-64	मं. श्री सुन्दर शिरोमणिजी सरताज बिहारीजी करोली	श्री भगवती लाल पुत्र श्री सूरजमल
8.	101 दि. 14-3-64	श्री प्रताप जडाव शिरोमणिजी मदारा करोली	श्री बजरंगलाल पुत्र श्री भैरू लाल श्री कल्याणमल पुत्र श्री मूलचन्द श्री रामेश्वर गंगाप्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द

240

1	2	3	4
			श्री जौहरीलाल पुत्र श्री कुन्जलाल श्री चिरन्जीलाल पुत्र श्री गुजरमल
9.	102 दि. 14-3-64	मं. श्री भ्रमर शिरोमणिजी महाराज करोली	श्री मुरारीलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
10.	103 दि. 14-3-64	मं. श्री मदन बिहारीजी ग्राम केलादेवी करोली	श्री बद्री प्रसाद पुत्र श्री गणेशराम श्री मांगीलाल पुत्र श्री बेजाराम श्री पन्नालाल पुत्र श्री बेजाराम
11.	104 दि. 14-3-64	मं. श्री राधादामोदरजी नोनवालान करोली	श्री दुर्गा प्रसाद चक्रपाणी श्री चक्रपाणी पुत्र दुर्गा प्रसाद
12.	105 दि. 6-5-67	दिगम्बर जैन मुसावडियान गोठ सवाईमाधोपुर	श्री गोपीचन्द वकील अध्यक्ष श्री सुखदेवलाल गोदा मन्त्री श्री श्रीराम सहाय सहायक मन्त्री श्री भंवरलाल चौधरी कोषाध्यक्ष श्री रामप्रसाद चौधरी सदस्य श्री नाथूलाल सदस्य श्री भंवरलाल सदस्य श्री रिखबचन्द पाटनी सदस्य

241

1	2	3	4
13.	106 दि. 30-5-64	मं. श्री राधाकृष्णजी धाऊवाजी मोहल्ला चटीकना	श्री पीताम्बर प्रसाद मुखरजी पुत्र गिरवर प्रसाद मुखर्जी
14.	107 दि. 29-6-64	मं. श्री गोविन्द देवजी पंच अग्रवालान करोली	सेठ श्री रामगोपाल बजाज सेठ श्री घीसालाल बुढ़ारा सेठ श्री छोटेलाल पंसारी सेठ श्री त्रिलोकचन्द बजाज
15.	136 दि. 29-7-64	श्री दिगम्बर पंचायती बड़ा करोली	श्री किस्तूर चन्द वैद्य, श्री देवीसिंह जैन श्री निरंजनलाल लुहाड़िया, श्री कन्हैयालाल, श्री गेंदालाल सोगानी, श्री नेमीचन्द वैध, श्री हजारीलाल लुहाड़िया श्री किस्तूर चन्द, श्री बिरधी चन्द, श्री कल्याण प्रसाद
16.	143 दि. 31-8-64	अग्रवाल मं श्री आनन्द बिहारी जी हिण्डौन	श्री खिलसुख राम, श्री गोपाल लाल, श्री विश्वम्भर दयाल श्री नन्द किशोर, श्री कल्याण राम, श्री ललता प्रसाद, श्री बद्री प्रसाद, श्री हरी चरण, श्री बद्री प्रसाद, श्री बाबूलाल श्री गिरराज प्रसाद, श्री राम स्वरूप, श्री गोविन्द नारायण

1	2	3	4
17.	146 दि. 31-8-64	मं. श्री बिहारीजी ग्राम सडरायत कस्बा करोली	श्री रामहेत पुत्र लालाराम, श्री घोरेराम पुत्र हरीराम, श्री गिरराज पुत्र श्री जमनालाल
18.	160 दि 5-1-65	पंच अग्रवाल धर्मशाला हिण्डौन	श्री मांगीलाल पुत्र श्री घड़मल श्री रामसहाय पुत्र श्री गंगासहाय श्री मांगीलाल पुत्र श्री हीरालाल श्री नारायण लाल पुत्र श्री रामजीलाल श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री जोशीलाल श्री बसन्तीलाल पुत्र श्री सेड़ूराम श्री कल्याण प्रसाद पुत्र श्री विनोदी लाल
19.	167 दि. 29-3-65	मं. श्री रसिक बिहारीजी करोली	महन्त हरीदास, श्री रमेशदास
20.	168 दि. 29-3-65	मं. श्री कल्याण रायजी बासवाला करोली	महन्त श्री घनश्याम दास करोली
21.	169 दि. 29-3-65	दिगम्बर जैन छोटा मन्दिर हिण्डौन	श्री आनन्दीलाल छाबड़ा, श्री नरेन्द्र कुमार, श्री मांगीलाल, श्री राजेन्द्र कुमार बेनाड़ा, श्री टीकमचन्द कासलीवाल श्री राजलाल जैन
22.	170 दि. 29-3-65	श्री रामद्वारा रामस्नेही करोली	श्री किसराम रामस्नेही, श्री जमनालाल बजाज,

1	2	3	4
			श्री मथुरा लाल, श्री किरोडी लाल, श्री राम सहाय, श्री बाबूलाल
23.	171 दि. 30-3-65	श्री दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर हिण्डौन	श्री किशनलाल जैन, श्री राजेन्द्र प्रसाद गोदा, श्री आनन्दीलाल छाबड़ा, श्री देवेन्द्र प्रसाद, श्री मगनचन्द
24.	172 दि. 30-3-65	दिगम्बर जैन मन्दिरन सियाजी हिण्डौन	श्री आनन्दीलाल, श्री सुमेरचन्द, श्री उमराव मल; श्री राजेन्द्र कुमार, श्री राजू लाल जैन; श्री टीकम चन्द जैन
25.	181 दि. 11-6-65	श्री कुन्ज दादूपन्थीयान अनाज मण्डी करोली	महन्त ज्ञानदास
26.	182 दि. 11-6-65	मं. श्री बालकृष्ण बिहारीजी करौली	श्री गंगाधर पुत्र श्री बंशीधर गुरू श्री राम कुवार पुत्र श्री भगवान गुरू
27.	184 दि. 20-7-65	दिगम्बर जैन आदर्श महिला विद्यालय महावीर जी हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर	श्री अमर चन्द पहाड़िया श्री सुवालाल काला, श्री सोहन लाल चौधरी, श्री केसरी मल दीवान, श्री सनत कुमार बिलाला, श्रीमती प्रधानाचारणी कमला बाई श्री सुमेर चन्द कागजी, श्री रूप चन्द कासलीवाल,

1	2	3	4
			श्री धनसिंह, श्री श्यामलाल गोयल, श्री शुकदेव छाबड़ा, श्री जयदयाल, श्री लेखचन्द, श्री हरक चन्द, श्री देवेन्द्र कुमार, श्री भंवरलाल, श्री मदनलाल सेठी, श्री भंवरलाल सेठी, श्री ओकारमल जैन, श्री महेन्द्र कुमार, श्री चिरन्जीलाल प्रधानाध्यापक आदर्श महिला विद्यालय
28.	187 दि. 26-7-65	श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर केशवपुरा हिण्डौन	श्री किस्तूर चन्द, श्री हुकम चन्द जैन, श्री प्यारेलाल, श्री टीकम चन्द, श्री गोकुल जैन, श्री कजोड़ीलाल जैन, श्री फोदीलाल जैन,
29.	689 दि. 2-8-65	दिगम्बर जैन मन्दिर दीवान गोट सवाई माधोपुर	श्री चन्दालाल पुत्र श्री हजारीलाल
30.	198 दि. 2-9-65	श्री प्रताप शिरोमणिजी करोली	गोस्वामी देवेन्द्र किशोर
31.	205 दि. 29-9-65	दिगम्बर जैन मन्दिर गंगापुर	श्री भौंरीलाल, श्री मांगीलाल, श्री रूपचन्द, श्री अमृतलाल, श्री कजोड़मल, श्री उम्मेदीलाल, श्री बंशीधर गंगलाल,

1	2	3	4
32.	229 दि. 29-12-65	मं. श्री केशवरायजी हिण्डौन	महन्त श्री कृष्णदास
33.	231 दि. 30-12-65	दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चमतकारी जी आलमपुर	श्री चन्द्रप्रकाश जैन छाबड़ा, श्री चांदमल सोगानी, श्री राम सहाय जैन, श्री प्रेम कुमार जैन पाटनी, श्री प्रेम कुमार जैन, श्री हरकचन्द जैन, श्री कपूरचन्द जैन, श्री नाथूलाल जैन, श्री सुगनचन्द जैन, श्री राजमल जैन, श्री बाबूलाल जैन, श्री राजेन्द्र
34.	237 दि. 31-1-66	दिगम्बर जैन नसियांजी गंगापुर	श्री सिखरचन्द सेठी, श्री नाथलाल पाण्डया, श्री कपूरचन्द गंगवाल, श्री कन्हैयालाल बाकलीवाल श्री शोभाग मल गोधा
35.	248 दि. 24-4-66	प्रवन्धकारिणी कमेटी दिगम्बर जैन अतिशयक्षेत्र महावीर जी हिण्डौन	श्री मोहनलाल काला, श्री सूरज मल गोधा श्री गेंदीलाल साहब, श्री ज्ञानचन्द खिन्दूका, श्री घीसीलाल चौधरी, श्री कपूरचन्द पाटनी, श्री विजयचन्द जैन, श्री सोहनलाल सोगानी, श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, श्री सम्प्रद्रकुमार पाटनी, श्री रूपचन्द सोगानी, श्री मोहनलाल सोठी,

1	2	3	4
			श्री डा.राजमल कासलीवाल श्री तेजकरण डण्डिया, श्री रामचन्द्र कासलीवाल श्री जयकुमार छाबड़ा, श्री जमनादास जैन, श्री डा. जयप्रकाश सेठी, श्री डा. गोपीचन्द पाटनी, श्री ताराचन्द ठोलियान, श्री नरेशकुमार सेठी, श्री पदमचंद तोतूका, श्री फूलचन्द जैन, श्री फूलचन्द छाबड़ा, श्री राजकुमार काला, श्री भंवरलाल अजमेरा श्री चिरंजीलाल काला, श्री महेन्द्रकुमार बागड़ा
36.	262 दि. 10-8-64	जैन मन्दिर गढाचन्द्रीजी तहसील नादौती जिला सवाई मधोपुर	श्री प्रभुदयाल जैन, श्री प्यारेलाल, श्री श्रवणलाल
37.	337 दि. 20-5-72	दिगम्बर जैन मन्दिर भगवत गड़ जिला सवाई माधोपुर	श्री फतेहलाल जैन, श्री मूलचन्द जैन, श्री नेमीचंद श्री दीननारायण जैन, श्री केवकरण भडोला श्री रामप्रसाद शदजी, श्री चिरंजीलाल जैन पंसारी, श्री मोहनलाल साहूजी वाला, श्री कन्हैयालाल मण्डीवाला

1	2	3	4
38.	338. दि 29-6-72	मं. श्री कल्याणजी वस्त्र व्यापार संघ गंगापुर	श्री रामजीलाल, श्री नवलकिशोर, श्री राधाकृष्ण, श्री नवलकिशोर, श्री गुलाबसिंह, श्री बजरंगलाल श्री भागीरथलाल, श्री हजारीलाल, श्री मोतीलाल
39.	340 दि. 28-7-72	मन्दिर श्री चोमखा महादेवजी हिण्डोन	श्रीमती चन्द्रमुखीदेवी
40.	347 दि. 26-9-72	मं. श्री कृष्णबलदेवजी केवल खोजावटकना करौली	श्री प्रहलादपत्र घनश्याम ब्राह्मण
41.	352 दि. 1-12-72	श्री गीता रामायण सत्संग भवन सवाई माधोपुर	श्री रघुनाथदास साडिल्य, श्री मदनमोहन गोगल श्री हरीशवल्लभ शर्मा, श्री हनुमानसहाय चौधरी, श्री मोतीलाल खूटेटा, श्री गोपाल नारायण मुनीम, श्री हुकमचन्द बजाज, श्री सेठ कल्याणमल, श्री भगतलाल मास्टर, श्री आत्माराम डाक्टर, श्री बालमुकन्दजी खनरी
42.	367 दि. 18-4-73	सवाई माधोपुर जनता धर्मशाला चरेटी ट्रस्ट सवाई माधोपुर	श्री राधेश्याम अग्रवाल जिलाधीश सवाई माधोपुर विधायक सवाई माधोपुर अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्ष नोटीफाइड एरीया कमेटी सवाई माधोपुर,

1	2	3	4
			डा. इन्चार्ज राजकीय चिकित्सालय, श्री बालमुकन्द, श्री हुकमचन्द बजाज, श्री शशीकान्त राठी, श्री हनुमानसहाय चौधरी
43.	367 दि. 29-11-73	अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट गंगापुर	श्री रामविलास पुत्र सुवालाल, श्री मोहनलाल पुत्र बिरधीचन्द, श्री ललितकिशोर पुत्र सूरजबक्स कासलीवाल, श्री राघवदास पुत्र श्यामलाल, श्री भागीरथलाल पुत्र बद्रीलाल, श्री रामसहाय पुत्र भौंरीलाल, श्री राममेहतालाल पुत्र लालाराम, श्री सूरजमल पुत्र बद्रीलाल, श्री रामस्वरूप पुत्र रामविलास, श्री प्रभुदयाल पुत्र नाथूलाल, श्री भरोशीलाल पुत्र दुर्गालाल, श्री नवरंगकिशोर पुत्र राधेलाल, श्री दामोदरलाल पुत्र मोतीलाल, श्री बाबूलाल पुत्र हटीलाल,

1	2	3	4
			श्री बावला पुत्र कन्हैलाल,
44.	368 दि. 27-11-63	श्री रामद्वारा सवाई माधोपुर	श्री लक्षराम, श्री कीर्तराय, श्री किशनदास, श्री गोपालदास, श्री गोविन्द दास, श्री रामनिवास श्री रामजान, श्री फूलचंद, श्री भैरूलाल,
45.	371 दि. 29-11-72	मं श्री नृसिंहजी पंचायती मन्दिर खण्डेलवाल वैश्य वि० सवाई माधोपुर	श्री मांगीलाल, श्री जगन्नाथ, श्री रामलाल श्री कैलाशचन्द, श्री गजानन्द बटवाडा
46.	390 दि. 30-12-74	हीरामनशाह बगिया शाहवाती हिण्डौन	श्री गिरराजप्रसाद पुत्र चिरन्जीलाल, श्री जगदीश प्रसाद, श्री विष्णुदत्त, श्री सुरेन्द्रकुमार श्री बाबूलाल,
47.	392 दि. 8-1-75	मं. श्री दाऊजी पंचनाईयान हिण्डौन	श्री भगवती बाई, श्री कल्याण नारोलिया श्री श्यामलाल, श्री मनोहरीलाल, श्री हनुमान श्री बाबूलाल,
48.	401 दि. 28-3-76	श्री मदनमोहनजी केलादेवीजी करोली	श्री गणेशपालजी (भूत पूर्व नरेश करोली)
49.	408 दि. 9-5 75	मं. श्री गणेशजी किला रणथम्भोर सवाई माधोपुर	श्री नन्दकिशोर शर्मा

1	2	3	4
50.	409. दि 23-5-75	जिला गोतम आश्रम ट्रस्ट सवाई माधोपुर	श्री जगन्नाथ आचार्य, श्री हरीबल्लभ वकील, श्री ताराचन्द शर्मा; श्री जगन्नाथ गोतम, श्री केलनारायण, श्री हरीनारायण, श्री हरीप्रसाद श्री चिरन्जीलाल, श्री बृजमोहन नकेरी, श्री हीरालाल
51.	412 दि० 7-7-65	धर्मशाला पंच आडतीयान व्यापार मण्डल गंगापुर सिटी	श्री गिरधारी लाल श्री प्रभुदयाल श्री हरीप्रसाद श्री बिहारीलाल श्री रामसिंह श्री कपूरचन्द श्री प्रहलाद कुमार श्री रामेश्वर प्रसाद श्री रामेश्वर लाल श्री राजेन्द्र प्रसाद श्री चतरभजन श्री रूपनारायण श्री सुभाष श्री प्रेमचन्द श्री गोकुल प्रसाद
52.	441 दि० 4-10-75	खण्डेलवाल धर्मशाला भोरीलाल वालों महुवा सवाईमाधोपुर	श्री राधेश्याम श्री रामकिशोर श्री बृजमोहन श्री नारायण लाल
53.	442 दि० 4-10-75	धर्मशाला व बावड़ी ईश्वरचन्द विशम्भरदयाल बोहरा पुलिस स्टेशन के पास महुवा	श्री विशम्भरदयाल बोहरा श्री कृपाशंकर

1	2	3	4
			श्री उमाशंकर श्री विजयशंकर
54.	451 दि० 23-10-75	मन्दिर श्री गंगामाताजी महुवा	श्री नारायण लाल श्री बद्रीप्रसाद श्री कल्याण लाल श्री जगदीश प्रसाद
55.	475 दि० 14-5-76	मं० श्री कल्याणजी महाराज सवाईमाधोपुर	श्री राधेश्याम श्री रमेशचन्द श्री बजरंग लाल श्री आनन्दी लाल श्री लक्ष्मीनारायण श्री भंवर लाल श्री बच्छराज श्री रामनारायण श्री कन्हैयालाल
56.	476 दि. 15-5-76	संकीर्तन मण्डल गीता भवन खण्डार	श्री स्वामी नित्यानन्द श्री नवलकिशोर श्री प्रभुदयाल श्री बृजमोहन श्री नवलकिशोर श्री केदारमल श्री दामोदरमल श्री रामस्वरूप श्री हरीबल्लभ श्री मदनमोहन श्री बंशी लाल श्री रूपनारायण श्री आनन्दी लाल श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा श्री राधेश्याम शुक्ला श्री राधेश्याम तिवाड़ी

1	2	2	4
			श्री गप्प लाल श्री रमेशचन्द्र शर्मा श्री केसर लाल श्री रामानन्द शाह श्री मुरारी लाल श्री राधेश्याम श्री राधेश्याम तिवाड़ी
57.	482 दि. 29-6-76	मं० श्री सीतारामजी सारसोप	श्री रूपनारायण श्री हरीनारायण
58	496 दि. 27-2-76	मं० श्री गोपालजी ईशरदास हु० सवाईमाधोपुर जिला सवाई माधोपुर	श्री महन्त श्री चन्द्रदास
59.	501 दि. 16-11-76	श्री गणेश सार्वजनिक परिक्रमा मंडल ट्रस्ट रणथम्भोर जिला सवाईमाधोपुर	श्री शिवप्रसाद श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा श्री बाबूलाल मंगतू श्री गजानन्द खण्डेलवाल श्री नन्दकिशोर शर्मा श्री किस्तूर चन्द गोयल श्री रामप्रसाद गोयल श्री कृष्णा माली श्री बालमुकन्द देव श्री केदार प्रसाद श्री विजयराम रणथम्भीर जिला सवाई माधोपुर
60.	521 दि. 5-5-77	मं० श्री जगदीश	श्री गंगासहाय पुत्र श्री केशरलाल
61.	532 दि. 22-4-77	श्री सन्त आश्रमगढी हिम्मतसिंह मण्डावर महुवा रोड तह. महुवा	श्री छीतरमल जैन श्री राधेश्याम श्री रामलाल श्री अयोध्या प्रसाद

1	2	3	4
			श्री राधेश्याम श्री कृष्ण जगवाई श्री रघुनाथ प्रसाद श्री गिरधर नारायण श्री छाजूराम श्री नत्थी लाल श्री कजोड़ी लाल श्री प्रभुदयाल श्री किरोडी लाल श्री हरिनारायण श्री श्याम सुन्दर
62.	534 दि. 10-5-77	मं० श्री चतरभुजजी राजेश्वरजी बडवास तह० खण्डार जिला सवाईमाधोपुर	श्री रामकृष्ण गिरि श्री श्यामलाल
63.	536 दि. 17-5-77	मं० श्री नृसिहजी ग्राम पीलवा तह० टोडाभीम जिला सवाई-माधोपुर	श्री गौरीशंकर पुजारी
64.	540 दि. 1-8-77	सेठ नानगराम बसन्तलाल (रामपुरवाले) धर्मार्थ ट्रस्ट हिण्डौन सिटी जिला सवाई माधोपुर	श्री बसन्तलाल श्री बद्रीप्रसाद श्री लक्ष्मीनारायण श्री योगेन्द्र कुमार श्री यशपाल
65.	575 दि. 26-9-78	जैन श्वेताम्बर मन्दिर श्री उपाशरायजी ट्रस्ट ग्राम भगवतगढ़ जिला सवाई माधोपुर	श्री नाथूलाल शर्राफ श्री चांदनारायण श्री रामविलास जैन श्री महावीर प्रसाद श्री कजोड़मल जैन
66.	576 दि. 26-9-78	दिगम्बर जैन मन्दिर महुवा जिला सवाई माधोपुर	श्री श्रवणलाल श्री नन्दलाल जैन श्री महावीर प्रसाद

(254)

1	2	3	4
			श्री नारायण लाल जैन श्री बुद्धीलाल जैन श्री कपूरचन्द गोदा श्री कल्याण सहाय श्री शीतल प्रसाद श्री किस्तूरचन्द जैन पाटनी श्री देवकी नन्दन जैन
67.	610 दि. 8-1-79	मं० श्री गणेशजी (चौथ विन्दा-यक) महुवा जिला सवाई माधो-पुर	श्री छाजूलाल श्री किशोरीलाल श्री छीतरमल श्री डाक्टर देव शर्मा श्री बद्री प्रसाद शर्मा श्री बाबूलाल श्री गिरिराज कुमार
68.	625 दि. 13-2-79	अग्रवाल धर्मशाला ग्राम पावटा तह० महुवा जिला सवाई माधोपुर	श्री राधेश्याम श्री कुन्दनलाल श्री रामअवतार श्री मदनलाल श्री रामगोपाल श्री रामविलास

सहायक आयुक्त(देवस्थान)
जयपुर खण्ड जयपुर

फलासिया क्षेत्र में लघु उद्योगों की योजना

352. श्री लालूदास (फलासिया) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फलासिया क्षेत्र में जो कि उदयपुर जिले का सबसे पिछड़े हुए आदिवासियों का क्षेत्र है, वहां पर अब तक कितने लघु उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं ? यदि नहीं किये गये तो राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) कच्चे माल की सुविधाओं को देखते हुए राज्य सरकार की इस क्षेत्र में उद्योग के सम्बन्ध में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) फलासिया क्षेत्र में अभी तक कोई स्थाई व अस्थाई पंजीकृत उद्योग नहीं है। उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयं राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योग स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(2) इस क्षेत्र में वन आधारित उद्योग लगने की संभावना है। स्वयं राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में कोई लघु उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है। किसी उद्यमी द्वारा उद्योग स्थापित करने की योजना प्रस्तुत करने पर उसे हर संभव सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।

सीसवाली-मांगरोल तथा मांगरोल बालूदा वाया बमोरी मार्गों को पक्का बनाने की योजना

353. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीसवाली-मांगरोल तथा मांगरोल बालूदा वाया बमोरी कलां जिले के महत्वपूर्ण मिसिंग रूट हैं जो मांगरोल तहसील केन्द्र को जिले से सीधी बस सेवा से जोड़ता है ?

(2) यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण सड़कों के अभी तक पक्के नहीं होने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए इन मार्गों के शीघ्र पक्के किये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) मांगरोल तहसील केन्द्र जिले मुख्यालय से वाया बारा जुड़ा हुआ है। मांगरोल सीसवाली सड़क जिला मुख्यालय को सीधे नहीं जोड़ती है। बालूदा इसी प्रकार मांगरोल से बमोरी कलां रूट भी सीधी जिला मुख्यालय को मांगरोल तहसील से नहीं जोड़ता है।

(2) राज्य सरकार की सड़कों की नीति के अनुसार पहले उन सड़कों की स्वीकृति में प्राथमिकता दी गई है जो 5000

(सार्वजनिक मन्त्री)

से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ती हो। मांगरोल-सीसवाली सड़क व मांगरोल बालूदा सड़क इस परिभाषा में नहीं आती है।

(3) मांगरोल से सीसवाली सड़क जिसकी अनुमानित लागत 18 लाख है व मांगरोल से बमोरी कलां से पर्वती नदी तक जिसकी अनुमानित लागत 42 लाख रुपये है, छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

गुडगांव नहर सिंचाई खन्ड डीग

354 श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : —क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले में गुडगांव नहर सिंचाई खण्ड डीग को नहर के निर्माण हेतु 1978-79 में कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया और उसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? वर्ष के अन्त तक कितनी धनराशि उसमें से लैप्स हो रही है ? इस राशि के लैप्स होने का क्या कारण है ?

(2) वर्ष के प्रारम्भ से ही सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं रखा कि प्रावधान के अनुसार वर्ष के अन्त तक पूरी राशि खर्च हो सके ? जिन अधिकारियों की शिथिलता से यह राशि उपयोग में नहीं आ सकी उनकी अक्षमता के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या इसी प्रकार भरतपुर सिंचाई बाढ़ नियंत्रण खण्ड प्रथम एवं द्वितीय तथा सिंचाई खण्ड में भी कोई राशि उपयोग में न आने के कारण लैप्स हो रही है ? यदि हां, तो कहां कहां, कितनी कितनी ?

(4) एक ओर जहां राज्य सरकार भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों एवं सिंचाई विभाग के उच्चाधिकारियों के परामर्श से इतनी समुचित धनराशि का प्रावधान करती है दूसरी ओर अधिकारियों की अक्षमता, शिथिलता और लापरवाही के कारण उसका निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं हो पाता तो सरकार का ऐसे अकुशल अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही करने का विचार है ?

(5) क्या राज्य सरकार तकनीकी विशेषज्ञों से जांच करायेगी कि यह राशि उपयोग में क्यों नहीं आ सकी और इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में गुडगांव नहर के निर्माण के लिये वर्ष 1978-79 में रु० 50.00 लाख आंवटित किये गये हैं। फरवरी, 1979 तक इसमें से रु.19.67 लाख व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष के अन्त तक कुल रु० 35.00 लाख खर्च किये जाने का अनुमान है। कुल रु० 15.00 लाख लैप्स होने का अनुमान है। बजट लैप्स होने का मुख्य कारण सीमेन्ट की अत्यधिक कमी है।

(सिंचाई मन्त्री)

(2) गुडगांव केनाल खण्ड इस वर्ष ही नया खुला है। पूर्ण प्रयास करने के बाद भी सीमेन्ट वांछित मात्रा में बहुत कम उपलब्ध हो सका है। इसके लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(3) बाढ़ नियन्त्रण खण्ड प्रथम व द्वितीय में कोई राशि लैप्स नहीं हो रही है। सिचाई खण्ड भरतपुर में कुल रु० 110.15 लाख में से रु० 88.73 लाख ही खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल रु० 21.42 लाख लैप्स होने का अनुमान है।

(4) राशि लैप्स का मुख्य कारण टेण्डरों द्वारा अनुमानित दरों से ठेकेदारों द्वारा कम देना तथा बाद में कार्य छोड देना, माह जनवरी-फरवरी, 1979 में अप्रत्याशित वर्षा होना व सीमेन्ट की अत्यधिक कमी है। इसके लिये कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) जी नहीं।

इसका प्रश्न नहीं उठता।

झालरापाटन क्षेत्र के सड़क निर्माण कार्य

355. श्री निर्मलकुमार (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में परोलिया से कनवाड़ा मार्ग एवं पाटन के सुनेल मार्ग के सड़क निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं ?

(2) इन सड़कों को अब कब तक पूर्ण कराया जाकर उन पर डामर का काम करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) परोलिया से कनवाडा मार्ग 8 कि. मी. है जिसमें 5 कि. मी. पर मेटल रोड है बाकी में रोड नहीं है। पाटन से सुनेल मार्ग 29 कि. मी. लम्बी है जिसमें 2 कि. मी. डामर व 18 कि. मी. मेटल सड़क बनी हुई है।

(2) उक्त दोनों सड़कें जहां से बनी हुई नहीं हैं उनको बनाने के लिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में रखा गया है।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 315 की सूची)

राजस्व अभियान वर्ष 1977 और 1978 में निपटाये गये मामलों की संख्या

		वर्ष, 1977	वर्ष, 1978	योग
1	2	2	4	5
1.	साझेदारी अधिकारी के निपटाए गये मामले	143416	82010	225426
2.	नामान्तरकरण खोलकर स्वीकृत किए गए	577393	412522	989815
3.	**भूमि आवंटन** : (क) नोन कमाण्ड	61184	37625	98519
	(ख) कमाण्ड	12863	4997	17890
4.	**विपणन** :			
	(क) अनधिकृत ग्रुप से सरकारी जमीन पर बनाये गये मकान एवं बाड़ों का निपटारा	31017	22521	56528
	(ख) विधायक, गैरमुमकीन, पेड़ जंगीर, या वन भूमि पर स्थापित किए गए ग्रामों या विद्यार्थियों का नियमित करण मिए गए मामलों की संख्या	575	245	820
5.	अतिक्रमण मामलों का निपटारा	266539	285950	552459
6.	रतन बिलकचन्द की भूमि का कब्जा सम्बन्धित काश्तकाराना को दिलाने बाबत प्रगति	3462	2796	6258

1	2	3	4	5
7.	काश्तकारों की समाप्त की गई भूमि के लगान की गयी पर कर भार (निपटाये गये मामले)	32713	17518	57231
8.	कृषि भूमि को ऋणि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण सम्बन्धित मामलों को निपटारा	12778	5425	18203
9.	ग्रामों की आजादी के लिए भूमि उपलब्ध कराना	1838	2535	4173
10.	स्पिनिंग संस्थाओं से काश्तकारों को ऋण दिलाने के लिए राजस्व अभिलेखों की प्रतियां एवं बकाया राशि सम्बन्धित प्रमाण पत्र देना	27795	19300	46395
11.	जनता के अभाव अभियोगों का तत्परता से निपटारा करना	—	27282	27282
12.	राजस्थान निर्माण के पश्चात हड़पी हुई भूमि के सम्बन्ध में जांच के दौरान हड़पी हुई भूमि के पाये गये मामले	—	201	201
13.	पैट्रोल पम्प एवं ईंट भट्टी के बाबत यह शिकायत है कि उनके लिए आवंटित भूमि से ज्यादा पर कब्जा कर लिया गया है कि जांच करना			
	(क) पैट्रोल पम्प	—	7	7
	(ख) ईंट भट्टे	—	17	17
14.	राजकीय विद्यालय को खेल के मैदान के लिए भूमि आवंटन करना	—	2298	2298

1	2	3	4	5
15.	कृषि भूमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों के सीमान्त कृषकों के ऋणभार समाप्ति सम्बन्धि कार्यवाही	1131	1575	2706
16.	वृद्धावस्था पेन्शन	17611	18954	37565
17.	प्रत्येक ग्राम में आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों का चयन करके आर्थिक विकास का कार्य प्रारम्भ करना	132777	107212	239989
18.	नये आवंटियों को सहकारिता की की सदस्यता के फार्म भरवाना	—	11280	11280
19.	जागीर होण्डों का वितरण करना।	—	5177	5177
20.	ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था	4989	—	4989
	योग	1328381	1070227	2368608

— ——

विवरण

राजस्व अभियान वर्ष 1977 एवं वर्ष 1978 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन

1. नोन कमान्ड :

(एकड़ों में क्षेत्रफल)

	वर्गीकरण	वर्ष, 1977		वर्ष 1978		योग	
1	2	संख्या 3	रकवा 4	संख्या 5	रकबा 6	संख्या 7	रकबा 8
1.	अनुसूचित जाति	17810	252412	3602	8297	14412	33538
2.	अनुसूचित जनजाति	21081	42007	1687	16048	30768	58055
3.	सैनिक	97	411	104	351	201	762
4.	अन्य व्यक्ति	29025	54633	14030	36968	43055	91601
5.	सागडी प्रथा से मुक्त सम्पर्क व्यक्ति	—	—	11	29	11	29
6.	अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति	—	—	9920	61921	9920	61921
7.	योग	61013	122292	37254	123624	98367	245906
8.	संस्थायें	171	591	281	496	452	1087
9.	कुल योग	61184	122883	37635	124110	98819	246993

261

262

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	कमाण्ड क्षेत्र :						
1.	अनुसूचित जाति	2139	7859	478	428	2617	8747
2.	अनुसूचित जनजाति	5931	9242	1464	1984	7395	11226
3.	सैनिक	21	97	12	43	34	140
4.	अन्य व्यक्ति	4767	10723	2227	2628	4994	13351
5.	सागड़ी प्रथा से सम्पर्क श्रमिक	—	—	—	—	—	—
6.	अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति	—	—	814	2189	814	2189
7.	योग	12858	27921	4996	7732	17759	35653
8.	संस्थायें	5	16	1	2	6	18
9.	कुल योग	12863	27937	4997	7734	17860	35671

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न सं. 320 की सूची)

सूची 'क'

सीकर जिले में अधूरी सड़कें जिनको पूर्ण करवाने का प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है

क्रम संख्या	नाम सड़क	कुल लम्बाई
1.	रींगस खाटु श्यामजी सड़क	16 2 कि. मी.
2.	खुड़ी से मढ़ा सड़क कि. मी. 510 से 20/0	17 कि. मी.
3.	कूद से खुड़ी सड़क कि. मी. 610 से 9/0	10 कि. मी.
4.	नीम का थाना से गनेश्वर कि. मी. 1010 से 1310 एवं सी. डी. वर्क	13 कि. मी.
5.	लक्ष्मण ढुड़लोद कि. मी. 17/0 से 19/200	19.5 कि. मी.
6.	लक्ष्मणगढ़ से सालासर सड़क	34.5 कि. मी.
7.	पलसाणा मोवटि खाटु सड़क	20 कि. मी.
8.	पलसाणा साण्ड़ेला रोड़	18 कि. मी.
9.	रामगढ़ बिसाऊ सड़क (जिला सीमा तक)	4 कि. मी.
10.	वाय से खाटु सड़क	16 कि. मी.
11.	सीकर कासली धोद	20 कि. मी.
12.	कूदन पनलावा साक	5 कि. मी.

सूची (ख)

वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कें जिन पर कार्य चालू है

1. फतेहपुर चुरू सड़क
2. लक्ष्मण गढ़ मुकुन्दगढ़ सड़क
3. खुड़दाता रामगढ़ रेनवाल सड़क
4. दांता रामगढ़ मारोढ़ सड़क
5. सीकर लालासर सड़क
6. गोरीया जिण माता सड़क
7. शाहपुरा चिड़ावा सड़क कि. मी. 41 में पुल का निर्माण
8. शाहपुरा चिड़ावा सड़क कि. मी. 61 में पुल का निर्माण
9. नीम का थाना पाटण रोड
10. काबट प्रीतमपुरी सड़क पर पुल का निर्माण
11. कावट लोहाखाड़ा सड़क
12. मवंडा कलां से माउन्डा खुड़ सड़क
13. कावंट खण्डेला सड़क
14. डावला कोटपूतली सड़क
15. खण्डेला उदयपुरवाटी सड़क

सूची 'ग'

क्र. सं.	जिले का नाम	स्टाइफन्ड की राशि	मानदेय की राशि	योग
1	2	3	4	5
1.	ब्यावर (अजमेर)	0.43	—	0.43
2.	बून्दी	0.46	0.15	0.61
3.	सीकर	0.80	—	0.80
4.	जालौर	0.24	0.06	0.30
5.	जैसलमेर	0.23	—	0 23
6.	पाली	0.61	—	0.61
7.	बांसवाड़ा	0.77	—	0.77
8.	सिरोही	0.19	0.01	0.20
9.	करोली	0.05	—	0.05
10.	जोधपुर	0.40	0.21	0.61
11.	रतनगढ़	0.46	—	0.46
12.	कोटा	0.91	—	0.91
13.	धौलपुर	0.13	0.34	0.47
14.	डूंगरपुर	0.57	0.25	0 82
15.	अलवर	0.21	0.11	0.32
16.	भीलवाड़ा	0.30	0.20	0.50
17.	भरतपुर	0.15	0.10	0.25
18.	बाड़मेर	0.10	0.05	0.15
19.	चित्तौड़	0.09	0.06	0.15
20.	गंगानगर	0.15	0.10	0.25
21.	जयपुर	0.21	0.28	0.49
22.	झालावाड़	0.09	0.06	0.15
23.	नागौर	0.10	0.05	0.15

266

1	2	3		3
24.	टोंक	0.08	0.03	0.11
25.	उदयपुर	0.16	0.10	0.26
26.	झुन्झुनूं	0.03	0.04	0.07
27.	बीकानेर	0.23	0.20	0.43
	योग :	8.12	2.40	10.55

जिन जिलों के सम्मुख मानदेय की राशि अंकित नहीं की है उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न सं. 329 की सूची 'क'

चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण

राजस्थान, जयपुर–1

Position of Cow Scheme

District position as on 28-2-1979

S. No.	Name of District	C. H. W. in field	C. H W. Under Trainiug	Total
1	2	3	4	5
1.	Ajmer.	232	155	387
2.	Alwar.	114	29	143
3.	Banswara.	111	19	130
4.	Barmer.	70	24	94
5.	Bharatpur.	113	20	133
6.	Bhilwara.	113	20	133
7.	Bikaner.	93	22	115
8.	Bundi.	112	33	145
9.	Chihtorgarh.	79	16	95
10.	Churu.	89	17	106
11.	Dungarpur.	125	23	148
12.	Ganganagar.	106	43	149
13.	Jaipur.	394	270	664
14.	Jaisalmer.	72	11	83
15.	Jalore.	94	26	124
16.	Jhalawar.	116	21	137
17.	Jhunjhunu.	129	17	146
18.	Jodhpur.	99	20	119

1	2	3	4	5
19.	Kota.	99	17	116
20.	Nagaur.	119	22	141
21.	Pali.	100	15	115
22.	S. Madhopur.	111	25	136
23.	Sikar.	112	49	161
24.	Sirohi.	75	18	93
25.	Tonk.	187	122	309
26.	Udaipur.	116	20	136
27.	Dholpur.	92	—	92
	Total :	3272	1074	4346

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 330 की सूची)

1– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 में जिन जगहों पर उप केन्द्र पर भवन निर्माण कराये गये।

सूची

क्र.सं	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	उपकेन्द्र का नाम	वर्ष जिनमें निर्माण कराया गया।	लागत
1	2	3	4	5
1.	डेबा	बोडवा	1972-73	9,680.00
2.	नवलगढ़	रोड़	,,	,,
3.	छुनछुनवाली	घाडया	,,	,,
4.		पलाडा	,,	,,
4.	मोलासर	कोलियां	,,	,,
5.	गच्छीपुरा	रोड़	,,	,,
6.	डेगाना	पालडी कलां	,,	,,
7.	डडू	बादला	,,	,,
8.	नोखा चन्द्रावतां	ध्यावां	,,	,,
9.	रियां	बगड़	,,	,,
10,		लाठपुरा	,,	,,

2– न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत निम्न लिखित स्थानों पर वर्ष 1978-79 में उप केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।

1.	खींवसर	1. कालू	1978-79	19,300.00
		2. पालडी जोधा	,,	,,
		3. लुहारू	,,	,,
		4. कुडछी	,,	,,
2.	मोलासर	1. सतासरी	,,	,,

1	2	3	4	5
		2. पीडवा	1978-79	19,300.00
		3. सूद्रासन	,,	,,
		4. मिन्दीकलां	,,	,,
		5. सिंघाना	,,	,,
		6. दिलदारपुरा	,,	,,
3.	बड़ू	1. डादोता	,,	,,
		2. भादव	,,	,,
4.	छुनछुनवाली	1. बालास	,,	,,
		2. गोगोर	,,	,,
		3. ठीकरिया बाद	,,	,,
		4. भूडा (बौंली)	,,	,,
		5. सांसावाली	,,	,,
		6. टोडास	,,	,,
5.	हेव	1. वांडली	,,	,,
		2. दनाताल	,,	,,
		3. पीन्डिया	,,	,,
		4. बावलियासर	,,	,,
6.	गच्छीपुरा	1. भिवावा	,,	,,
		2. लोसर	,,	,,
		3. निम्बडी	,,	,,
7.	डेगाना	1. खुर्द	,,	,,
		2. मंडवारी	,,	,,
		3. नेवडा	,,	,,
8.	रिवां	1. मोडीकलां	,,	,,
		2. दानीपुरा	,,	,,

1	2	3	4	5
9.	आलमी	1. भदाणा	1678-79	19,300.00
		2. सुधरण	,	,
		3. मंठीलासर	,,	,,
10.	मोडा चन्द्रावतां	1. धाराका	,,	,,

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न सं 338 की सूची)

मास्टर प्लान के अन्तर्गत बेगूं की सड़कें

1. सम्पर्क सड़क बेगूं से चेबी तक
2. सम्पर्क सड़क आंवल टेडा से ठुकराई तक

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 340 की सूची)

माह मार्च, 1978 तक राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क.सं.	जिला	कुल ग्राम एवं नगर	31-3-78 तक विद्युतीकृत	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	962	456	48.64
2.	अलवर	1873	720	38.44
3.	बांसवाड़ा	1441	363	25.19
4.	बाड़मेर	839	47	5.60
5.	भरतपुर	1877	606	32.28
6.	भीलवाड़ा	1512	582	38.49
7.	बीकानेर	546	86	15.75
8.	बूंदी	733	129	17.59
9.	चित्तौड़गढ़	2130	644	30.23
10.	चूरू	861	155	18.00
11.	डूंगरपुर	827	200	24.18
12.	जयपुर	2694	1203	45.18
13.	जैसलमेर	434	3	9.69
14.	जालौर	597	180	30.15
15.	झुंझुनू	705	391	55.46
16.	झालावाड़	1446	369	25.51
17.	जोधपुर	706	207	29.32
18.	कोटा	1911	461	24.10
19.	नागौर	1224	397	32.43
20.	पाली	830	498	60.00

1	2	3	4	5
21.	सवाईमाधोपुर	537	377	24.52
22.	सीकर	817	383	46.87
23.	सिरोही	428	223	52.10
24.	श्रीगंगानगर	2398	431	17.97
25.	टोंक	1022	240	23.71
26.	उदयपुर	3122	815	26.10
	योग	33462	10166	30.40

जिला जयपुर की पंचायत समितियों के ग्रामों के विद्युतीकरण के प्रतिशत का ब्यौरा

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतीकरण का प्रतिशत
1.	बस्सी	203	102	50.24
2.	सांगानेर	203	188	92.61
3.	बांदीकुई	164	47	28.65
4.	फागी	145	7	4.82
5.	सिकराय	133	37	27.81
6.	चाकसू	253	16	6.32
7.	गोविन्दगढ़	92	79	85.86
8.	आमेर	180	100	55.55
9.	शाहपुरा	67	56	83.58
10.	बैराठ	74	17	22.97
11.	जमवा रामगढ़	185	141	76.21
12.	लालसोट	258	78	30.23
13.	दूदू	184	62	33.69
14.	जोबनेर	119	79	66.38
15.	झोटवाड़ा	101	82	81.18
16.	दौसा	223	59	26 45
17.	कोटपूतली	110	43	39.09
	योग :	2694	1203	45.18

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 341 की सूची)

वान्छित विवरण सहित चारों ग्रामों के कृषकों जिन्हें विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं की सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	तहसील	कृषक का नाम	मोटर की हार्सपावर	ट्रांसफार-मर से लगे खम्बों की संख्या	कनेक्शन देने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सारंगवास चक्र	मेड़ता	1. श्री कानसिंह पृथ्वी सिंह	10 एच.पी.	2	24-8-73
			2. श्री नारायण सिंह	10 एच.पी.	8	16-8-78
			3. श्री लादूराम	10 एच.पी.	4	30-1-79
2.	सथाना खुर्द	डेगाना	1. श्री शायरसिंह मोती सिंह	10 एच.पी.	5	24-8-73
			2. श्री मोहन सिंह रणजीत सिंह	10 एच.पी.	—	25-8-73
			3. श्री हनुमान सिंह मदन सिंह	10 एच.पी.	6	24-8-73
			4. श्री पाबू राम जीवन राम	10 एच.पी.	3	23-11-73
			5. श्री मदन लाल बंसी लाल	12.5 एच.पी.	4	27-11-73
			6. श्री पूसाराम आसाराम	10 एच.पी.	14	12-12-73
			7. श्री नानूराम खीचाराम	10 एच.पी.	23 पोल	11-12-73
			8. श्री धन्ना राम बेरवाल	12.5 एच.पी.	11 पोल	4-11-74

277

1	2	3	4	5	6	7
			9. श्री पृथ्वीसिंह विजय सिंह	10 एच.पी.	6	4-11-74
			10. श्री गोविन्द सिंह जसवन्त सिंह	10 एच.पी.	7	23-11-74
			11. श्री जोधनाथ गणेशनाथ	10 एच.पी	2 पोल	15-12-74
			12. श्री अमराराम मेहरवाल	10 एच.पी.	—	10-5-75
			13. श्री पूसाराम आसाराम	10 एच.पी.	18	11-11-78
			14. श्री गीगाराम गोकुल राम	10 एच.पी.		11-11-78
			15. श्री मंगलाराम दानाराम	10 एच.पी.		11-11-78
			16. श्री बंसीराम मगनाराम	10 एच.पी.	18	11-11-78
			17. श्री रामदीन अईदान			11-11-78
			18. श्री भंवरसिंह	10 एच.पी.	6	18-11-78
			19. श्री गंगाराम लादूराम	12.5 एच.पी.	4	1-1-79
			20. श्री श्रवण रामखाती	10 एच.पी.	—	1-12-78
3. सथाना	कलां	डेगाना	1. श्री रोडाराम प्रतापराल	12.5 एच.पी.	6	31-8-73
			2. श्री रामचन्द्र सिंह गोविन्द सिंह	12.5 एच.पी	13	8-2-75
			3. श्री रूप सिंह किशोर सिंह	12.5 एच.पी.	13	8-2-75
			4. श्री रामसुख सूरा राम	10 एच.पी.	5	14-9-70

1	2	3	4	5	6	7
			5. श्री बुद्धाराम सोगा राम	12.5 एच.पी.	1	30-10-7
4. सथानी		डेगाना	1. श्री कानाराम हजारीराम	10 एच.पी.	12	1-3-78
			2. श्री पेमाराम	10 एच.पी.		1-3-78
			3. श्री भीयाराम	10 एच.पी.	8	1-3-78

परिशिष्ट —11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 347 की सूची)

गंगापुर सिटी की कोल/कोक स्पोन्सर इकाइयों की सूची

क्र. सं.	इकाई का नाम	1974		1975		1976		1977		1978		1979	
		स्पो.	प्राप्त	स्पो.	प्राप्त	स्पो.	प्राप्त	स्पो.	प्राप्त	स्पो.	प्राप्त	स्पो.	प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	मैसर्स जी. बी. आयल एण्ड दाल मिल गंगापुर सिटी	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	,, महावीर राइस एण्ड आयल मिल.	21	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	,, राजस्थान मिनरल ट्रेडर्स, पो. सेनी कुल्लावाली वाया गंगापुर सिटी	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	,, ग्रामसेवा मण्डल करोली	3	1	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	,, भारत आइल एण्ड राइस मिल, गंगापुर सिटी	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	मैसर्स जेठमल हीराचन्द (राइस एण्ड आयल मिल) गंगापुर सिटी	3	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	,, अभिनन्दन आयल एण्ड फ्लोर मिल, गंगापुर सिटी	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	,, शंकर आयल एण्ड राइस मिल, गंगापुर सिटी	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	,, गिरिराज आयल मिल गंगापुर सिटी	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	,, एस. एल. आयल एण्ड राइस मिल, गंगापुर सिटी	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	,, अरविन्द उद्योग गंगापुरसिटी	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	,, गणेश राइस एण्ड आयल मिल, गंगापुरसिटी	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	,, शुभलक्ष्मी इन्ड. गंगापुरसिटी	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	,, कृष्णा आयल एण्ड जनरल मिल.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	,, वैद्य इन्डस्ट्रीयल एरिया, गंगापुर-सिटी	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मैसर्स आर. पी. इन्जि. वर्क्स.	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	,, श्रीनिवास राइस एण्ड आयल इन्ड. गंगापुरसिटी	12	1	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	,, शिवेश कुमार मूथा उद्योग, गंगापुरसिटी	—	—	—	—	—	—	6	—	6	1/2	3	—
19.	,, आदर्श मूथा कली उद्योग, गंगापुर-सिटी, ग्राम व वाया (सपोटरा) वाया करौली (स. माधोपुर)	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—